(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 11

बुधवार,

दिनांक 21 सितम्बर, 1977

[विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।]

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 306

श्री गुल मोहम्मद ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री किशनसिंह भाटी ।

आपात काल में सेवा निवृत्त कर्मचारी

307. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

आपात काल में सेवा निवृत्त किये गये राज्य कर्मचारियों को किस निश्चित अवधि तक पुनः सेवा में ले लिया जायेगा ? अविवेकपूर्ण, द्वेषतावश एवं निरंकुशता तथा गैर कानूनी रूप से निकाले गये इसमें दोषी (आदेश देने वाले) उच्च अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या एवं किस निश्चित अवधि तक ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री कैलाश मेघवाल) : राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों के मामले उनके रिकार्ड के आधार पर पुनरावलोकन समिति द्वारा पुनरावलोकित किये जा रहे हैं । पुनरावलोकन समिति जिन कर्मचारियों के राज्य सेवा में वापस लिये जाने की सिफारिश करती है उन्हें वापस सेवा में लिया जा रहा है । आशा की जाती है कि यह कार्य दिनांक 30-9-77 तक पूर्ण हो जायेगा । यही नहीं बल्कि जिन कर्मचारियों के पुनरावेदन पुनरावलोकन समिति द्वारा दिनांक 1-7-77 के पूर्व अस्वीकृत कर दिये गये थे, उन पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है ।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति का निर्णय किसी एक अधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि नियमानुसार गठित समिति की सिफारिश पर कार्यवाही होती है । फिर भी कोई ऐसा मामला, जिसमें किसी अधिकार का दुरुपयोग किया गया हो, राज्य सरकार के ध्यान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

Page No 2

(2)

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक निश्चित अवधि के बारे में पूछा है, कब तक इन्हें ले लिया जायगा ? अवधि के बारे में गोलमाल है।

श्री कैलाश मेघवाल : 30-9-77 तक।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : आपके ध्यान में कौन लायेगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : किस बारे में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया कि ध्यान में आने पर कार्यवाही की जावेगी, तो ध्यान में कौन लायेगा ? अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया है, इसकी कैसे जानकारी करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो पीड़ित होगा, या फिर अन्य कोई शिकायत लाये।

श्री किशन सिंह भाटी : जब आप जांच करेंगे तो उस जांच में यह पता लग जायगा कि 10 को इनडिसक्रिमिनेट वे में किया गया है; फिर क्या उसे आप बहाल करेंगे और उस अधिकारी को निकालेंगे ?

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, नीचे जो कर्मचारी तम्बू तान कर काफी दिनों से बैठे हुये हैं, क्या मुख्य मंत्रीजी उन के मामले पर सहृदयता-पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जब कभी सिफारिश की जाती है तो आप किस सिफारिश को मानते हैं और किस सिफारिश को नहीं मानते हैं ? क्या यह अनुमान सही है कि आप उन सिफारिशों को मानते हैं जो आपकी पार्टी के लोग करते हैं ? हमारी तो आदत ही नहीं है सिफारिश करने की। आप कहते हैं तो फिर बतायें किसकी सिफारिश मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर तो अपेक्षित है।

नैक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो इनडिसक्रिमिनेट वे में सेवा निवृत्त किये गये हैं उनका क्या आधार है ?

श्री कैलाश मेघवाल : समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा प्रश्न है कोई स्पेशल नियम है, कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट किसी पर्टीक्यूलर इयर की है या कोई और आधार है ? या किसी आफिसर की नाराजगी के कारण उसकी व्यक्तिगत व्हिम पर निर्भर रहा है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। सेवा निवृत्ति के नियम पहले से ही बने हुये हैं लेकिन आपात काल में पर्सनल द्वेष की वजह से ही ये सारे झगड़े खड़े हुए हैं। ऐसी प्रक्रिया तो पहले भी थी। कोई पर्सनल द्वेष से सी. आर. खराब हुई हो और इस कारण से सेवा निवृत्त कर दिया गया हो, उसके लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री किशन सिंह भाटी : पर्सनल व्हिम्स और केप्रिसेज से किसी को विक्टिमाइज किया है तो उस आफिसर के विरुद्ध एक्शन लेंगे क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : अगर यह निश्चित हो गया कि जान बूझकर पद का दुरुपयोग किया गया है और बदले की भावना रखी गई है तो एक्शन लिया जायगा ।

प्रश्न संख्या 308

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 309

श्री नवरंग सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री कुंजी लाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य : दो नाम हैं ।

प्रश्न संख्या 310

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूल चन्द सामरिया ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मणिराम ।

तहसील तारानगर में आबादी में दर्ज भूमि

311. श्री **मणिराम** (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सैटलमेंट के समय जमीन की जो मौके की स्थिति हो उसके अनुसार किस्म रिकार्ड में दर्ज की जाती है ? यदि हां, तो तहसील तारानगर, जिला चूरू में द्वितीय बन्दोबस्त के समय ऐसा क्यों नहीं किया गया और जहां पर मकान बसे हुए थे उस भूमि को आबादी दर्ज नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम बन्दोबस्त के समय मौके पर जहां आबादी थी उसको आबादी दर्ज किया था ? यदि हां, तो द्वितीय बन्दोबस्त के समय ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह विदित है कि इस प्रकार की समस्या अधिकतर ग्रामों में है ? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? तथा भविष्य में इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) कृषि अन्तर्गत भूमि का भूमि वर्गीकरण (किस्म जमीन) बन्दोबस्त के समय मौके के अनुसार किया जाता है । किन्तु कृषि भूमि में जहां अनधिकृत रूप से मकान इत्यादि बन गये हों ऐसे मामलों में जब तक कि राजस्व विभाग द्वारा नियमन न हो जाये तब तक भूमि का वर्ग पूर्वानुसार ही रखा जाकर खसरे के विशेष विवरण के खाने में अनधिकृत आबादी का अंकन किया जाता है । भूमि वर्ग बदला नहीं जाता । अनधिकृत आबादी का नियमानुसार नियमन हो जाने पर ही भूमि-वर्ग बदला जाता है । तहसील तारानगर में भी इसी भांति अंकन किया गया ।

(2) यह सही है कि प्रथम बन्दोबस्त के समय मौके की स्थिति के अनुसार जहां आबादी थी उसको आबादी भूमि अंकित किया गया था क्योंकि भूमि सम्बन्धी अभिलेख तथा मानचित्र प्रथम बन्दोबस्त के पूर्व तैयार नहीं थे । उसके पश्चात् द्वितीय बन्दोबस्त में चालू रिकार्ड एवं मानचित्र को आधार

Page No 4

(५)

(श्री कैलाश मेघवाल)
मानते हुये आगे कार्यवाही की गई है। यदि गत बन्दोबस्त के बाद की आबादी मंजूर शुदा थी तो उसे आबादी भूमि अंकित किया गया। किन्तु अनधिकृत आबादी भूमि के सम्बन्ध में नियमन के अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं होने से क्रमांक (1) के अनुसार इन्द्राज किया गया।

(3) इस बारे में भूमि की किस्म परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा जारी कर दी गई है।

(आज्ञा की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मणिराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है। मेरा जो प्रश्न है उसमें मतलब कहने का यह है कि मेरे क्षेत्र में खास कर चूरू जिले में सारी तहसीलों में गड़बड़ी है और हर गांव में गड़बड़ी है। बहुत सी जगह ऐसी भूमि, जो आबादी भूमि थी, कुछ होशियार और चालाक लोगों ने अपने खाते में वह दर्ज करा ली। 72 के बाद वह दर्ज हुई है।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपके प्रश्न का समुचित उत्तर आ चुका है। कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो पूछिये।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : पूर्व में आबादी थी और बाद में उसका गलत इन्द्राज कर दिया गया तो स्पष्ट बतायें।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्पष्ट बता दिया गया है। पहले सैटलमेंट के समय कोई रिकार्ड नहीं था। बाद के सैटलमेंट में जैसा रिकार्ड मौजूद था उसके अनुसार गलत इन्द्राज कर दिया गया है। समुचित उत्तर दे दिया गया है।

श्री **उमराव सिंह डाबरिया (बनेड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि पहले सैटलमेंट के टाइम पर भूमि रिकार्ड के अन्दर आबादी दर्ज थी। लोग वर्षों से मकान बना कर रह रहे थे। जब बाद में नया सैटलमेंट हुआ तो उस समय आबादी जमीन को काश्त में बदल दिया। यह भयंकर घोटाला है। इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वर्षों से लोग बसे हुये हैं और आप उसको दुबारा सैटलमेंट में काश्त की जमीन में दर्ज कर दें, यह कौनसा कायदा है और इसका कब से नियम बना है? मंत्री महोदय, कृपया बतायें।

श्री **कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया गया है। जो पहले सैटलमेंट हुआ उस समय अधिकारियों के सामने जो रिकार्ड था और जैसी स्थिति थी उसको रिकार्ड कर लिया। दूसरा सैटलमेंट हुआ तो पहले के मानचित्रों के आधार पर और जो कुछ रिकार्ड उपलब्ध था उसके अनुसार सैटलमेंट कर दिया गया। जो आबादी की भूमि में रहने वाले हैं जब तक उस आबादी भूमि का नियमन नहीं हो जाता है तब तक बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। अब कोई स्पेसिफिक उदाहरण माननीय सदस्य दें तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री **उमराव सिंह डाबरिया** : मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं ....

श्री **श्योपत सिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है .....

श्री **उमराव सिंह डाबरिया** : माननीय सदस्य ने कहा है कि पहले वाले सैटलमेंट में

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)
आबादी दर्ज थी और बाद वाले सैटलमेंट में उसको आबादी लैंड नहीं दिखाया है, तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस बात को देख कर राज्य सरकार अपना निर्णय दे। पहला सैटलमेंट और दूसरा सैटलमेंट कितने अर्से के बाद हुआ है? जब पहले सैटलमेंट से लेकर दूसरे सैटलमेंट तक, वर्षों तक, वह आबादी जमीन रही, वर्षों तक वह आबाद रही तो दूसरे सैटलमेंट में कृषि भूमि कैसे हो गई?

श्री **मणिराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि प्रथम बन्दोबस्त में तो आबादी दर्ज थी और दूसरे बन्दोबस्त में भी आबादी दर्ज थी लेकिन बाद में 72 में राजस्व अधिकारियों ने अपनी मर्जी से कृषि भूमि दिखा कर उसकी खातेदारी दे दी।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : जिन लोगों का इंट्रेस्ट था उन्होंने आबादी में दर्ज करी हुई जमीन को भी रुपये देकर कृषि में दर्ज करवा लिया है। अधिकारियों ने रुपये लेकर इसके अन्दर भ्रष्टाचार किया है। मंत्री महोदय को इसकी जानकारी करनी चाहिए। अफसरों ने उत्तर लिख कर दे दिया केवल उसको पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा।

श्री **रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न चल रहा है यह प्रश्न एक जगह का नहीं है, यह सम्पूर्ण राजस्थान का प्रश्न है। सैटलमेंट वालों ने सब जगह यह किया है। मौके पर क्या स्थिति है और रिकार्ड में क्या स्थिति है, इसको कोई नहीं देखता। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या स्थिति है?

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया भाषण नहीं दें।

श्री **रतनलाल वर्मा** : भाषण नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि वहां सही स्थिति क्या है?

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): यहां सैटलमेंट का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दोनों ही सैटलमेंट के समय आबादी भूमि थी लेकिन रेवेन्यू वालों ने गड़बड़ की है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो स्थितियां सामने आई हैं। प्रश्न का जवाब यह है कि पिछला सैटलमेंट यहां पर सन् 1948 में यानी सम्वत् 20 0 में हुआ और जो स्थिति मौके पर थी वह दर्ज कर ली। दूसरा सैटलमेंट सम्वत् 2022 यानी सन् 1975 में हुआ था। उस समय जहां पर पहले सैटलमेंट के अनुसार कृषि भूमि थी और उसमें आबादी बस गई तो उसको विशेष विवरण में लिखा गया है ताकि वह आबादी दर्ज की जा सके....

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सम्वत् 2022 की बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि पहले सैटलमेंट में जहां पर आबादी भूमि दर्ज थी दूसरे सैटलमेंट में रद्दोबदल करके कृषि के क्षेत्र में वह भूमि दर्ज कर दी गई है। अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक उदाहरण और मामला सरकार के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से जांच करवाई जायेगी।

श्री मणिराम : ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करवा कर क्या उनको दण्डित किया जाएगा?

श्री कैलाश मेघवाल : निश्चित रूप से अधिकारियों की कोई बदनीयती पाई गई और पद का दुरुपयोग पाया गया तो जांच भी की जायेगी और दण्डित भी किया जाएगा।

श्री मणिराम : मेरे पास प्रमाण है। वहां पर जो कुछ हुआ है उसका यह मेरे पास प्रमाण है। अगर उपाध्यक्ष महोदय कहें तो मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। फर्स्ट सैटलमेंट जो हुआ उसमें उस एरिया को आबादी में दर्ज कर दिया, फिर बीस साल बाद में दूसरा सैटलमेंट हुआ तो दूसरे सैटलमेंट के टाइम में भी वह आबादी भूमि में बरकरार थी तो उसको आबादी में ही रखा जाना चाहिए था.....

श्री उपाध्यक्ष : रखा है, उनका उत्तर भी यही है।

श्री रावतराम : जब सैटलमेंट फिर हुआ तो सैटलमेंट में भी आबादी भूमि लिखी गई लेकिन रेवेन्यू अधिकारियों से मिल कर रिकार्ड में गलत इन्द्राज करवा लिया और उस भूमि को आबादी से निकलवा कर कृषि भूमि में दर्ज करवा लिया। यह किस आधार पर करवाया गया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भूमि दो बन्दोबस्त में आबादी दर्ज रही उसको किस तरह से कृषि में दर्ज कर दिया? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं— इसकी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक विशिष्ट सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं मेजर साहब, उन्होंने 1948 में जिस जमीन पर मकान बना लिया आज भी सिंचित भूमि में वह जमीन दर्ज है। यह हालत है आपकी। आप उन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से बन्दोबस्त में भ्रष्टाचार होता है उसको रोका जाय। इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच की जाय। बनेड़ा तहसील के अन्दर जो बन्दोबस्त हुआ उसमें दो लाख रुपया रिश्वत खाई गई है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभी जगह पर यही हालत है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : आप अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, यह बिल्कुल गलत है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य ने आशंका प्रगट की है कि हम किसी सरकारी अधिकारी को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो गलती हुई है वह 75 में हुई है। उस गलती के बारे में कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दोषी हो, माननीय सदस्य इस बात का प्रमाण देंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उसको बचाने की कोशिश नहीं होगी बल्कि जिसने गलती की है उसको दण्ड देने की कोशिश करेंगे।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी से रेलेवेंट प्रश्न है.....

Page No 7

(7)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है ।

नैक्स्ट ।

श्री किशन सिंह भाटी : मैं इसी से रेलेवेन्ट सवाल कर रहा हूं।

जैसलमेर में करीब पचास पीढ़ी से जो काश्तकार काबिज हैं मौके पर फसलें खड़ी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री किशन सिंह भाटी : रेवेन्यू से ही रिलेटेड है।

मेरे जिले में चालीस गांवों के काश्तकारों को इजेक्ट किया है जो वर्षों से वहां पर आबाद हैं। अभी गत 28 तारीख को उनके खिलाफ एक्शन हुआ है । जो 25-25 वर्षों से वहां पर काश्तकार काबिज हैं उनको हटा कर एक्शन लिया जा रहा है उनकी फसलें कुर्क की गई हैं, उनको हटा कर एक्शन लिया जा रहा है, उनकी फसलें कुर्क की गई हैं क्या उसको रोकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 312

श्री अब्दुल अजीज ।

नैक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

II ग्रेड आशुलिपिकों की लोक सेवा आयोग से परीक्षा

313. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रेड II आशुलिपिकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में यदि कोई नियम/आदेश हैं तो अद्यावधि संशोधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि अन्य किसी वर्ग के लिए, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीन आते हैं, रोकी जाती हैं ? यदि नहीं, तो फिर उक्त सेवा वर्ग के लिए ही ऐसा प्रतिबन्ध क्यों किया गया है ?

राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी नहीं। लोक सेवा आयोग द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी एक भाषा में परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो उसको वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जाती है। वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, कनिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्त व्यक्ति को यदि उसने टंकण परीक्षा पास नहीं की है, तो वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाती है . . . . .

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 312 रह गया है बीच में ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आवाज दी थी, आप बोले नहीं थे ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं सुन नहीं सका होऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देने लग गए तब भी नहीं बोले । खैर ।

राज्य में उर्दू भाषा की उन्नति

312. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उर्दू भाषा की उन्नति के लिए राज्य सरकार ने कोई रकम निर्धारित की है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उर्दू भाषा को राज्य में कितने लोग बोलते हैं ?

भाषा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां । इसके लिए वर्ष 1977-78 में तीस हजार रुपये की राशि उर्दू अकादमी के लिए स्वीकृत की है ।

(2) सन् 1971 की जनगणनानुसार राज्य में उर्दू भाषियों की संख्या 6 लाख 50 हजार 946 है ।

श्री अब्दुल अजीज : उर्दू जुबान की जनता पार्टी के चुनाव मेनीफेस्टो में भी चर्चा की गई है परन्तु उर्दू भाषा की उन्नति के लिए जो बजट रखा गया है वह काफी कम है । क्या यह चर्चा केवल जनता को प्रलोभन देने के लिए थी ? एक आकर्षण देकर जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह किया....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह प्रश्न है । केवल प्रश्न करिए ।

श्री अब्दुल अजीज : यह आकर्षण देकर लोगों को भुलावा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करिए ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू जुबान को 6 लाख लोग बोलते हैं । उसकी तरक्की के लिए आपने तीस हजार रुपये का प्रावधान किया है । यह भी जानकारी दें कि पिछली सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा था और उस बजट में आपने क्या कटौती की है ? आपके मेनीफेस्टो में इसकी चर्चा है कि उर्दू जुबान की तरक्की के लिए आप प्रयत्न करेंगे परन्तु आपने तो इसके बजट में कटौती कर दी है । पिछली सरकार ने कितना बजट रखा था और अब आपने कितना रखा है ? कृपा करके यह बता दें । जो आपने वायदा किया था उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? इसकी भी जानकारी कृपा करके दें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू को प्रसारित करने के लिए अन्य सुविधाएं पहले से ही दी हुई हैं । दस छात्र उर्दू पढ़ने वाले जहां पर हों और सारे स्कूल में 40 छात्र हों, वहां पर उर्दू पढ़ाने की, उसके पठन पाठन की पूरी व्यवस्था है । इसी प्रकार. .

श्री उपाध्यक्ष : ये तो यह स्पष्ट पूछना चाहते हैं कि पहले कितना बजट था और अब कितना बजट है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल का जवाब दीजिए । पहले कितना बजट था और आपने इस वर्ष कितना रखा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न किये हैं. . . .

(व्यवधान)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
इन दोनों सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं।

जहां तक सुविधा का प्रश्न है, उस नाते यह बताने का प्रयास किया है कि राज्य सरकार उर्दू के पठन पाठन के लिए क्या कर रही है। यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि दो लाख रुपये का और अनुदान देने का निश्चय किया गया है। इसके अन्तर्गत 6 लाख लोगों के लिए 30 हजार रुपये की और स्वीकृति प्रदान की है। मुझे स्पष्ट रूप से यह बताया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार ने जो अकादमी गठित की थी, उसका अभी तक कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। इस अकादमी के श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष थे और भूतपूर्व राज्य मंत्री शिक्षा, श्री फारुक हसन और राज्य मंत्री, बनवारीलाल इसके सदस्य थे। अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बजट बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तक तो इसकी कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है। 6 महीने बीत गए हैं। आगे यह गतिमान हो, उसके लिए 30 हजार रुपये रखे गये हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का रेलेवेन्ट उत्तर नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं दो साल से मांग कर रहा हूं, जालौर में 40 छात्र हैं फिर भी आपने अभी तक कक्षाएं प्रारंभ नहीं की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके सप्लीमेंट्री पूछें ताकि उत्तर मिल जाए।

श्री अब्दुल अजीज : तीस हजार रुपया उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आपने रखा है, क्या यह अच्छी बात है? मेरी तो आपसे यह गुजारिश है कि जो उर्दू जुबान है, उसके लिए आप पूरा बजट रखें। इसका बजट आपने रखा है, यह तो अच्छा है परन्तु इसको और विशेष तरक्की देने के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करेंगे? यदि आप इसकी खिदमत करना चाहते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव नहीं दें, प्रश्न करिए।

श्री अब्दुल अजीज : जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको भी आप अनुदान देने की कृपा करें तो महरबानी होगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसका बजट नहीं बताया है। 75-76 में बजट कितना था और 76-77 में कितना बजट इसके लिए है? यह मूल प्रश्न है। इसका उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह उत्तर आ जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दें, भाषण नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने यह निवेदन किया है कि दो लाख रुपये का प्रावधान इस वर्ष रखा था। किन्तु मैंने अभी सदन में स्पष्ट किया है कि उर्दू अकादमी की अभी तक कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। जो समय शेष रहा है, इसमें गतिविधि प्रारंभ हो और गतिविधि बढ़े, इसके लिए तीस हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। गतिविधि बढ़ने पर इसमें कुछ और प्रावधान कर दिया जाएगा।

Page No 10

(10)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि पिछली सरकार ने दो लाख का बजट रखा था उसके बजाय आपने तीस हजार का रखा है, इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : जो परिस्थिति थी, उसके मुताबिक रखा है।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस वर्ष का आपका बजट दो लाख का न होकर केवल तीस हजार का है। कम खर्चा कर रहे हैं, क्या यह सही है ?

(व्यवधान)

आप इस वर्ष केवल तीस हजार रुपये ही खर्च करेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : पूर्व की सरकार ने इसकी कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं की। अब इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए तीस हजार रुपये रखे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी इन्फर्मेशन दे दी है।

(व्यवधान)

आप बिराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है......

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह नियमों में प्रावधान है ?

(व्यवधान)

मुझे कहने दीजिए। आप बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। 1 लाख 70 हजार रुपये कम कर देने के बाद सरकार उर्दू का विकास कैसे करेगी ? यह 1 लाख 70 हजार रुपया आपने क्यों कम कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : समुचित कारण बता दिए गए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दो लाख का बजट था, उसको कम कर के 30 हजार का कर दिया। यह कहें कि हां कर दिया।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार): उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू भाषा के अकादमी के बजट में आपने कटौती की है ...

श्री मूलचन्द डागा : यह कटौती जान बूझ कर की है।

श्री गुल मोहम्मद : उर्दू भाषा अकादमी के बजट में आपने कटौती की है...

श्री उपाध्यक्ष : कारण बता दिए गए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सवल यह नहीं है..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि और कौन सी अकादमी के बजट में सरकार ने कटौती की है ? यह कृपा कर के बता दें।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : बृज भाषा की उन्नति के लिए कोई प्रावधान भी रखा गया है ? बृज भाषा भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भाषा है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में 6 लाख मुसलमान उर्दू पढ़ने वाले हैं और उनके लिए तीस हजार रुपये रखे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन में यह इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जनता पार्टी उर्दू के विकास में सहायक नहीं है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो लाख रुपये का वजट प्रावधान था, यह प्रमुख उद्देश्य था कि उर्दू अकादमी का निर्माण हो। उर्दू अकादमी की एक्टीविटीज हों, उसके खर्चे के लिए दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। दुर्भाग्य से इस अकादमी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो संस्था का कार्य होने का सवाल ही नहीं। उस बैठक की जिम्मेदारी हम पर नहीं सौंप सकते हैं।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस उर्दू अकादमी के अध्यक्ष, श्री रामकिशोर व्यास थे। ज्यों ही सरकार बदली, उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। मैं चाहता था, यह उनके हाथ में रहे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें यह कहा कि आप यह काम अपने हाथों में रखें। उर्दू के प्रसार में आप सहयोग दें। सरकार हमेशा आपको सहयोग देती रहेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वे अकादमी के अध्यक्ष बने रहेंगे और अकादमी के द्वारा उर्दू का प्रचार-प्रसार करेंगे। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि उर्दू से हमारा विरोध नहीं है। पिछली सरकार ने जो कार्य किया है, उससे आगे बढ़कर करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हमारा यह कहना है कि आपने दो लाख के वजट को जान बूझ कर 30 हजार का कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। रामकिशोरजी व्यास का और आपका कुछ विरोध है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री शंकरलाल : आप खुद अपनी गलती मानते हैं। 30 हजार आपने कर रखा है। इसीलिए यह कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ चुका है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 313 का शेष उत्तर)

राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

लोक सेवा आयोग द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी एक भाषा में आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो उसको वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जाती है।

(आज्ञा की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि मेरा प्रश्न खण्ड (2) है, उसके सम्बन्ध में कोई संशोधित नियम हैं भी या नहीं ?

Page No 12

(12)

श्री कैलाश मेघवाल : नियम समय-समय पर बने हैं। उनकी मांग को देखते हुए उनको राहत देने की दृष्टि से संशोधन होते रहे हैं। यह सारे नियम हैं। वह देखे जा सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी इस समय परिस्थिति यह है कि कोई एक विषय में पास कर लेता है तो जब तक वह दूसरे विषय में पास नहीं करे तब तक उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। क्या इस विषय में आप जल्दी ही निर्णय लेना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर में बता दिया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत इम्पार्टेण्ट क्वेश्चन है। जो लोग स्टेनोग्राफी या आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में पास करते हैं, उनको दोनों भाषाओं में परीक्षा पास करना जरूरी होता है। आप को वैसा ही करना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया है या अन्य राज्यों ने किया है। मैं आपके सामने यह निवेदन करता हूं आप इस पर आश्वासन दे दीजिए। आप गर्दन तो हिलाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। आप आश्वासन दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बत्तीलाल।

तहसील नादौती में काश्तकारों से पैनल्टी

314. **श्री बत्तीलाल** (टोडा भीम) : क्या राजस्व मन्त्री बात बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तहसील नादौती में करीब 10 वर्ष पूर्व श्री अमरसिंह नामक तहसीलदार थे जिन्होंने अपने अधिकार का अत्यधिक प्रयोग कर हजार बीघा भूमि पर गैर कानूनी ढंग से लोगों को खातेदारी हक दे दिये एवं बाद में उनको राजस्व मण्डल के रद्द करार देने पर राज्य सरकार उन काश्तकारों से 50 गुनी पैनल्टी वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : श्री अमरसिंह दिनांक 23-7-70 से 9-7-72 तक तहसीलदार, नादौती के पद पर पदासीन रहे हैं। उन्होंने उक्त अवधि में, बिना अधिकार के, तकास में धारा 155 मामलों में 8404 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिये एवं 400 मामलों में 701 बीघा 18 बिस्वा भूमि का नियमन कर दिया ।

तकास के मामलों में राजस्व मण्डल को रेफरेंस किये जाने पर तहसीलदार द्वारा किये गये तकास में नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि तहसीलदार के वे आदेश राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत पाये गये थे ।

तहसीलदार द्वारा जिन मामलों में नियमन के आदेश दिये गये वे भी उनके अधिकार क्षेत्र के नहीं थे। नियमन के लिए उप-खण्ड अधिकारी को अधिकार प्राप्त थे न कि तहसीलदार को। इस कारण इन आदेशों को अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इन मामलों में तहसीलदार द्वारा 50/50 गुनी पैनल्टी नहीं की जा रही है। सही बात यह है कि तकास के मामलों में, तकास में रद्द समझे जाने के बाद सरचार्ज की काबनी संवत् 2028 से 2032 तक की गई

(श्री कैलाश मेघवाल)
है । इसकी राशि 86,779.88 पैसे है । इसमें 15 हजार रुपये की वसूली हो चुकी है।

श्री बस्तीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह मानते हैं कि तहसीलदार गलती करे और उसका दण्ड दूसरों को भुगतना पड़े ? 76 में अलग कर दिया गया तो इसमें उन किसानों का कोई दोष नहीं था। लेकिन सरचार्ज अब वसूल किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह मानेंगे कि किसानों पर भार पड़ेगा। वह किश्तों में दे सकते थे लेकिन उनसे 5 साल का लिया जा रहा है। जबरदस्ती उनसे यह सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम 72 से नहीं 76 से वसूल किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कानूनी वसूली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तहसीलदार ने गलती की है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार 28-10-76 को सेवा निवृत्त हो गया है। इसलिए राजस्व मण्डल में जो कार्यवाही हो रही थी, वह रोक दी गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके बाद भी तो कार्यवाही कर सकते थे।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : मुझे एक निवेदन करना है। यह तहसीलदार की गलती से हो गया है। वह रिटायर हो गये हैं तो उनको पेंशन तो मिलेगी। उन्होंने जो रिश्वत खा ली है, वह वसूल की जाये।

श्री बस्तीलाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक प्रावधान है, वह वसूल करना चाहिए। कानूनी कार्यवाही की जा रही है, यह कह दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मन्त्री ने इशारा भी कर दिया था कि वसूली होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप को इशारे मालूम हो जाते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : जी हां, मालूम हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ××× शब्द कहा है।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने ××× शब्द नहीं कहा है। कहा ही नहीं है।

(व्यवधान)

मैंने किसी को ××× नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहते हैं कि इशारे से हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ××× की लड़ाई यहां नहीं होनी चाहिए, इतना मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री समरथलाल।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित किये गये।

राजगढ़ अस्पताल की एक्स-रे मशीन

315. श्री **समरथलाल** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मर्दाना अस्पताल, राजगढ़ की एक्स-रे मशीन पिछले 4-5 सालों से खराब पड़ी हुई है ? यदि हां, तो उसको कब तक ठीक करवा दिया जायगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) इस मशीन को शीघ्र सुधारने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री **समरथलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह मशीन सुधर चुकी है एक साल से, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा है। वहां पर एक्स-रे टेक्निशियन नहीं भेजा जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि मशीन सुधारी गई अभी तक उसका पेमेन्ट नहीं किया गया है, इसलिए जो उत्तर दिया जा रहा है वह सही नहीं है।

श्री **समरथलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मशीन है यह 30 एम. एम. फ्लूरोस्कोप स्क्रीन मेक की है। इसका प्रश्न इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि यह स्क्रीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह चालू अवस्था में है यह गलत है।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : यह शर्म की बात है कि मशीन दो साल से ठीक नहीं हुई है।

श्री **समरथलाल** : 6 साल से मशीन खराब पड़ी है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : जी हां, यह मशीन 6 साल से खराब है। स्क्रीन उपलब्ध होते ही यह चालू हो जायगी। इसके लिए स्टेट हेल्थ ट्रान्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के चीफ मैकेनिक और फोरमेन को भेजा जा रहा है। वह स्क्रीन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही मशीन चालू की जा सकेगी।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : कोटा के पास भी कई मशीनें पड़ी हुई हैं।

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि यह मशीन इन्डीजिनियस है या फारेन की है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : आप हिन्दी के शब्दों का ही प्रयोग करें।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : पहले जनाना अस्पताल में थी बाद में वहां पर भिजवाई गई ?

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं पूछ रहा हूं यह देशी है या विदेशी ?

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : विदेशी है।

श्री **समरथलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह 6 साल से खराब पड़ी है। इसको ठीक नहीं कराया जा रहा है। इस हालत में क्या मैं यह आशा करूं कि इसमें 6 साल और लग जायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : 6 साल से कोई एक्शन नहीं लिया।

Page No 15

(15) : /

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : यह मशीन टोटली इम्पोर्टेड है। इसके टूल्स इम्पार्टेड होते हैं और बाकी का ढांचा आज कल देश में बनने लग गया है। वाइटल पार्ट्स इसके इम्पार्टेड होते हैं। इस मशीन की .....

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी तो आप चेम्बर में दे दें।

अब जो स्थगित प्रश्न हैं उनको लेता हूं।

स्थगित प्रश्न

(7 सितम्बर, 1977)

श्री शंकरलाल !

जोधपुर संभाग में बनाये गये नलकूप

10. श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में जोधपुर संभाग में 133 नलकूप बनाए जायेंगे जिनमें से 10 नलकूप पाली जिले में भी बनाये जायेंगे ?

(2) पाली जिले में यह 10 नलकूप कहां-कहां बनाये जायेंगे और वे कब तक बना दिये जावेंगे ?

(3) इन नलकूपों के निर्माण से कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी और इन पर कितनी लागत लगेगी ?

राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां।

(2) यह नलकूप पाली जिले की सोजत पंचायत समिति के विद्युतीकृत ग्रामों में, जिनमें काश्तकार नलकूप बनवाना चाहेंगे तथा जिनमें स्थानीय भू-भौतिकी तथा भू-वैज्ञानिक तरीकों से सर्वेक्षण के आधार पर भू-जल मिलने की सम्भावना होगी, बनाये जावेंगे।

(3) पाली जिले में इन नलकूपों से लगभग 200 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा इन नलकूपों पर लगभग रुपये 4 लाख लागत होने का अनुमान है।

श्री शंकरलाल : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों का चयन किस आधार पर किया जायगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : जिला योजना समिति के प्रस्ताव के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर इनका चयन किया जायगा।

श्री शंकरलाल : जिला योजना समिति से सोजत पंचायत समिति के लिए आपके पास प्रस्ताव नहीं आया। क्या आपका मतलब है कि दूसरी पंचायत समितियों के लिये भी प्रस्ताव आने पर ही विचार हो सकता है ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो भी प्रस्ताव आयेंगे उन पर विचार किया जायगा।

श्री शंकरलाल : क्या आपके पास जिला योजना समिति की सिफारिश आई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह के प्रस्ताव आये हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है जिला कमेटी की अभी कोई बैठक इस विषय में नहीं हुई है, इसलिए

Page No 16

\. (16)

(श्री शंकरलाल)
मन्त्री महोदय की यह जानकारी गलत है। अगर प्रस्ताव नहीं आया है तो क्या आप प्रस्ताव मंगवायेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : निश्चित रूप से। प्राथमिकता के आधार पर मंगवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा स्थगित प्रश्न। 7 सितम्बर, 1977। श्री रामसिंह विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(7 सितम्बर, 1977)

जसवन्त सागर बांध पिचियाक पेटे की भूमि

21. श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जसवन्तसागर बांध पिचियाक के पेटे में कितनी भूमि है और सालाना लगान कितना आता है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले 2 वर्षों से अतिवृष्टि एवं बांध के समय पर खाली नहीं होने से जसवन्तसागर के पेटे में काश्त नहीं हो रही है ? क्या राज्य सरकार उन काश्तकारों से बीघोड़ी ले रही है जो पिछले 2 वर्षों से पेटे में काश्त नहीं कर पा रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार सम्बन्धित काश्तकारों से बीघोड़ी नहीं लेने या माफ करने का सोच रही है ? यदि हां, तो आदेश कब प्रसारित किये जा रहे हैं ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जसवन्तसागर बांध के पेटे में खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि 7680.16 बीघा है एवं इसका सालाना लगान रु. 14,693.30 है।

(2) सम्वत् 2032 एवं 2033 में बंधे में पानी नहीं रहने के कारण क्रमशः 4249.5 बीघा एवं 6366.18 बीघा भूमि में काश्त नहीं की जा सकी। इन काश्तकारों से राजस्व बीघोड़ी नियमानुसार वसूल की जा रही है। इसके अतिरिक्त 2032 में खरीफ फसल 918.2 बीघा भूमि में और विशेष उन्हालू में 300.18 बीघा भूमि में काश्त की गयी। सम्वत् 2033 में खरीफ की 57.3, रबी की 878.10 तथा विशेष उन्हालू में 378.5 बीघा में काश्त की गयी। पिछले दो वर्षों में जिन काश्तकारों की भूमि पानी की डूब में आई उसमें काश्त नहीं की जा सकी।

(3) ऐसा कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग काश्त करते हैं वे छोटे-छोटे काश्तकार हैं। उनके पास 4 बीघा से भी ज्यादा जमीन नहीं है। लगातार बरसात होने के कारण वे खेती नहीं कर सके हैं। तीन साल से लगातार वे खेती नहीं कर पाये हैं, तो क्या सरकार उनको बीघोड़ी माफ करना उचित नहीं समझती ?

श्री **कैलाश मेघवाल** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जब पानी आ जाता है और काश्त नहीं हो सकती है, तो नियम ऐसे हैं कि पूरा लगान न लेकर 25 प्रतिशत ही वसूल किया जाता है। चाहे वह काश्त कर सके या नहीं, उन नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत वसूल किया जा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : तीन साल से लगातार काश्त नहीं हुई फिर भी राज्य सरकार उनको कोई राहत नहीं देना चाहती। उनका पूरा लगान माफ होना चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी की व्यवस्था तो यह है। आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं उस पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में जो व्यवस्था है वह मैंने निवेदन कर दी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह नियम आप के ही बनाए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : मेरा प्रश्न पहले नम्बर पर था, उसे ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : अब 316 लिया जा रहा है। उसके बाद समय बचेगा तो....

श्री गुल मोहम्मद : समय तो नहीं बचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं।

श्री गोपाल सिंह।

ग्राम बेड़िया व आईपुरा के मध्य खुदे नलकूप से पानी की व्यवस्था

316. **श्री गोपाल सिंह** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बेड़िया व आईपुरा के मध्य में कोई नलकूप खुदा हुआ है? अगर हां, तो इसे खुदे कितना समय हो चुका है?

(2) ग्राम आईपुरा, बेड़िया, सराणा सांडण, वावड़ी, नौसरा, कोटड़ा व छांगाड़ी को उपरोक्त नलकूप (अगर खुदा हुआ है तो) से पेयजल प्राप्त करवाने के क्या राज्य सरकार जल्दी कदम उठायेगी?

(3) क्या ग्राम बेदाना, पावटा, पचानवा, डोडियाली, आलावा, व सेदरिया की संयुक्त नल योजना मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को जिला जालौर से भेजी गई है? अगर हां, तो इसको पहुंचे कितना समय हुआ है? अगर नहीं, तो क्या अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, जालौर के ही दफ्तर में पड़ी है? उपरोक्त नल योजना कब तक लागू कर दी जायेगी?

(4) क्या यह सही है कि सामूजा ग्राम के ग्रामवासियों ने जन सहयोग से एक ओवर हैड टैंक बनाया है जिसकी क्षमता उस ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराने लायक है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस ग्राम के मुख्य चौराहों पर नल लगाकर ग्रामवासियों का होसला बनाये रखेगी?

राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नलकूप अधूरा है। इसका कार्य सन् 1974 में किया गया था।

(2) नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेगी।

(3) जी हां। इस योजना पर जांच कर आवश्यक संशोधन हेतु पुनः अधिशासी अभियन्ता, सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन, जोधपुर को भेजी गई है। योजना को जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं राशि की उपलब्धि के अनुसार लागू किया जा सकेगा।

(4) प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामवासियों ने एक टैंक बना रखा है। इस

Page No 18

(18)

(श्री कैलाश मेघवाल)
ग्राम की जल प्रदाय योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है व ग्राम की आबादी भी इतनी नहीं है कि वहां पाइप लाइन बिछाने की योजना स्वीकृत की जा सके।

श्री गोपाल सिंह : आपने बताया कि यह नलकूप अधूरा है और इसका कार्य 1974 में किया गया था। तो इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसके आसपास पानी या तो खारा है या है ही नहीं। पीने के पानी का और कोई साधन नहीं है।

दूसरे भाग में आपने धन के अभाव की बात कही। इसके नजदीक के गांव में नल कूप है, तो वहां से पानी देने की व्यवस्था आप करें।

तीसरे खण्ड में आपने बताया कि इस योजना को पुनः जांच के लिये भेजा गया है। इसके साथ पांच-सात और योजनाएं भी भेजी गई थीं, वह सभी योजनायें तो लागू कर दी गई हैं, केवल यही एक रह गई है। ऐसा क्यों ?

चौथी बात आपने कही कि वहां पर आबादी इतनी नहीं है कि पाइप लाइन बिछाई जा सके। वहां पर गांव वालों ने ओवर हैड टैंक बना रखा है। आप अगर सारे गांव में पाइप लाइन नहीं बिछा सकते तो कम से कम चौराहों पर तो नल लगा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव तो बहुत ज्यादा दे दिये आपने।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इतने कम खर्चे में योजना क्रियान्वित हो जायेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1972 की जनगणना के अनुसार सामूजा गांव की आबादी 1174 है। वर्तमान में जो सरकार की नीति है उसके तहत 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में ही पाइप लाइन बिछाने की योजना हाथ में ली जाती है। ऐसी हालत में गांव वालों ने जो टैंक बनाया है, वह उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मैं मजबूर हूं क्योंकि उसकी आबादी 5 हजार से कम है।

बेड़िया और आईपुरा के मध्य में जिस नलकूप की बात है, वह 1974 में 67 मीटर खोदा गया था, लेकिन उसके बाद पूर्ण विकास नहीं हो सका। इसके बाद मास्टर प्लान से जानकारी की गई तो पानी के खारा होने की सूचना आई। अब पुनः इस पानी की जांच करवाई जायेगी। अगर पानी पीने योग्य पाया गया तो इस योजना को हाथ में ले लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने बताया कि 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में ही पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था है। तो पांच हजार से कम आबादी वाले गांवों में पाइप लाइन बिछाने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सात गांवों के आपने नाम बताए, आईपुरा, बेड़िया, सराणा आदि। इन सात गांवों के लिये आप रीजनल स्कीम बनाकर पानी देने का विचार रखते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : सभी पंचायत समितियों का सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स ली जाती हैं। प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है और

(श्री कैलाश मेघवाल)
उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री माधव सिंह।

श्री रावत राम (सुजानगढ़) : 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में पाइप लाइन बिछाने की आप बात करते हैं, 5 हजार से कम जनसंख्या वाले गांवों में क्यों नहीं ? यह आपने कैसे क्राइटेरिया निर्धारित किया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो हजार के करीब जनसंख्या वाले गांव हैं, वहां पर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार टैंक और पम्प लगाने की व्यवस्था है।

श्री रावत राम : मेरा प्रश्न तो यह है, 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिये आपने बताया कि वहां पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 5 हजार से कम जनसंख्या वाले गांवों के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री कैलाश मेघवाल : 5 हजार से नीचे की आबादी वाले गांव छोटे होते हैं। उन्हें टैंक से पानी सप्लाई किया जाता है।

श्री रावत राम : वहां पर पाइप लाइन क्यों नहीं बिछाई जाती ? 5 हजार की आबादी वाले गांवों में पाइप लाइन से पानी देते हैं, तो छोटे गांव के लोगों ने क्या कसूर किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नीति से संबन्धित प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रावत राम : आप छोटे गांवों में पाइप लाइन से पानी क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष : फन्ड्स मिलने पर व्यवस्था उनके लिये भी करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांव कितने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये आप सेन्सस रिपोर्ट देख लें।

श्री मूलचन्द डागा : सारे गांव 5 हजार से कम आबादी के हैं।

(व्यवधान)

श्री रावतराम : एक ही डिपार्टमेंट में दो प्रकार की पालिसी नहीं चला सकते। 5 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में आप पाइप लाइन से पानी दें और उससे कम आबादी वाले गांवों में टैंक से पानी दें, यह दोहरी नीति क्यों है ? अगर यह आपकी व्यवस्था है तो इसे आप बदलें।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं बदलेंगे तो लोग बदल देंगे।

श्री दयोपत सिंह मकासर : जिस गांव में 100 परिवार हैं वहां तो आप पाइप लाइन से पानी नहीं देंगे लेकिन जहां केवल चार साहब भी रहते हों वहां आप पानी पाइप लाइन से देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : साहब लोग तो खुद ले जाते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी तो पनघट प्रेमी हैं, यह नल का पानी कैसे पीयेंगे ?

एक माननीय सदस्य : बहुत मौलिक प्रश्न उठाया है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : मौलिक प्रश्न का उत्तर मिल गया।

श्री कैलाश मेघवाल : उपलब्ध साधनों में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसलिये बड़े गांवों में पाइप लाइन से देने की व्यवस्था है। छोटे गांव हैं, जहां पापूलेशन कम है, वहां पाइप लाइन बिछाएंगे तो खर्चा बहुत आयेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : छोटे गांवों में छोटी पाइप लाइन बिछाएं। अगर छोटी बस्ती है तो पाइप लाइन छोटी बिछानी पड़ेगी, और बड़ी बस्ती है तो बड़ी पाइप लाइन बिछानी पड़ेगी। इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : छोटे गांव में तो डागा साहब पनघट से ही काम चला सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह का जवाब नहीं दे सकते आप।

श्री श्योपत सिंह मकासर : डागा साहब, पनघट प्रेमी तो यहां ही रहते हैं। गांव में नहीं रहते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का समुचित उत्तर आ चुका है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने यह पूछा था कि 5 हजार से नीचे की आबादी वाले गांवों में भी पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था क्या सरकार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि फन्ड्स की उपलब्धि पर ही विचार हो सकेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही विचार किया जा सकेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सवाल वित्तीय साधनों का नहीं है। सवाल यह है कि जिस गांव में दो हजार की आबादी है, वहां आप पाइप लाइन नहीं देंगे, और 5 हजार से अधिक आबादी है तो पाइप लाइन से पानी पहुंचायेंगे, यह फर्क क्यों है ? अगर वित्तीय साधन कम हैं, तो थोड़े से गांवों में चलाइये, लेकिन इस तरह से डिफरेंशियेट क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया बिराजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। मैंने पहले भी इस सदन में कई बार निवेदन किया था कि जिस दिन भी हमारा प्रश्न हो, अगर समयाभाव के कारण वह प्रश्न पूछा नहीं जा सके तो भी जो प्रश्न से संबंधित सूचना व सूची हो वह हमें जरूर मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता पार्टी की सरकार है फिर भी हमने एक प्रश्न के बारे में आज सूचना चाही थी पर वह हमें नहीं मिल सकी है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण जन-हित के प्रश्न पूछते हैं लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सूचना मय सूची के नहीं मिलती है और सरकार हमारे प्रश्नों को टालमटोल करना चाहती है। मैं यह आसन से स्पष्ट तौर से पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार स्पष्ट रूप से उत्तर क्यों नहीं देती है ? हमें हमारे प्रश्न की सूचना मय सूची के दिलायी जाये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अगर आपको इस प्रश्न के बारे में और कोई सूचना चाहिये तो आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप बड़े गांवों में बड़ी पाइप लाइन लगाइये और छोटे गावों में आप छोटी पाइप लाइन लगाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के लिये राज्य सरकार को आबादी के बेसिस पर ही व्यवस्था नहीं करनी चाहिये बल्कि जहां भी पानी खारा हो, जहां पानी में कीड़े हों, निकम्मा पानी हो वहां पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। हजार घर की आबादी का ही प्रश्न नहीं होना चाहिये, चाहे 500 की जनसंख्या हो तो भी आपको वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आबादी के बेसिस पर पीने के पानी की व्यवस्था करना तो कांग्रेस सरकार की नीति थी।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था का प्रश्न है राज्य सरकार की नीति है कि उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दी जाय जिन क्षेत्रों में पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है या जहां पानी उपलब्ध तो है लेकिन खारा है, उसमें कीड़े हैं या जिस पानी को पीने से बीमारियां फैलती हैं—वहां पर प्राथमिकता पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये दी जाती है। अभी जो बात कही गयी है हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया है लेकिन राज्य सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और जिन स्थानों पर पानी की कमी है वहां किस प्रकार से प्राथमिकता दी जा सकेगी, देने का प्रयास करेगी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आबादी के बेसिस पर जहां पांच हजार की जनसंख्या है वहां पर ही पीने के पानी की व्यवस्था की जाय तो यह उचित नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जहां पर ट्यूब-वैल है वहां पर चाहे दो हजार की आबादी है लोगों को पीने का पानी दिया जा रहा है और कहीं पर पानी नहीं दिया जा रहा है। पांच हजार की आबादी पर आप पाइप लाइन डालना चाहते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन आप आबादी के आधार पर कैसे कर रहे हैं? आखिर जिन छोटे गांव की दो हजार की आबादी है, जहां पर पानी की समस्या है तो वहां पर पाइप लाइन से पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर उन्होंने कौनसा गुनाह किया है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इस प्रश्न पर अभी सीधा उत्तर नहीं दे सकता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि मेन्टीनेन्स कोस्ट जो है वह पांच हजार की आबादी वाले गांव हैं उनमें कम आती है और दो हजार वाले गांव में अधिक आती है। इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे कि दो हजार की आबादी वाले गांव में पाइप लाइन डाली जाय या नहीं। वैसे पांच हजार वाली पापूलेशन से दो हजार की आबादी वाले गांव में मेन्टीनेन्स खर्च ज्यादा आयेगा। इस कारण से शायद ऐसा किया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरा निवेदन यह है कि अगर गांव छोटे हैं तो आप छोटे पाइप लगाइये। इसमें मेन्टीनेन्स कोस्ट की बात नहीं है। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक जगह तो जहां दो हजार की आबादी है

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
वहां के लिये तो आप यह कहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर पानी भर लें। दूसरी जगह आप बड़े-बड़े अधिकारियों और सेठों के शावर बाथ के लिये पानी का इन्तजाम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है। देख लेंगे इसको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रश्नों का जो नियम 37 है उसके उप-नियम (10) में दिया है कि इसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न की सीमा के भीतर न आ सके।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने पहले जो आबादी का आधार माना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं एक भी सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा। आप समाप्त करिये। स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने कहा ना....

(व्यवधान)

कि मैं आपको परमिट नहीं करूंगा।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधे मिनट में ही मेरी बात समाप्त कर दूंगा। यह हमारे जैसलमेर जिले में बहुत ही अहम प्रश्न है। वहां पर एक दो गांवों को छोड़कर कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि तीन हजार की आबादी है। आपने उनके अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न की सूची मुझे उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मैंने पहले भी दो-तीन बार निवेदन किया है पर कोई सुनवायी नहीं की जाती है और टालमटोल की जा रही है। मेरा निवेदन है कि मुझे प्रश्न की सूची उपलब्ध करायी जावे। मैंने भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल के संबंध में प्रश्न पूछा है उसकी मुझे लिस्ट नहीं दी गयी है कि कितने रुपये दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे प्रश्न का जवाब आज नहीं आयेगा इसलिये कम से कम मेरे प्रश्न की सूची मुझे उपलब्ध करादी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये मैं जानकारी ले लूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा ना कि मैं इसके लिये जनाकारी करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि पालना हो रही है या नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पालना नहीं हो रही है। आपके आदेशों की।

श्री उपाध्यक्ष : पालना नहीं होने का प्रश्न ही नहीं। पालना करवायी जायेगी। बिल्कुल पालना करवायी जायेगी।

श्री एच.एन.शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री एच.एन.शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने मिल्क डेयरी के दूध की बोतल पेश करना चाहता हूं जो कि चौकड़ी रामचन्द्रजी के बूथ से ली गई है और एक किशनलाल आटो रिक्शा वाले ने मुझे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री एच.एन.शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनहित का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न को नहीं सुनूंगा। यह दूध की बोतल आप अपने पास ही रखिये। मैं आपको बिलकुल ही इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये आप मुझसे चेम्बर में आकर मिलिये। मैं इसकी जांच करा लूंगा। बोतल आप अपने पास रखिये।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोतल सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये। इस बोतल के दूध को पीने से आदमी मर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझ पर विश्वास करें। बोतल अपने पास रखें। सदन की मेज पर रखने से क्या फायदा। मैंने कहा ना कि आप मुझसे चेम्बर में आकर मिलिये। मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कह दिया कि आप मुझे चेम्बर में आकर बतायें। अगर मुझे सन्तोष नहीं होगा तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। लेकिन मैं आपको इसे हाउस की टेबल पर रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एच.एन.शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बोतल को सदन की मेज पर रखने की इजाजत दें। यह जनहित का प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि उनके नोटिस में ऐसी चीज आये जो जनहित में हो तो उसको मेम्बर सदन में उठा सकते हैं। माननीय सदस्य दूध लेकर यहां आये हैं दूध खरीदा या मिला, दूध लेकर आये हैं यह परम्परा रही है, पर्मिशन आप दें या न दें, यह सदन की मेज पर रखनी चाहिये। जहां तक आपके चेम्बर में आने की बात है, चेम्बर सदन नहीं है। सदन में सवाल उठाया है, सदन में ही इसको रखना चाहते हैं तो यह सदन की मेज पर रखी जावेगी। यह इसलिये रखते हैं ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। सरकार लेबोरेट्री में इसको भेजे या कुछ करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस संबंध में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

माननीय मथुरादासजी माथुर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह बताया कि सदन में कोई चीज लायी जाय, माननीय सदस्य उसको मेज पर रखना चाहें तो रखें चाहे गवर्नमेंट उसको माने या नहीं माने। मैं समझता हूं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अध्यक्ष की बिना अनुमति के.....

Page No 24

(24)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष अनुमति देते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई चीज नहीं लायी जा सकती है। बोतल मेज पर रखने से काम होगा या इन्क्वायरी कराने से काम चलेगा। मुझे देना चाहें तो मैं तुरन्त इसकी इन्क्वायरी कराऊंगा। मेज पर रखने का जहां तक प्रश्न है यह अध्यक्ष के विवेक का प्रश्न है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि माननीय सदस्य जो चीज रखना चाहें रख दें और अध्यक्ष को उसकी अनुमति देनी पड़े। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य मुख्य मंत्रीजी को सेक्रेटेरियेट में बोतल पकड़ा सकते हैं। लेकिन यह सदन के फ्लोर पर प्रश्न उठाया है उसका सवाल है। हम लोगों की भी इसमें दिलचस्पी है आप उसकी जांच करवा कर सेटिस्फाई हो सकते हैं। यह आपके और माननीय सदस्य के बीच का प्रश्न होगा। सदन में यह प्रश्न उठता है तो मेरा मुद्दा वही है जो मैंने निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पूर्व मैंने सदन में एक बोतल दूध की बोतल प्रस्तुत की थी जिसमें तीन चूहे मरे हुए थे। मैंने स्पीच में कहा था कि दूध के ड्रम के अन्दर चूहों के बजाय सांप, बिच्छू वगैरह मिल सकते हैं। यह राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी करूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : यह जिन्दगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है। पहले भी मैंने सदन के अन्दर कहा था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा।

श्री शंकरलाल : आपने मुख्य मंत्रीजी को शिकायत नहीं की होगी। उनके पास शिकायत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बकौल उनके।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मथुरादास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस पर यथाशीघ्र विचार करूंगा। माननीय सदस्यों को उससे संतुष्टि होगी। मैंने माननीय सदस्य को इसीलिये इजाजत नहीं दी थी कि जब तक मैं अपने आप में इस सम्बन्ध में संतुष्ट न हो जाऊं मैं उसको पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे समय बाद में मिलेगा और इसीलिये मैंने चेम्बर में आने के लिये निवेदन किया था। यदि मैं उनकी बात से सहमत हुआ तो मैं परमिट कर दूंगा। लेकिन इस प्रकार से किसी भी वस्तु को सदन की मेज पर रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : ऐसी कोई चीज होगी.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री शिवचरणसिंह : आगे सांप का नम्बर आयेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। दूध सफेद होता है इसलिये काले सांप का तो उसमें पता चल जावेगा लेकिन सफेद सांप का कैसे पता चलेगा?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

Page No 25

(25)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दादा बाड़ी, सांगानेर में दावत का आयोजन

308. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या दिनांक 7 अगस्त, 1977, रविवार को दादा बाड़ी, सांगानेर में किसी दावत (गोठ) का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो उसमें सम्मिलित होने वाले कुल कितने व्यक्ति थे? क्या इस दावत में कोई मंत्रि-मण्डल का सदस्य भी था? यदि हां, तो वह कौन था?

(2) क्या दावत के लिये अतिथि नियन्त्रण कानून (Guest Control Order) में छूट की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अतिथि नियंत्रण कानून (गेस्ट कन्ट्रोल) के तहत ऐसी कोई छूट नहीं दी गई।

राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, झुन्झुनू का निलम्बित अध्यापक

309. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू श्री नरेन्द्रसिंह गिल ने अपने झुन्झुनू के कार्यालय में कितने कर्मचारियों को दण्डित किया है?

(2) इनमें कितने कर्मचारियों को उन्होंने सुनवाई का अवसर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) श्री मोहम्मद इब्राहीम खां, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, झुन्झुनू को निलम्बित कब किया गया था व इतने लम्बे समय तक उनके निलम्बित रहने के क्या कारण हैं? इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) श्री नरेन्द्रसिंह गिल, जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा उनके कार्य-काल में (दिनांक 29-1-75 से 10-9-77 तक पौने तीन साल की अवधि में) 365 कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

(2) जिन-जिन कर्मचारियों ने सुनवाई का अवसर चाहा उन्हें यह अवसर दिया गया और पूर्व निर्णय को संशोधित भी किया गया।

(3) श्री इब्राहीम खां, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनू को दिनांक 19-8-71 को निलम्बित किया गया। अब तक निलम्बित रहने का मुख्य कारण जांच कार्य पूरा न होना है। इस मामले में पूर्व में संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की गई थी किन्तु जांच रिपोर्ट नियमानुसार न होने के कारण पुनः नए सिरे से जांच करवानी पड़ी। अब इस जांच में 2 गवाहों को छोड़ कर शेष के बयान लिये जा चुके हैं तथा क्रास एग्जामिनेशन करना बाकी है। इसे शीघ्र ही पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भू-जल मण्डल की सर्वे रिपोर्ट

310. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास) श्री मूलचन्द समरियां (दौसा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भू-जल मण्डल की रिपोर्ट सही समय पर न मिलने के कारण राज्य को कई तहसीलों में ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई योजना तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य रुके हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की बोंली तहसील की भू-जल मण्डल सर्वे रिपोर्ट निश्चित समय से लगभग दो वर्ष पश्चात् भी बार बार मांगने पर मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, क्यों तथा भविष्य में कब तक भेज दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-जल सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय पद्धति के अनुसार किया जा रहा है तथा राज्य की 232 पंचायत समितियों में से 226 पंचायत समितियों के अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण भू-जल विभाग से अगस्त, 1977 तक राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। शेष 6 पंचायत समितियों का सर्वेक्षण भी हो चुका है व इनके प्रतिवेदन भी माह अक्टूबर, 1977 तक राज्य सरकार को प्राप्त हो जावेंगे। सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई भू-जल उपलब्धि की स्थिति के अनुसार ही ग्रामीण विद्युतीकरण एवं लघु सिंचाई योजना आदि बनाई जाती है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, बोंली के ग्रामीण विद्युतीकरण की एक योजना का प्रस्ताव अगस्त, 1975 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रखा गया था। उस समय बोंली पंचायत समिति का सर्वेक्षण हो रहा था एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। भू-जल सर्वेक्षण प्रतिवेदन 1976 के अंत में प्राप्त हुआ एवं विद्युत मण्डल की पंचायत समिति, बोंली की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रस्ताव मार्च, 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं के भावों में भारी वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री परसराम मदेरणा, श्री रघुनाथ विश्नोई व अन्य 18 सदस्यों द्वारा खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं के भावों में भारी वृद्धि के बारे में दिये गये स्थगन प्रस्ताव को नियमानुकूल मानता हूं। उस पर सदन से अनुमति मांगने की इजाजत देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा प्रस्ताव करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 54 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं :

"इस सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर निम्नांकित विषय पर चर्चा की जाय :

"पिछले तीन माह में खाद्य दालों एवं खाने के तेलों के भाव अत्यधिक बढ़ने

(श्री परसराम मदेरणा)

से गरीब जनता राजस्थान की दुखी हो गयी है एवं आज जनता में इसका भारी असंतोष व्याप्त है, गरीब जनता द्वारा आन्दोलन करने की भावना व्याप्त है इससे प्रान्त में अशान्ति फैलने का भय है। सरकार उक्त चीजों के भी भाव घटाने के तुरन्त कदम उठाये।"

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो मंहगाई है 30 वर्षों में ...

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न दीजिये। इसकी अनुमति दीजिये अथवा नहीं दीजिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। मंहगाई की बात कही गयी है वह कहीं दिखायी नहीं पड़ती है। इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ......

श्री गिरधारीलाल व्यास : आन ए पाइन्ट ओफ आर्डर, सर। नियम 54 के तहत यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जावे तो अध्यक्ष उन सदस्य महोदयों से, जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, उनके स्थानों पर खड़े होने के लिये कहें।

श्री मूलचन्द डागा : आपत्ति की है, लेकिन आपने खड़े होकर यह नहीं कहा कि इजाजत नहीं दी जाय।

श्री रघुनंदन व्यास : मैंने कहा है नहीं दी जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह प्रक्रिया की पुस्तक है। इसके आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं। इन्होंने अपने शासन काल में 30 वर्षों में मंहगाई बढ़ायी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आब्जेक्शन कर सकते हैं भाषण नहीं। समर्थन दे सकते हैं चाहें तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि इस प्रस्ताव पर आपत्ति की गयी है अतः मैं उन माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो इसके समर्थन में हैं वे कृपया अपने आसन पर खड़े हो जायं।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

(व्यवधान)

20 से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं इसलिये इजाजत देता हूं।

मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमारे नियमों में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये दो घन्टे का समय उपलब्ध है। आज जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने वाला है उसमें प्रस्तावक के अतिरिक्त और कई माननीय सदस्यों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में अपने हस्ताक्षर किये हैं। राज्य सरकार को भी इस विषय में अपना पक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत करना है। अतएव समय की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर चर्चा को नियमित करने के लिए भाषणों पर समय सीमा लगाना उचित होगा। इस दृष्टि से प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य एवं राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)

15-15 मिनट का समय लेंगे तथा शेष माननीय सदस्य, जो इस चर्चा में भाग लें, उनको केवल 5 मिनट का समय उपलब्ध होगा।

मुझे आशा है कि इसकी पालना होगी।

श्री शंकरलाल : पांच-पांच मिनट का समय आप दे रहे हैं। बोलने वालों की संख्या को देख लीजिए।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न रखा है कामां और भरतपुर जिले की बाढ़ का ....

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में आप और कुछ नहीं पूछें। मैं इस बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा। इस समय दूसरा विषय ले लिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस संबंध में कि मंहगाई बढ़ने के बारे में अपने भाइयों को बड़ी चिन्ता हो रही है ....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है। मैं इस बारे में जो उचित व्यवस्था होगी दे दूंगा। आप बिराजिये, मैं आपके विचार से परिचित हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने 5 मिनट का समय निर्धारित किया है वह हमारे लिए भी ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नोट कर लिया है, आप बिराजिये। मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री शिवचरण सिंह : जो इसका विरोध करें उनको समय नहीं दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : हमें भी इस संबंध में अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार बोलने से क्या होगा। बिराजिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करीब 18 सदस्यों ने यह एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया है। जिन माननीय सदस्यों की सूची मेरे पास है उनमें से अगर कोई यह कहें कि मैं नहीं बोलना चाहता हूं और दूसरे सदस्य बोलें तो समय बढ़ सकता है। अगर सभी माननीय सदस्य बोलने के लिए इनसिस्ट करते हैं तो फिर समय का बंटवारा इसी प्रकार रहेगा। श्री गिरधारी लाल जी भार्गव ने कहा तो समय को देखते हुए उन्हें उचित अवसर दूंगा। कृपया इसका ध्यान रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा भी इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी का ध्यान रखूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि नियमानुसार जो कार्य आवश्यक होगा करवाऊंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा है उन्हें बोलने का अवसर दें नियमों के अनुसार तो फिर हमको भी अवसर मिलना चाहिए।

श्रीमती नारंगी देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी खड़े हुए सदस्यगण .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजिये ।

श्री माणकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ समय के बंटवारे के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा । 2 घन्टे का समय आपने मुकर्रर किया है उसमें श्रीमान ने यह व्यवस्था दी है कि जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव मूव किया है वह 15 मिनट बोलेंगे और बाकी पांच, पांच मिनट बोलेंगे । इस संबंध में मेरा निवेदन है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय किसी प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं करें इसकी जानकारी इस सदन के दूसरे सदस्यों को होना सम्भव नहीं है । आसन की व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों के विरोध में ही रही है । यह खुशी की बात है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी है । लेकिन जो समय के बंटवारे का सवाल है उस संबंध में निवेदन है कि एक बार जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तो वह हाउस की प्रापर्टी है । उस नाते हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि ना पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को है । इसलिए मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि राज्य सरकार या हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य महंगाई से अधिक चिंतित हैं और जनता पार्टी की सरकार भी जो ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके विचारों की मंशा समझ ली है । अब उसको ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री माणकचंद सुराणा : समय के बंटवारे के बारे में निवेदन है कि हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा है उनको भी आप बोलने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी मंशा समझ चुका हूं ।

श्री माणकचंद सुराणा : इसी प्रस्ताव पर जहां आपको बोलने का हक है हमें भी बोलने का हक है । मैं आसन से यह व्यवस्था चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि जो नियम बने हुए हैं उनके अन्तर्गत जो भी आवश्यकतानुसार निर्देश देने होंगे मैं दे दूंगा ।

श्री परसराम जी ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन की कार्यवाही आज स्थगित की जाकर फुटकर मूल्यों में जो लगातार वृद्धि हो रही है उस पर चर्चा करने की आपने स्वीकृति प्रदान की है । आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत के संबंध में केवल विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को ही चिन्ता नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में भी जो माननीय सदस्य बैठे हैं, निश्चित तौर पर जनता में जो भारी असंतोष व्याप्त है और इस कमर तोड़ महंगाई की वजह से जो उनमें बेचैनी है उससे वे भी चिन्तित होंगे और उसे राज्य सरकार भी स्वयं महसूस करती होगी ।

जहां तक प्राइस राइज का सवाल है यह केवल राज्य सरकार की आर्थिक नीति का ही परिणाम नहीं बल्कि यह ऑल इन्डिया फिनोमिना है । हम राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं । आज जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है यह किन कारणों से हो रही है ? कृषि का पिछली साल रिकार्ड प्राडक्शन हुआ है । ऑइल सीड के उत्पादन में भी केवल मूंगफली को छोड़कर दूसरे सभी ऑइल

(श्री परसराम मदेरणा)

सीड का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उसके बावजूद लगातार आवश्यक वस्तुओं के भावों में बढ़ौतरी हो रही है और आज जो उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक हैं वह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसीलिए मूल्यों के सूचकांक को अगर बढ़ती हुई प्राइस का थर्मामीटर मानते हैं तो उसमें कोई पारा है वह खाद्य तेल है जिनके भाव आज रिकार्ड ऊंचाई पर हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रिटेल और होलसेल प्राइज इन्डेक्स बढ़े हैं। जो पुस्तिका बजट स्टडी की राज्य सरकार ने वितरित की है उसमें इसका उल्लेख भी किया है और कुछ आंकड़े भी दिये हैं कि इन्डस्ट्रियल लेबर के सामान, जो खाद्य पदार्थ हैं, की रिटेल और होलसेल प्राइस बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसके आधार पर यह आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते।

यहां पर यह कहा जा रहा है कि महंगाई जो हमें मिली है वह हम लोगों को विरासत में मिली है। हर चीज इनको राजस्थान में कांग्रेस से विरासत में मिली है। अगर कांग्रेस सरकार की नीतियां गलत हैं तो उसमें आप परिवर्तन करके किसी आर्थिक नीति की रचना कीजिये। केन्द्र और राज्यों में जनता सरकार किसी भी आर्थिक नीति की रूपरेखा देने में असफल रही है। मैं कुछ भावों का जिक्र करना चाहता हूं। मूंग की दाल चाहे छिलकेदार हो चाहे मोगर कल 20 तारीख को जयपुर में चार रुपये किलो है जब कि 31 मार्च, 77 को 2.25 रु. और 2 रुपये किलो थी। उड़द की दाल कल चार रुपये किलो थी। धनिया जो 31-3-77 को पांच रुपये किलो था वह 1-9-77 को 9 रुपये किलो हो गया। कल 20 तारीख को उसका भाव 11 रुपये और 13 रुपये के बीच रेंज कर रहा है। इसी तरह जीरा 31-3-77 को 14 रुपये किलो था आज वह 32 और 33 रुपये किलो है। सरसों का तेल 7 रुपये किलो था जो अब 12 और 14 रुपये के बीच है। साधारण चाय जो 13 रुपये किलो थी आज उसका भाव 18 और 20 रुपये किलो है। हल्दी 1-9-77 को 10 रुपये किलो थी और 31 मार्च, 77 को 6 रुपये थी, वह कल 12 रुपये किलो तक हो गई है। इसी प्रकार से सीरियल्स जौ, बाजरा, गेहूं के भावों में वृद्धि हो रही है। आलू 20-25 पैसे प्रति किलो बढ़ा है। ग्वार और दूसरी चीजों के अन्दर लगातार बढ़ौतरी हो रही है। हर हफ्ते 10 रुपये और 15 रुपये की बढ़ौतरी हो रही है। मैंने गेहूं के संबंध में कह दिया 50 से 60 पर्सेंट तक बढ़ौतरी हुई है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बढ़ौतरी हो रही है इस बढ़ौतरी को रोकने के लिये राज्य सरकार कितने प्रभावशाली कदम उठा रही है? सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि राज्य सरकार इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकती यहां पर भारत सरकार के अभी थोड़े दिन पहले आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्री आये थे उन्होंने जब यह बात कह दी कि भाव बढ़ाने की जिम्मेदारी व्यापारियों और मुनाफाखोरों पर है, चेतावनियों के बावजूद वे बाज नहीं आ रहे हैं। यह व्यापारी बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको प्रोत्साहन मिला है किन कारणों से मिला है, यह हर माननीय सदस्य जानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ऐसे व्यापारियों को दण्डित नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार ने असाधारण और कारगर कदम नहीं उठाये

(श्री परसराम मदेरणा)

तो निश्चित रूप से भविष्य में लगातार भावों में बढ़ोतरी होती चली जायगी। यह मैं मानता हूं कि खाद्य तेलों की कुछ कमी है इसलिए आपने इम्पोर्टेड आॅयल भी मंगवाया लेकिन उसके अलावा हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती हुई कीमतों के बारे में स्वयं मुख्य मंत्रीजी जानते हैं। यहां एसेन्शियल कमोडिटीज की बात करता हूं दूसरी उन कमोडिटीज की बात नहीं करता जो कमोडिटीज किसी आदमी के लिये कम्फर्ट और लक्जरी हो सकती हैं। कत्थे और सुपारी के भाव बढ़े हैं जिसको मैं और मुख्य मंत्रीजी खाते हैं, उनके भावों में 100 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। हर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और चीजों का उत्पादन कम हुआ है। सब्जियों की कीमतें क्यों बढ़ी हैं? कहते हैं कि दूसरी चीजें मंहगी खरीदनी पड़ती हैं। इसलिये प्राइसेज का जो यह सर्कल चल रहा है उसको तोड़ना चाहिये। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य की दृष्टि से ठीक नहीं मानता। उनका एक दर्शन है, पाश्चात्य देशों से आइडोलोजी ले रहे हैं। इसके आधार पर चीजों की कमी है उन डिमाण्ड्स को पूरा नहीं कर सकते। जनता सरकार मानती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंदन करना पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंदन करने के लिये, कन्ज़्यूमर मूवमेंट को यहां पर शक्तिशाली बनाने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कतई स्ट्रेंदन नहीं किया गया है। जिस चीज की कमी होती है वह गरीब आदमी को कतई नहीं मिल पाती है। यह इसलिये हो रहा है कि जनता सरकार को लाने में छोटे और बड़े व्यापारी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके दिमाग में इस बात का आश्वासन है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिये बेधड़क होकर वे बार-बार जनता का शोषण कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं करते हैं। आज मैंने पढ़ा था 'राष्ट्रदूत अखबार' में आया है कि राजस्थान ने फूड ग्रेन्स होर्डिंग एक्ट के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया है। उसका उसमें पूर्ण उल्लेख नहीं है। आप उनको मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कीजिये। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने चाहियें। लेकिन नहीं उठाते हैं। जिनको दण्डित किया जाना चाहिये उनको दण्डित किया नहीं जा रहा है और जनता को उसका दण्ड भोगना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर सरकार दृढ़ संकल्प रही है, मुख्य मंत्रीजी ने यह अपने भाषण में कहा था, जब पहले बजट पर चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचार है वह खत्म होगा। वह खत्म होगा कि नहीं लेकिन भ्रष्ट व्यापारी इसका जम कर फायदा उठा रहे हैं। निश्चित रूप से यह करप्शन है। जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। मैं निवेदन करूं, आम व्यापारियों के दिमाग में है, Make hay while the sun shines। ये गरीब आदमियों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं लेकिन यह बात निश्चित है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायगी। मुख्य मंत्रीजी की अन्त्योदय योजना के ऊपर मैंने भी उनको बधाई दी थी, अन्त्योदय की योजना से जो लाभ जिसको मिलने वाला था आज सबसे अधिक महंगाई से वे पीड़ित हैं। किसी भी तरह से गरीब राहत दिलायें चाहे गाय और भैंस खरीदने के लिये लोन दिलायें, चाहे मजदूरी दें लेकिन जब तक चीजों के भाव इसी प्रकार रहेंगे तब तक यह योजना सफल नहीं होगी। आपने जिक्र किया कि अमीर और गरीब का सन्तुलन

Page No 32

(32)

(श्री परसराम मदेरणा)

बंटायेंगे । किस प्रकार सन्तुलन बैठायेंगे, यह समझ में नहीं आता । आज छः महीने का समय बीत गया है लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट आर्थिक नीति भारत सरकार की तरफ से जनता के सामने नहीं आई है । इसी का परिणाम है कि आज उपभोक्ता वस्तुओं के भाव बढ़ते जा रहे हैं । इसलिये मैं राज्य सरकार को इस संबंध में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेड ऑइल मिल रहा है । मुख्य मंत्री जी ने कहा, उसको लोग नहीं ले रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी, आज से सात दिन पहले एक किलो ऑइल मूंगफली का मैंने खरीदा था जिसमें रेपसीड मिला हुआ था । उसकी केमिकल जांच करने पर उसका रंग हरा हो जाता है । रेपसीड ऑइल बराबर कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये देते हैं, आप कोआपरेटिव सोसायटीज को भी छोड़ दीजिये, क्यों कि वहां से कन्जूमर नहीं लेता है और सरकारी कर्मचारियों को एक-एक दुकानदार के पास खड़ा कर दीजिये । यदि आप उसका भाव 7.50 रुपये प्रति किलो निश्चित कर देते हैं तो सभी तेलों के भाव गिरने की प्रवृत्ति होगी । आप अपने कर्मचारियों से यह भी मालूम करायें कि कितने लोग इस रेपसीड ऑइल को खरीद कर ले जाते हैं । आज तेलों की बढ़ती कीमतों की जो समस्या है वह रुकेगी नहीं और बराबर बढ़ती ही जाएगी । दीपावली के बाद जब बाजार में मूंगफली का तेल आयेगा तब निश्चित रूप से भावों पर असर पड़ेगा लेकिन आज एक के बाद एक भावों में बढ़ोतरी हो रही है । आज जो भाव हैं वे कल आने वाले समय में नहीं रहने वाले हैं । इसलिये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और कन्जूमर कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करते हुये सतर्कता समितियों का गठन करना चाहिये ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जिस वक्त यहां पर भारत सरकार ने गेहूं की प्रोक्योरमेंट प्राइस का एलान किया था उस समय इस बात का आश्वासन दिया था कि गेहूं के बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये एलान किया गया है । केमिकल फर्टीलाइजर मिनिस्टर ने पिछले महीने में दो स्टेटमेंट दिये हैं कि हम कीमतों को कम करना चाहते हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि आज राजस्थान के फर्टीलाइजर्स के विक्रेता चाहे एग्रो इन्डस्ट्रीज के हों और चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों सारे के सारे इन्सेक्टिसाइड्स डीलर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । उनका मानना है कि अगर कीमतें घट गईं तो नुकसान हो जायगा । इसलिये भारत सरकार से बात करके कीमतें घटाना चाहते हैं तो ठीक है और नहीं घटाना चाहते हैं तो एक फर्म पॉलिसी का एलान किया जाना चाहिये । नहीं तो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा । मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कुछ स्ट्रिनजेन्ट मेजर्स लेने चाहिये । अगर फ्री मार्केट पर सबको छोड़ देंगे तो इसका परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है । व्यापारी आम तौर से इस बात को मान सकता है कि आज का समय ऐसा है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट । इस जनता पार्टी के राज्य में मुनाफाखोरों की जीत इसी में है कि भैरों और बजरंग के राज्य में जितना लूट सकता है, लूटे । इस तरह की व्यापारियों की जो प्रवृत्ति बन गई है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पर सामान्य वाद-विवाद के जवाब के अन्दर कुछ अधिकारियों को सस्पैन्ड करने की घोषणा की थी। उससे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर अच्छा असर हुआ है। मैं यह चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी भावों को डाउन करने में भी कुछ इसी प्रकार का सक्रिय कदम उठायें तो गरीब जनता को राहत मिल सकती है। जैसा विरोधी पक्ष के नेता ने कहा जो आवश्यक चीजें हैं उनमें भावों को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। भारत के प्रधान मंत्रीजी ने बार बार ब्रोडकास्ट किया है ऑल इन्डिया रेडियो से भावों को गिराने के लिये लेकिन जब-जब भी उन्होंने ब्रोडकास्ट किया है 10 पर्सेंट, 12 पर्सेंट भाव बढ़े हैं। लोगों में इसकी प्रतिक्रिया हुई है और यह पेपर में भी आया है कि भविष्य में मोरारजी भाई इस तरह भावों को गिराने के लिये कम से कम ब्रोडकास्ट न करें। जब कभी ऐसा ब्रोडकास्ट किया गया है व्यापारियों पर इसका उलटा असर पड़ा है। अभी काफी समय है इलेक्शन आने में, आपकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि व्यापारियों ने आपको सपोर्ट किया है। जब इन्दिरा गान्धी विरोधियों को और स्मगलरों को दनादन जेलों में रखकर गरीब जनता को राहत पहुंचा सकती है और सत्ता से हटकर दर-दर भिखारी की तरह घूम सकती हैं तो आपको भी सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा।

श्री नवनीत कुमार : उस रास्ते पर तो नहीं जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं नहीं कहता कि आप उस रास्ते पर जायें, मैं जाने की आपको कोई राय नहीं देता लेकिन आपको इस सम्बन्ध में कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मुट्ठी भर लोगों को राजी करने के लिये ज्यादा लोगों की नाराजगी नहीं लेनी चाहिये। यह आपके लिये अच्छा नहीं होगा। इन दी इन्ट्रेस्ट आफ दी पुअर पिपुल कुछ करना ही चाहिये। इसलिये, उपाध्यक्षजी, हम आशा करते हैं कि मुख्य मंत्रीजी कुछ सख्त एक्शन लेंगे जिससे भाव डाउन हो जायं। सरकार सब कुछ कर सकती है। जब हम बार-बार जाकर व्यापारियों से कहते हैं कि भाव क्यों बढ़ा रहे हैं क्या कमी है तो कोई उत्तर उनके पास नहीं है। मान लीजिये खाद्य तेलों की कमी है लेकिन दूसरी अन्य चीजें तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं। हर चीज के लिये तो यह नहीं कहना चाहिये, यह बिलकुल गलत बात है। आज सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं और महसूस करते हैं कि भाव बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में कोई न कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। जब काश्तकार से लेवी लेकर हम उनको नाराज कर सकते हैं, अनाज के रूप में पिछली सरकार उनसे जबरन लेवी ले सकती है और आज स्थिति यह है कि अनाज का भारी स्टॉक भरा पड़ा है और फसल के समय सस्ता अनाज मिला तो आज एकदम 60 पर्सेंट भाव कैसे बढ़ गये? गरीब जनता को राहत पहुंचाने में कांग्रेस सरकार झिझकी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा। हर आदमी को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। गरीब आदमियों के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये, हरिजनों के लिये आपने अन्त्योदय योजना के अनुसार जो घोषणा की है उसके अनुसार भी आपको कुछ राहत उन गरीब तबके के लोगों को पहुंचानी है, तो सक्रिय कदम उठाना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पड़ेगा। आप सारे व्यापारियों की मीटिंग बुलायें और मीटिंग बुलाकर उनको आगाह करें कि भविष्य में भावों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

लाखों रुपया ये व्यापारी धर्मादे के रूप में काश्तकारों से लेते हैं। जब वे अपना अनाज बेचते हैं तो एक थोबा भर कर अनाज का निकाल लेते हैं और धर्मादे में डाल देते हैं। वह कहता है कि धर्मादा तो आप निकालें, हम किस बात का धर्मादा निकालें? तो व्यापारी का जवाब होता है कि तुमने अनाज पैदा किया है इसलिये धर्मादा तो तुम्हें ही देना होगा। मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को सब्सिडाइज किया जाय। उनको बुलाकर कुछ न कुछ कदम उठा सकते हैं।

मेरा एक सुझाव और भी है, आप शहर और ग्राम लेवल पर कमेटियों का निर्माण करें और उनमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग लें। हम यह भी नहीं कहते हैं कि यह एक पक्ष का काम है। सभी जनप्रतिनिधियों को सहयोग देना चाहिये। आप यह न समझें कि जनता ने और व्यापारियों ने आपको सपोर्ट किया है इसलिए उनके प्रति कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसी प्रकार जनता को और व्यापारियों को भी यह नहीं समझना चाहिये कि हमने जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और इसलिये हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। यह भावना दोनों ओर से ही नहीं होनी चाहिये। अगर व्यापारी गलत काम करते हैं तो आपको किसी भी सूरत में उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिये। यह सारे देश के हित में होगा, इससे ग्राम जनता की भलाई होगी। इसलिये, उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि निकट भविष्य में ही कोई सक्रिय कदम उठायें। जनता मंहगाई से पीड़ित होती जा रही है इसलिये उसकी आस्था आपके राज्य के प्रति घटती जा रही है। उसमें आपको निश्चित रूप से विश्वास पैदा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरज पाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस महंगाई के विरोध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। आज पिछले तीन महीने से पूरे देश में इतनी महंगाई बढ़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने किसानों से लेवी वसूल करके अनाज के अपूर्व भण्डार भरे उसके बावजूद भी 60 प्रतिशत की वृद्धि अनाज के भावों में हो रही है। पहले लेवी का भाव 105) रु० क्विन्टल था, बाद में बढ़ाकर 110) रु० कर दिया जो आज बाजार में 160) रु० में मिलता है। खाद्यान्न किसानों से इतना वसूल किया है कि जगह-जगह सड़ रहा है। इसके वितरण करने की सरकार से व्यवस्था नहीं हो रही है और एक्सपोर्ट की सोच रही है। देश के अन्दर महंगाई बढ़ती जा रही है, यह सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जीरे को लीजिए। जीरे का जब उत्पादन हुआ उस समय 14) रुपये किलो के भाव पर काश्तकारों ने बेचा। आज 32) रुपये किलो जीरा बिक रहा है। यह महज व्यापारियों की वजह से हो रहा है। जिन व्यापारियों ने जनता पार्टी को जिताने के लिए बराबर सहयोग दिया उनको पनपाने के लिए अगर इस तरह से सरकार मदद देती रही और गरीब उपभोक्ताओं पर इसी तरह से कमर तोड़ महंगाई से भार बढ़ता रहा तो निस्संदेह इस सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। बार-बार यह कहा जाता है कि

(श्री सूरजपालसिंह)
महंगाई बढ़ने का दोष भूतपूर्व सरकार का है। मैं आपको कहता हूं कि भूतपूर्व सरकार कत्तई दोषी नहीं है। भूतपूर्व सरकार ने खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं आने दी, उसके समय में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आज आप देखिए, सब्जी क्या भाव मिल रही है। आलू-प्याज तीन रुपये किलो हैं। इसी तरह से सीमेंट की हालत है। किसानों को सीमेंट नहीं मिल रही है। काश्तकारों को सीमेंट मिलती भी है तो महंगी। 22) रुपये की जगह 50-50, 60-60 रुपये देने के बावजूद आज किसानों को सीमेंट नहीं मिल रही है। यह सीमेन्ट की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था होने की वजह से लोगों पर कमर तोड़ महंगाई से जो भार पड़ रहा है उसकी तरफ अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो निस्संदेह बड़ा जबरदस्त आन्दोलन चलेगा। इस तरह से जनता महंगाई को कभी बरदाश्त करने वाली नहीं है। अगर आप इसी तरह से आंख मींच कर बैठे रहे, खाली बातें करते रहे, भूतपूर्व सरकार की दुहाई देकर कि हमें यह भूतपूर्व सरकार से विरासत में मिला है, यह महज जनता को गुमराह करने की बात है, जनता को भुलावे में डालने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज आप ठोस कदम उठाइये और इन व्यापारियों को कण्ट्रोल में लीजिए। अगर व्यापारियों को महज राजनैतिक आधार पर कण्ट्रोल में नहीं लेंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि जनता पार्टी को जिताने में व्यापारियों ने हमारा सहयोग दिया है और हमारे मददगार रहे हैं, और इसी तरह से इनको पनपाते रहे तो महंगाई घटने वाली नहीं है। इसके लिए भूतपूर्व सरकार को दोषी ठहराना कत्तई वाजिब नहीं है। आज तेल का भाव 14) रुपये किलो हो गया है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा.....

श्री रतनाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो अपनी विधान सभा के बाहर कच्ची बस्तियों की महिलायें प्रदर्शन लेकर आई हैं पुलिस उनको रोक रही है। महिलायें उत्तेजित हो रही हैं, इसलिए किसी मंत्री को यहां से भिजवाने की व्यवस्था करावें, जो उनसे विचार विमर्श करे।

श्री माधोसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मार्फत, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आवश्यक वस्तुओं के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं वह चिन्ता का विषय है। पूरे सदन के लिए चिन्ता का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले यह प्रस्ताव पेश किया गया था और हां पक्ष की तरफ से इस प्रस्ताव को स्थगित कराने की कोशिश की गई थी। मेरा निवेदन है और आप सब से अनुरोध है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे आपको, सभी माननीय सदस्यों को दुख होना चाहिए। यह प्रश्न कांग्रेस और जनता पार्टी का नहीं है। गरीब लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है। आप हर बात के लिए कांग्रेस पर दोष लगाते रहें और

(श्री माधोसिंह)

यह कहते रहें कि कांग्रेस ने विरासत में जो हमको दिया है उसकी वजह से स्थिति सुधर नहीं रही है, मैं समझता हूं कि यह तो शतुर्मुर्ग की तरह से है । जब कभी शतुर्मुर्ग किसी दुश्मन को देखता है तो झट धूल में मुंह गाड़ कर समझ लेता है कि मैं तो बच गया । मेरा निवेदन है कि महंगाई आज आपकी दुश्मन हो रही है । महंगाई को आप नहीं रोकेंगे और दूसरी पार्टी के ऊपर इसी तरीके से दोषारोपण करेंगे तो जो वास्तविकता है वह छुप नहीं सकती है । इतना ही मैं आपको अनुरोध करूंगा ।

जिस समय मैं यहां इस सत्र के अन्दर आया था उस समय जिस भाव पर चीजें खरीदी और आज जिस भाव पर चीजें मिलती हैं उसके कुछ उदाहरण आपको निवेदन करता हूं । इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ गया है । गेहूं उस समय 130) रु० क्विण्टल के भाव से खरीदा, वही अब 165) रुपये क्विण्टल में मिल रहा है । मोटा अनाज 80) रु० क्विण्टल था जो अब 115 से 125) रुपये क्विण्टल के भाव तक मिल रहा है । सब्जी 80 पैसे किलो थी वह तीन रुपये किलो मिल रही है । दालें 2.25 पैसे किलो मिलती थीं, अब चार रुपये किलो में मिल रही हैं । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमने खुद ने इन भावों पर चीजें खरीदी हैं । आज उसमें कितना फर्क पड़ गया है । यहां पर जिस समय आये उस समय साढ़े आठ रुपये किलो तेल था आज वह तेरह रुपये किलो मिल रहा है । मसालों में मिर्च आठ रुपये किलो थी, आज बारह रुपये किलो मिल रही है । धनिया साढ़े पांच रुपये की जगह आठ रुपये किलो मिल रहा है । सीमेंट, जब यहां से मैं अपने घर गया तो वहां पर काश्तकारों को उपलब्ध ही नहीं थी और उपलब्ध होती भी तो 40-45 रुपये तक ब्लेक मार्केट के अन्दर उपलब्ध होती थी । होटल वाले तो इतनी मनमानी करते हैं कि होटल के अन्दर जो चाय 30 पैसे का में मिलती थी वही अब 45 पैसे में मिल रही है । यहां पर जयपुर में जो आदमी पहले तीन रुपये में खाना खा सकता था वहां अब पांच रुपये में भी उसको खाना उपलब्ध नहीं है । क्या सरकार इन बातों को इसी तरह से अवोइड करती रहेगी ? आपको इसका समाधान करना पड़ेगा । मेरा निवेदन है कि इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो लोगों में असंतोष फैलेगा । उस असन्तोष को आप और हम सामूहिक रूप से रोक सकते हैं । जब तक व्यापारियों पर पूरी तौर पर कण्ट्रोल नहीं करेंगे, इसी तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तब तक यह असंतोष कम नहीं होगा । व्यापारियों को वाध्य करना पड़ेगा । जब तक आप उनको वाध्य नहीं करते तब तक आपके पास में जो स्टाक है उस स्टाक को फलोट बाजार में क्यों नहीं करते हैं और काश्तकारों को, छोटे लोगों को क्यों नहीं देते हैं ? जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आप इस स्थिति को नहीं रोक सकेंगे । मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और स्थिति को सुधारने की कोशिश करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलालजी !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद रूप से सच है कि देश में रोज आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं । इसी सदन में 20 जुलाई को मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री शंकरलाल)

जब यह बात कही थी कि वह जमाखोरों को और कालाबाजारियों को नहीं बख्शेंगे, उस वक्त मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बड़ी ताली बजा कर उसका स्वागत किया था। हमने भी यह आशा की थी कि कुछ भावों में गिरावट आयेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 20 जुलाई के बाद भी जो निरन्तर आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसके आंकड़े आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि देश के अन्दर जनता पार्टी का राज केन्द्र में आने के बाद और राजस्थान में जनता पार्टी का राज आने के बाद जो भावों में वृद्धि हुई है और जो भावों में बढ़ोतरी और कमर तोड़ महंगाई हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हुई है उससे आम गरीब आदमी, मजदूर, नौकरीपेशा आदमी तबाह हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 19 तारीख को रैली निकाली वह भी पर्याप्त नहीं है। महात्मा गांधी, जिनके नाम की आज की सरकार भी बहुत दुहाई देती है, ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया था, हमको उनके दिखाये मार्ग पर चलकर महंगाई के खिलाफ सत्याग्रह करना पड़ेगा। उन्होंने नमक जैसी वस्तु के लिए सत्याग्रह का आह्वान किया था लेकिन आज नमक ही नहीं प्रत्येक वस्तु के भाव बढ़ रहे हैं। इससे आम गरीब आदमी, मजदूर, खेतीहर मजदूर, नौकरीपेशा तबाह हो रहा है। बड़े-बड़े आदमी, पैसे वाले और बड़ी-बड़ी तनख्वाह कमाने वाले आदमी पर तो असर नहीं है, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है। आज मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि आपने इस सदन में यह कहा था कि कांग्रेस वालों की नींद हराम हो जायेगी जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाय, चाहे वह कांग्रेसी हों या जनता पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, उन्हें आप पकड़ें, नींद हमारी उससे हराम नहीं होगी। हमारी तो वास्तव में नींद हराम इसलिए हो रही है क्योंकि निरन्तर भाव बढ़ रहे हैं। आपकी नींद इससे हराम हुई या नहीं इसका पता नहीं, शायद आपकी नींद अभी भी हराम नहीं हो रही है। इसलिए सदन में, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं कि जब मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति गुजरात में चुनाव कराने के लिए सदन में सत्याग्रह कर सकते हैं तो कांग्रेस के आदमी भी बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए सत्याग्रह करने और इस सदन में आन्दोलन करने को तैयार हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चीज की गंभीरता को मानिये। मैं यह मानता हूं कि देश के अन्दर कुछ हालात होते हैं जो देश को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो राज्यों को प्रभावित करते हैं और उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि केवल राज्य ही जिम्मेदार होता है। यह बात मोरारजी देसाई ने अपने ब्राडकास्ट में कही थी कि व्यापारियों को भावों में कमी करनी चाहिए। उसके बाद जगजीवनरामजी ने इलाहाबाद में कहा कि हम भावों में कमी नहीं ला सके। उसके बाद 3 सितम्बर को जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कहा गया कि हमने तीन महीनों में कोई प्रगति नहीं की, हम भावों को गिरा नहीं सके। इसके बाद 12 सितम्बर को कृष्णकुमार गोयल ने यह स्वीकार किया कि जमाखोरों और व्यापारियों के कारण भाव बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या कदम

(श्री शंकरलाल)

उठाया, कितने जमाखोरों और ब्लैक मार्केटियर्स को पकड़ा ? इसी तरह से 18 सितम्बर को सुरजीतसिंह बरनाला ने व्यापारियों से कहा कि भाव बढ़ रहे हैं आप इनको कम करने में योग दीजिए । आप कहते हैं कि हम मीसा का प्रयोग नहीं करेंगे । आप मीसा का प्रयोग नहीं करना चाहते तो मत कीजिए लेकिन किस कानून के जरिये इन बढते हुए भावों को गिराना चाहते हैं, यह बतायें । मैं आप पर आरोप लगाना चाहता हूं और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर भी आरोप लगाना चाहता हूं कि उनकी जमाखोरों और कालाबाजारियों, व्यापारियों से सांठगांठ है । बढ़ते भावों से जनता पिस रही है । मोरारजी देसाई ने 18 तारीख को लखनऊ में कहा कि हमारे पास में कोई जादू का डंडा नहीं है, जिससे भाव गिरा दें । मोरारजी भाई की तरह हमारे मुख्य मन्त्री भी बोखलायेंगे । मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को भी सुझाव देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही की हो, चाहे कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार की अव्यवस्था में देश को छोड़ा हो, राज्य के मुख्य मंत्री के शब्दों में राजस्थान को कांग्रेस ने भूखा और नंगा छोड़ा है, लेकिन अब भाव बढ़ने से और कितने भूखे और नंगे हो गये हैं— यह मैं आपको बाद में बताऊंगा । आप यह जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक ने देश की आर्थिक हालत के बारे में यह बात कही है कि जब आपने केन्द्र और राज्यों में शासन संभाला तो 36 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे पास में थी और करीब 20 अरब का खाद्यान्न देश में मौजूद था । जिस देश के पास 36 करोड़ की विदेशी मुद्रा हो और 20 अरब का खाद्यान्न हो, उस देश में भाव क्यों बढ़ते जा रहे हैं ? क्यों नहीं आप व्यापारियों और जमाखोरों को पकड़ते हैं ? जो 36 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमायी है, उससे देश में माल लाइये । माल ज्यादा होगा, सप्लाई होगी तो अपने आप भाव गिरेंगे । इसके अलावा अनाज को आप क्यों नहीं निकालते हैं ? 20 अरब का खाद्यान्न आपके देश में मौजूद है, वह सड़ रहा है । कई जगह बरसात के दिनों में यह अनाज सड़ गया है । क्यों नहीं उसको निकालते हैं ? इन्फलेशन रोकने के लिए आप अनाज को बाहर लाइये । सरकारी नौकरों को और दूसरे लोगों को पैसे के बजाए धान दीजिए । धान उपलब्ध कराइये । उससे इन्फलेशन कम होगा और जो अनाज सड़ रहा है, उसका भी उपयोग हो जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जो रिपोर्ट मिली है, राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग ने जो संक्षिप्त विवरण पेश किया है, उसके पूरे आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने समय की पाबन्दी लगा दी है, इसमें आप देखेंगे, जनवरी, 77 से अगस्त, 77 तक जो भी भारत सरकार ने गेहूं और मोटे अनाज का आवंटन किया, उसको राजस्थान सरकार ने नहीं उठाया । क्यों ? आप यह कहेंगे, बाजार में भाव कम थे इसलिए नहीं उठाया । आप उसको लेकर बाजार भाव से कम बेच सकते थे । अगर उसके भाव ज्यादा थे तो सरकार कम कीमत में देती और घाटा स्वयं उठाती । उस वक्त बाजार में कम भाव थे किन्तु आज तो भाव बढ़ रहे हैं । अनाज का जो भंडार कांग्रेस ने छोड़ा है, उसको आप बेचिए और घाटा भी हो तो उसको उठाइये । यह जो आपका फूड कार्पोरेशन है, यह फूड करप्शन है ।

(श्री शंकरलाल)

इस कार्पोरेशन की मार्फत जो अनाज खरीदा गया है, वह अनाज सड़ रहा है ! जिस भाव से अनाज काश्तकार से लिया, उससे कम भाव में बेचने की बात है। उसमें घाटा हो तो आप उस घाटे को उठावें और उस अनाज को बाजार में निकालें। बाजार में सप्लाई होगी, तो भाव गिरेंगे और इन्फ्लेशन रुकेगा। कानूनों के बारे में आप कहते हैं कि आपने ढील दे रखी है। मैं यह निवेदन करूंगा, व्यापारियों को अनाज संग्रह का जो अधिकार दिया गया था, वह पहले 500 क्विण्टल था, आपने एक हजार क्विन्टल कर दिया। आप वापस उसको 500 क्विन्टल कर दें। व्यापारियों को एक हजार क्विण्टल अनाज रखने की छूट अब न दें। आप तत्काल उसको 500 क्विन्टल कर दें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह छूट किस ने दी थी ?

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह कहने से समस्या हल नहीं होगी।

श्री शंकरलाल : जिस वक्त सरकार ने यह छूट दी थी, उस वक्त अनाज का भाव कम था....

श्री जयकृष्ण शर्मा : उस वक्त 100 रुपये का भाव था क्विण्टल, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं था। इसको भी ध्यान में रखें।

श्री शंकरलाल : जब भाव बढ़ रहे हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि व्यापारियों को जो छूट दे रखी है, उसे कम कर के 500 क्विण्टल कर दिया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपका मोटे अनाज, खाद्यान्न का आदेश है उसके अनुसार व्यापारियों को ज्वार, बाजरा, मक्की 500 क्विण्टल तक रखने की छूट बढ़ाकर 1500 क्विण्टल कर दी है। इसको भी वापस 500 क्विण्टल किया जाए। यह व्यापारियों के स्टाक को कम रखने की बात है। मुख्य मंत्रीजी आपके जमाने में भाव बढ़ रहे हैं। एक्शन आपको लेना है। अब आप व्यापारियों को अधिक प्रोत्साहन न दें, चाहे उन्होंने कितना ही चंदा आपको दिया हो। आप जनता के सामने जवाबदार हैं। आपने उनको बहुत छूट दे दी। उन्होंने बहुत रुपया कमा लिया। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने आपके राज्य में 13-14 लाख रुपया कमाया है। व्यापारियों ने जनता को पीस दिया है। इसको आप बंद कीजिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राजस्थान खाद्य तेल एवं तिलहन डीलर्स लाइसेन्सिंग आदेश है, वह उन डीलरों पर लागू किया गया था जो एक समय पर 100 किलोग्राम से अधिक खाद्य तेलों एवं 10 क्विन्टल से अधिक तिलहनों का व्यापार करते हैं। अब व्यापारियों को लाइसेन्सिग आदेश से मुक्त रखने की छूट आपने दे दी। यह आदेश आपने 30-9-77 तक बढ़ाने, प्रभावशील होने से स्थगित रखा है। यह जो छूट आपने दी है आप इसको वापस लीजिए। जो स्टाक रखने की मिकदार है, उसमें कट कीजिए। मुख्य मंत्रीजी आपने यह कहा था कि आपके कानून के खिलाफ जिन लोगों ने अनाज इकट्ठा कर रखा है, उनको आप सजा देने को तैयार हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप घंटी बजा रहे हैं। मेरे पास ग्रनेक मिसालें हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ निवेदन करना चाहता हूं परन्तु ग्रब ग्रापकी घंटी ने मुझे सतर्क कर दिया है।

मैं एक बात ग्रौर यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। ग्रभी-ग्रभी हमने यह समाचार पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार ने एक सब-कमेटी बना दी है, जो बड़े-बड़े ब्लेक मार्केटियर्स हैं, उनके खिलाफ ग्राप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ग्राज कानून की कोई दिक्कत नहीं है। ग्राप मीसा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर ग्राप किस कानून को लागू करना चाहते हैं? ग्राप हमेशा पिछली सरकार को दोष देते रहते हैं परन्तु इस मामले में ग्रापकी यह बात नहीं चलेगी। पिछली सरकार को दोष देने से काम होने वाला नहीं है। यह जनता जान चुकी है। ग्रापको स्वयं को सख्त कदम उठाने होंगे, कड़ी कार्यवाही करनी होगी। इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार ने यह जो बड़ा संशय पैदा कर रखा है, उसके बारे में भी ग्राप ग्राश्वस्त करें ग्रौर केन्द्रीय सरकार को सुझाव दें।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब मैं ग्रापका हुक्म मान कर बैठ जाता हूं। मेरे पास इस बारे में मूल्यवान सुझाव हैं। फिर कभी ग्रवसर मिलेगा तो कहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्रम से तो मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ग्रापका परस्पर विवाद है?

श्री मूलचन्द डागा : कोई विवाद नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कोई विवाद नहीं रह जाता है, जब कि इस ग्रोर बैठने वाले ग्रौर उस ग्रोर बैठने वाले, यह सरकार ग्रौर भारत सरकार, ग्राम ग्रवाम इस बात को मानती है कि महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विरोधी दल के नेता ने जो ग्रांकड़े रखे हैं, रोज हम ग्रखबारों में पढ़ते हैं, लिविंग इन्डैक्स, कन्जूमर प्राइसेज इन्डैक्स, ब्यावर, ग्रजमेर, जयपुर, दिल्ली का सबका ग्रखबार में रोज पढ़ते हैं। इसलिए मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। हम इस बात को कबूल करें कि महंगाई बढ़ रही है। ग्रब सवाल यह है कि महंगाई कहां तक बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की यह छोटी सी सरकार इस प्रदेश की बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने में सक्षम नहीं है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि भारत सरकार जब तक ग्रपनी ग्रार्थिक नीति में कोई कारगर तब्दीली नहीं लाती है, जब तक जनता सरकार ग्रपनी न्यू इकोनामिक पोलिसी को नहीं रखेगी तब तक यह महंगाई नहीं रोकी जा सकती। ग्रभी थोड़े दिन पहले ग्रापकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें यह तय हुग्रा कि न्यू इकोनामिक पॉलिसी लाई जाये। जनता पार्टी के करेक्टर को देखते हुए एक नयी इकोनामिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्रार्थिक महंगाई को रोक सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी मोरारजी देसाई ने व्यापारी वर्ग से ग्रपील की है। उन्होंने ग्रपील की तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय, मैं हमेशा यह मानता हूं, राजनीति के ऊंचे खिलाड़ी हैं, उन्होंने 26 तारीख को पहला भाषण दिया, ट्रेडर्स पर छापे डाले ग्रौर ग्रसेम्बली में तालियां बजवा दीं, भाषण देकर। मैं उनसे यह पूछना

(श्री मथुरादास माथुर)
चाहता हूं कि क्यों राजस्थान में महंगाई आप रोक नहीं पाये हैं ? मुद्रा स्फीति को आप कैसे रोक सकेंगे ? आपने 26 तारीख को पहला वक्तव्य दिया। उसके बाद अगस्त से अभी तक एक महीना गुजर गया है। इस डेढ़ महीने में आपने एक ही छापा मारा है ? एक व्यापारी को भी पकड़ा है ? न अखबारों में बयान था और न मैंने कभी सुना। आप कन्सट्रक्टिव एक्टिविटीज रखते हुए भी मौन हैं। जो आपका पहला भाषण हुआ तब से डेढ़ महीना गुजर गया है लेकिन इस अर्से में कुछ नहीं हुआ है। मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ दो-चार जगह ही छापे मारे गये हैं। मैं यह नहीं समझता था कि यह शेर दो-चार जगह छापे मारेगा फिर अपनी जगह बैठ जाएगा।

श्री सम्पतराम : माथुर साहब, शेर का स्वभाव ही यह होता है, वह रेस्ट करके अटैक करता है।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे देंगे। आप काहे को बीच में पड़ते हो।

मेरा निवेदन है एक आनेस्ट एम.एल.ए. के नाते, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर यह कहते हैं कि भावों पर जल्दी ही नियंत्रण हो जाएगा। उसके बावजूद भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। आपकी पार्टी को मैं खास तौर से हिदायत करना चाहता हूं, अगर यह भाव नहीं रोकेंगे तो हम लोग तो मरेंगे ही लेकिन आपकी पार्टी भी जिन्दा नहीं रहेगी।

अभी और बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक-दो सुझाव पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी जो बैंकिंग पालिसी है, मेरा एक सुझाव है कि आपको बैंकिंग पालिसी में तब्दीली लानी पड़ेगी। जो एडवांसेज ग्राण्ट करते हैं, उसके कारण जो होलसेल डीलर हैं वे गेहूं खरीदते हैं और वह होडिंग करते हैं। उनको नहीं रोका जायेगा तो बढ़ते हुए भाव नहीं रुक सकेंगे। यह स्केअरसिटी मैन मेड है। खुदरा भाव अगर बढ़ेंगे तो आठ आने, चार आने ज्यादा से ज्यादा बढ़ जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैंक पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए ताकि होलसेल डीलर होर्डिंग नहीं कर सकें। अभी देहली के मार्केट में लास्ट टू वीक के अन्दर अराइवल्स में होलसेल डीलर ने सेण्ट पर्सेन्ट कमाया है। यहां पड़ौस में आड़तिये हैं वहां देख लीजिये, आज भाव हाइएस्ट पहुंचे हैं। भाव बढ़ते हैं तो रुपये की वेल्यू कम होती है। नतीजा यह होता है कि इण्टरनेशनल फील्ड में स्थिति पर असर पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। गजेन्द्र गड़कर फार्मूला हमने माना है कि प्राइस इंडैक्स बढ़ने पर हम महंगाई भत्ता दे दें। आज बाजार में क्या भाव हैं ? मैं यह सुझाव देता हूं कि 1960-61 को आधार मानकर उनको महंगाई भत्ता देते हैं, उसके बजाय मैं निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार और सदन के माननीय सदस्य बैठकर 20-25 कमोडिटीज तय कर दें। कर्मचारी वह कमोडिटीज दुकान से खरीदकर बिल पेश कर दें। सरकार द्वारा 1960-61 की प्राइस को आधार मान कर उनको सब्सिडाइज कर दिया जाये, तो अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह नहीं करेंगे तब तक यह समस्या चलती रहेगी। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि राज्य सरकार को महंगाई भत्ते का दूसरे इन्स्टालमेंट का पेमेन्ट करना है उसके बजाय जो

(श्री मथुरादास माथुर)

गेहूं खराब हो रहा है वह गेहूं पेमेन्ट न करके उनको दिला दिया जाये। कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम में महंगाई भत्ते का पैसा जमा करने के बजाय 12 महीनों का गेहूं दिला दिया जाये।

एक-दो बातें और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। एक बात यह है, जैसा हमारे परसराम मदेरणा ने कहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिनोंदिन बहुत कमजोर होता जा रहा है, उसको स्ट्रेंग्दन करना पड़ेगा, चाहे डिपार्टमेंट स्टोर के द्वारा करें या कोआपरेटिव शाप्स के द्वारा करें। और बातों में we can go slow। इन जरियों से अगर गेहूं, शक्कर, आयल इन तीन चार चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार कर दिया जाये तो उसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। हमें बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना चाहिए।

दूसरी बात यह है, राजस्थान में अनलाफुल सट्टा चलता है। छोटे छोटे कस्बों में भी चलता है। पुलिस वाले पैसा खाकर यह सट्टा चलाते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

अन्त में मैं एक बात रेपसीड के बारे में कहना चाहता हूं। आपके जितने भी आइल के टैंकर आते हैं वह मिलों के पास जाते हैं तो इसमें एक केमिकल मिला देते हैं और इसको मस्टर्ड आइल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको यहां भी बेचते हैं और राजस्थान से बाहर भी भेजते हैं। यह 7.50 के भाव से आता है और 12.50 के भाव से यहां बिकता है, इसको भी आप रोकिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में। इसके बाद आखिर में एक सुझाव और देना चाहता हूं, आप बीच में घंटी बजा देते हैं। इतने थोड़े समय में कोई अपने पूरे सुझाव नहीं दे सकता है।

मेरा मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय, जो इन प्राइसेज को कन्ट्रोल करने के लिए स्टेप लें और यह बताये कि इस समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। कमेटी के विचार करने के बाद 15 दिन में या मैक्सिमम एक महीने में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। उस रिपोर्ट पर सदन विचार करे और इस विचार के आधार पर निर्णय लिये जायं।

ऐसे बहुत से मसले हैं जिनको मैं थोड़े समय में नहीं रख सकता। आपकी घंटी बज जाती है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि आप इसको एक कमेटी बनाकर निर्णय लें। यह प्रोब्लम नेशनल, इन्टरनेशनल और लोकल तीनों स्तर पर है। इसलिए इसके लिए एक कमेटी बनाइये और इस मामले में पालिटिक्स मत लाइये। जो भी होर्डर्स हैं उनको आप पकड़िये, और 26 जुलाई को जो घोषणा की थी उसको आप पूरा करिये, वरना महज चन्दा लेने के लिये आप यह करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक दिन चन्दे की बहस हो जाय।

श्री मूलचन्द डागा : हम तैयार हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जिस दिन चाहें कर लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, उससे आपको ही नुकसान होगा। नयों का क्या होगा, जो दिल्ली में बैठे हैं उनका क्या होगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच महीनों से रोजमर्रा की चीजों के जो भाव बढ़ते जा रहे हैं उन भावों के बढ़ने से जनता में व्यथा और परेशानी पैदा हो गई है, लेकिन राज्य सरकार उससे बिल्कुल उदासीन है, इसलिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने एवं मंहगाई की रोकथाम के लिये हमने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। हमारी पार्टी के नेता ने सभी चीजों के भावों के बारे में विशद विवेचन किया। उन्होंने बताया कि 20-4-77 को जब दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली उस समय जो चीजों के भाव थे और आज जो भाव हैं, करीब-करीब ड्योढ़े और दुगुने भाव हैं, खास तौर से मसालों, दालों और तिलहन के। इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। मसालों और दालों के भावों की आज क्या स्थिति है ? काबुली चने का भाव जब जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी उस दिन 230 रुपये क्विन्टल था और आज का भाव 470 रुपया क्विन्टल है, मतलब दुगुने से भी ज्यादा। अब चने के बोने का समय आ गया है, केवल इसलिए भाव बढ़ गये हैं ? मैं सदन के माननीय नेता से निवेदन करना चाहती हूं कि क्या इस प्रकार के भाव कांग्रेस की हुकूमत में पहले कभी रहे थे ? मैं यह मानती हूं कि गेहूं के भाव आज जो हैं उससे एक समय अधिक थे, लेकिन मैं नेता महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जब कभी भी इस तरह से भाव बढ़े तो वह मौसम के बदलाव के कारण अथवा अन्तराज्य प्रतिबंधों के कारण थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से बढ़े थे। लेकिन इतने लम्बे अर्से तक कांग्रेस की हुकूमत में कभी चीजों के भाव, इस ऊंचाई पर नहीं रहे। इतने लम्बे समय तक कांग्रेस की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ। माननीय नेता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, मैं यह मानती हूं कि सदन के नेता राज्य के मुख्य मंत्री और भारत सरकार चिन्तित है कि हर प्रान्त में बाजार भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कुछ नहीं करना चाहते। मैं माननीय नेता महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार यदि बिल्ली से कहे कि बिल्ली दूध मत पीना, बिल्ली दूध मत पीना, तो बिल्ली नहीं मानती है। आप व्यापारियों से कहते हैं कि भाव मत बढ़ाओ तो क्या यह कहने मात्र से ही भाव कम हो जायेंगे ? माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी विवशता है और मैं आपकी परेशानी को समझती हूं, शायद चुने हुए होते तो कोई कारगर कदम भी उठाते, आपको डर है, अभी चुनाव लड़ना है कहीं लोग नाराज नहीं हो जायं। कौनसी कान्स्टीट्यूएन्सी से लड़ेंगे, कहां से चन्दा आयेगा, कौन वोट देगा? जिसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे वह वोट कैसे देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : इनको तो यह परेशानी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको क्या परेशानी है ?

श्री उपाध्यक्ष : No more interruption, please.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों को आदेश दें कि बीच में नहीं बोलें।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, जब देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा हो, तो चीजों की कीमतों को रोक देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब टेम्प्रेरी समय के लिये, अनाज एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाता था, अथवा प्रतिबंध होता था उस समय जाने लगता था और कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ करता था, लेकिन इतने लम्बे समय तक भाव नहीं बढ़े। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीयकरण का क्या हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह आज भी मानती हूं कि गेहूं और जौ की कीमत, दालों, तेलों और मसालों की अपेक्षा कम है लेकिन चना जो पिछली बार अप्रेल के समय 140 रुपये क्विन्टल था वह आज 210 रुपये क्विन्टल है। मैं चने का भाव बता रही हूं।

एक माननीय सदस्य : यह सही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 210 रु. क्विन्टल है।

श्री मूलचन्द डागा : कल चारा लेने गये थे क्या आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 210 रु. क्विन्टल का भाव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, मैं मानती हूं, आपकी मजबूरी है, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से पैसा आयेगा, कोई नाराज तो नहीं हो जायगा, यह सब बातें हैं लेकिन इस तरह से हिचकिचाने से कीमतें नीचे नहीं आयेंगी, कीमतों को रोकना आपका नैतिक दायित्व है।

खास तौर से मैं आपका ध्यान चारे की कीमत की ओर दिलाना चाहूंगी। चारे की कीमत पिछले तीस सालों के अन्दर इतनी नहीं बढ़ी। पिछले साल भयंकर अकाल था तब भी इतने भाव नहीं बढ़े। आज 18 रु. मन कड़वी, अर्थात् 45 रु. क्विन्टल, कड़वी बिक रही है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बिल्कुल गलत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन कहता है कि गलत है? मैं नेता महोदय को चुनौती देती हूं कि जयपुर के मार्केट में 18) रु. प्रति मन ग्वार की कुट्टी है...

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के घर में सस्ती आती होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 45 रु. क्विन्टल के हिसाब से कुट्टी इस सरकार के समय में बिक रही है। जब अनाज की मुश्किल, दूसरी चीजों की मुश्किल तो फिर श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की बात तो दूर है। ये बढ़ते हुए चारे के दाम से काश्तकार पर, पशुपालक पर बोझ हो गया है। दूध की भी समस्या है। अब तक तो दूध के अंदर चूहे और बिच्छू वगैरह आ जाते थे, पहली बार छिपकली दूध में आई है। यदि माननीय सदस्य पी लेते तो क्या हाल होता ? इससे राजस्थान का क्या हाल होगा ? इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था लेकिन गंभीरता से न सदन ने लिया न नेता ने लिया। मुझे अफसोस है कि छिपकली जैसी जहरीली वस्तु दूध में आ जाए, उसको न सदन गम्भीरता से ले और न नेता, न आसन गंभीरता से ले। बोलने वाले अधिक हैं, इसलिये मैं यही

Page No 45

(45)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

निवेदन करूंगी कि रोजमर्रा की चीजों के भाव जिस कदर बढ़ रहे हैं उससे सबसे अधिक हाउसवाइफ परेशान होती हैं, उस पर ही सबसे अधिक बोझ पड़ता है। आज कौनसी चीज है जिसकी कीमत पहले से दुगुनी नहीं हो गई है? सरकार को जिस सीरियसनैस से इस मामले को लेना चाहिए था, वह नहीं लिया। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत नेता महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जन जीवन का अहम मसला है, इसकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो न जाने इससे क्रांति या बगावत क्या से क्या होगी। अभी तो छोटी सी बात है। बाद में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : जब स्थगन प्रस्ताव,पर बहस हो रही हो उस समय कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं वैसे ही बोल रहा हूं। शासन पर आरोप लगाने की परिपाटी पड़ गई है। आप इसको रोकने की कृपा करें। कभी ऐसी परम्परा नहीं रही। नई परम्परा बनने लगी है, इसको रोकना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की।

श्री नूरा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा नाम नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम भी आ जाएगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारी पार्टी के आदमी हैं।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भाव बढ़ाने की एक आदत सी व्यापारियों ने पटक रखी है। जब प्रस्ताव लाया गया यहां पर तो एक विधायक महोदय ने चुरू से इसका विरोध करने की बात कही। विरोध करने का उनका हक है, विरोध करें लेकिन सही बात का करें तो बढ़िया होगा। साथ ही जो भाव बढ़े हैं उसको सब जानते हैं। जब काश्तकार की फसल आती है तब व्यापारी भाव गिराकर अपने गोदाम भरते हैं और जब काश्तकारों को जरूरत होती है तो माल को मार्केट में बिकने से रोकने के लिए गोदाम बंद कर लेते हैं। जब कमी आती है, माल के भाव बढ़ जाते हैं तब गोदामों के ताले खोलकर मुनाफा कमाते हैं। मुनाफा कमाने की आदत उनकी कोई नयी नहीं है। हो सकता है कि पहले कांग्रेस के शासन में भी उन्होंने ऐसा किया लेकिन आज भी ऐसा कर रहे हैं। जब हुकूमत बदली है तो नवीनता आनी चाहिए। जनता आशायें लेकर बैठी है कि हमें सस्ते दामों पर अनाज मिलेगा, सस्ता कपड़ा मिलेगा। जीवन के लिये आवश्यक चीजें सस्ती दर पर मिलेंगी लेकिन ऐसा लगता है कि हर बात पर जनता सरकार का, जनता पार्टी के विधायकों का इशारा होता है कि गई सरकार ने यह किया, यह भी जाने वाली सरकार ने किया है। मेरा निवेदन है कि जाने वाली सरकार गई। अब इस सरकार को कुछ करना है और करके दिखाना जरूरी है। आज हर बात पर जांच आयोग बिठाने की आप बात करते हैं लेकिन व्यापारी वर्ग जो आज भाव बढ़ाकर जनता का शोषण करता है उसके लिए ऐसा कोई आयोग बिठाया गया है? जो भाव बढ़ाते हैं ऐसे लोगों को

(श्री नूरा)

सजा देने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए ।

मोरारजी भाई ने अपील निकाली, उसका व्यापारियों पर कोई असर नहीं हुआ । अगर बार-बार अपील करने से भाव नहीं गिरते हैं तो सरकार को दूसरा रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना चाहिए । लेकिन समझ में नहीं आता दूसरा कोई रास्ता जनता सरकार सोच रही है या नहीं । दूसरा रास्ता सामने लायें तो जनता शोषण से बच सकेगी । आप कारखानेदारों को देखें । कारखानेदार कपड़े के भावों को बढ़ाने के लिए कपड़े को गोदाम में रख लेते हैं। उनकी जब इच्छा होती है तब मार्केट में लाते हैं, नहीं तो गोदाम भरकर, भाव बढ़ाकर अपना कपड़ा समय आने पर बेचते हैं । कपड़ा जमा होता है। जब उनको ऊंचा पैसा कमाना होता है तो कारखानेदार पालियों में फेर-बदल करते हैं । जैसे ब्यावर में कृष्णा मिल के मालिक ने तीसरी पाली को बंद कर छोड़ा है जिससे उत्पादन घटा है । उत्पादन जब घटता है तो मालिक मुनाफा कमा पाता है लेकिन आम लोगों के जन-जीवन पर ज्यादा असर पड़ता है । इस तरह से जो पैसे वाले बड़े-बड़े लोग गोदाम लिए बैठे हैं और जिम व्यापारी व बड़े बड़े भूमिदार के पास बहुत ज्यादा जमीन है वे लोग मार्केट में चीजें आने से रोक देते हैं। गांवों में गोदाम भरकर रखते हैं और वे ज्यादा पैसा कमाने की नीयत से माल रोक देते हैं । छोटे किसान को अनाज पैदा करने के बाद कपड़ा खरीदना पड़ता है, शादी विवाह के लिए, मकान के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है इसलिये उसको सस्ती दर पर अनाज बेचना पड़ता है जब कि माल बड़े-बड़े व्यापारी छिपा कर रख लेते हैं । उस माल को समय पर निकालकर नहीं दिया जाता जिससे भाव बढ़ते हैं । दूसरी ओर जगह-जगह सरकार का अनाज गोदामों में सड़ रहा है, अधिकारीगण संभाल नहीं पाते । अगर सरकार समय से पूर्व गोदामों से लेकर राशन की व्यवस्था करे और सस्ते दामों पर बेचने की व्यवस्था करे तो भाव बढ़ने से रुक सकते हैं । सरकार के पास ढेरों माल है जिसको रखने के लिए जगह नहीं है । वह बरसात में खुले में पड़ा है और खराब हो रहा है । वह अनाज व ढेर सारी चीजें लोगों के काम में आ सकती हैं। ऐसी चीजों को बाजार में लाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए या व्यापारी वर्ग पर सख्ती करनी चाहिए ताकि भाव गिरें । व्यापारी वर्ग मान चुका है कि आज हमें कोई कहने वाला नहीं है। वह चाहते हैं कि इस समय में जितना पैसा कमा सकें कमायें । आज जो भाव बढ़ रहे हैं उनके कारण सभी विधायक जानते हैं। मैं दुबारा गिनाना नहीं चाहता पर यह सही है कि आज व्यापारी वर्ग अन्धाधुन्ध जरूरी चीजों के भाव बढ़ा रहा है । इससे जनता परेशान है । इससे वह लोग विशेषतौर से प्रभावित होते हैं जो कि मजदूर वर्ग के हैं, कमजोर तबके के हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई खून और पसीने की है । इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त कदम उठाये । साथ ही जिस व्यापारी वर्ग ने मनमाने भाव बढ़ाये हैं उसके खिलाफ में प्रभावी कदम उठाये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि यह जो स्थगन प्रस्ताव

(श्री उपाध्यक्ष)

आया है इस पर बोलने वालों के नामों की एक सूची मेरे सामने है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह समय का ध्यान रखें। जिन लोगों के नाम इसमें नहीं हैं उनको मैं समय देने में संकोच करूंगा। उन्हें अवसर नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

आप सभी सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

(विराम)

इसके लिये दो घंटे का समय है।

श्री सुखलाल सेलाट : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलना चाहते हैं। आप कृपया उन लोगों के नाम बता दें जिनके नाम आपके पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कीमतों के बढ़ने के लिये दिया है। इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन और भी माननीय सदस्यों ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान हमारे यहां पर बढ़ती हुई कीमतों की तरफ दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कीमतों के बढ़ने का जहां तक सवाल है उसके लिये न केवल हम ही चिन्तित हैं बल्कि हमारे प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी भाई देसाई भी चिन्तित हैं। अभी अखबारों में भी इस प्रकार की बात आई है कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की एक कमेटी इस पर ध्यान देने के लिये बनायी है जो कि इस सारे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिये। बीच में व्यवधान मत करिये।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सभी जगह, सभी वर्ग में आज बढ़ती हुई कीमतों के प्रति चिन्ता छायी हुई है। जैसी कि यहां पर कई बार चर्चा होती है महंगाई के बारे में मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहूंगा जिससे कि सदन का समय बरबाद न हो। किन कारणों से कीमतें बढ़ी हैं उनके सम्बन्ध में ही मैं अपने विचार रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आज व्यापारी वर्ग ने एक नारा दिया है कीमतों को बढ़ाने के पक्ष में, वह है hold the stocks, स्टॉक्स को रोके रहो। श्रीमान्, यह सबसे बड़ा कारण है कीमतों के बढ़ने का। व्यापारी वर्ग अपने पास स्टॉक को रख कर बैठ गये हैं। मन्डियों में दो महीने पहले जो टर्न ओवर होता था आज उसका दस पर्सेंट भी टर्न ओवर मण्डियों में नहीं हो रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि व्यापारियों ने स्टॉक को होल्ड कर रखा है। वह स्टॉक बाहर आता नहीं है तो माल बाजार में कैसे आये। यह होल्डिंग कैसे हुई ? इसकी केपेसिटी व्यापारी वर्ग में कैसे बढ़ी ? इसका सबसे बड़ा कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की ढिलमिल नीति। जनता पार्टी की ढिलमिल नीति के कारण ही भाव बढ़ रहे हैं। स्टॉक रखा जा रहा है, उसका होल्डिंग किया जा रहा है। आज व्यापारी वर्ग को सरकार की तरफ से कोई चिन्ता नहीं है। उनके दिमाग में यह बात तो पक्की जमी हुई है कि सरकार उसके खिलाफ में कोई भी कार्यवाही

Page No 48

(48)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नहीं करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मुख्य मन्त्रीजी, यहां पर बैठे हैं उन्हें थोड़ा सुनकर दुःख भी होगा क्योंकि उनकी पार्टी का राज्य है, उसमें यह हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो सिविल सप्लाइज मिनिस्टर हैं उन्होंने इन व्यापारियों के खिलाफ में छापे मारे तो उनके खिलाफ में इस तरह का वातावरण बनाया गया कि उनकी मिनिस्ट्री ही खतरे में पड़ गयी। उनके विरुद्ध खूब प्रचार किया गया। यह सारा मामला प्रधान मन्त्रीजी तक गया और बाद में वह मामला ठण्डा पड़ गया। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि व्यापारी वर्ग किस तरह से आप की सरकार पर हावी है।

श्रीमान, इसका एक कारण यह भी है कि आपके जनता पार्टी के जो पुराने घटक हैं न, उनमें से आपका जनसंघ घटक व्यापारी वर्ग से संबंधित रहा है। हालांकि मुख्य मन्त्रीजी आपको कड़वा तो लगेगा लेकिन आप इस आरोप को डिनाई नहीं कर सकते हैं। यह सही बात है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कीजिये। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो काला धन व्यापारी वर्ग ने जमा कर रखा है वह वापस पेरेलल इकानामी खड़े किये हुए है। इसको अभी तक आपने चैक करने के लिये कार्यवाही नहीं की। उन पर कोई रेड आपने डाली नहीं। आपका एनफोर्समेन्ट स्टाफ बिलकुल शिथिल हो गया है। उसके अधिकारियों को यह भय है कि कहीं हम रेड डालेंगे तो हमारे खिलाफ में ही कार्यवाही न कर दी जाये। इधर आपके जो बैंक्स हैं वह यों तो स्टाक होल्डिंग के लिये व्यापारियों को मनी एडवान्स नहीं कर रहे हैं पर दूसरे तरीके से व्यापारी लोग अपनी प्रोपर्टी वगैरह को गिरवी रख कर पैसा लेकर उस पैसे को इस तरह की होल्डिंग एक्टीविटीज में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिसके सम्बन्ध में आपको कदम उठाने चाहिये थे ताकि महंगाई नहीं बढ़ती। अब होता क्या है कि ज्यों ही आपके प्रधान मन्त्री जी व्यापारियों को अपील करते हैं त्यों ही दूसरे दिन कीमतें बढ़ जाती हैं। मेरा निवेदन है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पांच ही मिनट हुए हैं। मेरे दल के कोई सदस्य नहीं बोलेंगे। इनका समय भी मुझे ही दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप के दल के आप अकेले ही हैं पर मिलेंगे आपको पांच मिनट ही।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप सिर्फ एक दो मिनट और दे दें। मैं अभी समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन में जोइन्ट मोशन आया है उसको एडमिट किया गया है। स्थगन प्रस्ताव को देने वालों की संख्या 18-19 है। कांग्रेस पार्टी के लीडर महोदय से बात हो गयी है। उन्होंने जिनकी लिस्ट दी है वही बोलेंगे। इस प्रकार 18 व्यक्तियों को ही बोलने दिया जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सिर्फ दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा को पूछ लें। अगर वह अपना समय आपको दे दें तो आप बोल लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मूलचन्दजी तो बड़े आदमी हैं। मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट रह चुके हैं। आप ही दे दें।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश से तेल बंगला देश को स्मगल हो रहा है। कड़वा तेल बर्मा जा रहा है। अब आपका माल बाहर जायेगा तो यहां कमी पड़ेगी ही और कीमतें बढ़ेंगी ही।

इसके अलावा जो असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट हैं उसके तहत जो आर्डर राज्य सरकार निकालती है उसके अनुसार फर्म्स के खिलाफ में कार्यवाही नहीं हो रही है। इधर आपने इन्फ्लेशन और बढ़ा लिया बोनस देकर। मैं यह नहीं कहता कि बोनस मत दो। आप रेल्वे और पोस्ट आफिसेज वालों को भी बोनस देने का विचार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे आपके इन्फलेशन में वृद्धि ही होगी और जो आज कीमतें हैं वह बोनस के दिये जाने के फलस्वरूप दो महीने में ही ड्योढ़ी और सवाई हो जायेंगी। तो मेरा निवेदन यह है कि आप कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये कार्यवाही कीजिये। नहीं तो जनता आने वाले समय में बहुत परेशान हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पहले पेज पर ही पढ़ा, 'राजस्थान में मंत्रिमन्डल का विस्तार नहीं होने से राजस्थान की जनता पार्टी के 55 विधायकों के मन में बेचैनी'।

श्री नवनीत पालीवाल : इस स्थगन प्रस्ताव से क्या मतलब है उसका।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री अपने घर की तरफ नहीं देख सकता है वह देश की तरफ क्या देखेगा ? आपके प्रधान मंत्रीजी ज्यों-ज्यों घोषणा करते गये त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती रहीं। स्थिति यह हुई कि आप फेल हो गये हैं। पर फिर भी आप की सरकार के प्रधान मंत्रीजी यह कहते हैं कि हम कड़ी नजर रख रहे हैं। आप कड़ी नजर किस पर रख रहे हैं ? भाव तो लगातार बढ़ रहे हैं। आज जनता में यह प्रतिक्रिया हो रही है कि हे भगवान ! हमें इस जनता पार्टी से बचाओ। यहां हम आकर आपको कुछ कहते हैं तो मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि यह तो आपके ही 30 साल के कांग्रेस शासन के कर्मों का फल है। और कोई उत्तर आप दे नहीं सकते हैं, सिर्फ यही कह सकते हैं। पर अब किसको कहें ? आपके प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई सन् 69 तक कांग्रेस राज में मंत्री थे। आपके जगजीवन रामजी भी अभी सन् 77 के जनवरी महीने तक कांग्रेस के मंत्री थे। अब सवाल यह है कि आप का जो भी उत्तर है वह जब तक आप नहीं देते तब तक क्या हो सकता है। आपका उत्तर जो भी है वह बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है। चन्द्रशेखर जी आपकी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह खुद इस बढ़ती हुई महंगाई की समस्या के लिये यह कहते हैं कि आप अपनी इस समस्या का स्वयं निराकरण करें। इधर आपके मोहन धारिया, जो सेन्ट्रल में मिनिस्टर हैं, ने स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग घेराव करो हम तो फेल हो गयेहैं। यहां क्या घेराव करो ? यह कह रहे हैं, तुम घेराव करो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम थक गये भाषण देते-देते। H asked the Consumers to stay Dharnas on the Dealers

(श्री मूलचन्द डागा)

यह श्रीमान् का फरमान है। सारी जगह इन्होने क्या कहा ? तुम घेराव करो। फर्नान्डिस आये तव प्रस्ताव पास किया कि अगर सरकार भावों को नहीं गिरायेगी तो हमें अपनी समस्याओं का निदान ढंढ़ना पड़ेगा। उस दिन से समझा कि जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ठीक कहा, तुम धरना दो। लड़ो तुम। आप कहते हैं कि कड़ी नजर रखेंगे। आपने असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में क्या किया ? यह कह दिया मोरारजी ने कि अक्टूबर में सैशन करेंगे तो सोचेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अक्टूबर में अहमदाबाद में सैशन होगा तब विचार होगा। पहले होने का नहीं। आपने कहा, Existing laws are to be used against the hoarders. अब, श्रीमन्, आप बताइये, असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में क्या किया ? सुराना साहब, जवाब दो। गलत बोलोगे आप। क्यों बोलोगे ? कुर्सी के लिये लाइन लगी हुई है। आप को बोलना पड़ेगा ? यह फर्ज है आपका। आपके नेता बड़े होशियार हैं, दक्ष हैं। आपके भाव घट जावेंगे। कुर्सी के लिये ऐसी लाइन लगी है कि सारी जगह बेचैनी है। मुख्य मंत्री जी, आपका घर आर्डर में नहीं है। मुख्य मंत्री भूमि में चले जाते हैं, अन्दर चले जाते हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मौन रहते हैं। उन्होंने जिन्दगी में मौन रहना सीखा है। कौन है, नेता महोदय, जिसका आपने असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में हथकड़ी डाल कर चालान कर दिया ? आपने बंसीलाल का चालान पेश किया। आप असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में कौनसा अमेंडमेंट कर रहे हैं ? अभी कहेंगे, 30 साल में कांग्रेस ने क्या किया ? यह किया कि आपको लाकर यहां बैठा दिया। एक मंत्री बता दे खड़ा होकर कि हमारे स्टाक में आज इतना तेल है। 20 पोइन्ट प्रोग्राम में था कि असेन्शियल कमोडिटीज कन्ज्यूमर के पास पहुंचनी चाहिये। अब क्यों पहुंचे ? पहुंचने का सवाल ही नहीं। कन्ज्यूमर को देते नहीं। सोसाइटीज को कितनी असेन्शियल कमोडिटीज दीं ? सारे लेबर की तनख्वाह फिक्सड। मेरी भी फिक्स्ड। मुझे 600 रुपया मिलता है। भले ही भाव बढ़ते जांय। आपके घर में डिस्ओर्डर है। जनता पार्टी के घटक आपस में टकराते रहे हैं। मंत्री लोग आपके कारण परेशान हैं। मोरारजी ने कह दिया, घेराव बन्द कर दो। टीकारामजी पालीवाल ने भी कह दिया, घेराव बन्द कर दो। खाद्य मंत्री यहां पर नहीं बोलेंगे। एक केवल मुख्य मंत्री महोदय पर भार डाल दिया गया है। नेता महोदय आप अपना स्वास्थ्य कायम रखो। अक्टूबर का महीना आने वाला है। अक्टूबर के सैशन में अहमदाबाद में क्या होगा ? न मोरारजी कुछ कर सके और न चन्द्र शेखर। आप, श्रीमान्, दिल्ली गये, दिल्ली में क्या तय किया ? आपकी क्या पोलिसी है ? एक लैटर लिख कर आया। एक नोट निकला, आप अपने जिले में भावों का ध्यान रखो। क्या यही पालिसी है ? आप सख्ती से काम करो। जो बातें हुईं, आप पढ़ें तो आनन्द आता है। एक कलेक्टर को कहा तो उन्होंने कह दिया, भाई ! दुःख की बात है, क्या करें। आपने कलेक्टर को कह दिया, ज्यादा सख्ती नहीं हो जाय। ज्यादा सख्ती काम में नहीं लेनी है। मैंने कहा, होर्डर्स को पकड़ते नहीं। खुदा के नाम पर कोई इन्सपेक्टर जाता नहीं है। सब आराम करते हैं ! ऐसा जमाना आया है। कुर्सियां बदलीं है तो बात करने का रवैया भी बदल गया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही है। कुलदीप नैयर ने लिखा है। इनका बड़ा लेखक है .....

श्री उपाध्यक्ष : आप अखबार नहीं पढ़िये ।

श्री मूलचन्द डागा : अखबार नहीं पढ़ रहा हूं । मैंने जनता पार्टी के राज में पढ़ना ही बन्द कर दिया है । यह तो एक अखाड़े बाजी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 20 सूत्री, 25 सूत्री !

श्री मूलचन्द डागा : उसके पीछे तो बरों पर पहुंचता है ....

श्री दाऊदयाल जोशी : 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आयुर्वेद के मंत्री आप बन नहीं सकेंगे । दाऊदयालजी जोशी बोल सकते हैं लेकिन आयुर्वेद के मंत्री आपको नहीं बनायेंगे, यह मुझे मालूम हो गया है ।

यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि भाव किस प्रकार बढ़े हैं । आप आश्चर्य करेंगे अप्रेल में Prices of Tomato had increased from 1/- Re. to 2 rupees आज टमाटर ढाई रुपये किलो मिलता है । Today it is 2.50. ओनियन का भाव प्याज का भाव क्या है, टाइम नहीं है वरना मैं आपको सबके भाव बताना चाहता था । मैं कल मण्डी गया वहां से गेहूं का नमूना लेकर आया । वह मैं सदन की मेज पर रखूं या न रखूं । मेरे साथ दो तीन जवान लड़के थे । उन्होंने सोचा कि कोई इन्सपेक्टर आया है । मैंने पूछा, भाव क्या ? मुझे कहा, अन्दर चलिये । अन्दर पड़ा है । न वहां कोई भावों की सूची थी, न कोई लिस्ट । न कलेक्टर को कोई मानता है । कलेक्टर की मानने की जरूरत नहीं है । जनता पार्टी का राज है । व्यापारी वर्ग का कन्सीडरेशन करना है क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिये हैं । हमारी बहस जब कनक्लूड होगी तो 30 साल का नाम लेकर कह देंगे, यह-यह कदम उठाये । एक छापा मार दिया ? उसका चालान हुआ या नहीं ? चार्ज-शीट पेश हुई या नहीं ? समरी ट्रायल हुई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया ।

श्री मूलचन्द डागा : ये भाव बढ़ेंगे और जनता पार्टी के भाव घट जावेंगे । मुख्य मन्त्रीजी, आपको चुनाव कराने हैं पंचायतों के । म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने का नाम नहीं लेते । मोरारजी भाई कहते हैं, हम भावों पर कड़ी नजर रख रहे हैं । उनसे कोई आशा करने की जरूरत नहीं है । हमें ही अपना निदान ढूंढना होगा और ताकत से निदान ढूंढेंगे ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : मैं केवल दो मिनट कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : और सदस्य कहेंगे । मैं विवश हूं ।

श्री शिवचरण सिंह : महंगाई और घोटाले ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह चाहूंगा कि कम से कम इतना समय मिल जाय ताकि जो मोशन मूव किया हुआ है उस पर निर्णय हो जाय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दो मिनट लेंगे ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, केवल एक बात कहना चाहता हूं । केन्द्र में जनता सरकार बनने के बाद केन्द्रीय सरकार ने पोलिटिकल डिसीजन्स लिये हैं, शक्कर का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, प्याज का एक्सपोर्ट

(श्री शिवचरण सिंह)

नहीं करेंगे, आलू का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यह निर्णय किये गये। लेकिन आप देखो कि यह जिसीजन लेने के बाद भी इन सारी चीजों की कीमतें 20 पर्सेन्ट बढ़ी हैं। शुगर की कीमत 20 पैसा प्रति किलो बढ़ी है। अगर किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी है तो एक मात्र गेहूं हैं। गेहूं का जिस जमाने में राष्ट्रीयकरण हुआ उस जमाने में जो आज उधर बैठे हुए हैं वही राष्ट्रीयकरण की खिलाफत करते थे। लेकिन एक मात्र गेहूं ही ऐसी वस्तु है जिसके भाव राष्ट्रीयकरण के कारण नहीं बढ़े हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत सूक्ष्म में कह रहा हूं।

कीमतें बढ़ने का कारण यह है कि तेलों की यहां से निकासी होती है। यहां से तेल पहले बंगाल जाता है, बंगाल से बांगला देश जाता है और बांगला देश से फिर वह बर्मा में जाता है। क्या कोई कह सकता है कि जो रेपसीड आइल यहां आया वह यहां ही बिका? मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी यह बात कही थी कि जो 2800 टन रेपसीड आइल आया था उसमें से 2500 और 300 टन प्रीमियर वेजीटेबल वालों को मिला जिसके खिलाफ 20 अडल्ट्रेशन के मुकदमे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको दिया हुआ समय खतम हो गया है। आपने कहा था एक मिनट लूंगा और एक मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री शिवचरण सिंह : यह रेपसीड आइल 9 रुपये प्रति किलो राजस्थान में बिका है जब कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने 8 रुपये 40 पैसे से इसकी कीमत फिक्स की और आज वही 7 रुपया 50 पैसा है। आज सरसों का तेल और रेपसीड आइल सारा का सारा बंगला देश जा रहा है। अगर तेल की इस तरह से निकासी नहीं की जाती तो तेल और दालों के भाव मंहगे नहीं होते। आज वह बंगला देश और बर्मा जा रहा है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शिवचरण सिंह : अच्छा हुकम।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव! मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य 3 मिनट ही लेंगे। (व्यवधान) ऐसा है कि इन्होंने काल अटेन्शन मोशन दिया है। समय देने का मुझे नियमों में अधिकार दिया हुआ है। बाकी सदस्यों को भी यदि समय बचता है तो समय दिया जायेगा।

श्री ज्योतिसिंह मकासर : बाकी सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको भी समय दिया जाना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उस समय तो खड़े नहीं हुए।

श्री सुखलाल सेराचा : इधर के अब कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : धैर्य रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीस वर्षों में जिन लोगों ने बराबर मंहगाई बढ़ाई है आज वही लोग मंहगाई से चिन्तित हैं। यह मंहगाई उन्हीं लोगों की गलत नीतियों के कारण बढ़ी .....

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो हम जानते ही थे कि आप यह कहेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह कहना चाहता हूं ....

श्री जयकृष्ण शर्मा : जवाब तो मुख्य मंत्री महोदय दे देंगे । आप तो मंहगाई के बारे में बोलें । कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता । जवाब तो मंत्री महोदय दे देंगे । अगर इनको बोलना है तो मंहगाई के हक में बोलें । अगर मंहगाई के हक में नहीं बोलें तो इस मोशन के हक में बोलें । मंहगाई नहीं है तो मंत्री महोदय अपने आप जवाब दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि यहां प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है । आपने काल अटेन्शन मोशन दिया है इसलिये जो आपके प्रस्ताव की भावना है उसी के बारे में बोलें । काल अटेन्शन मोशन की जो भावना है उसके विरोध में भाषण नहीं दें । समय कम बचा हुआ है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय गिरधारीलाल जी जो बोलना शुरू कर रहे हैं उसके साथ ही माननीय सदस्यगण यह एन्टीसिपेट कर रहे हैं कि वह क्या कहेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को विश्लेषण करने का और अपनी बात को अपने ढंग से कहने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह अपनी बात अपने आप कह देंगे ।

श्री माणकचन्द सुराणा : बात तो यह है, वह आब्जेक्शन नहीं कर सकते कि गिरधारीलाल जी नहीं बोल सकते ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं और खाद्य मंत्रीजी भी बैठे हैं । इस हाउस की परम्परा रही है कि कोई भी मोशन आया है तो उसके हक में कोई भी माननीय सदस्य यदि बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं । उसके विरोध में नहीं बोल सकते । विरोध में बोलना है तो सरकार बोलेगी । हम इस तरह की बात को कभी सहन नहीं करेंगे । हम खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में सुनना चाहते हैं । रिप्लाई देना है तो सरकार देगी । हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते ।

श्री माणकचन्द सुराणा : यहां कोई रिप्लाई देने का सवाल नहीं है ......

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह रिप्लाई दे रहे हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : रिप्लाई नहीं देंगे लेकिन उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, जो एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया गया है उसके ऊपर चर्चा हो रही है तो जो पहले समर्थन में बोलें वही बोल सकेंगे । यदि श्री गिरधारीलालजी भार्गव समझते हैं कि वह भी इस मोशन के पक्ष में हैं और इसके समर्थन में बोलना चाहते हैं तो बोलें । एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ायें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसका रिप्लाई देना है । नियम है कि रिप्लाई के बाद जिन्होंने इस मोशन को मूव किया है वह क्वेश्चन भी कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
उसके लिए तो मुझे आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य ने काल अटेन्शन मोशन मूव किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव जिन्होंने मूव किया है वे उसका समर्थन ही करें। मंहगाई क्यों बढ़ी है उसके कारण इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के विचार में कुछ हो सकते हैं और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के विचार में कुछ दूसरे हो सकते हैं। अगर माननीय सदस्य उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो आपत्ति किस बात की होनी चाहिए ?

श्री मथुरादास माथुर : मंहगाई के कारणों पर आपत्ति नहीं है ....

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया है उसके मोशन के हक में बोलने के लिए समय चाहें तो माननीय गिरधारीलालजी बोल सकते हैं अन्यथा यहां खाद्य मंत्रीजी हैं और मुख्य मंत्रीजी भी है वह जवाब दें। दूसरों से क्यों कहलाते हैं ? खुद ही कह लो जो कुछ भी कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल प्रस्ताव है उस मूल प्रस्ताव पर विचार रखते हुए भाव घटाने के बारे में क्या कदम उठाये जा सकते हैं उस पर बोला जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा है कि 2 घन्टे होते ही यह मोशन अपने आप लेप्स हो जाता है। इसलिए वह बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जवाब आये और वह चाहते हैं कि इसी तरह बोलते जायें और मुख्य मंत्री नहीं बोलें और मोशन लेप्स हो जाये। चीफ मिनिस्टर को बोलना होगा, जवाब देना होगा और अपनी बात कहनी होगी। हमारे सुझावों पर चिन्तन करके कुछ कहना पड़ेगा। इस प्रकार तो 2 घन्टे हो जायेंगे। अब केवल 20 मिनट बाकी रह गये हैं। 2 घन्टे होते ही यह लेप्स हो जायेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे भी मेरी बात कहने का हक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने केवल बदनाम करने के नाते ज्ञापन दिया है और उसमें आम आदमी की जरूरत की चीजों के भाव बढ़ने के आंकड़े दिये हैं। यह ज्ञापन सब जगह भेजा है, सम्पूर्ण राजस्थान में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस में जो कम से कम भाव थे, थोक के भाव थे वे नहीं बताये हैं। जो अधिक भाव दिये हैं, जो बढ़े हुए भाव बताये हैं वे वह है जिस भाव पर गली मोहल्लों में 100-100 ग्राम चीज बेचते हैं। चीजों के जो बढ़े हुए भाव बताये हैं वह केवल जनता पार्टी को बदनाम करने के लिये प्रस्तुत किये हैं ......

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी 21 जून को राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। 21 जून से लेकर अभी क्या समय हुआ है। मेरे पास पिछले पांच साल के आंकड़े मौजूद हैं जिनसे मालूम होगा कि जनता पार्टी के शासन-काल में मंहगाई बढ़ी है या कांग्रेस के लोगों के वक्त में महंगाई बढ़ी है। 1972-73 में गेहूं के भाव थे 115, 125 रु. क्विन्टल, 1973-74 में गेहूं के भाव थे 170-178 रु. क्विन्टल, 1974-75 में गेहूं के भाव थे 140-170 रु. क्विन्टल, 1975-76 में गेहूं के भाव थे 175-185 रु. क्विन्टल और 1976-77 में गेहूं के भाव थे 115-120 रु. क्विन्टल।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
इन तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि कांग्रेस के राज में 1973-74 में जो गेहूं के 178 रु. क्विन्टल भाव थे वे जनता पार्टी के शासन में नहीं बढ़े। इसी प्रकार से मैं आपको जौ के भाव, चने के भाव बताना चाहता हूं। जौ 1972-73 में 155-160 रु. क्विन्टल था, 1973-74 में 165-175 रु. क्विन्टल था, 1974-75 में 245-250 रु. क्विन्टल था, 1975-76 में 170-190 रु. क्विन्टल था, 1976-77 में 200-205 रु. क्विन्टल था। इन आंकड़ों के आधार पर निवेदन करना है कि 1973-74 में 265 और 275 रु. क्विन्टल का भाव जौ का था। इससे साफ है कि जनता पार्टी के शासन में नहीं, कांग्रेस के शासन में भाव बढ़े हैं!

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन की यह परम्परा रही है। आपने मुझे अनुमति दी है .....

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसके लिये समय नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन आंकड़ों के आधार पर ......

एक माननीय सदस्य : आप तो मुख्य मंत्री का काम करने लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भार्गव साहब, आपसे निवेदन करूंगा, आप अनुशासन को मानने वाले हैं। आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता पार्टी के शासन में नहीं, कांग्रेस के शासन में उनकी भ्रष्ट नीतियों के आधार पर चीजों के भाव बढ़े हैं। लेकिन इन्होंने जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कह दिया है, आप कृपया बिराजिये। भार्गव साहब, अगर आप इस तरह से बोलना जारी रखेंगे तो मुझे विवश होना पड़ेगा। आप बिराजिये।

(व्यवधान)

मैं किसी को बोलने का समय नहीं दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल इस बात का है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा डिस्क्रिशन है किसी भी सदस्य को चांस दूं अथवा न दूं। इस पर बोलने के लिये अब माननीय मुख्य मंत्री के अलावा किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी पार्टी के विचार रखने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : हर सदस्य को विचार रखने का अधिकार है। मुझे भी अधिकार है कि सदन की कार्यवाही का किस तरह से संचालन करूं, किसको बोलने का अवसर दूं।

Page No 56

(56)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी आसन से प्रार्थना है, मैं चाहूंगा ......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। मैंने जो आज्ञा दी है उसका पालन कीजिये। मैं गलती पर भी हो सकता हूं। मैंने एक बार कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : रूल 306 की ओर आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंहजी आसन खड़ा हुआ है। आप विराजिये। माणकजी, आप भी विराजिये।

क्या आप चाहते हैं कि शासन की तरफ से रिप्लाई न हो, एडजोर्नमेंट मोशन उसी तरह से लेप्स हो जाये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं यह चाहता हूं, इसके ऊपर पूरी चर्चा हो ताकि चर्चा का लाभ हमको भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा समय बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : ऐसा महत्वपूर्ण मसला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सुनिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : रूल 306 के तहत, श्रीमान्, सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : हम समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। रूल 306 में जब डिबेट शुरू हुई थी उस वक्त समय बढ़ाते, हमको पांच-पांच और तीन-तीन मिनट दिये। अब एक पार्टी को ज्यादा समय किस नियत से दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इस मंहगाई के बढ़ने के अन्दर कांग्रेस का हाथ है। उनके किये हुये पाप हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। कुछ कहने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 30 साल के कांग्रेस के पापों का फल है जिसकी वजह से भाव डाउन नहीं आते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं किया जाय।

× × ×

एक माननीय सदस्य : आप मुझे तीन मिनट की सीमा में क्यों बांधना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सुनने का मौका नहीं देंगे। आप विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आर ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

× × × उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रतनलाल वर्मा : आप बोल चुके हैं, एक बार बोल चुके हैं। दुबारा नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ आप सात-सात सदस्य बोल रहे हैं। आप विराजिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या यह विरोधी पक्ष की परम्परा है ?

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चुनौती के साथ कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर। ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है।

(व्यवधान)

आप विराजिये। जो मुख्य सचेतक हैं वे मेम्बरों को गाइड नहीं कर सकेंगे तो कार्यवाही चलाने में मुश्किल होगी.....

श्री मूलचन्द डागा : Very good.

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है। अब इस पर कोई डिबेट नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हमारा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं किया जाय।

× × ×

माननीय सदस्य मुझे सुनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।

सदन की कार्यवाही आगामी 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 2.28 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित की गई)

विधान सभा की बैठक पुनः म.प. 2.45 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री राम चन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

वाद-विवाद का समापन

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया एव कार्य संचालन नियमों के नियम 56 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, प्रस्तुत करने के बाद आपने यह व्यवस्था दी थी कि इस डिबेट को दो घंटे में समाप्त करना है। दो घंटे की अवधि में 15 मिनट का समय आपने मुझे दिया था और 15 मिनट मुख्य मंत्री को दिए डिबेट का उत्तर देने के लिए। जब 2 बजकर 8 मिनट हुए थे, उस वक्त

× × × उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)
आपने मुख्य मंत्री को काल किया था, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई वहस का उत्तर देने के लिए, जो ग्राम जनता से, जनहित से सम्बन्धित था। आपने काल किया, मुख्य मंत्रीजी को और उन्होंने हाथ का इशारा किया खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी की ओर कि आप बोलिए। उस समय तो कोई खड़े हुए नहीं और कई माननीय सदस्य व्यवधान करते रहे। हम लोग राज्य सरकार का इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर उत्तर सुनना चाहते थे। जैसा कि मुख्य मंत्री स्वयं कह रहे थे कि हम निश्चित तौर पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलने से सदन यह नहीं जान सका कि राज्य सरकार बढ़ती हुई आवश्यक चीजों के भाव को रोकने के लिये क्या कारगर कदम उठा रही है। राजस्थान की जो त्रस्त जनता है, वह आस लगाए बैठी थी कि इस अहम् मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार प्रभावशाली, कारगर कदम उठायेगी और बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिये कोई असरदार कार्यवाही सरकार करेगी। परन्तु इस पर डिवेट के लिये जो समय निर्धारित किया गया था, वह टर्मिनेट हो गया। इससे लगता है कि राज्य की जनता सरकार इन मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। उसके साथ इनकी कनायवेन्स लगती है। मेरी पार्टी इस बात का घोर विरोध करती है। जो इस तरह का रवैया सरकार द्वारा अख्तियार किया गया है, वह अनौचित्यपूर्ण है इसलिए मैं अपनी पार्टी के साथ इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो महंगाई है......

(व्यवधान)

सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार की छोटे-मोटे और बड़े सरमायेदारों, होर्डर्स, और ब्लेकमार्केटियर्स के साथ सांठ-गांठ है....

(व्यवधान)

इसलिए मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, हम सुनना चाहते थे कि जो महंगाई है उसको यह सरकार कैसे रोकना चाहती है।

(व्यवधान)

ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है और समय बरबाद कर रही है। जो शोषण करने वाले हैं, यह सरकार उनकी मदद करती है इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जनता पार्टी पर कुछ आरोप लगाए और आरोप लगाकर वे बहिर्गमन कर गए। मैंने जैसा पहले निवेदन किया था, हम स्वयं इस प्रश्न पर चर्चा करने को उत्सुक हैं और सरकार महंगाई रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, वह सब बात सदन में बताने का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने आया। स्थगन प्रस्ताव के जो नियम हैं, उनमें वाद-विवाद का समय निर्धारित है। इस स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए दो घंटे की सीमा निर्धारित की गई। समय के बटवारे के लिये आपने व्यवस्था दी थी और 15 मिनट उत्तर देने के लिए सरकारी पक्ष को दिये गये थे। लेकिन जिस समय आपने श्री गिरधारीलाल जी को बोलने के लिए अनुमति दी, उस समय बहुत कम समय रह गया था। विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य, जो कई घटकों के नेता और सदस्य हैं, ने इस पर विचार प्रकट किये। मैंने यह उचित समझा कि रूल्स में रिलेक्सेशन करके समय को और बढ़ा दिया जाये ताकि जो माननीय सदस्य मंहगाई पर विचार प्रकट करना चाहते हैं, वह अपने विचार प्रकट कर सकें। लेकिन विरोधी पक्ष ने इस बात का विरोध किया। वह विरोध इसलिए करना चाहते थे, उनका यह आरोप था कि सत्ता पक्ष और जनता पार्टी की व्यापारियों से सांठगाठ है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यापारियों से सांठ-गांठ विरोधी पक्ष की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाया गया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देकर कहता हूं कि अब तक 374 छापे व्यापारियों पर डाले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ इण्ट्रप्ट करूं। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि एडजोर्नमेण्ट मोशन होता है, इस पर वाद-विवाद के रिप्लाई का राइट नहीं होता लेकिन जब तक कि किसी नियम के अन्तर्गत न हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। जो वह जाते जाते कह गये थे उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आरोप लगाये गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं कि वह यह कह रहे थे, व्यापारियों से सरकार की सांठगांठ है। वह खाद्य मंत्री भी रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि तीन महीने में 374 छापे मारे गये और 94 चालान हुए। बाकी मुकदमों में अनुसन्धान हो रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि भ्रम नहीं पैदा हो जाये। विरोधी पक्ष की बेंचें खाली हैं इसलिए ज्यादा कहने का मौका नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारियों से कौन मिले हुये हैं। मुझे दुःख है कि मंहगाई की चर्चा हुई लेकिन सरकार को मौका नहीं मिला अपने पक्ष को रखने का। उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष केवल राजनैतिक हवा बनाने के लिए यह सब कर रहा है। हम मंहगाई रोकने के लिए चिन्तित हैं। उसके लिए हम कारगर कदम उठाना चाहते हैं। कुछ चीजों में मंहगाई बढ़ रही है उनको नियन्त्रण में लाये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या वास्तव में आप मंहगाई महसूस नहीं करते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर प्रदर्शन हुआ। नाथूराम जी मिर्धा के नेतृत्व में 500 आदमी भी नहीं थे। जनता में विरोधी पक्ष की भावनाओं का कितना आदर है, यह इससे पता चल गया है। इसलिए मैं ज्यादा न कह कर परसरामजी ने जो आरोप लगाये हैं, एक माननीय सदस्य

Page No 60

(60)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो करौली से आये हैं, भी जाते-जाते कह गये हैं। उनको पीठ पीछे मैं विश्लेषण करना नहीं चाहता हूं लेकिन विरोधी पक्ष की व्यापारियों से कितनी सांठ गांठ है, वह प्रकट हो जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहस का समय नहीं है।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार से वन साइडेड पिक्चर जनता के सामने लाना चाहते हैं। मैं रूल 290 के अन्तर्गत एक स्टेटमेण्ट देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रूल 290 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले मैं श्री सम्पतराम जी से निवेदन करूंगा कि वह समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1977-78 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

"इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 232(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1977-78 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

"इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1977-78 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री सम्पतराम जी ने जो प्रस्ताव जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति, 1977-78 के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, वह स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

नियम 290 के अन्तर्गत मन्त्री का वक्तव्य

दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्यों मे निरन्तर वृद्धि

नियम 290 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम 290 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत माननीय मंत्री,

Page No 61

(61)

(श्री उपाध्यक्ष)
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग देना चाहते हैं, उसके लिए मैं अनुमति देता हूं।

श्री आदित्येन्द्र (मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी इस स्थिति से कम चिन्तित नहीं हूं। बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति यह है कि सारे देश में दैनिक जीवन के काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं के भावों में वृद्धि हुई है। उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़े बिना नहीं रह सकता है। यह ऐसा विषय नहीं है कि भारत सरकार या राज्य सरकार एक ही दिन में इस समस्या का समाधान कर सके। राज्य सरकार द्वारा किये हुए प्रयत्नों की जानकारी माननीय सदस्यों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

खाद्य तेलों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए आयातित सफेद सरसों का तेल 9 रु. प्रति किलो के भाव से जन साधारण को उपलब्ध किया जा रहा था। परन्तु अब राज्य सरकार 7.50 रु. प्रति किलो की दर से राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से सहकारी समितियों व उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण करवा रही है। प्रति राशन कार्ड चार किलो तेल प्रति माह दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा तेलों के बढ़ते हुए भावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से 1100 टन पूर्व में प्राप्त तेल के अतिरिक्त 3900 टन आयातित सफेद सरसों के तेल का और आवण्टन प्राप्त कर लिया है। उचित मूल्य की दुकानों द्वारा मूंगफली का आयातित तेल भी 8.50 रु. प्रति किलो की दर से सारे राजस्थान में वितरण करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को 3000 टन तेल की मांग भेज दी गई है जिसकी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि इस तेल को एस.टी.सी. स्वयं मंगवा रही है।

राजस्थान में काश्तकारों द्वारा सरसों, मूंगफली एवं तिल्ली पैदा करने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी हो रही है जब कि मांग जनसंख्या के बढ़ने से एवं खाने की आदतों में परिवर्तन आने से बढ़ती जा रही है और उधर उत्पादन क्रमशः कम होता जा रहा है।

व्यवस्था का प्रश्न
नियम 290 के अन्तर्गत दिया गया वक्तव्य

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हो रहा हो तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री शिवचरण सिंह : यह रूल्स आफ बिजनेस में शामिल नहीं है इसलिए जो स्टेटमेंट अब तक हुआ है वह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह रूल्स आफ बिजनैस के खिलाफ है। आपने एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर कार्यवाही स्थगित कर दी थी इसलिए उसके बाद जो स्टेटमेंट हुआ है वह नियमों के विपरीत है। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, मैं इस बारे में आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि जो सदन की कार्यवाही

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
इस समय चल रही है क्या वह नियमों के तहत चल रही है ? यह नियमों के अन्दर साफ लिखा हुआ है कि अजेन्डा में जो बिजनैस दिया जायगा, वह सेक्रेटरी बनाकर देंगे और आपको सबमिट करेंगे । आपने एड-जोर्नमेंट मोशन पर कार्यवाही क्लोज कर दी थी । उसके बाद में नया बिजनैस लिया जाना चाहिए और उसको रोक देना चाहिए । इसलिए जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वह नियमों के विपरीत है । श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह स्टेटमेंट सदन के नियमों के विपरीत हुआ है इसलिये जो अब तक स्टेटमेंट हुआ है उसको एक्पन्ज किया जाना चाहिए और आगे इसको रोक दिया जाना चाहिये । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए, उसके बाद कार्यवाही आगे चलनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम हैं उसके नियम 290 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मंत्री महोदय द्वारा पब्लिक इम्पोर्टेन्स के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से स्टेटमेंट दिया जा सकता है । इस नियम के अन्तर्गत जो अधिकार है, उसका प्रयोग करते हुए मंत्री महोदय को स्वीकृति दी गई है ।

(व्यवधान)

आपने जो आपत्ति उठाई है उसमें कोई सार नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, नियम 290 में यह है कि लोकमहत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, अब प्रश्न यह है कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि पहले से उठाया गया हो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो जानकारी दी उसके आधार पर मैंने व्यवस्था दे दी है मंत्री महोदय जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वह देने के लिये अधिकृत है ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने किन नियमों के तहत अलाउ किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : नियम 290 । मैं मानता हूं यह आसन का अधिकार है । कृपया कार्यवाही को आगे चलने दीजिये ।

दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि

श्री आदित्येन्द्र : राज्य सरकार ने इसीलिये बजट में व्यापारी फसलों पर से विशेष कर हटा लिया है । इससे काश्तकारों को व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरणा मिलेगी ।

जहां तक दालों का प्रश्न है यह विदित है ही कि दालों की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है जिससे भी मूल्य में वृद्धि हो रही है, यद्यपि राजस्थान में गत दो वर्षों में दालों का उत्पादन बढ़ा है । क्रमशः 1975-76 में 544101 टन तथा 1976-77 में 602038 टन रहा है । किन्तु राष्ट्रीय नीति के अनुसार सारे देश में दालों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होने से भी यहां मूल्य वृद्धि हुई है ।

(श्री आदित्येन्द्र)

राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं व माइलो उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होने के कारण इन दुकानों से गेहूं का उठाव कम है। जनवरी से अब तक विभिन्न जिलों को 1,60,000 टन गेहूं आवंटन किया गया है एवं 45,103 टन गेहूं ही उठाया जा सका है क्योंकि गेहूं के बाजार भाव भी लगभग 136 रुपये के आस-पास ही हैं। इसी अवधि में 96,500 टन माइलो आवंटित किया गया था उसमें से केवल 9,600 टन माइलो ही उठाया जा सका है। इससे यह स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की वितरण-व्यवस्था संतोषजनक है।

राजस्थान में कुल उचित मूल्य की दुकानें 8,934 हैं जिनमें से 1,624 दुकानें शहरी क्षेत्र में 7,310 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं। इसके माध्यम से सारे राजस्थान में गेहूं, माइलो, चीनी, कपड़ा व जहां आवश्यकता है वहां आयातित सफेद सरसों के तेल का वितरण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य के दुकानदार अपनी स्वेच्छा से अन्य चीजें जैसे सब्जियां, साबुन, मिर्च-मसाले, वनस्पति घी, आटा, गुड़, चाय इत्यादि भी बेच सकते हैं।

जयपुर नगर में खुली चाय का वितरण भी पन्द्रह सहकारी समितियों एवं 17 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 16-9-77 से प्रारम्भ कर दिया गया है। यह चाय नेफेड दिल्ली से प्राप्त की जा रही है। भारत सरकार को यह भी निवेदन किया गया है कि जयपुर के लिए प्रयोग के रूप में 10 ट्रक आलू व 10 ट्रक प्याज शीघ्र उपलब्ध करवाये जायं। यहां के लिए उपलब्ध हो जाने के पश्चात्, यदि और अधिक मात्रा में आलू व प्याज कम कीमत पर भारत सरकार से प्राप्त होती हैं तो अन्य स्थानों पर भी वितरण कराये जाने हेतु विचार किया जावेगा।

व्यापारियों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को अपने जिले के लिए उत्तरदायी कर दिया गया है। गत माह जुलाई में राज्य सरकार ने जमाखोरों व काला बाजारी करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया था जिसके फलस्वरूप 16,84,957 रु. का माल जब्त किया गया था एवं 99 मुकदमे बनाये गये थे। आगे भी इस प्रकार के आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कारगर कदम उठाये जावेंगे एवं दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। इनकी रोक-थाम के लिए मुख्यावास पर भी उड़न दस्तों का गठन किया जा रहा है।

मेरी यह मान्यता है कि मूल्य वृद्धि को रोकने एवं कम करने तथा खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सदन के सभी माननीय सदस्य राजनैतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर इस जटिल समस्या के समाधान हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : क्या आप दाल व तेल की निकासी बंद करेंगे? दाल व तेल इस समय बाहर जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट के बाद पूछ सकते हैं। "No question shall be asked at the time the statement is made."

श्री शिवचरण सिंह : क्या सरसों का तेल और दालों की निकासी को खाद्य मंत्री रोकने का प्रयास करेंगे?

श्री सम्पतराम : जिस धारा के अन्तर्गत आपने मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देना अलाउ किया है उसमें है : "लोक महत्व" के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य उन्होंने दे दिया है, उसके बाद.........

श्री शिवचरण सिंह : उसके बाद आप उचित नहीं समझते कि तेल और दाल की निकासी के लिए भारत सरकार को प्रार्थना करें कि अरहर की दाल और सरसों का तेल राजस्थान में सरप्लस है, उसको रोका जाय ? भारत सरकार से मांग की या नहीं ? बता दीजिए ।

श्री आदित्येन्द्र : अभी तक तो इस संबंध में कोई मांग नहीं की गई है, परन्तु यदि इस प्रकार की समस्या चलती रहती है तो भारत सरकार से इस संबंध में मांग भी की जाएगी ।

श्री शिवचरण सिंह : आपको मालूम है कि अरहर की दाल 130 रु. क्विन्टल में..

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री शिवचरण सिंह : उनको चलाकर आपने छूट दी । उसका नतीजा यह निकला कि 15 रु. प्रति किलो सरसों का तेल बिकने लग गया। सरसों का तेल भरतपुर से बाहर जा रहा है । इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है और यहां की जनता को भूखा मारेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि यह प्रश्न नहीं है.......

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : भरतपुर की सारी तेल मिलें करोड़ों रुपये का तेल बना चुकी हैं, सब बाहर जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट आइटम है । अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान ।

श्री शिवचरण सिंह : मेरी बात का उत्तर आने दीजिए । मेरा व्यक्तिगत कोई प्रश्न नहीं है । तेल, दाल मैं अकेला नहीं खाता, सारी जनता खाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछ लिया है, उसका उत्तर दिया है ।

श्री शिवचरण सिंह : भारत सरकार से निकासी बंद करने के लिए कहेंगे या नहीं ? मैं केवल दो चीजों, दाल व तेल के लिए कह रहा हूं । इसके लिए कार्यवाही की है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? आप भारत सरकार से बात करेंगे या नहीं ?

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय ने हिंदी में कहा और आसन ने अंग्रेजी में, मैं नहीं समझा । इसमें ठीक लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने परमिशन दे दी ।

श्री अब्दुल अजीज : इसके बाद डिस्कशन हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो उत्तर दिया वह शायद आपने सुना नहीं ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मैं सदन के सामने कहता हूं कि सरसों का तेल 20 रु. प्रति किलो बिकेगा, अरहर की कीमत 500) रु. प्रति क्विन्टल हो जाएगी। कहने के बाद भी आप निकासी बंद नहीं करेंगे......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

(व्यवधान)

आवेश में न आयें।

श्री शिवचरण सिंह : तेल और दाल की व्यवस्था नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनका मुझे जवाब देने दीजिए।

श्री शिवचरण सिंह : मैं जवाब ही मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। जो जानकारी आपने चाही है उसका मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया।

श्री शिवचरण सिंह : उन्होंने कहा, नीति है कि भविष्य में निकासी रहेगी। अगर तेल व दाल की निकासी रहेगी तो ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास जो कार्य सूची है.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। आपके पास में ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा डिस्क्रिशन है कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर पर्मिशन ......

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब मंत्री महोदय का वक्तव्य आया तो उसके बाद में स्वाभाविक सवाल पैदा होते हैं। यह नीति संबंधी सवाल है। राजस्थान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका राजस्थान के बाहर जाने से अगर हमारे भावों में उतार चढ़ाव होता है, महंगाई बढ़ती है, तो राज्य सरकार सामूहिक तौर से चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, इनको बाहर न जाने देकर महंगाई रोक सकती है। जो चीजें राजस्थान से बाहर जा रही हैं उनको बाहर जाने से रोकने से वे सस्ती होती हैं तो जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए, यह जन हित में है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहता हूं कि जो आपके पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के फूड इन्सपेक्टर्स हैं, उन्होंने आजकल सेम्पल्स लेना क्यों बंद कर दिया ? आज सरसों के तेल में मिलावट करके, उसमें रेपसीड ऑइल मिलाकर उसे सरसों के तेल के नाम पर बेचा जा रहा है तो क्या सेम्पल्स लेने की प्रक्रिया को फिर से सरकार आरम्भ करना चाहती है ? आजकल सेम्पल्स नहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
लिए जा रहे हैं, एन्टी-ग्रडल्ट्रेशन का काम रुका हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित मांग पर आप कटौती प्रस्ताव दें उस समय आप बोलें ।

श्री शिवचरण सिंह : महंगाई रोकना...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसका जवाब देने की इजाजत नहीं दूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शिवचरण सिंह : मेरा छोटा सा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न कभी छोटा नहीं होता ।

श्री शिवचरण सिंह : यह रेपसीड ऑइल.....

श्री रतनलाल वर्मा : शाम को इन लोगों में से कोई नहीं रहता है। हम रात को 11 बजे तक बैठते हैं। जब सरकार का जवाब होता है तब ये सब चले जायेंगे, कोई नहीं बैठेगा। इस वक्त ये सदन का समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

रात को इनकी सीटें खाली रहती हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : भले आदमी रात के दस बजे बाद बाहर नहीं रहते, घर चले जाते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा में हमेशा तालाबंदी रही और यहां पर हमेशा निर्णय लेने में देरी होती रही है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार सक्षम है तो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को आज ही अपने हाथ में लेने की घोषणा करे और कल सुबह ही तालाबंदी हटाकर मजदूरों को काम पर लगाया जाए । अगर ऐसा काम नहीं किया गया तो मैं समझूंगा कि यह सरकार वहां होने वाले जितने झगड़े हैं उनमें शामिल है । नहीं तो उस मिल को अपने कब्जे में लेकर चालू किया जाए और जितना तुरंत हो सके मजदूरों को फायदा पहुंचाया जाय । मैं सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद, महीना भर हो गया, फिर भी इस संबंध में सरकार ने कुछ नहीं किया है इसलिए मेरे दिल को ठेस पहुंची है । सरकार को मजबूती से यह कदम उठाकर मिल को अपने हाथ में लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न कौन से नियम के तहत उठाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । मैं खुद समुचित उत्तर दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने को कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : उनके पास सूचना आ चुकी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज वक्तव्य होना चाहिए ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : श्रम मंत्री ने इस मिल के बारे में वक्तव्य देने की बात कही थी, वह कब [illegible] वाले हैं ?

Page No 67

(67)

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : मैं इसके बारे में कल स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार इस मिल को हाथ में लेकर उसको मजदूरों को दे दे और कल ही उस मिल को चालू किया जाय।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। सरकार के पास जो प्रस्ताव आया है उस पर जवाब देगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हिंसा का वातावरण बना हुआ है फिर भी राज्य सरकार टालमटोल कर रही है। मंत्रीजी पूरी तरह से कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि मिल को सरकार कल चालू करे और इसको मजदूरों को दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। शान्त रहिये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी जब मजदूरों की हिमायती है तो सरकार को उस मिल को अपने हाथ में लेने में क्या आपत्ति है ? सरकार उस मिल को मजदूरों को क्यों नहीं दे देती ? सरकार इस बारे में क्यों उदासीन है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शंकरलाल जी, बिराजिये। आप इस पर ज्यादा विवेचन मत कीजिये। आप बिराजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार मिल को हाथ में क्यों नहीं ले लेती है ? क्यों नहीं उसकी तालाबन्दी खुलवा कर मजदूरों को दे देती है ? मैं तो कहूंगा कि कल ही उस मिल को चालू कराया जाय। मंत्रीजी, मुझे इस बात के लिये दोषी ठहराया जा रहा है कि मैं इसका दोषी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। बार-बार एक बात को क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार मजदूरों की मदद की करना चाहती है तो क्यों नहीं उस मिल हाथ में लेकर मजदूरों को दे देती है ? आज मुझ पर यह चार्ज लगाया जा रहा है कि ढाबरिया मिल वालों से मिला हुआ है। मुझ पर यह कलंक लगाया जा रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के हित में वह मिल अपने हाथ में लेकर चालू करे। इसका कुछ न कुछ समाधान तो निकाला जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप मेरे को व्यवस्था रखने के लिये सहयोग दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको इसकी जांच तो करानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। ढाबरिया साहब, आपकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में कल स्टेटमेंट देंगे। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जानकारी अविलंब प्राप्त करके वांछित सूचना कल सदन में माननीय सदस्यों को दें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है उस पर भी विचार करना है इसलिए सभी सदस्यगण इस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री सुरेशकुमार।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ महीने से मजदूरों की हड़ताल चल रही है। मजदूर लोग परेशान हैं। मेरा निवेदन है कि आज ही सरकार सदन में घोषणा करे कि कल वह मिल चालू की जायगी और सरकार उस मिल को हाथ में लेकर मजदूरों को दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वह मिल इतने अर्से से बन्द पड़ी है, ताला-बन्दी हुई है। इस प्रश्न पर मंत्रीजी को तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

श्री सुरेशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर की बाढ़ का पानी हरियाणा से आ रहा है उसकी रिपोर्ट मंगाने के लिये आपने आदेश दिये थे। जो मेरे पास सूचना थी उसके अनुसार तीन हजार क्यूसेक पानी आ रहा था। आज एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से मुझे सूचना मिली है कि वह पानी तीन हजार से बढ़कर चार हजार क्यूसेक हो गया है। इस के बारे में सरकार से रिपोर्ट आई या नहीं, यह मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ गुप्त : वहां पर भयंकर स्थिति हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मैं स्वयं आपकी इस समस्या से चिन्तित हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर वहां पर हालत चिन्ताजनक है तो आपको अपने क्षेत्र में जाकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिये।

श्री काशीनाथ गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कल ही वहां से आया हूं। मैं तो आपको जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजियें। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

मांग संख्या 19 (सार्वजनिक निर्माण) व 21 (सड़कें व पुल) की प्रस्तुती

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 सार्वजनिक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,10,77,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके साथ ही एक डिमान्ड और है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़कें और पुल के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,94,26,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 19 व 21 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के व्यापारियों द्वारा धनराशि जमा करा देने के बावजूद भी गुलाबी रंग न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा हिन्द होटल वाले भवन की खरीद किये जाने में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामनिवास बाग और नगर के अन्य सार्वजनिक पार्कों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला खण्ड जयपुर को ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत नवरंगपुरा से पालरी वाया भालोद तथा मनोहरपुर से नवरंगपुरा तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये जाने से जनता को हो रही भयंकर तकलीफ पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगानेर हवाई अड्डे पर जम्बो ज़ेट विमान उतरने की क्षमता वाली हवाई पट्टी न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

7. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिविजन की सड़कों की दुर्दशा को सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिविजन में सड़कों की दुर्दशा पर तथा कोटा में चम्बल पर पुल निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

9. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के माध्यम से करवाये जाने वाले लोक निर्माण कार्यों पर बरती जाने वाली विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

11. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग द्वारा पर्याप्त प्रावधान करने के उपरान्त भी बाड़मेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेण्टर, गूंगा, रामसर, बायतू आदि के भवनों की मरम्मत एवं सुधार करने में विभागीय उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले की निम्नलिखित ग्रेवल सड़कों को टार रोड में परिणित करने में ढिलाई बरतने के विषय पर चर्चा के लिये (1) कवास से बटाड, (2) जालिया से हरसोली वाया बैसाली, (3) बायतू से फलसूंड वाया कानोड]।

13. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की महत्वपूर्ण सड़क जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा एवं सिणधरी पर पुलों के निर्माण की स्वीकृति में विभाग द्वारा उदासीन नीति अपनाने के कारण जिले की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

14. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सार्वजनिक कार्यों हेतु विभाग द्वारा बजट प्रावधान करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सड़कें एवं पुलियाओं की मरम्मत एवं नये पुल निर्माण में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यूनतम कार्यक्रम एवं डेयरी विकास हेतु पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र, सांचोर में सड़कों की मरम्मत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणों पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली से खैरवा तक की सड़कें व पुल न बनाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला पाली में बांडी नदी पर पुल की अत्यन्त आवश्यकता होते हुए भी पुल न बनने से आवागमन में तकलीफ होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द डागा)

21. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय जो सड़कें पाली तहसील में बनी हैं, उन्हें पूरी कराई जावें, इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उप-खण्ड की टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत के बारे में चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाणगंगा पर पुल का निर्माण न होने से होने वाली असुविधा के बारे में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला पाली में अकाल में बनी सड़कों पर डामर बिछाने हेतु चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली निर्वाचन क्षेत्र में पाली से माण्डावास तक पक्की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

6. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा को सुधारने में विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में चम्बल व पार्वती पुल के निर्माण में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

29. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय भवनों के संधारण कार्य विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में सड़कों की मरम्मत व नयी सड़कों के निर्माण न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) :

30. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत की गई एवं जो सड़कें निर्माण कार्य बीच में रोक देने से अधूरी पड़ी हैं उन सड़कों को पूरा करने में विभाग द्वारा शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

31. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायचौधरी (मण्डावा) :

32. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधूरी सड़कों को पूरा कराने तथा काटली नदी पर पुल निर्माण में केवल विभाग की शिथिलता के कारण हो रही देरी पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन) :

33. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की सड़कों की खराब स्थिति सुधारने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

34. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाये जायें तथा जहां-जहां होस्पिटल तथा स्कूल की इमारतें अधूरी पड़ी हों उन्हें पूरी करने बाबत विभाग द्वारा योजना बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंजूरशुदा जितनी भी सड़कें तथा पुल अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कराने और जिन-जिन सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं उन्हें ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (मानपुरा से जलोन्द्री, बडल्यास से त्रिवेणी वाया सोंगोली, जोजवा तथा त्रिवेणी से जहाजपुर वाया काकोला मंजूरी होते हुये भी सड़कें नहीं बनी हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

37. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूंकि धौलपुर क्षेत्र की विभाग द्वारा सड़कों आदि के मामले में उपेक्षा की जा रही है इस पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूंकि धौलपुर में सड़क व पुल निर्माण में उपेक्षा की जा रही है अतः चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर से सरानीखेड़ा रोड न बनने पर लोगों की मृत्यु हुई, इस पर चर्चा में लिये)।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

40. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतभाटा में नये बाजार की योजना को क्रियान्वित करने में विभाग द्वारा शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण अंचल में सड़कों के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के रूप में बनाई गई सड़कों को भी प्राथमिकता के रूप में पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

Page No 73

(73)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

43. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र में सड़क निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं कर क्षेत्र के गांवों को जोड़ने के आधार पर कराये जाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

44. श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

45. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में सड़कों की नई व्यवस्था न होने तथा नालों पर पुल न होने से उत्पन्न परेशानी के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

47. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें व नालों एवं नदियों पर पुल बनाये जाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े-बड़े भवनों के निर्माण में पूरा मसाला न लगाने और ठेकेदारों से प्रतिशत लेने से हुई गड़बड़ियां पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें एवं नदियों पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत हैडक्वाटर को सड़क से लिंक किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथराम (बागीदोरा) :

51. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में सार्वजनिक निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री बाऊदयाल जोशी (दोगोद) :

52. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर-भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत तीन वर्ष से कुनाड़ी का पुल टूटा हुआ है यह पुल बम्बई-दिल्ली मार्ग का मुख्य भाग ऐसे तीन पुलों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बरसात के के कारण कोटा-जयपुर मार्ग करीब-करीब क्षतिग्रस्त हो चुका है, अतः इस मार्ग को

Page No 74

(74)

(श्री बाऊरलाल जोशी)
शीघ्र ठीक करवाया जावे एवं चौड़ा किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :
55. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र में डाक बंगला व अन्य अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र की सड़कों व पुलों की हालत दयनीय होने एवं बधाल सड़क एवं चौमू चन्दवाजी की अधूरी पड़ी सड़कों का कार्य पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :
57. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा निर्माण कार्य का असंतुलित बजट बनाने एवं विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कें एवं पुलियाओं के निर्माण में सरकार की उदासीन गति एवं नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :
59. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर से सीकर सड़क को पक्की बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ से कुचोल सड़क के मध्य रामनेर ढाणी के पास जो कई वर्षों से पुल टूटा हुआ है उसे बनाने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र किशनगढ़ के हरमाड़ा से सुरसुरा सड़क पक्की न बनाये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ के डीडवाड़ा से भामोलाव तक जो सड़क है उसे तुरन्त पक्की करने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलेमाबाद से करकेड़ी सड़क के पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने पर चर्चा के लिये)।

श्री मगनलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

66. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भवन, सड़कों की अव्यवस्था को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर संभाग में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री हनवन्तसिंह (पाली):

68. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों आदि के मामले में की जाने वाली पाली क्षेत्र की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली पूरे विधान सभा क्षेत्र में सड़क व पुल निर्माण के संबंध में की गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री शोतमल जैन (अलवर) :

70. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में चल रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण के सम्बन्ध में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री माणक लाल ठाकोरे (नैनवा) :

72. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजकीय भवन के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण हेतु कोई व्यापक योजनाएं नहीं बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में सड़कें और पुल का अभाव है एवं धन का दुरुपयोग किया गया है, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री रतीलाल मीणा (टोडाभीम) :

74. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय जीवन में सड़कों का महत्व और वर्तमान दशा सुधारने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

75. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कें और पुल बनाने के कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं एवं झूठे टी.ए. बिल्स आदि पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व गबन तथा चोरी के मामलों पर चर्चा के लिये)।

श्री हरचन्द सिंह (रोलीबैगा):

77. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत मांग में से

(श्री हरचन्द सिंह)
100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में निर्मित सड़कों में किये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

78. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा द्वारा निर्माण कार्यों में बरती गई धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल) का 12 वर्ष से उच्चतर वेतन में फिक्सेशन न करने के प्रसंग पर चर्चा के लिये]।

80. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा, ढिकोला, हमीरगढ़ राश्मी, भीलवाड़ा-मंगरोप-हमीरगढ़ सड़कों की दयनीय दशा से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा-सांगानेर-ढिकोला मार्ग, सांगानेर के पास अवरुद्ध पड़ा है, उससे उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा के हमीरगढ़ से जिला चित्तौड़गढ़ के राश्मी ग्राम तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

83. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण व्यय एवं प्रशासनिक व्यय में असन्तुलन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सड़कें व पुलों की दृष्टि से घोर उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

85. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार से आवश्यकता-मूलक प्राथमिकताओं के निर्माण कार्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की निरीक्षण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय दुकानों व भवनों का नये सिरे से मूल्यांकन व किराया निश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

87. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 77

(77)

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

रुपया कम कर दिया जाय (जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के बाहर पानी के बहाव के लिये बनी नालियों के गलत तरीके से बनी हुई होने के कारण ग्राउन्ड फ्लोर में गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है उससे उत्पन्न कठिनाई का निराकरण करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुष्कर क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा तथा टूटी पुलियाओं के कारण आवागमन के रास्तों का बन्द होना, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

89. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से या विभागीय आधार पर सम्पन्न निर्माण कार्यों की गुणपरकता (क्वालिटी) व व्यय सम्बन्धी ब्यौरों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच करवाने की स्थाई व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

90. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त घटिया किस्म की सामग्री के फलस्वरूप सड़कों के शीघ्र खराब हो जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जेल एवं महात्मा गान्धी आरोग्य सदन, भीलवाड़ा में हुए निर्माण कार्यों को न निपटाने बाबत चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सतखण्डा से निम्बाहेड़ा तक 1974 में एडवान्स प्लान के अन्तर्गत जो सड़क का मेटीरियल तुड़वाया गया वह खदेरी से न तुड़वा कर रोड साइड से खुदा कर लगा लिया गया, जबकि उस माल का ट्रान्सपोर्टेशन का 3-4 किलोमीटर की लिड का पैसा भारी कमीशन लेकर ठेकेदार को पेमेन्ट किया गया, बाबत चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय से सड़कों पर पड़े हुए मेटिरियल को चोरी एवं नुकसान से बचाने हेतु पहले काम में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के तहत बनी सड़कों को प्लान में लिया जाय जिससे रिपेयरिंग हो सके व पंचायतों को सड़क से जोड़ा जा सके, इस पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर पंचायत को सड़क से जोड़ा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गतमांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोरावरपुरा-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
लेसवा रोड जिसका एस्टीमेट काफी पुराना है पर अभी तक निर्माण के संबंध में कुछ नहीं हुआ है, तीन हजार की आबादी वाला गांव केवल टापू मात्र ही है, इस बाबत चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [भगवानपुरा वाया लुहारिया, चाखेड़ सड़क, जो तहसील (मांडल) की मुख्य सड़क है, के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये]।

99. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक-सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा-मांडलगढ़ रोड पर मिट्टी सप्लाई में हुई अनियमितता के मामले बाबत चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुख्य दर्शनीय स्थान—जगदीश तक जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागौर के पास कोठारी नदी में काजवे बनाने बाबत चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के तहत बनी सड़कों पर पुलियाओं का निर्माण बाबत चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे मार्गों में सड़क के बजाय मार्गों की दुरुस्ती करने बाबत चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऐसी लिन्क रोड पर पहले ध्यान दिया जाय जिससे हाइवे को जोड़ा जा सके, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नूरा (मसूदा) :

106. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों और पुलियाओं की खस्ता हालत पर चर्चा के लिये)।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

108. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग राज्य स्कूलों के भवन जो टूटे पड़े हैं व जिनकी छतों से पानी टपकता है, उनकी मरम्मत नहीं करता, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

109. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में सम्पूर्ण सड़कें टूटी पड़ी हैं पुलिया टूटी हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जो सड़कें अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनीं उन अधूरी सड़कों को विभाग के अन्तर्गत लेकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरड़दा व गंवार ग्रामों के पास टूटे पड़े पुलियाओं की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी की सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में सड़कों का निर्माण अधूरा है, उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

114. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कस्बा श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत के लिए भवन निर्माण के संबंध में तथा श्रीमाधोपुर तहसील कार्यालय के लिए उपयुक्त भवन के अभाव में नवीन भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान के अभाव पर चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खण्डेला से पलसाना तक निर्माणाधीन अधूरी सड़क को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में श्रीमाधोपुर से पलसाना तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में चला से चौकड़ी तक निर्माणाधीन अधूरी सड़कें को शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में तथा चौकड़ी से खण्डेला मोड़ तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

118. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर-जमवारामगढ़ सड़क पर पड़ने वाले नाले व नदी पर पुल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्षा ऋतु में खराब हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

120. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा एवं पुलियाओं के अधूरे निर्माण के संबंध में चर्चा लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

121. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर से गुजरात सीमा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लिया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में जालौर को सिरोही तथा जालौर को सांचोर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण आकोली नदी पर तथा भरुडी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर-सिरोही में सड़कों की कमी जिसमें उम्मेदपुर-हरजी मणादर-जावाल सड़क को पूरा करने हेतु तथा पचानवा ग्राम में रपट तथा हरजी-मणादर के बीच के नालों पर रपट बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

124 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र के गांवों में सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में सड़कें बनाने में अरुचि के कारण बजट में प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

126. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल क्षेत्र में सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

127. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा क्षेत्र में सड़कों व पुलियाओं के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत की चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

128. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर क्षेत्र में सड़कों व पुलियाओं के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री श्योदत्त सिंह मकासर (हनुमान-गढ़) :

129. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले की वृहद् सड़कों की मरम्मत व पुलियाओं के रखरखाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

130. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम सूरवाल से ग्राम भगवतगढ़ (तहसील सवाई माधोपुर) तक पक्की सड़क की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये]।

(श्री मंजूर अली)

131. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम रामसिंहपुरा (किला रोड) से ग्राम कूंडेरा (तहसील सवाई माधोपुर) तक पक्की सड़कों के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये] ।

132. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम मेनपुरा से ग्राम कूंडेरा (तहसील सवाई माधोपुर) तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत के बाबत चर्चा के लिये] ।

133. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बकेरी व मसोली के बीच गंभीरी नदी पर पुलिया बनाने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

134. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये) ।

135. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनू में सड़कों की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये) ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

136. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम-आसीन्द रोड की दुर्व्यवस्था दूर कर अविलम्ब सड़क को सुधारने तथा गांव समेलिया के पास पिछले सात वर्षों से अधूरे पड़े पुल को शीघ्र निर्माण करने की जरूरत पर चर्चा के लिये) ।

137. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बरार-टाटगढ़ रोड को पक्का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरीसिंह यादव (बानसूर) :

138. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण अलवर जिले की क्षति ग्रस्त सड़कों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) :

139. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मावली क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा व नवीन सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मावली व नाथद्वारा क्षेत्र में आवागमन की कठिनाइयां और पुलियाओं के लिए सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

142. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–

(श्री नवरंग सिंह)
सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की समस्त तहसीलों को सड़कों से जोड़ने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में ग्राम्य सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :
144. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में व्याप्त सड़कों की दुर्दशा एवं सड़कें न होने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :
145. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इटावा-ठींपरी सड़क का निर्माण एवं पीपल्दा तथा गैंता रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नदी पर ठींपरी के पास पुलिया तथा काली सिंध पर बड़ोद के पास पुलिया बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

147. श्री शिवराजसिंह (बस्सी) व

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :
148. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी व बांदीकुई चुनाव क्षेत्रों की सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत एवं नवनिर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण शीघ्र कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (आहोर) :
149. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें औरपुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दियाजाय (जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी):
150. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी में सड़कें पक्की कराने एवं अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चेचट का पुल, पिपलिया का पुल तथा सड़कें बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गणेशलाल (हिण्डोली) :
152 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की सड़कों की दयनीय दशा, विशेषतः सथूर-धसोली रोड, नेगढ़ से पेच की बावड़ी, रामेश्वर महादेव तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जमवारामगढ़):
153. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेंड़ से मनोहरपुर तक सड़क निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :
154. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक

(श्री सुरेश कुमार)
सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में सड़कों एवं पुलों के अभाव तथा जो सड़कें व पुल हैं उनकी दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद):

155. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम रामसर, श्रीनगर, वाघसुरी, लामाना, जेठाना, मांलियावास तथा कीढ़ी (नसीराबाद क्षेत्र) के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों व पुलियाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):

156. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर नगर को ग्रामों से जोड़ने वाली आवश्यक सड़कों और पुल के निर्माण की ओर अतिशीघ्र ध्यान दिया जावे, पर चर्चा के लिये)।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा):

157. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-गांव गुढ़ा मार्ग में नाथद्वारा से 2–3 मील के कच्चे मार्ग को ठीक करने की स्वीकृति के बावजूद ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-गांव गुढ़ा, नाथद्वारा-साचों का खेड़ा नाथद्वारा, मचीद-नाथद्वारा, कोठारिया-पाखंड मार्गों की सड़क की खराब स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मनिराम (तारानगर):

159. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तारानगर तहसील के देहाती क्षेत्रों में दूर-दूर स्थित ग्रामों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):

160. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आंधेरा, अंधेरी नदी पर सालपुरा-छबड़ा सड़क पर पुल का निर्माण करने बाबत चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोघाट-सालपुरा-छबड़ा सड़क का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा-अकलेरा की खराब सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल पचेरवाल (केशोरायपाटन):

163. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी से केशवरायपाटन, कापरेन व लाखेरी होकर खटखड़ तक सड़क से लगा हुआ 10 माइल दूरी के ग्राम को जोड़ने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय-

(श्री गोपाल पचेरवाल)
पाटन के पास चम्बल नदी पर पुल बनाने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खटखड़ से केशवराय तक चल रहे रोड निर्माण की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रंगपुर से कोटा जंक्शन तक रोड ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम माखीदा के पास चम्बल नदी पर पुल बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) :

168. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा तहसील में सड़कों को दुरूस्त कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

169. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों एवं पुराने राजकीय भवनों की उचित देखभाल नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर एवं बाड़मेर क्षेत्र के विकास हेतु सड़क निर्माण के लिये ठोस एवं व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) :

171. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेके देने व ठेके के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

173. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मण्डी स्थित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक–सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र में विभाग की निष्क्रियता व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा-क्षेत्र

(श्री ईश्वर चन्द्र)
में पीलिया, खाल व भिलवाड़ी के पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

176. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायपुर, सुनेल व पिड़ावा तहसील में पक्की सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

177. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में सड़कों की व्यवस्था समुचित कराने तथा पुलियाओं का निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

178. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयाकम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गंगा सहाय (कठूमर) :

179. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले बड़े भवनों पर टूट-फूट, सफेदी आदि पर होने वाले खर्चे में अनियमितता पर चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर व मानागाजी क्षेत्र की उपेक्षित सड़कें व टूटे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :

181. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की कोरना से माडपुरा की सड़क जो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण गांवों को जोड़ती है उसे विभाग द्वारा डामर की नहीं बनाने पर चर्चा के लिये) ।

182. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [खेड़ मंदिर (तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर) जैसे ऐतिहासिक स्थान को सड़क से नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिये) ।

183. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत बीस वर्षों में बाड़मेर जिले में योजना मद से एक भी किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए) ।

184. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी पर बालोतरा और सिंधरी के पास पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

185. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

186. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव, फैमिन में बनी कच्ची सड़कों को पक्की न करने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

187. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गढ़ भोपजी, लोरवाडा, जिला सीकर में स्कूल भवन, डिस्पेन्सरी भवन जो जनसहयोग से बने हुए हैं विभाग द्वारा उनकी देख-भाल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ तक आवागमन को देखते हुए तुरन्त सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [श्रीमाधोपुर से दिवराला (सीकर) की सड़क की हालत खराब हो रही है, उसको ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू):

190. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा प्रदत्त मरम्मत की राशि का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की सड़कों की दयनीय स्थिति और सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री जिंथिग (कुशलगढ़):

192. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा-कुशलगढ़ की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़-बांसवाड़ा एवं कुशलगढ़—उदेगढ़ रोड पर पुल निर्माण बाबत चर्चा के लिये)।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना):

194. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना सहायक अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना अदालत के अहाते मे सरकारी क्वार्टर में फ्लश, लेट्रीन, नल व बिजलीके प्रावधानों के नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत

Page No 87

(87)

(सूर्यनारायण चौधरी)
मांग में से 100 रुपयाकम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को रोके जाने के लिये उपाय खोजने के लिये चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा रखी गई गेंग्स द्वारा सही काम न करने के लिये चर्चा के बाबत)।

198. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [तहसील नीम का थाना में खोखरा (मांवड़ा) से निजामपुर-दयालका नांगल में जीलो स्टेशन, पीथलपुर से अजीतगढ़ पाटन से करजो होती हुई जोलवा डावला से जीलो नीम का थाना, नीम का थाना से चीपलाटा होती हुई, सांवलपुरा तवरान एवं अजोरी होती हुई शाहपुरा, नीम का थाना मेंटोता-मावटा, डोकन से रामपुर, डावला से हुशामपुर, डोकन से दरीबा सड़कें बनाये जाने की चर्चा के लिये]।

199. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों से जो अनुबंध कराये जाते हैं, उनमें केवल 6 माह की अवधि के बाद ठेके में किये गये कार्यों से पूर्ण मुक्ति दे दी जाती है जब कि निर्माण के कार्यों में कमी कुछ समय बाद सामने आती है इस 6 माह की अवधि को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री टिकमचन्द कान्त (जालौर) :

200. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक-सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता द्वारा बनाये गये भवनों को विभाग के अधिकार में नहीं लिया गया, पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयाकम कर दिया जाय (जालौर जिले में वे सड़कें जो अब कार्य योग्य नहीं रही हैं तथा जालौर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों और पुलियाओं का पुनः निर्माण खास तौर पर आकोली एवं भरूडी नदी के पुल जो अब टूट गये हैं जिनके कारण यातायात की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

202. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर में सरकारी भवनों को बहुत ही कम किराये पर प्रभावशाली व्यक्तियों को देने पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की जीर्ण शीर्ण हालत व गांवों से जोड़ने वाली सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (आमेर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का सर्वे कराने तथा सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व में बनी अधूरी सड़कों

(सुश्री पुष्पा जैन)
का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर-दिल्ली-राज मार्ग नम्बर 8 में जयपुर दुग्ध वितरण योजना से अचरोल तक की सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज (चूरू):

207. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक—सार्वजनिक-निर्माणविभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू जिले में विभागीय निर्माण कार्यों को समय पर निर्माण करवाने में पूर्णतया असफल रहा है, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

208. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (5,000 की आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह:

210. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में झिराना-टोडारायसिंह सड़क को [illegible] करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर-कोटा रोड को तुरन्त पूरा कराने की चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बन रही सड़कों के निर्माण में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया:

213. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा निर्वाचन क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भांकरी-कुन्डल रोड को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना):

215. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य मार्ग व जिले की मुख्य (वृहद् सड़कें) सड़कें घोषित करने की नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

216. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैटल्ड रोड्स पर प्राथमिकता के आधार पर डामर करने हेतु चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना-अजमेर वाया नीम्बड़ी सड़क को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री राम रघुनाथ)
रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना से खाटू डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना को नागौर जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु साजू तक डामर बनाकर अधूरी सड़क को पूरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना गांव व पुन्दलोता के बीच मीलों लम्बा पानी भर जाने से मुख्य सड़क पानी में डूब गई है अतः बाई-पास बनाकर आवागमन कायम रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इड़वा-डेगाना सड़क पर तीलानेग के पास सड़क पर एक छोटी सी पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

222. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया काम कर दिया जाय (अकाल में बनी अधूरी व टूटी सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

223. मांग संख्या 21मुख य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री माधवसिंह (मोजत) :

224. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सड़कों (डामर) के रख-रखाव के लिए आवश्यकता से अधिक रखे गए व्यक्तियों को हटा कर पूंजी की लागत में बचत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

225. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें एवं पुलियाओं के निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर):

226. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गणगौरी बाजार से ब्रह्मपुरी माधोविलास तक की सड़क के कार्पेटिंग का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (त्रिसाऊ से रामगढ़ के रास्ते का सर्वे कराकर शीघ्र ही निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 2 , मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (त्रिसाऊ से मण्डावा तक पक्की सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

229. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानागाजी क्षेत्र की उपेक्षित सड़कों का कार्य पूर्ण कराने एवं नारायणपुर पुल को बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

230. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सालासर-रतनगढ़ सड़क (जिला चूरु) छापर से राजलदेसर सड़क, बीदासर-सुजानगढ़ वाया गोपालपुरा, छापर ताल से छापर रेल्वे स्टेशन सड़क तथा भीमसर प्याऊ से भीमसर तक सड़क कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये] ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

231. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाड़ोल तहसील में पिछले 30 वर्षों में सड़क निर्माण हेतु किया गया व्यय नहीं के बराबर रहा जिसके कारण आज भी वहां का व्यक्ति पिछड़ा हुआ रहा, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

232. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ से बालेटा वाया धमरेड़ सड़क का कार्य पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

233. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोठ की चौकी से नीमल व खूरंट सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

234. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [माचाड़ी से सालोली व माचाड़ी से चिमरावली जिला अलवर की सड़कें पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये] ।

235. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [माचाड़ी से मण्डावर, माचाड़ी से रेणी रामपुरा (अलवर) सड़कों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये] ।

236. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [झाकड़ा से पाली, रैणी व टहठड़ा से जायडोली (अलवर) की सड़कें पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये] ।

237. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम बावड़ी से वहाली, बीलेटा तक नई (अलवर) सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये] ।

238. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ढिगावड़ा से पलवा (अलवर) नई सड़क का निर्माण किया जावे, चर्चा के लिये] ।

239. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गोठ की चौकी से नीमला (अलवर) वाली सड़क को सकर, राजपुर, बोघोताल तक बढ़ाया जावे इस हेतु चर्चा के लिये] ।

240. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मालियान बास

Page No 91

(91)

(श्री समरथलाल)

माचाड़ी (अलवर) से हिरनोटी, कानेडी की नई सड़क का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये]।

241. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ से पुराना राजगढ़ होकर भूमेरी-जामड़ोली की सड़क का निर्माण करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर):

242. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरसागर क्षेत्र में सड़कें व पुल बनाये जायं व मरम्मत की जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन):

243. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में सड़क, पुल आदि बनवाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ताराचन्द (रूपवास):

244. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर से रेलवे स्टेशन वांसी पहाड़पुर तक सड़क बनाई गयी है, उस सड़क को वांसी पहाड़पुर से रूपवास तक बनवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर से रूपवास सड़क को, जो कि अभी टूट गयी है, दुरुस्त कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर से वाया खानूआ होते हुए जाने वाली सड़क को दुरुस्त कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर से रूपवास, बयाना, धौलपुर के लिये जो मार्ग है, उस पर जितने भी पुल पड़ते हैं वे टूट गये हैं, उन्हें बनवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर से रूपवास वाया खानुआ ग्राम में जो पुल पड़ता है, उस स्थान पर गम्भीर नदी बड़े वेग से चलती है, अतः वहां पर बड़ा पुल बनवाया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर):

249. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की हालत खराब है तथा मरम्मत समय पर न होने से उत्पन्न परेशानी तथा गांवों में सड़कों की समुचित व्यवस्था कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री कालशंकर (सागवाड़ा):

250. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सागवाड़ा तहसील क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था ठीक किये जाने पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कराये जाने व जहां आवश्यकता हो, वहां पुल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री लालशंकर)

252. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गड़ा जसराजपुर, दीवड़ा, छोटा घोटाद, सूरजगांव वाया दीवड़ा बड़ा से लेमड़ी सागवान तक रोड तथा मोरन नाला गौरीपवर का पुल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नैनसावा, तम्बोलिया, रमसौर, नई आबादीछो टागडा, गडावादर नई कोलोनी से कटारापाडा, धनगांव वाया कुआं, पांचुकुडी तक रोड निर्माण कराये जाने व धनगांव नाला पर पुलिया का निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [चिखली, अम्बाडा कौवरी दाद-डूंगरगण वाया हरपूआ (गुजरात) की सीमा तक पक्की रोड शीघ्र बनाने पर चर्चा के लिये]।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

255. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में सड़कों की भारी कमी पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मानपुर से सिकराय तक जाने वाली सड़क को दो फीट ऊंची करने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में सड़कों की भारी कमी पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र में नवीन सड़कों के कार्य प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकन्दरा से बहराविण्डा प्रपोज्ड सड़क का फिर से सर्वे कराकर कार्य प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गंभीरलाल (सराड़ा) :

260. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र में सड़कों एवं पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री हरीसिंह (फुलेरा) :

261. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायण (लसाड़िया) :

262. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री लालचन्द (भादरा) :

263. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्वाचन क्षेत्र की भादरा-साहवा सड़कें तथा अमरपुरा-अजीतपुरा की अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) :

264. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील गोगुन्दा में नादेश्मा रावल्दा व कड़दा गांवों में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

265. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-साहुवा, सूरतगढ़, पल्लू नोहर सड़कों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल (डूंगरपुर) :

266. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर चुनाव क्षेत्र में देवल से गामड़ी तथा डूंगरपुर से माथुगापड़ा देवसोमनाथ तक सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

267. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टपूकड़ा से नूह, तटपूकड़ा से लिवाना, गेलपुर, हुसनपुर से कोटकासिम, कोटकासिम से बूढ़ी बावल व तिजारा से खानपुर तक अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

268. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में अधूरी सड़कों पर जो धनराशि दी गई है, वह अपर्याप्त है, उस पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्द्रगढ़ सड़क, जिला टौंक की सड़क, जो कि प्रथम योजना में स्वीकृत हो चुकी है, को अभी तक पूरा नहीं कराया जा रहा है, उस पर पुल भी कई बाकी हैं, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

270. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीपलदा से मितरपुरा सड़क को पूरा किया जाने पर चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांली से निवाई अधूरी सड़क को पूरी किए जाने पर चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवाली से बिंदोरी बालाजी सड़क का कार्य अविलंब प्रारंभ किए जाने पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास से गढ़मोरा, बन्ध मोरासागर से रेवाली सड़कों का काम अविलम्ब प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) :

274. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दांतारामगढ़, विधान सभा क्षेत्र में सड़क बनाने एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

275. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें

(श्री हरचन्द सिंह)
और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में नई सड़कें एवं पुल निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर) :
277. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में सड़कों पर बने पुलियाओं को नये बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) :

278. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में और खास तौर से झुंझुनू जिले की सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) :
279. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहाबाद में सड़कों, पुलियाओं के निर्माण हेतु समुचित प्रावधान नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह राठोड़ (ओसियां) :
280. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगलियावास से लोड़ी ग्राम को जोड़ने वाली सड़क के शीघ्र निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली (फतेहपुर) :
281. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में वर्षा से टूटी सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में तथा अन्य जरूरी सड़कों के नव निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरी सड़कों को पूरा कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में रामगढ़-बिसाऊ, रामगढ़-ढाढण व फतेहपुर-मंडावा सड़कों को पूरा न बनवाये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा फतेहपुर से मुकन्दगढ़ कस्बे के लिये अब तक सड़क न बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर से डीडवाना कस्बे को सड़क से अब तक न जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज की मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हैं उनकी काफी लम्बी-चौड़ी संख्या है। इन पर बोलने

(श्री उपाध्यक्ष)
वाले माननीय सदस्यों की संख्या 117 है। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह खुद ही समय का ध्यान रखें, और कम से कम समय लेकर अपने विचार प्रस्तुत कर दें।

एक माननीय सदस्य : आप बारह बजे तक सदन की कार्यवाही चलाइये।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप अपनी तरफ से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक या कल सुबह तक भी चलायें तो मैं तैयार रहूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रति 100 किलोमीटर पर सड़कों की लम्बाई 14.6 किलोमीटर है जब कि हमारे देश के अनुपात से वह 37 किलोमीटर है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : शर्म तो आपको होनी चाहिये। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे यहां का जो औसत है वह देश के अनुपात से कम है। इसका मतलब स्पष्ट यह हुआ कि यहां पर भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने सड़कों की ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया। सड़कों के विकास की ओर ध्यान नहीं देने के कारण हमारे जो गांव हैं वह बड़े शहरों से नहीं मिल सके जिससे कि हमारे यहां पर व्यापार में कमी हुई, किसानों में खुशहाली के अन्दर कमी आयी और राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश अन्य प्रान्तों के मुकाबले रह गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारी भूतपूर्व सरकार ने सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया किन्तु अब दिया जाना चाहिये।

श्री **अब्दुल अजीज** : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक बहुत ही सीरियस इर्रेगुलेरिटी है। जो 12 तारीख को लिस्ट निकली थी उसमें मेरा नम्बर कट-मोशन की लिस्ट में पहला था और 13 तारीख की लिस्ट में गिरधारीलालजी भार्गव का नाम पहला था। तो सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया के अनुसार मुझे पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिये था।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें। मैं अभी निवेदन करता हूं। मैं अभी तत्काल तो उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री **अब्दुल अजीज** : आप देख लीजिये, मेरा नम्बर 12 तारीख के कटमोशन की लिस्ट में पहला है इसलिये मुझे पहले बोलने का अधिकार मिलना चाहिये जब कि बोल श्री भार्गव साहब रहे हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? यह बहुत ही सीरियस मैटर है। It is a very serious matter and you being on the Chair should kindly do justice.

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं पहले एग्जामिन करना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं। मुझे थोड़ा समय तो दिया जाय। मैं कोई कम्प्यूटर तो हूं नहीं कि एक ही मिनट में जवाब दे दें।

श्री **अब्दुल अजीज** : पर क्या कारण है कि मुझे नम्बर पर बोलने को नहीं कहा गया?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

आज जिन मांगों पर विचार किया जा रहा है वे दो मांगे हैं 19 और 20, उन पर वाद-विवाद होगा। जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी और डिबेट उसी आधार पर चलेगी जिस प्रकार से पहले से व्यवस्था चल रही है।

माननीय श्री गिरधारीलालजी भार्गव अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। नम्बर एक।

खनिज विकास के बारे में मेरा निवेदन है कि..

(व्यवधान)

मेरा ही समय जा रहा है, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : No interruption please.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान....

(3.31 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पीठासीन)

श्री मूलचन्द डागा : बहुत असंतोष है उधर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान का खनिज विकास अभी बहुत कम हुआ है। जहां पर भी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं उन स्थानों को कम से कम सड़कों से जोड़ दें तो आवागमन के भी साधन बढ़ेंगे और राजस्व में आय होगी। आर्थिक मदद भी वहां देनी चाहिये जहां खानों के पट्टे मिले हुए हैं।

सीमेन्ट के कारखानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सीमेन्ट के कारखाने हैं, उनको रेलवे की बड़ी लाइन से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा। इसलिये सड़कों से वे स्थान जोड़ दिये जायं तो उससे अधिक लाभ होगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी सड़क नयी हो और किसका इम्प्रूवमेंट हो इस पर विधायक, इन्जीनियर और टैक्निकल लोगों के सहयोग से विचार करना पड़ेगा।

मेरा यह भी निवेदन करना है कि टैक्निकल स्टाफ कम दे रखा है। हमने यह कभी देखा तक नहीं कि स्टाफ तो कम नहीं अथवा ज्यादा तो नहीं है। जहां ज्यादा स्टाफ है उसको दूसरी जगह लगा सकते हैं।

इसके अलावा सड़कें जहां निकालते हैं वहां किसी की जमीन उन सड़कों में आती है तो उसका पी.डब्ल्यू.डी. मुआवजा देता है। उसके सम्बन्ध में बड़ा असंतोष है। उस असंतोष को दूर करना है।

अब मैं जयपुर शहर की सड़कों की ओर आता हूं। सब ही सड़कों पर यदि मोटी डामर करा दी जाय तो वे सड़कें बार-बार नहीं टूटेंगी। शहर की जो सड़कें हैं उन पर एक इंच का डामर होना आवश्यक है। जयपुर की सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. ही मेन्टेन करती है। पटरियां और फुटपाथ म्युनिसिपैलिटी मेन्टेन करती है। फुटपाथ का दूसरा मालिक है और सड़कों का दूसरा मालिक है। 40 लाख रुपया जयपुर शहर की मुख्य सड़कों के लिये दिया जाता है व 15 लाख रुपया उसकी मेन्टीनेन्स पर खर्च हो जाता है। जयपुर शहर की सड़कों के लिय यह कम राशि है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है इसलिये इस ओर सरकार को ध्यान देकर स्पेशल फन्ड के रूप में अनुदान देना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ऐसी भी सड़कें हैं जिनके लिये पी. डब्ल्यू. डी. ग्रौर यू. ग्राई. टी. कहता है हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की बात कहूं कि उस क्षेत्र की सड़कों का कोई मालिक वनना ही नहीं चाहता। कोई उन का मालिक वनना पसन्द नहीं करता। वाहर कोलोनीज की सड़कें ग्रौर वाजार की सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन करता है लेकिन खजाने वालों का रास्ता है उसकी सड़क को कोई मेन्टेन नहीं करता है। मेरा यह निवेदन है कि तमाम प्रमुख सड़कों की मरम्मत का काम एक ही एजेन्सी को सौंप दिया जाय तो यह प्रश्न समाप्त हो जावेगा कि कौन किस सड़क को मेन्टेन करे। जयपुर शहर में सिटी रोड्स के लिये ग्रलग से हैड वनाया जाना चाहिये ग्रौर पैसा देना चाहिये। इसके ग्रलावा सड़कों पर गड्ढ़े पड़े हुए हैं। नालियां वनायी गई हैं तो गलत बनायी गयी हैं। इस कारण पानी का निकास ही नहीं है। उसका परिणाम यह हो जाता है कि मामूली बरसात ग्रा जाय तो चाहे चौड़ा रास्ता हो, चाहे मिर्जा इस्माइल रोड हो, चाहे जौहरी वाजार हो, इन जगहों पर पानी भर जाता है। इसलिये एक मास्टर प्लान ड्रेनेज का बनाया जाना चाहिये। एक इन्जीनियर की इसके लिये ग्रलग से नियुक्ति की जाय जिससे ड्रेनेज की व्यवस्था भली प्रकार से हो सके।

ग्रन्त में इस मांग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा चाहे यू. ग्राई. टी. हो, चाहे रिहेबिलिटेशन विभाग या पी. डब्ल्यू. डी. ग्रौर चाहे ग्रावासन वोर्ड, कोई भी जयपुर शहर की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस कारण नालियां, गटर लाइन, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरी मांग है कि जयपुर में एक विकास ग्रधिकरण की स्थापना हो जाय ताकि यह पुनर्वास विभाग ग्रौर यू. ग्राई. टी. का झगड़ा मिट जाये ग्रौर जयपुर शहर का समुचित रूप से विकास हो सके।

मैं एक मोटी समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो बाई-पास वन रहा है वह ग्रागरा रोड तक ग्रा गया है उसके ग्रागे ग्रभी भी ग्रधूरा पड़ा हुग्रा है। इस कारण ट्रक्स में ग्राते हैं ग्रौर एक्सीडेन्ट होते हैं। वह वाई-पास क्यों ग्रधूरा पड़ा है? कब तक पूरा हो जावेगा? राज्य सरकार को इस ग्रोर ध्यान देना चाहिये।

जयपुर शहर में रविन्द्र मंच का भवन वना हुग्रा है उसकी वड़ी दुर्दशा है। जहां यह भवन है वहां पर पहले वहुत बड़ा गड्ढा था ग्रौर उसमें मेला डाला जाता था। उस जगह इमारत बना दी गयी। परिणाम स्वरूप वह इमारत नीचे बैठ गयी। जमीन धसक गयी। इससे रविन्द्र मंच के भवन में दरारें ग्रा गयी हैं ग्रौर टूट सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रौर नाटक ग्रादि वहां होते हैं इसके ग्रलावा तवला, सारंगी ग्रादि संगीत के प्रोग्राम होते हैं। वहां पर हवा का भी प्रबन्ध नहीं है। इस भवन में ग्रकादमी का दफ्तर बन गया। उसका दफ्तर रविन्द्र मंच भवन के पीछे बन सकता है। रविन्द्र मंच के विकास का काम पी. डब्ल्यू. डी. का है। रविन्द्र मंच भवन में वाग के भीतर होकर जाने की ग्रावश्यक्ता नहीं है। पुरानी कोर्ट की विल्डिंग से जा सकते हैं। उसके लिए रास्ता वनाया जा सकता है।

राम निवास बाग में लोग हवा खाने के लिये जाते हैं लेकिन उसकी हालत खराव है। घास सूख गयी है। राम निवास बाग की बिगड़ी हुई व्यवस्था की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसको पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करती है। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण जयपुर के पार्क्स पी. डब्ल्यू. डी. को मेन्टेन करने चाहिये।

यह कहा गया कि जयपुर के बाजारों की दुकान और मकानों को गुलाबी रंग जाय। महाराजा सवाई ने उन पर पीला रंग करवाया था लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने उन पर गेरुआ रंग करवा दिया। महात्मा जी के गेरुए वस्त्रों जैसा रंग हो गया। हवा महल का रंग बिगाड़ दिया। उस पर भी गेरुआ रंग कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि दुकान एवं मकानों पर जो पीला रंग होना चाहिये था वह नहीं हुआ और सारे बाजारों की दुकान एवं मकानों पर गुलाबी रंग भी नहीं हुआ कुछ पैसा पड़ा हुआ है। इमर्जेंसी के नाम से वह पैसा दे रखा है। जयपुर की 250 वर्ष की जयन्ती मनाने जा रहे हैं तो मुख्य बाजारों की दुकान एवं मकानों पर गेरुआ रंग के बजाय पीला रंग हो इसकी आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिये।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल के भवनों की हालत खराब है। आज कई स्कूल भवन गिरने की हालत में पड़े हैं। जो आमेर में स्कूल भवन गिरने की एक घटना हुई उस घटना की पुनरावृत्ति राजस्थान में कई जगह हुई है। जयपुर शहर में एक भी स्कूल का भवन पी. डब्ल्यू डी. द्वारा मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। इस कारण आज उन भवनों की हालत खराब हो रही है।

अंत में एक मिनट में गांधीनगर के जो क्वार्टर्स हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। क्वार्टरों में पंखे नहीं हैं और खिड़कियों में जालियां नहीं हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह तो अपने क्वार्टरों की मरम्मत करा सकते हैं लेकिन जो गरीब कर्मचारी हैं वह अपने क्वार्टरों की मरम्मत नहीं करा सकते।

अंत में मेरा यही निवेदन है कि जयपुर शहर में जितनी भी पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानें बनी हुई हैं उनको यदि आपको बेचना है तो आप मार्केट वेल्यू लगा लें और उनको बेच दें। यदि आप उन दुकानों में किरायेदार ही रखना चाहते हैं तो आपको वाजिब किराया तय करना पड़ेगा। उनसे आप किरायानामा लिखा लें और उन्हें वहां रहने दें। उनका आज कोर्ट में चालान हो रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। दुकानों की मरम्मत के लिये कभी एक पैसा आपने नहीं दिया। इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. का किरायेदार आज बुरी तरह से दुखी है।

किशनपोल बाजार में जो अजायबघर का भवन बना हुआ है वह आर्ट्स स्कूल के नाम से मशहूर है। आज इसमें बच्चे नाचना सीखते हैं। उसके फर्श में आज बड़े-बड़े गड्ढे-पड़े हुए हैं। यदि कोई वहां पर नृत्य सीखने जाये तो उसकी टांगे टूट जायेंगी और नृत्य करना भूल जायेगा। आपके एल्बर्ट हाल को भी आज पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन करती है। मेरा ख्याल है कि आज पी. डब्ल्यू. डी. के आफिसर्स को यही पता नहीं है कि उनकी कितनी सम्पत्ति है। इन सारी समस्याओं पर आप निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार करेंगे यही आपसे मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 19, सार्वजनिक निर्माण के संबंध में कुछ बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1976-77 और 1977-78 का वार्षिक प्रगति विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत

(श्री ओंकारलाल चौहान)

है उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गत 30 वर्षों में भी जो आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि आज तक कभी भी विभाग ने सर्वे नहीं किया कि 26 जिलों में कौन-कौन से जिले ऐसे है जहां सड़कों की बहुत अधिक दुर्दशा है। सड़कों की बुरी दुर्दशा चली आ रही है। अगर डिपार्टमेन्ट 26 जिलों का सर्वे करता तो यह पता लगता कि किस जिले में कौनसी सड़क खराब है। प्रायोरिटी के आधार पर सड़कों को तैयार किया जाता और उसी के आधार पर बजट में पैसा रखा जाता तो न्यायसंगत होता। लेकिन, सभापति महोदय, सड़कों के मामले पक्षपात की नीति चलती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा डिवीजन की उपेक्षा गत तीस सालों से बराबर की जा रही है। आज तक कोटा डिवीजन से जो मुख्यालयों को सड़क जाती है, कोटा से जयपुर और कोटा से भोपाल सड़क जाती है जो कि दो केपिटल को जोड़ती है—जयपुर राजस्थान की केपिटल और भोपाल मध्य प्रदेश की केपिटल को यह कोटा डिवीजन लिंक करता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि आज तक यह नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं किया गया? कौन सी बाधा उत्पन्न हो गई इसमें? इससे साफ जाहिर होता है कि कोटा डिवीजन के साथ पक्षपात की नीति बरती जाती है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुराने बजट के आधार पर आंकड़े देखें तो मैं यह साबित करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि 1974-75 में कोटा को जो बजट एलोकेट किया वह 6 लाख था, 1975-76 में 7 लाख दिया, 1976-77 में न्यूनतम सड़कों के लिए केवल 4 लाख का प्रावधान किया और 1977-78 में केवल 86 हजार ही किया गया है। माननीय सभापति महोदय, समझ में नहीं आता कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कोटा से संबंध रखते हैं और वहां की सड़कों की दशा को जानते हैं, इसके अलावा जब-जब यह बजट बनाया गया और सड़कों के बारे में पूरी जानकारी चाही गयी तो कौन सा न्यायोचित कदम मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में उठाया? कृपया अपने जवाब के समय में इसके बारे में कहें।

इसी प्रकार बूंदी में 1974-75 में 5.65 लाख, 1975-76 में 9 लाख, 1976-77 में न्यूनतम 1 लाख का प्रावधान किया और 1977-78 में वही 1½ लाख का प्रावधान कर दिया। इसी तरह से झालावाड़ की दशा है। चित्तौड़गढ़ में 1974-75 में 11.19 लाख और 1975-76 में 7.20 लाख का प्रावधान किया। टोंक के अन्दर 1974-75 में 4.43 लाख और 1975-76 में 8 लाख का प्रावधान किया। इसी प्रकार चूरू के अन्दर 1974-75 में 5.15 लाख और 1975-76 में 10½ लाख का प्रावधान किया। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का क्षेत्रीय असन्तुलन बरता गया है, क्षेत्रीय असन्तुलन पनपाया गया है। कोटा डिवीजन के लिये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पिछले तीस साल के समय कोटा डिवीजन की उपेक्षा की गयी है और उसके साथ पक्षपात की नीति बरती गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में एक सर्वे किया जाये और कोटा डिवीजन के साथ न्याय किया जाये। कोटा, बूंदी और झालावाड़ आज सड़कों के अभाव में त्रस्त है। माननीय सभापति महोदय, हमारी नीति

(श्री औंकारलाल चौहान)

कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे लेकिन यह क्या तरीका है कि 1977-78 के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें इसके लिये कोई भी योजना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बतायें कि आप ने कोई भी योजना 1977-78 में ली है? मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1977-78 में सिर्फ 84 हजार रुपया दिया गया है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे बजट के आंकड़ों को देख लें, सारा बजट देख लें और इस बात को वह सबूत कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस असन्तुलन के आधार पर चलना है तो यह चीज न्यायोचित नहीं होगी। पूरा बजट मैं नहीं कहता कि आप कोटा डिवीज़न को दे या चित्तौड़ को दें या उदयपुर को दें। ठीक है अगर कोई जगह प्रायोरिटी में आती है तो उसमें सड़कें बनानी चाहिये। फेमिन में सड़कें बनी हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तहसील में फेमिन का सारा का सारा फण्ड डाइवर्ट किया गया और सेन्टर से जो रकम आई उसको भी वहां दिया गया जब कि कोटा में किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र की ट्राइबल डवलपमेन्ट प्लान में भी उपेक्षा की गयी। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में सहरिया जाति के लोग रहते हैं वह गरीबी से पीड़ित हैं और उनकी दयनीय स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी उपेक्षा बराबर की जा रही है। ट्राइबल ज़ोन के अन्दर किशनगंज शाहबाद को भी शामिल किया जाना चाहिए।

छबड़ा सब-डिवीज़न, जो कि मेरे क्षेत्र में है, में कोई भी सड़क नहीं है। 84 हजार रुपया आपने मेन्टीनेन्स के लिये रखा है। हमारे यहां सड़कों के निर्माण का तरीका क्या है, आज तक समझ में नहीं आया। सड़क बनती है और बरसात के दो माह के अन्दर साफ हो जाती है। क्या तरीका है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इसका तरीका बदलना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा तरीका हो सकता है जिससे सड़क टिकाऊ हो सकती है और ज्यादा अच्छी चल सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालत यह है कि देखने में यदि सड़क टूटी फूटी है तो कहा जाता है कि यह राजस्थान की सड़क है। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का काम ठीक है और हमारे राजस्थान का काम ठीक नहीं है। हमारे उधर खराब सड़क होगी तो माना जायेगा कि राजस्थान की सड़क है और अच्छी सड़क है तो माना जायेगा कि मध्य प्रदेश की है। तो, माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अन्दर एक तरीका है जैसे 5 किलोमीटर की सड़क बननी है तो सारा काम एक साथ होगा। सोलिंग भी करेंगे, रोड़ी भी एक साथ डलेगी, कुटेगी भी एक साथ और डामर भी एक साथ डलेगा। इस तरह से पूरा 5 किलोमीटर का टुकड़ा तैयार हो जायेगा तब जाकर आगे वह बढ़ेंगे। हमारे यहां पैचेज में काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। कोटा डिवीज़न के साथ न्याय करना चाहिये। इसी प्रकार कोटा डिवीज़न के

(श्री औंकारलाल चौहान)
लिये जो बजट एलोकेशन किया गया है वह बहुत ही कम किया गया है......

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री भी घर के और आप भी घर के ।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं उसी पर आ रहा हूं । कोटा में पुल के लिये 1.25 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है, मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं । मंत्री महोदय ने इस पुल को बनाना शुरू किया है । 1973-74 और 1974-75 में जब बाढ़ आई तब आपने पुल बनवाया और उसकी रिपेयर्स पर सवा लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन 1975-76 में वाश आउट हो गया । क्या वजह है ? किन लोगों की गलती है ? मैं समझता हूं, माननीय सभापति जी, इसकी जांच कराई जाये । क्या वजह थी कि वाश आउट हो गया ? सभापतिजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री औंकारलाल चौहान : उसी तरह से जहां-जहां पुल डाले हुए हैं, छबड़ा में एक पुल है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड ।

कोटा जिले में तीन बड़ी नदियां हैं काली सिंध, चम्बल और पार्वती । बाढ़ में सारे रास्ते घिर जाते हैं और एक टापू की शक्ल हो जाती है । न मध्य प्रदेश की तरफ जा सकते हैं न राजस्थान की तरफ आ सकते हैं । आवागमन के साधन खत्म हो जाते हैं । व्यापारियों के व्यापार को इससे धक्का लगता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इन तीनों नदियों के ऊपर पुल बनायें । कोटा डिवीजन की जो उपेक्षा की गई है उसको मिटाने की ओर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे और कोटा डिवीजन के साथ न्याय करेंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

श्री सभापति : माननीय श्री राम करण सिंह !

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, मेरे कटमोशन्स के द्वारा इस विभाग की लापरवाही की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं मेरे क्षेत्र कोटपूतली के बारे में अर्ज करूं कि कोटपूतली की जितनी सड़कें हैं उनकी देख-रेख के लिये शाहपुरा के कोने में, जो जयपुर के पास है, एक सहायक अभियन्ता का दफ्तर है । वहां से एक ओवर-सियर जाता है तो कितना खर्चा होता है । मैं और उप-जिलाधीश महोदय ने जैसे कि हमारी कोई निजी चीज हो, एक सड़क की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की मगर इस विभाग का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया । इससे मालूम होता है कि कितने अनुशासन-हीन हैं आपके विभाग के कर्मचारी । काम करने वाली दूसरी एजेन्सियां हैं । जिस पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है फिर भी उनकी देख-रेख नहीं कर सकते । किसी प्रकार से उनकी मेन्टीनेन्स नहीं होती । वहां बहुत से अर्थ हुए, सब साफ हो गये । बहुत सी रोड़ियां पड़ी हुई थीं वह भी पानी में बह ग ई । जितना खर्चा आप कच्चे सामान को लाने ले जाने में करते हैं उसके एक चौथाई क भी सदुपयोग नहीं होता । आपके विभाग की लापरवाही नहीं हो तो आपके विभाग का नुकसान नहीं हो । आपको ताज्जुब

(श्री रामकरण सिंह)

होगा कांसली दांता सड़क के लिये जो सामान पड़ा हुआ था वह केवल विभाग की लापरवाही से बह गया। ठेकेदार मुश्किल से काम कर पाये। इससे इस विभाग पर आर्थिक बोझा पड़ता है। इसी तरह से 1962 में आपने बजट में प्रावीजन रखा उसके आधार पर पावटे से नारायणपुर और पावटे से कल्याण पुर, जो एक रेल्वे स्टेशन है, मिलाने की बात थी। मगर 1962 से अब तक आपका विभाग सोता रहा। वहां लाइम स्टोन की खानें हैं, खड़िया की खानें हैं जिससे विभाग को राजस्व मिलता। लेकिन आपके विभाग की लापरवाही से इन्कम के जो दूसरे सोर्स हैं उनसे राज्य सरकार पूरी तरह इन्कम प्राप्त नहीं कर पाती। इस प्रकार आपका विभाग निकम्मा साबित हुआ है। एक दृष्टि से यह अर्ज करना चाहूंगा कि आप एक कोने में बैठकर किसी चीज को सुपरवाइज कराते हैं। वहां से 60 और 70 मील की दूरी पर जायें तो आप सोच सकते हैं कि वे क्या निगरानी करते होंगे और क्या देख-रेख करते होंगे। यह बड़े अफसोस की बात है। वे जयपुर का लालच करते हैं तो जयपुर में रख दीजिये। शाहपुरा का नाम है लेकिन जयपुर में बैठे रहते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी इनायत कीजिये उनके ऊपर और मेरे कहने से शाहपुरा की देख-रेख का काम जयपुर से करवा दीजिये। कई दफा हमारे साथ जो जाते हैं उनसे सुनने को मिलता है, जैसे ही खराब सड़क आती है तो वे कहते हैं कि राजस्थान की सड़क आ गई। बड़ी शर्म आती है। अच्छी सड़क आती है तो कहते हैं यह हरियाणा की सड़क है। जब हमको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ी शर्म आती है, हमारे सर एकदम झुक जाते हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपका विभाग काम करता है। जो अधूरे काम हैं, जो पुरानी सड़कें हैं उसको पूरा न करके दूसरा काम शुरू कर देता है। पुराना काम नहीं होता है तो बाद में उस पर आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी सड़कें मेरी तहसील में दूसरे जिलों से मिलती हैं उनसे जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अलवर पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है। उधर डाबला रोड नीम का थाना जाने में बहुत दिक्कत होती है। नारनोल जाने में मुश्किल होती है। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जिन कामों के लिए 1962 के बजट में प्रोवीजन्स रखे गये थे उन कामों को शीघ्र करवाइये। यह आपकी बहुत बड़ी इनायत होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल जैसे डागा साहब ने कहा है कि कोई डंडा और अम्ब्रेला लेकर सदन में नहीं आ सकता तो यदि किन्हीं माननीय सदस्य को दोपहरी में किसी चीज की आवश्यकता हो, दूध पीने की आवश्यकता हो, तो क्या दूध पीने की बोतल सदन में आ सकती है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : जिनकी सीट पर रखी हुई है वे लेकर नहीं आये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे जानकारी है, डागा साहब लेकर आये हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचंद्र जैन।

श्रीवृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण, सड़कें और पुल की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनके बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं सबसे पहले पहल निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में फेमिन की जो रोड्स बनी हुई हैं, जो रोड्स अकाल के समय में बनी हैं उनकी मरम्मत के लिए इस बजट में कोई प्रोवीजन नहीं रखा हैं। जो रोड्स फेमिन में बनी हुई होती हैं उनके लिये बजट में प्रोवीजन क्यों नहीं किया जाता है ? फेमिन में अच्छी बनी हुई ग्रेवल रोड्स हैं। आज बिना मरम्मत के उन रोड्स का नाश हो रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन रोड्स के लिये आप कुछ कन्सीडरेशन करें। ग्रेवल रोड्स हैं और कहीं-कहीं मैटल रोड्स भी बनी हुई हैं तो उन रोड्स का सुधार करने के लिये बजट में प्रोवीजन रखा जाय।

1977-78 के लिये जो मरम्मत और सुधार व जीर्णोद्धार का प्रोवीजन रखा है वह 11.43 करोड़ का है। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है और जो पुस्तिका पढ़ी है उसमें है 11.43 करोड़। उसी पुस्तिका में पेज नम्बर चार पर जो विवरण है उसमें आपका विभाग भी यह महसूस कर रहा है-

"सड़कों की लम्बाई को देखते हुये सरकार उन पर पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकती है जिससे सड़कों की उचित देखभाल भी नहीं हो सकती है। वर्ष 1976-77 के लिये 26 करोड़ का प्रावधान किया गया था परन्तु 15.18 व्यय किया गया और वर्ष 77-78 में 11.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है......"

तो पहले जो डिमान्ड की गई थी 26 करोड़ की उसमें से 15.18 करोड़ 76-77 में व्यय किया गया। अब मरम्मत सुधार के लिये 11.43 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, यह समझ में नहीं आता है। ठीक है, आलोचना करते हैं कांग्रेस सरकार की लेकिन जो प्रावधान कर रहे हैं मरम्मत और सुधार के लिये, उससे कैसे प्रगति होगी। फेमिन के लिये कोई व्यवस्था है नहीं और न की जाती है।

अब मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि वर्ष 76-77 के प्लान में कोई प्रोवीजन नहीं था और न इस वर्ष न्यूनतम प्रोग्राम में कोई प्रावीजन है। फन्ड्स को मैंने अच्छी तरह से देखा है उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। पहले भी इस जिले की उपेक्षा हो रही थी और अब भी उपेक्षा की जा रही है। योजनाओं के अन्तर्गत इस जिले की बराबर उपेक्षा होती रही है। जो कुछ रोड्स बनी हैं, आप कहेंगे 2600 किलोमीटर रोड्स बनी हैं बाड़मेर में और जैसलमेर में लेकिन वे डिफेन्स रोड्स हैं। जैसलमेर की और बाड़मेर की रोड्स की लम्बाई लेकर ज्यादा बता दी गई हैं। डिफेन्स रोड्स के अलावा जो और रोड्स बनी हैं वे केवल फेमिन में बनी हैं। उनकी भी स्थिति यह है कि उनकी मरम्मत नहीं होती है। इस जिले का और जैसलमेर जिले का एरिया जरूर बड़ा है लेकिन इसके अन्दर रोड्स बहुत ही कम बनी हुई हैं। सारे जिले की उपेक्षा की गई है। मेरा निवेदन है इस वर्ष बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिये प्रोवीजन किया जाय ताकि रोड्स की प्रोग्रेस हो सके।

जब 74-75 में फेमिन था। उस समय एडवान्स प्लान में 10.19 करोड़ नेचरल केलेमिटीज में रोड्स बनाने के लिये था उसमें से बाड़मेर में भी रोड्स पर खर्च किया गया था। वह एडवान्स प्लान में से खर्च किया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
गया। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लोन लेकर खर्च किया गया। जो रोड्स एडवान्स प्लान में बनाई गई थीं.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समाप्त कर देता हूं।

वे रोड्स मैटल रोड बनी थीं। हमारे क्षेत्र में मैटल रोड फायदेमन्द नहीं होती हैं बल्कि ग्रेवल रोड्स से भी खराब रहती हैं। पत्थर बाहर निकल आते हैं। वह ग्रेवल रोड के मुकाबले भी काम नहीं देती हैं। हमारे क्षेत्र में जो मैटल रोड बनी हैं उन मैटल रोड्स में बाड़मेर से हरसानी, बाड़मेर से पटालू, बाड़मेर से बायतू वाया कनोड़ रोड बनी हैं। उनकी मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता दें नहीं तो जो पैसा खर्च किया गया है वह बेकार जा रहा है। अपने विभाग को निर्देश दें कि रेगिस्तानी क्षेत्र में टार्ड रोड बनाना चाहते हैं तो मैटल रोड बनायें। मैटल रोड पूरी बना दें और टार्ड रोड नहीं बनावें तो वह ग्रेवल रोड से भी ज्यादा खराब हो जाती हैं।

दूसरी बात कहना चाहता हूं डिफेन्स रोड्स हैं, उन डिफेन्स रोड्स की हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देख-रेख करती है और अप-टू-डेट व्यवस्था हो रही है। परन्तु इस प्रकार की स्थिति होती है कि जब मिलिटरी साल में बोर्डर पर एक्सरसाइज करती है तब रोड्स को बहुत खराब कर देती है। बड़े-बड़े वाहन जाते हैं तो वे उन रोड्स की हालत को खराब कर देते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : 8 मिनट आप ले चुके हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह सारी रोड्स को खराब कर देती हैं। जो ग्रेवल रोड्स हैं वे भी खराब हो जाती हैं। उनकी ओर न तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ध्यान देती है और न राजस्थान गवर्नमेन्ट ध्यान देती है। जो अच्छी स्थिति में सड़क होती है उसको मिलिटरी वाले खराब कर देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है इस प्रश्न को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने रखें। यह प्रश्न केवल हमारे यहां ही हो, ऐसा नहीं, सब बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में यह प्रश्न है। एक्सरसाइज करते समय रोड्स खराब हो जायं तो उनकी मरम्मत और सुधार का काम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कराये। इस तरह का प्रोवीजन भी डिफेन्स विभाग से कराया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

नैक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपकी मार्फत जालौर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। जालौर जिले की रोड्स की हालत खराब है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा वे कोटा में ही न जायें कभी जालौर जिले में भी घूमें। कोटा जिले की रोड्स की हालत खराब है या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन हमारे जालौर जिले की रोड्स की हालत अत्यन्त खराब है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं जालौर जिले में भी गया हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर जिला पिछले चार महीने से कट आफ है। वह जवाई और आकोली नदी से कट गया है।

Page No 105

(105)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो कम से कम आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिला हैडक्वार्टर सब डिवीजनल हैड क्वार्टर से जुड़ सके। इसके बारे में कोई न कोई व्यवस्था कर देनी चाहिए। पहले भी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। जिला जालौर में कुल मिला कर 393 किलोमीटर पक्की सड़क है। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में तो 14 माईल ही है। इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि फेमिन में रोड्स बनी थीं उन में पक्की डामर रोड भी बनी थी। उनको तो कम से कम मेंटीनेंस लिस्ट में ले लें। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि अभी जालौर जिले के लिए एक नया पैसा भी बजट में नहीं है। बजट प्रावधान है ही नहीं। पता नहीं इस साल में बजट का एलोकेशन किस प्रकार से करेंगे। बजट को देखने से तो कहीं मालूम नहीं पड़ता कि कैसे करेंगे। शायद बजट सैशन खत्म होने के बाद कुछ न कुछ बंटवारा करेंगे। रोड्स के पोइन्ट आफ व्यू से जालौर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। जालौर जिले में ही सारी नदियां गिरती हैं। राजस्थान की सारी नदियां-लूणी, सूकड़ी, जवाई, बाण्डी, सारी नदियों का पानी जालौर जिले में जाता है। जो सड़कें बनी भी थीं, वे पिछले दो तीन महीनों की बरसात के कारण बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की तो गाड़ी ही मन्डार से आते समय नदी में ही फंस गई। अच्छा होता कि चीफ इंजीनियर वहां जाते और उनकी गाड़ी फंसती या मंत्रीजी की गाड़ी फंसे ताकि उनको भी मालूम हो जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्रीजी जाते हैं उसके तो एक दिन पहले ही सड़क ठीक हो जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्रीजी इन रास्तों से होकर जावें तो उनको मालूम हो। अच्छी-अच्छी सड़कों से होकर जाते हैं। कलेक्टर को टेलीफोन कर दिया जाता है कि मंत्रीजी आ रहे हैं उस रोड से उनको ले जाया जाय, यह ठीक नहीं है। आप इन रोड्स से जावें ताकि जो रोड खराब हैं, आवागमन के लायक नहीं हैं, यह सारी की सारी बातें मालूम हों और वे ठीक हों।

जालौर जिला उत्पादन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर हजारों पम्पिंग सैट लगे हुए हैं। क्रूड आइल आता है वह डिफेंस रोड से कांडला से होकर आता है। जालौर की तरफ से लाने की कोशिश करें तो कोई चीज पहुंच नहीं सकती। कोई मैटीरियल, कोई सामान जालौर की तरफ से नहीं जाता। इसलिये सीमेंट का एक कट्टा साठ रुपये में ब्लैक में मिलता है। ऐसी हालत में कम से कम जालौर जिले को तहसील और सब डिवीजनल हैडक्वार्टर से जोड़ने वाली एक सड़क तो बना दें जो बारहमासी चलने वाली हो। कम से कम आपको यह सुविधा तो उपलब्ध करानी चाहिए। सारी दूसरी चीजों को देख कर गवर्नमेंट की जो नीति है उसके अनुसार काम करें।

दूसरा जो मिनिमम नीड प्रोग्राम बनाया है उसमें ढाई हजार की पोपूलेशन के गांव लिये हैं। रोड्स के विकास के नये प्रोग्राम में रूरल रोड्स के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया भी एड देगी। इस बारे में भी मेरा निवेदन है कि आप अगर अपना पैसा नहीं दे सके तो रूरल रोड्स के हिसाब से तो ढाई हजार की आबादी के गांव बहुत थोड़े हैं, फिर इतने गांव जोड़ने के लिए बहुत पहले थोड़ा बहुत पैसा मिला था उसमें भी कटौती कर दी। जो

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

थोड़ा बहुत सड़क का काम किया गया उसका पेमेंट नहीं हुआ, अब करेंगे कि नहीं, पता नहीं। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत ही जो आवश्यक सड़कें हैं उनको पूरा कर दें। फेमिन में जो अस्सी पर्सेंट हमारे यहां एडवांस प्लानिंग में सड़कें बनीं और डामर रोड बनीं उनका मेंटीनेंस जरूर करें। बजट को देखते हुए आप किस तरह मेंटीनेंस करेंगे? आपके सामने कोटा की समस्याएं हैं, बूंदी की समस्याएं हैं, और जिलों की समस्याएं हैं तो सबसे पहले आप सारे जिलों का भ्रमण करें। छब्बीस ही जिलों का पहले भ्रमण करें और उसके बाद हमको सुन कर, जिले की मीटिंग करके जो उसकी मिनिमम नीड है, जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनको प्रायोरिटी देनी है, अच्छी से अच्छी जो जनहित की सड़कें हैं, उनको पहले हाथ में लें। हम एक दूसरे की खींचा-तानी नहीं करेंगे परन्तु जहां ज्यादा जरूरी है, जो जनहित की महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो जन-हित के काम हैं वही करने चाहिए। उसमें हम एक्स. ई. एन. साहब को सहयोग देंगे। जालौर के कई लोग आकर मिले भी हैं। जालौर में रोड्स की समस्या है, वहां आवागमन ठप्प है, सारा सामान इधर-उधर आ जा नहीं सकता है। काश्तकारों को एक अनाज की बोरी का छः छः रुपया देना पड़ता है, यह हालत है। मुख्य अभियंता महोदय भी वहां पर आए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां पर इंक्वायरी में आए थे, घोटाले वगैरह की बात तो अभी क्या कहें, सारी चीजें चलती रहती, ज्यादा कहने से बात बनने वाली नहीं है, परन्तु हम चाहते हैं कि जो मैटीरियल पड़ा हुआ है उसको काम में लें और जो जिला रोड से कट-आफ है, एडवांस प्लानिंग में कम से कम उसे प्रायोरिटी दें। वहां रोड का काम पहले करना चाहिए, यही मेरा आग्रह है।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं तो यह नहीं चाहता कि मेरे यहां पर कोई सड़क बने। मैं तो यह चाहता हूं कि जो पहले के कच्चे रास्ते थे उनको वापस लाकर दे दें। उन कच्चे रास्तों को बिगाड़ कर सड़कें क्या बनाई, सारे रास्ते को ही बिगाड़ दिया। भलाई करने चले थे और आज हालत यह है कि उस पर जानवर भी चल नहीं सकते। भगवान जाने क्या किया है। पाली से खैरवा जाने के लिए एक सड़क मारवाड़ जंक्शन को लिंक करती हुई बनाई गई। उस सड़क पर कोई आदमी चल नहीं सकता और सारा मैटीरियल पड़ा हुआ है। पांच साल से सड़क पर पड़ा है लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई है। ....

श्री कल्याणसिंह सांखला : राम राम राम।

श्री मूलचन्द डागा : बोलिये, इनको कितना दुःख हुआ है। आज जनता पार्टी का कोई सदस्य राम राम कह दे तो बहुत बड़ी बात है।

जो इंजीनियर लोग हैं मैं उनके भ्रष्टाचार की बात नहीं करता लेकिन फेमिन के मामले में एक बात कहना चाहता हूं कि फेमिन में पी. डब्ल्यू. डी. को कुछ सड़कें बनानी थीं इसलिये कच्ची सड़कों को तोड़ दिया। यह बिल्कुल गलत कदम है। अगर

(श्री मूलचन्द डागा)

पक्की सड़क नहीं बना सकते तो आप सारा पैसा सोइल कंजरवेशन में लगा दीजिए । मैंने इसलिए कहा कि आज सड़क बन गई फेमिन में लेकिन पंचायत की हालत नहीं कि उसको ठीक करवा सके । मेरे यहां की सड़कों की हालत में आपसे अर्ज कर रहा हूं, पाली से मांडावास, पहले रास्ता ठीक था, कच्चा रास्ता ठीक चल रहा था, अब सड़क बना दी । मेरे खयाल से कोई उस सड़क पर से जा नहीं सकता । श्रीमान्, कभी आप उधर आना भी मत, अगर उधर पधार गए तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा । इतना अच्छा स्वास्थ्य है आपका । मैं नहीं चाहता कि आप उस रास्ते पर चलें और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाय । इतना रास्ता खराब है । ईमानदारी से कहता हूं, उस पर चल कर जानवर तक नहीं निकल सकते । साइकिल वाला जा नहीं सकता । जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत कर दें तो बड़ी कृपा होगी ।

तीसरी बात यह है कि पाली का पुल है । पाली से कोई आबू जाना चाहता है, पाली से कोई अजमेर जाना चाहता है, अलवर जाना चाहता है तो दोनों नदियां पुल को रोक देती हैं । पाली का पुल इम्पोर्टेंट पुल है । सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम दें, पाली शहर की 70 हजार की आबादी है, औद्योगिक नगर है, लाखों रुपये रेवेन्यू में देते हैं, इतना कस्टम देते हैं लेकिन पाली जिला बांडी नदी पर एक पुल के लिए मोहताज है । सब लोग अपनी बात कहते हैं, आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है उस रोड की और कितनी उस पुल की आवश्यकता है लेकिन हमें वह भी नहीं मिलता । मैं समझ नहीं पाता हूं कि यह क्या तरीका है रोड और सड़कें बनाने का ?

एक बात और कहूं, श्रीमान्, अब भ्रष्टाचार की बात पी. डब्ल्यू. डी. के लिए करना तो बेकार है । यह तो शिष्टाचार है, उसके लिए कोई सवाल नहीं करना चाहिए । मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो नगरपालिकाएं हैं उनको श्रीमान्, जो मदद करते हैं तो 15 पर्सेंट पी. डब्ल्यू. डी. का काहे का देते हैं ? इंजीनियर बैठे हुए हैं, काम है नहीं उनके पास । नगरपालिकाओं में इंजीनियर्स हैं नहीं । उनसे कहिये वह म्युनिसिपैलिटी का इंस्पेक्शन कर लिया करें । एक बात और कहूं, हमने फेमिन में इतना तो मैटीरियल डलवा दिया है, जगह-जगह पर मैटीरियल पड़ा हुआ है वह मैटीरियल बेकार गया । आप मटीरियल डालना बन्द करिये . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो पहले ही डर रहा था । मुझे तो एक ही बात कहनी है । आप थोड़ी मेहरबानी करिये ।

जितना मैटीरियल पड़ा हुआ है वह वेस्ट हो रहा है और लोग ले जा रहे हैं । सब ले जा रहे हैं, कंकरी ले जा रहे हैं । इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की । मुझे एक पुल दे दीजिए, पाली के लिए । उसके अलावा पाली से मांडावास और पाली से खैरवा को सड़क से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी ।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य को सड़कों का ज्ञान तीस वर्षों तक तो था नहीं लेकिन जनता ने रोड मास्टर बना दिया इसलिए सड़कों का ज्ञान हो गया ।

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजखेड़ा) : सभापति महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव यहां पर पेश किये हैं, खास तौर से राजस्थान के अन्दर सड़कों की दुर्दशा के बारे में है। धौलपुर जिले के अन्दर जो पार्वती का पुल है, जिसका कार्य गत सात साल से चल रहा है और जो अधूरा पड़ा हुआ है, दूसरा जो चम्बल का पुल टूट गया है, उसके बारे में पेश किया है।

एक काम तो माननीय मंत्रीजी आपने अच्छा किया है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वैसे आप बधाई के पात्र तो नहीं हैं, आपने इस महकमे में एक अच्छे इंजीनियर को बिठा दिया है। एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति को आपने बिठा दिया है। उससे हो सकता है कि राजस्थान की सड़कों की दशा सुधर सके....

एक माननीय सदस्य : आपको भी सड़क बनानी होगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वैसे मुझे इनसे उम्मीद तो नहीं है। राजस्थान में जितनी सड़कें बनेंगी, वे कोटा में बनेंगी क्योंकि कोटा की सड़कों की हालत बहुत खराब है। जो स्कूल भी इन्होंने खोले हैं, वे सब के सब कोटा में ही खोले हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब जवाब सुनने का अवसर होता है तब आप नहीं रहते हैं। कृपया जवाब भी सुना करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो नाराज हो जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कुछ माननीय सदस्य टोकते हैं, उनका उत्तर भी देना पड़ता है। यदि नहीं दूं तो उनकी बात सही होगी। कुछ कहना ही पड़ता है।

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, राजस्थान के अन्दर सड़कें वैसे ही कम हैं। राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है और आवागमन के साधनों का अभाव है। आज जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। मान्यवर, आप इनको सुधारने के लिए काम करें, यही आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं अपने यहां की सड़कों को गिनाना नहीं चाहता। गिनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय को सड़कें गिना दूंगा तो वे बनाएंगे नहीं। भरतपुर जिले में जो फ्लड आया उससे विशेष कर धौलपुर सब-डिवीजन में सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। स्पेशल फण्ड धौलपुर सब-डिवीजन और भरतपुर जिले के लिए आप अलाट करें तब जाकर उन सड़कों की हालत सुधर सकती है। पी. डब्ल्यू. डी. के पास तो एक पैसा भी नहीं है। आज जो काम चल रहा है, उसको भी रोक दिया गया है क्योंकि अलाटमेंट फण्ड्स का हो नहीं रहा है। इस महकमे में एक बीमारी और है। पुराना शासन भी इसको नहीं संभाल पाया था। आप जो गैंग अपाइन्ट इस विभाग में करते हैं, उससे काम क्यों नहीं लेते हैं ? डिवीजन को जो पैसा अलाट होता है, उसका आधा पैसा इस गैंग की तनख्वाह में चला जाता है। बहुत सारी हाजरी इनकी ओवरसियर और इन्जीनियरों के घरों पर होती है। इस प्रथा को आप रोक सकें तो यह आपकी उपलब्धि होगी। अब आपके पास पैसा कृषि उपज मंडियों का पड़ा हुआ है। सड़कों की हालत खराब है। आप उस पैसे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका कोआर्डिनेशन इनके साथ हो। लाखों रुपया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मंडियों के पास पड़ा हुआ है। मंडी का विकास सड़कों के बिना हो नहीं सकता है। एग्रीकल्चर विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. का कोआर्डिनेशन हो ताकि जो सड़कों की मांग चारों तरफ से आ रही है, उसको आप मीट कर सकें। आपके पास तो कोई फण्ड्स नहीं हैं। इस दिशा में आप कार्यवाही कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, यह जो पार्वती का पुल है, इसका इतिहास बहुत लम्बा है। दस साल पूर्व एक फर्म को इसका ठेका दिया गया। परन्तु काम पूरा नहीं हुआ। लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जाते हैं तो यू.पी. होकर जाना पड़ता है। इससे ज्यादा लज्जा की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है। इस बारे में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था। आपने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि आप ढाई साल में इसको पूरा कर देंगे। टेन्डर इन्वाइट किए जा रहे हैं। तो मैं यह मान कर चलूं कि ढाई साल में आप इसको पूरा करवा देंगे?

एक चम्बल के पुल का और सवाल है। तीन साल से ज्यादा समय हो गया है। नेशनल "हाई वे" पर यह पुल है। राजस्थान सरकार का इस पुल से कोई लेना-देना नहीं है। यह पुल सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है, आप ताज्जुब करेंगे। किस रूप में यह पुल बनेगा, इसकी आपको जानकारी होगी, नहीं तो चीफ इंजीनियर से पूछ लें। आप बता सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भारत सरकार पर आप दबाव डालें। दिल्ली और बम्बई के बीच का आवागमन इस पुल के टूटने के कारण रुका पड़ा है। इससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। थोड़े दिन पहिले वहां पर स्टेन्ड बने थे। पानी के कारण वे भी बह गए। लोगों को असुविधा हो रही है।

आखिर में एक बात और कहूंगा। पी.डब्ल्यू.डी. की जो बिल्डिंग हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। रिपेअर के लिए ज्यादा फण्ड्स अलाट करें तो यह समस्या हल हो सकती है। इस बरसात के अन्दर जो पुरानी बिल्डिंग थी, प्राइवेट स्कूल आमेर की उसमें दुर्घटना हुई, ऐसी ही दुर्घटना जो पी.डब्ल्यू.डी. की बिल्डिंग्स स्कूलों और अस्पतालों की हैं, उनमें हो सकती है। इसलिए आप प्रायोरिटी के आधार पर रिपेअर के काम को लें। कई जगह अस्पतालों और स्कूलों की हालत खस्ता है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस काम को हाथ में लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): माननीय सभापतिजी, मेरा समय श्री समरथ लाल को दे दें।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

श्री रामनारायण।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, सड़कों के बारे में मैंने कटमोशन दिए हैं। राजस्थान का आप औसत निकालें, मिनिस्ट्री आफ ट्रान्सपोर्ट का जो बजट अलाटमेंट है, उसके आंकड़े आप पिछले चार-पांच साल के निकालें तो आप देखेंगे कि सब से कम रुपया राजस्थान को मिला है। यदि इसमें से डिफेन्स रोड को निकाल दें तो यह बहुत ही कम है। इस कारण बहुत कम विकास हो

(श्री शिवचरण सिंह)

पाया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह बताया कि हमारे यहां पर सड़कों की कमी है। सड़कों के विकास का तो प्लान है परन्तु पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण सड़कों का विकास कैसे होगा ? अब सड़कों की बात करते हैं, जैसा बजट भाषण में, गर्वनर साहब की स्पीच में कहा गया, सड़कों के जरिए गांवों को मिलाया जाएगा। फण्ड्स होंगे तो गांव मिलेंगे, नहीं तो कैसे मिलेंगे ? राजस्थान में रोड्स कन्स्ट्रक्शन कास्ट ज्यादा होती है। यह कम्परेटिवली दूसरी स्टेट्स से ज्यादा है। मेरा यह सुझाव है कि कृषि उपज मंडियों और अन्य एजेन्सियों का जो रुपया है, उसका आप सदुपयोग करें। सड़कों का विकास नहीं होता है तो देहातों के प्राडक्ट, जो मिनरल बेस्ट और फारेस्ट बेस्ड चीजें हैं, को मार्केट नहीं मिलेगा और प्रोड्यूज की पूरी कीमत नहीं मिलेगी। उनको मार्केट में लाने के लिए सड़क, यातायात का साधन चाहिए। निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकार इस पर सोचे। डेयरी फार्म आप कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से रुपया ले रहे हैं। पिछली सरकार ने हमारे जिले के लिए 40 लाख रुपया दिया था। एक भाखरी रोड है और दूसरी रोड खैर, तहसील हिन्डौन, सवाई माधोपुर में है। माईनिंग डिपार्टमेंट ने उस रोड के लिए, माइनिंग के विकास के लिए, पी. डब्ल्यू. डी. को खर्च करने के लिए दिया। सभापति महोदय, मैं सेक्रेटरी साहब और चीफ इंजीनियर साहब को कहना चाहता हूं क्योंकि मिनिस्टर साहब की केपेसिटी नहीं है कि वे इसको देख सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को ये समझेंगे नहीं।

श्री नवनीत पालीवाल : यह कैसी भाषा बोल रहे हैं। आपको क्या पता कि मिनिस्टर साहब की क्या क्षमता है ?

श्री शिवचरण सिंह : मैं अच्छी भाषा ही बोल रहा हूं। मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने कटौती प्रस्तावों पर ही बोलें।

श्री शिवचरण सिंह : मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आ रहा हूं।

श्री रतनलाल शर्मा : अपनी वकालत हम खुद कर लेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : जैसा कि आपने टेस्ट कार्पोरेशन का बताया। उसी प्रकार से पी. डब्ल्यू. डी. का बनना चाहिए। आप देखिये कि स्टैण्डर्ड के दो तीन वर्क होते हैं या नहीं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि 4 रु. नहीं दिये तो नीचे से ऊपर का पर्सेण्टेज क्या रहेगा ? हमारे सभापति जी तो मिनिस्टर रहे हैं इसलिये आप जानते हैं। लेकिन जो शुद्धिकरण की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है तो मेरा निवेदन है कि पी. डब्ल्यू. डी. को आप शुद्ध कर लें जिसमें यह होता है कि ओवरसियर का इतना पर्सेन्ट, एक्स. ई. एन. का इतना पर्सेन्ट, इंजीनियर का इतना पर्सेन्ट। आप इसको देखें और जानकारी कर लें। आप यह देखें कि जिसको 800 रुपया मिलते हैं वह दारू पीता है। तो उसके पास दारू पीने के लिए पैसा आया कहां से ? मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक्स. ई. एन. हैं, जिन्होंने शहर में मकान बनवाये हैं। जयपुर शहर में तो परमिशन लेनी पड़ती होगी और रिकार्ड में होगा। यहां बिना रिश्वत के कुछ नहीं हो सकता है। कोई एक्स. ई. एन. ऐसा नहीं है जो कि रात को

(श्री शिवचरण सिंह)

क्लबों में नहीं जाता हो, क्लबों में नहीं बैठता हो, जिसके पास फिएट कार नहीं हो ।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य के कथन में बाधा नहीं डालना चाहता हूं। आपके कटौती प्रस्ताव में है-'राजकीय भवनों के संधारण कार्य विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में लेने हेतु चर्चा के लिये)।"

श्री शिवचरण सिंह: मेरा निवेदन है..

श्री सभापति : यह आपने कटौती प्रस्ताव में दिया है। इसकी माननीय सदस्य सूचना देते तो कागजात मंगाये जाते।

श्री शिवचरण सिंह : मैं सूचना दे रहा हूं।

प्लान में रोड है लेकिन वहां अभी रोड नहीं हैं और कोई पास नहीं हो सकता है। केवल एक सड़क है। भरतपुर जिले की सड़कों की क्या दशा है। सरकारी बिल्डिंग्स की क्या हालत है। जिस प्रकार आमेर के स्कूल की बिल्डिंग कालेप्स हुई है उसी प्रकार न जाने कितनी बिल्डिंग्स कालेप्स होंगी। आप भरतपुर का विकास करना चाहते हैं, तो उसको लुक एट करें। यही मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कटौती प्रस्ताव है कि झालावाड़ जिला 30 साल से उपेक्षित रहा है। 30 सालों से झालावाड़ के गांवों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। माननीय मास्टर भोलानाथ जी के जमाने की बात है। उन्होंने एक दौरे का प्रोग्राम बनाया था। पी. डब्ल्यू. डी. का स्टाफ साथ में था। जिस समय वह दौरे में गये थे तो कई पुलिया खराब पड़ी थीं। सन् 1952 में प्रथम पंच-वर्षीय योजना में काफी धनराशि सड़कों के लिये दी गई थी। मगर उस धन का कितना दुरुपयोग हुआ है। उसका आज तक पता नहीं है। मेरे खानपुर क्षेत्र में अकलेरा, कनवास, अटरू और सांगोद ये ऐसी रोड हैं, जिनके लिये रुपया दिया गया था। रिकार्ड में उनको डामर रोड बताया है। और डामर रोड होने के कारण उन रोड्स पर रोडवेज बसें स्वीकार कर रखी हैं। मगर रोडवेज की बसें सड़कों पर चलती नहीं हैं। लोगों को वहां पर पैदल चलना पड़ता है। खानपुर अकलेरा के लोग अकलेरा कचहरियों में जाते हैं, तो बीच में कई नदियां आती हैं। उनकी पुलिया छोटी-छोटी हैं। 20-30 मील में कई नदियां आने के कारण सारे झालावाड़ जिले में आना जाना रुक जाता है। लोग 20-20 रोज तक घर नहीं पहुंचते हैं। घर के लोग समझते हैं कि नदी या खराब पुलिया को पार करने में बह गये होंगे। अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी की आलोचना की है। 30 सालों में पहली बार तो हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज ही यह आलोचना करने लगे हैं। वह आलोचना करते हैं कि जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। जनता पार्टी को अभी 25 दिन हुए हैं।

(श्री भैंरवलाल कालाबादल)
(4.38 म.प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, उधर झालावाड़ से भोपाल रोड और कालीसिन्ध की पुलिया टूट गई है उनकी मरम्मत नहीं होती है। समंद खंडी, अचरावां, अचरामेली की पुलिया बार-बार टूट जाती है पर कोई ठीक नहीं करता।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इतनी जल्दी घंटी। मेरी तो शुरूआत ही है।

श्री सभापति : आपके 5 मिनट हो गये हैं।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : 5 मिनट तो आपको आये हुए ही नहीं हुए हैं। पांच मिनट मुझे कैसे हुए।

श्री सभापति : समय लिखा हुआ है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : सभापति महोदय, मैं कोटा, बूंदी और झालावाड़ की सड़कों की बातें कह रहा हूं। आपको आये तो 5 मिनट हुए नहीं। मुझे कैसे हो गए? आपके पदासीन होने के बाद पांच मिनट और बोलूंगा, इससे अधिक समय नहीं लेना चाहता।

सभापति महोदय, किसी भी प्रान्त के विकास के लिए सड़कें, पहाड़, नदियां और बांध यह बहुत ही उपयोगी हैं। यदि सड़कें अच्छी होंगी तो पहाड़ों में, और वनों में जो सम्पत्ति पैदा होगी वह सड़कों के द्वारा दूर की मण्डियों में जायगी और उस वन-सम्पदा और खनिज पदार्थों से जो आमदनी होगी वह विकास के कार्यों में लगायी जा सकेगी। हमारे यहां वन भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं और उपजाऊ भूमि भी है, कृषि उपज मंडी भी है। वहां अन्न का उत्पादन होगा तो रोड के द्वारा बाहर भेजा जा सकेगा। उससे आपको टैक्स भी मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आस-पास के दूसरे इलाकों का भी इससे विकास होगा। इसलिये सड़कें तो बहुत ही जरूरी हैं। जब हमारे यहां जुझार सिंहजी मन्त्री महोदय थे तो उनके इलाके की तरफ ही वे सड़कों को ले गये। कनवास की रोड, जो खानपुर की तरफ जाती है, की राशि को सांगोद से उनके गांव कुलनापुर ले गये और जहां-जहां उनके भाई और जागीरदारों का इलाका था उधर ही पैसा लगाया। सोलपुर ठिकाने में ले गये, जागीरदारों के गांवों में सड़क पहुंचा दी, इस तरह की हालत रोड की हुई है कांग्रेस के राज में।

एक माननीय सदस्य : अब भी वही होगा।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : कांग्रेस में मैं भी रहा था ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप उनको बोलने दीजिये। बीच में नहीं बोलें।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : लेकिन मैं उनको बददुआ देकर गया था। सभापति महोदय, मैं यह कह कर गया था कि आप लोगों ने गांधी के आदर्शों को भुला दिया है

(श्री भैरवलाल कालाबादल):
इसलिए काला मूंडा होकर रहेगा।

यां को कर दो कालो मूंडो
देश ने डूबोया जावे छे
खादी ने लजाया जावे छे
मोटरा दौड़ाया जावे छे
यां को कर दो कालो मूंडो

मेरी बददुआ का फल इनको 30 वर्षों में मिला है।

सभापति महोदय, तीस साल के शासन में...

श्री सभापति : आप कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहिये। 8 मिनट हो गये हैं। अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सभापति महोदय, औरों को दस मिनट दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 8 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह हालत है कि इन्होंने काला काम किया है–

धोला 2 लत्ता पहर, काली स्याह करतूत,
भरे खजाना भ्रष्टाचार सूं बन रया
भारत पूत।

या भारत का बेटा बन रया और आज या को पाप को भांडो फूट्यो। अब जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता पार्टी के मन्त्री महोदय ध्यान दें, अगर आपने भी इन्हीं लोगों का अनुकरण किया तो वह दिन दूर नहीं है आपके लिये भी। इसलिए आप जनता की भावना की कद्र करें। मैं आज इसीलिए खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए।

श्री सभापति : माननीय श्री विट्ठलप्रसादजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हमेशा 12 बजे तक कैसे चलेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय विचाराधीन मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 19 व 21 पर अग्रेत्तर विचार

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने भी पी. डब्ल्यू. डी. में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। गत वर्ष परवर नदी तथा दूसरी नदियों में बाढ़ के कारण मिट्टी जमा हो गई, उसको हटाने का ठेका दिया गया। उसका ठेका जिन ठेकेदारों के नाम से हुआ, उनके द्वारा एक पैसे का भी काम नहीं हुआ और चार हजार के रुपये एक ठेकेदार के नाम से, चार हजार रुपये के एक ठेकेदार के नाम से और तीन हजार रुपये के एक ठेकेदार के नाम से बिल बनाये गये। माननीय मन्त्री महोदय से मैं

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

कहना चाहता हूं कि मैं उनके आपको नाम भी दे सकता हूं। वहां पर काम एक पैसे का भी नहीं हुआ और ग्यारह हजार रुपये राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी लोग खा गये। इस सम्बन्ध में मैंने कोटा के सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर को भी शिकायत की। उनको मैंने लिखा कि इस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर ने चिट्ठी लिखी कि आप मुझे रेस्ट हाउस में मिलिये। मैं वहां गया और वह भी वहां आये। मैंने उनसे कहा कि ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे कहने लगे कि मैं अभी मनोहरथाना की सड़क देखकर आता हूं। मैं वहां पर बैठा रहा, लेकिन सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर साहब से बात नहीं हुई। मैंने यह मामला एन्टी-करप्शन को दिया, वहां पर अभी तक फाइल पड़ी हुई है। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको मंगवाकर देखिये। यह केवल एक घटना मैंने बताई है, इस तरह के कई मामले हुए हैं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि उस क्षेत्र में पी. डब्ल्यू. डी. के जो डाक बंगले हैं वे व्यभिचार, शराब और वेश्यावृत्ति के अड्डे के काम में आते हैं। मैंने वहां के लोकल इंजीनियर को कहा कि यह कलंक की बात है। कांग्रेस के राज्य में यह सब होता रहा है लेकिन अब जनता पार्टी की सरकार आ गई है, जनता पार्टी की सरकार को इस कलंक को मिटाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

पुलियाओं के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि राजस्थान के कोटा डिवीजन में हमेशा यह संकट रहा है। कितनी ही नदियां हैं, चम्बल, व दूसरी नदियां, वहां समस्या यही है कि जो पुल बने हुए हैं वे नीचे हैं, इसलिए बरसात होने पर रास्ते रुक जाते हैं। राज्य सरकार को इस बारे में कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जो प्रयोग किया गया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, उन्होंने निर्णय लिया कि जितनी भी पुलिया हैं उनको ऊंचा उठाया जाय, इसके लिये एल. आई. सी. से लोन लेकर, स्टेट से लोन लेकर और अन्य स्रोतों से लोन लेकर उनको ऊंचा किया जा रहा है। उन पर मध्य प्रदेश सरकार टोल टैक्स लगायेगी। इस प्रकार से उस डेब्ट को पूरा किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव इस विषय पर तो नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं बहुत उपयोगी सुझाव दे रहा हूं, कोई अनावश्यक बात नहीं कर रहा हूं। लिमिट में सभी चलते हैं। मैं कोई सदन का समय खराब नहीं कर रहा हूं।

तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का प्रयोग किया है, टोल टैक्स लगाया है, 8 रुपये, 4 रुपये व 2 रुपये। आप यदि राजस्थान की पुलियाओं पर भी यह टोल टैक्स लगायें तो काफी रकम वसूल कर पायेंगे।

अब मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं-मनोहरथाना राष्ट्रीय मार्ग है। भोपाल से कोटा राज मार्ग है। सुनने में आया है कि राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने जा

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
रहे हैं। वह जयपुर से झालावाड़, झालाव से अकलेरा और अकलेरा से भोपाल जाने वाला है। अगर अकलेरा को ब्यावर जाकर कनेक्ट करते हैं तो 57 मील का राजस्थान को लाभ मिलेगा और मनोहरथाना से बीना को कनेक्ट करते हैं तो 39 मील का लाभ होगा। वह रोड जो जयपुर से भोपाल जाती है उसमें 20 मील का फासला कम हो पाएगा ...

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : भ्रष्टाचार के संबंध में......

श्री सभापति : आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : भ्रष्टाचार के बारे में भी आया है।

श्री सभापति : बीच में आपने इतना समय ले लिया।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अकलेरा में पी. डब्ल्यू. डी. रोड बनाने के नाम पर स्टोन्स खरीदे गए 48 हजार रुपये के। झालावाड़ से जो टेन्डर हुआ वह 14 रुपया पर स्टोन टेन्डर हुआ। अकलेरा से 21 रुपया पर पत्थर के हिसाब से 4,850) का पेमेंट किया गया। उसके अंदर काफी करप्शन हुआ है। मैंने लिखित में शिकायत की है। गए मंगलवार को मैं आपसे मिला था कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कहा, नियम बदलेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। आप इसकी जांच करें।

श्री सभापति : श्री राम नारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मन्डावा) : सभापतिजी, मैंने झुंझुनू जिले की सड़कों की दुर्दशा के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ है कि ज्यों ही मंत्री महोदय पदासीन हुए, झुंझुनू जिले की तमाम सड़कों के काम उन्होंने सबसे पहले एक ही कलम से बंद कर दिए। जहां 25 सड़कों का काम चल रहा था, मंत्रीजी ने आते ही आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज एक भी सड़क का काम वहां चालू नहीं है। महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिले में आवागमन के लिए, आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इन्टर-डिस्ट्रिक्ट, इन्टर-स्टेट रोड्स हैं, उन सबको बंद कर दिया। कालपी नदी महत्वपूर्ण नदी है जहां सड़क का निर्माण हुआ था, सबसे पहले उसको बंद किया। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। इतना तंग नजरिया मंत्री महोदय का नहीं होना चाहिए था। यह सही है कि जनता पार्टी आई, मंत्रीजी पदासीन हुए लेकिन प्रशासन का नजरिया बदलना नहीं चाहिए। जो विकास के काम हो रहे थे वह एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने वाले नहीं थे। उस इलाके से जनता पार्टी भी जीती है, जनसंघ भी जीता है, कांग्रेस भी जीती है, कुल मिलाकर जनता पार्टी 4 सीटें जीतकर आई है। उस जिले ने कोई आपके साथ अन्याय नहीं किया। आपके लिहाज से उस जिले में यदि कांग्रेस को बहुमत मिला तो वह आपकी दृष्टि में गलती हो सकती है। वहां से मैं जीता, आपकी दृष्टि में गलती हुई, शीशराम व सुमित्राजी भी जीतीं। आप बदले की भावना से इन कामों को बंद करके जो बदला लेना चाहते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। सूरजगढ़ से लुहारू सड़क पर काम हो रहा था, चिड़ावा से मंडावसर गुढ़ागौड़जी से

(श्री रामनारायण चौधरी)

लुहारू पर काम चल रहा था। हमें आशा थी कि जनता पार्टी के शासन के बाद अधिक काम होंगे और जो काम चल रहे थे, उनको चालू रखेंगे। उनको पूरा करने का आश्वासन देते, बजट में प्रावधान करते तो अपनी जीत की खुशी मनाने, जशन मनाने के लिए जनता पार्टी वालों को मौका मिलता। इस दृष्टि से अपने यहां सड़कें और पुलों का ज्यादा निर्माण करते। मुझे खुशी होती यदि नवलगढ़ से लुहारू सड़क मंजूर की होती। लेकिन आपने तो तमाम कामों को बंद किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सड़कों का काम ही नहीं रुका, ठेकेदारों का पेमेन्ट भी रुका जिसके कारण गरीब मजदूरों को पेमेन्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपना पेट काटकर कठिन दिनों में मई व जून में काम किया था। आज उनको पेमेन्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कितना जघन्य अपराध है? जिन लोगों ने रोटी कमाई थी उनका भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि सड़क के काम को रोक दिया है। जो आवागमन के साधन विकसित होने चाहिए, उनमें अवरोध ही पैदा नहीं किया बल्कि उनको खतम किया। तो आप अपने राजनैतिक नजरिये को बदलें। जो काम आपने बंद किए हैं उनको चालू किया जाए, जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। हमारे जिले में एक पैसे का प्रावधान नहीं रखा। आप अधिक से अधिक प्रावधान और रखें सड़कों के लिए ताकि पुराने कामों को पूरा करें और नई सड़कों की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन) : मैंने मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र कपासन की ओर दिलाना चाहूंगी। चुनाव के दौरान गांवों में वोट लेने के लिए मैं जब जाया करती थी, वहां के लोगों से मिला करती थी, वे लोग बताया करते थे कि उनके गांवों में न लाइट की व्यवस्था है, न सड़कों की। उन्होंने मुझे बताया कि लाइट इस कारण नहीं आई क्योंकि जब वे मंत्रीजी के पास जाते थे तो वे कहते थे कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया और काम के लिए हमारे पास आए हैं। उसके बाद में उन्होंने सड़कों की बात कही। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहनजी वोट तो आपको दे देंगे, मेहरबानी करके हमारी सड़कों का काला मुंह जरूर करवाना.......

एक माननीय सदस्य : काला मुंह ?

श्रीमती श्यामा कुमारी : हां डामर को कहते हैं। भोपाल सागर से बोंड, बोंड का खेड़ा हड़मतिया, तांडा, खेड़ली, फलासिया, बबराना, रोलिया, गुमान पुरा, उचनार, भीम खंड, सूरखंड और भादसोड़ा लगभग 15 किलोमीटर का टुकड़ा है जिस पर मेवाड़ शुगर फैक्ट्री तथा सरकार के समझौते के अनुसार अकाल राहत के अन्तर्गत 10 वर्ष पूर्व केवल पत्थर डाल दिये गए, वह भी सरकार ने डाले। इसके अतिरिक्त कुछ काम नहीं हुआ। आज तक वह पूरी नहीं बनी।

इसी तरह से राशमी रूट पर, चोखा खेड़ा होकर वामण्ये जाने वाली सड़क कई वर्षों से अधूरी है, उसको पूरा किया जाए।

इसके अलावा रेलमगरा से मात्रि कूण्ड्या तक 3 माइल तक टुकड़ा नहीं होने से अनेक सड़कों के कनेक्शन्स बंद हैं। इसके

(श्रीमती श्यामा कुमारी)

बनने से बसों का भीलवाड़ा से सीधा संबंध हो सकता है। इसके अतिरिक्त फतहनगर से पटोल्यां होकर अकोला जाने वाली सड़क का लगभग सात माइल का टुकड़ा है जिसमें तीन पुल टूटे हुए हैं, चार माइल पर पत्थर और कंकरी पड़ी है उसका मामूली काम बाकी है। इसी तरह से, सभापति महोदय, कपासन से भादसोडा वाया शनि महाराज की सड़क, जो 25 मील का टुकड़ा है, के अभाव में भादसोड़ा से कपासन जाने में चित्तौड़ होकर जाना पड़ता है जिससे कि 50 मील का चक्कर हो जाता है। अगर उसको आप बना दें तो 25 मील के टुकड़े पर घूम कर जाना बन्द हो जायेगा और जनता को राहत मिलेगी।

इसी तरह, सभापति महोदय, मण्डपिया सावराजी मैटल रोड भादसोड़ा तक है। आगे भादसोड़ा से सावराजी और वहां से कपासन तक का एक छोटा सा 20 मील का टुकड़ा है। अगर वह आप बना दें तो जनता को काफी राहत मिल सकेगी। वहां सड़क है नहीं और इससे परेशानी होती है। सभापति महोदय, ताणा मेरे क्षेत्र में एक बस्ती है जो कि चार हजार की बस्ती है। वह सड़क से दूर है। बरसात में वह गांव चारों तरफ पानी से घिर कर एक टापू का रूप ले लेता है और सभी स्थानों से उसका सम्पर्क टूट जाता है। बीमार व्यक्ति को वहां से जाना पड़े तो वह नहीं जा सकता है। इस कारण लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। तो इसको अगर सार्वजनिक मन्त्री महोदय पूरी करा दें तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी। इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कांकरोली से रेलमगरा वाया राजियावास, जोकि एक 16 मील का छोटा सा टुकड़ा है वहां पर कुछ वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डामर की सड़क बनायी गयी बता कर लोगों को पैसों का चुकारा भी कर दिया लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां आज दिन तक कोई सड़क नहीं है। मेरा निवेदन है कि 1977-78 की निर्माण योजना जो चित्तौड़ जिले की बनायी जाय उसमें जिन सड़कों के नाम बताये हैं उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पहले जो भ्रष्ट चीफ इन्जीनियर महोदय थे उन्हें निकाल कर नये चीफ इन्जीनियर साहब को लगाया है जो कि अच्छे आदमी हैं।

अब, सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, भानपुरा जलीन्द्री तक सड़क बनायी जाय। सभापति महोदय, 45 वर्षों से मान्डलगढ़ मेरा क्षेत्र है जिसमें मैं काम कर रहा हूं और जब मरूंगा तब त्रिवेणी नदी में ही मेरे शरीर के अवशेष डाले जायेंगे। सभापति महोदय, वहां मेरा कोई मकान नहीं है न कोई और मेरी प्रोपर्टी है। जो कुछ है वह मेरा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लोगों को पूरा सुख मिले यह मेरी तमन्ना है। मेरा मान्डलगढ़ का क्षेत्र ऐसा है, सभापति महोदय, जहां पर सड़कों का अभाव है। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में चौमासे में ऐसी हालत हो जाती है कि आना जाना

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बहुत मुश्किल होता है । वहां सड़कें नहीं होने से चौमासे में बसें भी नहीं जा सकती हैं । अतः आप भानपुरा से जलीन्द्री बड़व्यास से त्रिवेणी नदी तक वाया दीगोद और सींगली, जो संगम स्थान है, सड़क बनवा दें । मेरे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि सड़कें जहां कहीं है वह टूटी हुई हैं । उनके पत्थर निकले हुए हैं । उनकी हालत इतनी दयनीय है कि उनकी तुरन्त मरम्मत कराई जानी चाहिये । अगर आप भानपुरा से जलीन्द्री से और बड़व्यास से त्रिवेणी नदी, बीगोद, त्रिवेणी से जहाजपुर वाया काथोला व सलावटिया से कोटा रोड को ठीक करा दें तो काफी जनता को राहत मिलेगी । अगर आपने घोषणा की है कि हम छोटी जोतों पर लगान माफ कर देंगे, तो हम आपको लगान के पैसे देकर सड़कों को बनवाने के लिये पैसे दे सकते हैं । आप कृपया उन सड़कों की हालत तो सुधारिये । सभापति महोदय, सलावटिया से कोटा रोड की हालत बहुत खराब है । जगह-जगह पत्थर निकले हुए हैं । वहां पर 25 हजार मजदूर काम करते हैं । सलावटिया से कोटा रोड है उसको आप कोटा नगर से जवाहर सागर रोड से मिलाइये तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी । इसी तरह एक छोटा सा टुकड़ा है तिलिस्मा से पापड़ घाटे का 3 माइल का है यदि वह आप बनवा दें तो हम मध्य प्रदेश तक आराम से जा सकते हैं । इससे जनता को काफी आराम मिलेगा । इसी तरह तिलिस्मा में डिजीजन का बड़ा तीर्थ है । सभापति महोदय, वहां पर सात मील का टुकड़ा है उसको अगर आप बना दें तो ठीक है । आज, सभापति महोदय, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां यात्रा करने आते हैं और वहां पर ऐसी खराब हालत है कि उस सात मील के टुकड़े में कई बार औरतों के गर्भपात हो जाते हैं । इसलिये या तो उस सड़क को बना दीजिये या फिर आप वहां पर एक बोर्ड लगा दीजिये कि सुलभ गर्भपात हो सकता है । वहां पर गर्भपात उन खड्डों से इतना जल्दी हो जाता है कि उसे फिर दूसरी जगह गर्भपात कराने की आवश्यकता ही नहीं । सभापति महोदय, मैं वहां पर 45 वर्षों से काम कर रहा हूं । हमारे यहां पर सांगानेर से भीलवाड़ा रोड बहुत खराब है उस पर बड़े-बड़े खड्डे हो गये हैं । उसे ठीक करा दें । वहां पर दो मील के टुकड़े में ही तीस हजार खड्डे हैं । पहले वहां पर कार्य प्रारम्भ हुआ था । पर वह बन्द हो गया है । मेरा निवेदन है कि जोजवा त्रिवेणी के मध्य में नाली का खुर्रा बहुत खराब है । इसके लिये मेरा निवेदन है कि तुरन्त कार्यवाही करें जिससे जनता को परेशानियों से राहत मिले । इसी के साथ जैसा कि तिलिस्मा के बारे में मैंने निवेदन किया, वहां पर पुलिया है उसे तो आप जल्दी ठीक करा ही दें । वहां पर पत्थर की खानों की वजह से सैकड़ों ट्रक आते हैं, हजारों दर्शनार्थी आते हैं । आप उस को ठीक कराने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करा दें । इसके अलावा भीलवाड़ा से बिजोलिया टाक सड़क बहुत खराब है । उसमें हजारों गड्ढे हैं उन्हें तुरन्त ठीक कराया जाये । वहां पर खनिज के भन्डार बहुत बड़े हैं इसलिये आप इस ओर विशेष ध्यान दें । बस इतना ही निवेदन करके यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने जिन सड़कों के लिये निवेदन किया है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ।

श्री सभापति : श्री जगदीश सिंह ।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): सभापति महोदय, धौलपुर क्षेत्र को अगर एक ऐसा क्षेत्र कहा जाय जो कि राजस्थान में होते

(श्री जगदीश सिंह)

हुए भी उसी तरह अलग है जिस तरह से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान. तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । आज, सभापति महोदय, राजस्थान बने तीस साल हो चुके हैं लेकिन धौलपुर की सड़कों का आज दिन तक कोई विकास का काम नहीं हुआ । तीस साल की आजादी के बाद भी धौलपुर को राजस्थान की राजधानी से नहीं जोड़ा गया है, कोई सीधा सम्पर्क नहीं । अगर धौलपुर जाना हो तो वही सरमथुरा से होकर जाओ । या फिर दूसरा रास्ता बाड़ी वाया बसेड़ी होकर, बन्द बरेठा होकर है । वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया है । अगर एक दस पन्द्रह किलोमीटर का रास्ता बना दें तो काफी ठीक रहेगा । आज ऐसी स्थिति है कि कोई भी आदमी राजस्थान में आता है तो जिस तरह आप पाकिस्तान जावें तो आपको पासपोर्ट या परमिट लेना पड़ता है उसी तरह वह चाहे कार से जवें, चाहे बस से जावें, चाहे ट्रक से उस को परमिट राजस्थान में आने के लिये लेना पड़ता है कोई सीधा रास्ता नहीं है जिससे कि आप राजस्थान की राजधानी जयपुर आ सकते हैं । कितने खेद का विषय है कि तीस सालों में भी धौलपुर की सड़कों का विकास करना दूर रहा उसे राजधानी तक से नहीं जोड़ा गया है । इससे वहां के लोगों को बहुत ही परेशानी होती है । पिछले तीस सालों से धौलपुर की उपेक्षा कांग्रेस राज्य में हुई है और मैं समझता हूं कि अभी भी धौलपुर की उपेक्षा सड़कों के मामले में हो रही है । वह पिछड़ा हुआ ही है । इसके अलावा वहां पर जितनी सड़कों पर पुलियाओं की हालत है वह बहुत ही खराब हैं । सरमथुरा से बाड़ी तक न बस, न कार, न जीप ही जा सकती है । वहां जाने के लिये आपको 30 मील के टुकड़े का चक्कर काट कर जाना पड़ता है । आज आप करोड़ों रुपये की सैल्स टैक्स, रोड टैक्स वहां से प्राप्त करते लेकिन आप वहां की सड़कों की हालत को सुधारने को तैयार नहीं हैं । जहां आप इतनी आमदनी करते हैं कम से कम आपको वहां की जनता का तो ख्याल रखना चाहिये । आज वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । हर दो तीन महीने बाद मोटरों के टायर बदलने पड़ते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है, धौलपुर की सड़कों की हालत सुधारी जाय और वहां जो पुलियायें हैं उनका अच्छी तरह से निर्माण कराकर उन्हें मुकम्मल कराया जाय । मुझे आशा है कि जिस तरह पिछले तीस सालों तक धौलपुर की उपेक्षा होती रही है आइन्दा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और अधिक उपेक्षा नहीं की जायेगी । सभापति महोदय, वहां पर पार्वती का एक पुल है जिसको बनाने के लिये सुखाड़ियाजी ने उद्घाटन किया था । आप देखिये कि सुखाड़ियाजी कब मुख्य मंत्री थे । उस वक्त पुलिया के निर्माण का उद्घाटन किया था पर वह आज तक पूरा नहीं हो सका है । वहां पर आज पुलिया नहीं होने से ऐसी स्थिति है कि साल में चार महीने तक अगर कोई बीमार हो जावे तो वह वहां से आ जा नहीं सकता । चाहे किसी की मृत्यु हो जाये तो हो जाये । मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय । दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि धौलपुर में जाने के लिये आपको वाया आगरा होकर जाना पड़ता है वाया खेड़ा, अगर वहीं पर आप सात मील की सड़क बना दें तो मैं समझता हूं कि जो लोगों को 45 मील का चक्कर लगाना पड़ता है वह बन्द हो जायेगा और उनका समय भी बचेगा । लोगों को लाभ भी होगा । इसी प्रकार दस किलोमीटर का टुकड़ा और है । जहां पर पहले

(श्री जगदीश सिंह)
काम चालू हुआ था पर अब वह काम रुका हुआ है पता नहीं क्यों ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

अगर वहां सड़क नहीं बनायी गयी और पुलियाओं का निर्माण नहीं कराया गया तो वहां पर लोगों की बिना इलाज किये ही मृत्यु हो जायेगी। नदी-नाले बहुत हैं जिसके लिये सरकार को जल्दी से जनता की भलाई के लिये ध्यान देना चाहिये। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इससे अधिक खेद की बात क्या हो सकती है। केवल एक किलोमीटर के कारण पचास हजार व्यक्ति इफेक्टेड हैं। वे आज भी अलग-थलग पड़े हुए हैं। वह सड़क आज भी यों ही पड़ी हुई है। डामर रोड नहीं हो तो कम से कम ऐसी रोड हो ताकि पैदल चल कर आदमी आ जाय। पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने इस काम को नहीं किया। जनता पार्टी की सरकार और माननीय मंत्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान दें और इसको पूरा करवायें।

धौलपुर के पास ही जो सड़क है वह तीन मील बन चुकी है और कुल 6 मील का टुकड़ा है। तीन मील अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं। 30 वर्षों में धौलपुर में सड़कों का निर्माण किया ही नहीं गया है। वहां रोजाना कत्ल की घटनायें होती हैं, डकैतियां होती हैं, पुलिस को पहुंचना पड़ता है। सड़क न होने से पुलिस को दिक्कत होती है। इस सड़क को बनाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट और यू.पी. ने तय किया था। दूसरी तरफ तो काम शुरू हो गया है लेकिन इधर काम शुरू नहीं किया गया है। छोटे-छोटे गांवों में जाने के लिये और कोई सुविधा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि उस सड़क के निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

कांग्रेस सरकार के द्वारा हाथ में ली हुई सड़कों को कम्पलीट करने की कोशिश की जावेगी, इसकी मुझे पूरी आशा है।

श्री सभापति : श्री एच.एन.शर्मा।

श्री एच.एन.शर्मा (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय एवं अधिकारीगण का मेरे कटौती प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उस मार्ग से आता हूं जो कि आज हिन्दुस्तान का एक तीर्थ स्थान है। ऐसा तीर्थ स्थान है जिसे देश की ग्रामीण जनता ने अपने खून और पसीने से सींचा है और जिसका विकास किया है। एक तीर्थ स्थान तो वह होता है जहां पर जाकर लोग अपने पापों को धोते हैं लेकिन यह एक तीर्थ स्थान ऐसा है कि जिसे ग्रामीण लोगों ने अपना खून-पसीना एक करके सींचा है, जिस की प्रगति और विकास के लिये ग्रामीणों ने अपना खून और पसीना बहाया, उस तीर्थ स्थान का नाम रावतभाटा है। जहां से बिजली मिलती है। जहां बिजली है, पानी है लेकिन...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण न पढ़ें।

श्री एच.एन.शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके विकास के लिये कर्मचारियों ने, ग्रामीणों ने खून-पसीना बहाया इसलिये वहां पर सड़कों का जाल बिछाकर आप देश की प्रगति में सहयोग दें।

(श्री एच. एन. शर्मा)

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रावतभाटा ऐसा स्थान है जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यह भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के तहत है। उसको भैंसरोडगढ़ तहसील और जिला हैडक्वार्टर से नहीं जोड़ा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको जल्दी ही भैंसरोडगढ़ तहसील और जिला हैड-क्वार्टर से जोड़ दिया जाय।

चारभुजा दीप पुरा घाटा रोड का 14 साल पूर्व काम हाथ में लिया गया था। उसके बाद कोई काम नहीं किया गया। उस रोड पर बड़े-बड़े गांव आते हैं लाडपुरा आदि और पापूलेशन काफी है।

जिसको काला पानी कहा जाता है उसकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बेगूं क्षेत्र में उसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और गांधी सागर की डूब में जब गांव आये थे तब से वह टापू बन कर रह गया है। चारों तरफ से कटा हुआ है और कोई आवागमन का साधन नहीं है। वह टापू जैसा अलग हिस्सा बन गया है। मेरा निवेदन है कि उसको सड़क से जोड़ा जाय। रावतभाटा को गांधी सागर, रतनगढ़ से इसको जोड़ा जाय ताकि वहां जो पांच सात हजार लोग हैं वे लोग कृषि उपज ला सकें और अपना भरण पोषण कर सकें।

एरिनपुरा से केकरी रोड है। वहां सिंचाई विभाग का काम चल रहा है लेकिन सारा साल रोड बनाते-बनाते चला गया। वह एक डेढ़ किलोमीटर है। यहां सिंचाई विभाग के कमिशनर भी विद्यमान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इम्पार्टेन्ट रोड है इसको जल्दी ही पूरा कराया जाय।

साथ ही कहना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्तर्गत रोड्स बनायी गयीं उसमें बेगूं से नदवई रोड बनायी। अब मौजूदा बजट पेश किया गया है उसमें बेगूं तहसील के लिये कोई खर्चा नहीं दिखाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी रोड्स अकाल राहत में बनी हुई हैं वे अधूरी पड़ी हुई हैं। उनको तुरन्त पूरा करायें जिससे कि जिन ग्रामीण लोगों ने इस देश की प्रगति और विकास में अपना खून-पसीना बहाया है उनको कोई राहत मिल सके। उन लोगों को कृषि की अपनी उपज वहां से ले जाने में सुविधा हो जाये तो उनका आर्थिक विकास हो सकेगा। मुझे आशा है कि खुद मंत्री महोदय अधि-कारीगण से जानकारी प्राप्त करके उन रोड्स का विकास करके, उनको बनवा कर ग्रामीणों के आर्थिक विकास में सहयोग देंगे।

श्री सभापति : श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव रेगिस्तानी क्षेत्र में सड़क निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं कर क्षेत्र के गांवों को जोड़ने के आधार पर कराये जाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये है। इस विषय में मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान के जो सीमान्त इलाके हैं उनके क्षेत्रीय विकास के लिये जनसंख्या को आधार कभी नहीं माना जाना चाहिये अन्यथा उनकी उन्नति के लिये,

(श्री किशनसिंह भाटी)

उनके विकास के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं हो सकेगा। यदि हम उस क्षेत्र की सड़कों की ओर देखें तो सन् 65 में सदर अय्यूब ने जब हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया था तो जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र की 96 चौकियां कब्जे में आने से सुरक्षा की दृष्टि से मजबूर होकर भारत सरकार को सड़कें बनानी पड़ीं। जो इस बुकलेट में सड़कें दिखायी गयी हैं वे बोर्डर डिफेन्स रोड्स हैं, सिविल रोड्स नहीं हैं। जोधपुर से जैसलमेर 200 मील है और उसका 16062 स्क्वायर मील एरिया है। वहां केवल एक ही बड़ी सड़क 70 मील पोकरण से जैसलमेर तक की है। एक-आध और पांच-छः मील का टुकड़ा है। बाकी कोई सड़कें नहीं हैं। सुरक्षा के लिये सड़कें बनीं, मजबूरी थी और क्लेसिंग इन डिस्गाइस था। यदि आवश्यकता हुई तो मजबूरन बनानी पड़ेंगी उसमें किसी का अहसान नहीं। यदि नयी सरकार यह चाहती है कि क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है तो उन इलाकों को, जो कटे हुए हैं, दवाई, कपड़ा, और अन्य आवश्यक दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह सुविधा उपलब्ध हो। जिनको प्राप्त करने के लिए 50 मील 100 मील चल कर दूर जिला हैडक्वार्टर पर, जैसलमेर आकर प्राप्त करना पड़ता है, वह उनको अपने क्षेत्र में ही मिल जाय। जैसलमेर को मैं चार हिस्सों में विभाजित करता हूं टोपोग्राफी की दृष्टि से एक्स्ट्रीम साउथ में, उत्तर और दक्षिण में जो इलाका आया हुआ है वहां एक-एक हजार, 800 स्क्वायर वर्ग मील पर बहुत से ऐसे गांव आये हुए हैं जहां कतई कोई सड़क नहीं है और 30 वर्ष की आजादी के बाद सड़क के नाम पर चवन्नी भी खर्च नहीं हुई, फेमिन में करोड़ों रुपया पश्चिमी इलाके में बरबाद किया गया कोई उपयोगिता नहीं हुई। करोड़ों रुपया फेमिन में फूंक दिया, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र, जिसे सोडान क्षेत्र कहा जाता है, व दूसरे क्षेत्र में, फेमीन में करोड़ों रुपया फूंक दिया उसमें दो रुपये भी सड़क पर खर्च नहीं किये गये। अतः, सभापति महोदय, आपकी मार्फत खास तौर से मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सोडान क्षेत्र के गांव जिला हैडक्वार्टर से 150 मील दूर पड़ते हैं, बाड़मेर-जैसलमेर कान्स्टीट्यूएन्सी शिव में पड़ते हैं और जैसलमेर का जिला लगता है, उन गांवों से हैडक्वार्टर पर पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं हैं। ऐसे गांव, जो दूर-दूर तक बसे हुए हैं, के लोगों को राशन, दवाई, शक्कर आदि लाने के लिये हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है। गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय। यदि जनसंख्या का फार्मूला लगाया गया तो आने वाले पचास वर्ष में भी वहां पर कोई सड़क नहीं बनेगी। लिहाजा मेरा प्रस्ताव इसी बारे में है। उन क्षेत्रों का डवलपमेंट आप को करना है उनको दूसरों के बराबर लाना है। उनको जयपुर से जोड़ना है और उनको जरूरत की चीजें मुहैय्या करानी हैं। उनको जरूरत की जो चीजें लानी पड़ती हैं वह चीजें आज मंहगाई से जुड़ी हुई हैं। आगे ही उस इलाके के लोग गरीब हैं और सारी चीजों से कटे हुए हैं। इस प्रकार मंहगाई आप और बढ़ा रहे हैं। मंहगाई के ऊपर आज प्रस्ताव भी आया और विवाद भी हुआ। वहां के लोगों को चीजें पहले ही मंहगी मिलती हैं वहां गाँवों में चौगुनी और पांच गुनी मंहगी हो जाती हैं। जयपुर से, जोधपुर से वहां जिला हैडक्वार्टर पर चीजें पहुंचती हैं और फिर उसके बाद गांवों में पहुंचती हैं तो पहुंचते-पहुंचते मंहगी हो जाती हैं। आप इसी तरह का विकास चाहते हैं कि जिला हैडक्वार्टर से लोग छः गुनी मंहगी चीजें

(श्री किशनसिंह भाटी)

लेते रहें तो बात दूसरी है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की यह मंशा नहीं है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देते हुए जैसलमेर पर रहम कीजिए। मैं उस जिले की बात नहीं कहता वरना माननीय सदस्य कहेंगे कि अपने ही जिले की बात करते हैं। जैसलमेर वह क्षेत्र है जहां हिन्दुस्तान का पहला एटामिक एक्सप्लोजन हुआ। उसको हमारे यहां पोकरण में कराया। उसके लिये जमीन किसी ने नहीं दी। जिसके कारण भारत गौरव से अपना सर ऊंचा कर सकता है उसके लिए हमने ही अपनी जमीन दी। इसके अलावा सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज दिया है तो जैसलमेर ने दिया है। हमने अपने 33 गांवों की दस हजार आबादी को इसके लिए उजाड़ा है। 750 स्क्वायर मील का एरिया भारतीय सेना को युद्धाभ्यास के लिए दिया है। मिलिटरी अपने डवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए व्हीकल्स के लिए सड़क बनाती है तो कम से कम उन सड़कों को अपनी सड़कों में मत गिनाइये। हम देश के लिए इतना त्याग करते हैं तो इसी बजट में कम से कम सड़कें प्राप्त करने की आप से उम्मीद करता हूं। आप सड़कें वहां बनायें।

मैं आपको कुछ सड़कें सुझाऊंगा, वह यूटीलिटी की भी हैं। वह केवल जैसलमेर की सड़कें नहीं हैं वरन वह राजधानी को भी जोड़ेंगी। अगर सेतरावा से देवीकोट जोड़ देते हैं तो जोधपुर से जैसलमेर पड़ता है 200 मील उसमें 30 मील की कमी आ जायेगी। वह 15-20 मील का टुकड़ा है। जोधपुर से जैसलमेर में इस तरह से 30 मील की दूरी कम रह जायेगी। इसी तरह से नापना और नोख सड़क पूरी कर देते हैं तो चालीस मील की सड़क है। एक नोख गांव है यह पुराने जैसलमेर की हुकूमत का हैडक्वार्टर था और आज भी वहां पर नायब-तहसीलदार का आफिस है लेकिन जैसलमेर का गांव होते हुए बिलकुल बोर्डर पर है इसलिए उसको नाचने से जोड़ा जाये। इसी तरह से दूसरी झीझनीमाली सड़क से जैसलमेर को जोड़ दें। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों की यह कामन सड़क है। बाड़मेर की कान्स्टीट्यूएन्सी के 33 गांव आयेंगे और फिर जैसलमेर केवल जिला लगता है। इस लिए यह दोनों डिस्ट्रिक्ट का काम है और 40 मील की सड़क है। साकड़ा-पोकरण सड़क है अगर यह सड़क जोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा उपकार होगा। मेरा ख्याल है कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे।

हालांकि मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लेकिन इतना ही कहूंगा कि पहले सुखाड़ियाजी ने कहा था, भ्रष्टाचार का मामला कोई हो तो बताना। मैंने 8 लोगों को उस समय पकड़वाया। उन्होंने मुझे चेलेन्ज किया था। आप भी चेलेन्ज करेंगे तो आपको भी ऐसे पकड़वा दूंगा। फलसून से शेरगढ़ सड़क बताई वह सड़क डामर की बनी हुई बताई है लेकिन वह 12 मील तो रेत की ही बनी हुई है। आप चाहें तो इन्क्वायरी कर लें।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है ओल्ड एज पेन्शन के बारे में....

श्री सभापति : अभी नहीं। इर्रेलेवेन्ट।

श्री रंगजी।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल।

Page No 124

(124)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर स्टेशन पर एक रेल्वे ओवर-ब्रिज बना था । सवाई माधोपुर से उसको जोड़ने के लिए एक मील का टुकड़ा था । वहां के अधिकारियों ने उस को सीधा नहीं निकालकर इस तरह से निकाला है जिसमें तीन चार बैण्ड डाल रखे हैं और आये दिन वहां पर दुर्घटनायें होती हैं । वहां के अधिकारियों ने कृषकों से लाखों रुपये खाकर ऐसी रोड बनाई है । मैं, मंत्री महोदय, आपसे यही निवेदन करता हूं कि उस एक मील के टुकड़े को बिलकुल सीधा किया जाये जिससे कि आये दिन की दुर्घटनायें नहीं हों ।

दूसरा मेरे क्षेत्र की सड़कों के संबंध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खण्डार क्षेत्र में सड़क नाम की चीज देखने को नहीं मिलती । सारे क्षेत्र में कहीं भी रोड नहीं है । बरसात के दिनों में लोग वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं । न कोई आने के साधन हैं और न जाने के साधन हैं । तो सवाई माधोपुर से खण्डार का टुकड़ा है वह लिंक रोड बना दी जाये । उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं । मेरे क्षेत्र में सूरवाल से भगवतढ़ रोड के लिए मिट्टी पड़ी हुई है और पत्थर भी पड़े हुए हैं लेकिन उस रोड को आज तक पूरा नहीं किया गया । मेरा निवेदन है, उसको भी पूरा किया जाये । चोरू से चौथ का बरबाड़ा सड़क है उसको भी आज 15 साल का अर्सा हो गया । उस पर मिट्टी पड़ी हुई है और फेमिन में पत्थर भी डाले थे । उस पर सरकार को थोड़ा पैसा लगाने की जरूरत है इसलिए वह सड़क भी पूरी कर दी जाये ।

इसी तरह से फलसा कवारी और ईसरदा से सिवाड़े जो रोड है यह ऐसी रोड है जो कि शहरों को जोड़ने वाली रोड है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लिंक रोड को पूरा कर लिया जाये तो खण्डार का डवलपमेंट हो सकता है ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल वर्मा ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, 30 साल में जिन जगहों पर सड़कें नहीं बनीं उनको पहले प्राथमिकता दी जाय । मैं निवेदन करूंगा कि देवलिया से शाहपुरा रोड जाती है उसके बीच में खारी नदी आती है उस पर पुलिया आज तक नहीं बनी । इन दिनों में कम से कम दस बसें आती हैं और दस बसें जाती हैं लेकिन उस पर पुलिया नहीं है । अगर वहां पर पुलिया नहीं बन सके तो रपट तो उस पर बना दें । इसी तरह से डाई नदी पर भी पुलिया बनायें । नार से विजयनगर, मैं निवदन करूं, रपट टूटी हुई है । उस पर पुलिया बनाने के लिए कई बार कहा जा चुका है लेकिन आज दिन तक नहीं बनाई । वहां नाला आता है इस कारण आज भी बसें नहीं निकल पाती हैं । इसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । जावड़ा जाने वाली सड़क पर भी पुलिया का बनना जरूरी है । किटावा से कामरिया सड़क 6 गांवों को लिंक करती है । जब बरसात आती है तो वह हिस्सा टापू बन कर रह जाता है । इसलिए वहां रपट बनाना जरूरी है । लसाड़िया-केकड़ी बसें भी खड़ी हो जाती हैं क्योंकि सारा लिंक बरसात के दिनों में टूट जाता है । इसलिए वहां पर भी पुलिया बनना जरूरी है । केकड़ी से सावर जाने वाली सड़क पर खारी नदी आती है उस पर भी पुलिया बनाना

(श्री रतनलाल वर्मा)

जरूरी है। उस सड़क के बारे में भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने कई बार वायदे किये लेकिन वह कभी नहीं बनी। उन्होंने लोगों को सिर्फ चकमे ही दिये और इस क्षेत्र को उन्होंने पिछड़ा ही रख दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर पुलिया बनाना जरूरी है ताकि कम से कम 20-25 गांव जब बरसात आती है तो बिलकुल टापू बन जाते हैं। इससे वह बच जायं।

दूसरी बात यह है, सभापति महोदय, विजयनगर से नागोड़ा सड़क बिलकुल बेकार हो रही है। ब्यावर से केकड़ी रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं चार-चार और छः-छः इंच के गड्ढे हैं। उस पर डामर भी न जाने कब हुआ था, वह बिलकुल बेकार पड़ी है। इसी तरह से बांदनवाड़ा से सराड़ा रोड पर भी डामर रोड नहीं हैं। उस पर 6 इंच के गड्ढे पड़े हुए हैं और बहुत हालत खराब है। इसी तरह से आपसे निवेदन करूं कि नसीराबाद बरोड़ा सड़क में भी खड्ढे पड़े हुए हैं। उन सड़कों पर ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं, आपसे निवेदन करूं कि अगर कोई गर्भवती महिला जाती है, वह पीहर या ससुराल जाती है तो उसका पीहर ससुराल रास्ते में हो जाये ऐसी हालत हो रही है। अगर उस रास्ते रामचन्द्र चौधरी जाते तो उनको मालूम पड़ता। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, इस सड़क के काम को पहले हाथ में लिया जाये। इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करूं कि हर पंचायत हैडक्वार्टर से हर गांव को जोड़ा जाये। आज मंहगाई की बात हो रही है। मंहगाई क्यों बढ़ी? कम से कम पांच पर्सेंट महंगाई बढ़ने का कारण सड़कों का न होना है। एक गाड़ी के अन्दर 20 मन वजन आ सकता है और बैल लेकर आता है केवल 5 मन। महंगाई बढ़ने का यह भी एक कारण है। 30 साल तक इन लोगों ने इंजीनियर्स का पेट पाला और इलेक्शन में पैसा लिया है। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सड़कें बनाई जायें। लाम्बा-मसूदा-भिनाय की सड़कें बनाई जायें इस से कम से कम 25 गांव जुड़ जायेंगे। इस विषय में ज्यादा न कह कर यही निवेदन करूंगा कि सड़कें हर गांव को लिंक करती हुई बनानी चाहियें। उनको लम्बा निकालना चाहिए, यह पालिसी बनानी चाहिये और भेदभाव नहीं बरतना चाहिये। गांवों को पंचायत हैडक्वार्टर से लिंक करें। उन सड़कों को पूरा करें जो अधूरी पड़ी हैं। कहते हैं काला मुंह कर दो। मतलब है डामर कर दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूं, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। एक कटौती प्रस्ताव पर मैं बोल गया, दूसरे पर अब बोलता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो पर बोल गये।

श्री रतनलाल वर्मा: माननीय सभापति, केवल एक पर ही बोला हूं।

सभापतिजी, मेरा यह निवेदन है कि विभाग का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग न होकर पेट निर्माण विभाग होना चाहिए। यह लोग, मैं कहूं कि जहां 5 लाख रुपये का काम होता है तो मौके पर केवल तीन लाख लगाते हैं, दो लाख जेबों में जाता है। छोटे इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक इसमें शामिल होते हैं। यह वर्षों से चला आ

Page No 126

(126)

(श्री रतनलाल वर्मा)
रहा है। आज भी चेलेंज के साथ कहता हूं कि पंचायत समिति के मकान बने हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वे ऊपर से चूते हैं। उन मकानों में बैठ नहीं सकते। स्कूल के भवनों में बच्चे बैठ नहीं सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये। पांच मिनट बोल गये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं। मेरा एक निवेदन है मंत्री महोदय से कि सन् 1952 से दिसम्बर, 76 तक जो भी असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर थे उनकी सन् 1952 के अन्दर क्या आर्थिक स्थिति थी और आज क्या आर्थिक स्थिति है। माननीय मंत्रीजी, आप जांच करने की कोशिश करें तो अपने आप मालूम पड़ जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : केवल आधा मिनट में समाप्त करता हूं।

माननीय मंत्रीजी, अगर यह जांच करें तो निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकारी बिल्डिंग थीं, वहां जो अस्पताल बना है, भिनाय में परिवार नियोजन केन्द्र है ये तमाम के तमाम चूते हैं। लोग क्या करते हैं अन्दर तो आम की लकड़ी लगाते हैं...

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : यही निवेदन करूंगा आखिर में कि मंत्री महोदय, आप उन पुराने मंत्रियों की तरह मत रहें। यह लोग आपको इनडायरेक्टली चकमा देंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे।

श्री सभापति : कृपया अब बैठिये। माननीय श्री आलम अली खां।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : बांसवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कें, पुलियायें और जहां-जहां सरकारी भवन बने हैं उनमें अधिकतर धन का दुरुपयोग हुआ है। सभापति महोदय, पिछली सरकार के वक्त में जो भी सार्वजनिक निर्माण कार्य कराये गये उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सभापति महोदय, वर्षा ऋतु में बांसवाड़ा जिला एक टापू बन जाता है। बांसवाड़ा से रतलाम के बीच में पुलिया है वह चार-चार रोज तक पानी में डूबी रहती है। बांसवाड़ा से 5 मील दूरी दोहद रोड पर एक पुलिया नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में टापू बन जाता है। आवागमन बन्द रहता है। लाखों लोगों का प्रश्न है। सन् 73 में जबरदस्त बाढ़ आई, माही नदी पर एक पुल था लाखों रुपये का वह बह गया। सन् 1973 से आज तक ठेका दिया लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने से सारा आवागमन बन्द हो जाता है। बांसवाड़ा से डूंगरपुर, व अहमदाबाद बांसवाड़ा से उदयपुर बसें चलती हैं। रास्ता बिल्कुल बन्द रहता है। कई लोग माही

(श्री नाथूराम)

नदी में बह गये हैं। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुल को कम्प्लीट कर उसका आने वाली वर्षा से पहले श्री गणेश करना चाहिये ? दो-दो मिनट में बसें निकलती हैं। नदी के दोनों तरफ बसें इस रूट पर खड़ी रहती हैं। लोग अपनी जान को खतरे में डाल कर नदी में नाव से उतरते हैं। इसलिये इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये।

इसी तरह से अनास नदी है, उसमें कडाना का पानी आ जाता है। आदिवासियों को पेशी के लिये बांसवाड़ा आना पड़ता है। गढ़ी बांसवाड़ा आने में दिक्कत रहती है। गुजरात से आने का रास्ता खुला रहता है। कडाना का पानी आ जाने से रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, पुल जो बना रहे हैं वह जल्दी से जल्दी पूरा करके आदिवासियों को राहत दिलायें। आदिवासी तहसील हैडक्वार्टर पर जाते-आते हैं तो रास्ता बन्द रहता है इसलिये इस पुल को शीघ्र कम्प्लीट करना चाहिये। इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय,. . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इस विषय में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री नाथूराम : सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रस्ताव है उन कामों को मैं बताता हूं। संक्षेप में बता देता हूं। ट्राइबल सब-प्लान में लाखों रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जाता है वह रुपया कहां खर्च होता है ? शहरों के पास सड़कें चौड़ी करके और प्लान की सड़कों पर पैसा खर्च करके झूठे बिल बनायेंगे। उस ट्राइबल प्लान का जो रुपया था उसे आदिवासी क्षेत्र में पड़ी अधूरी सड़कों के बनाने में लगाया जाना चाहिये था जैसे एरोड्रम से संगमेश्वर तक भुखिया रोड को मिलाने के लिये। कई गांव उसमें आ जाते हैं। प्राइवेट बसें चलती हैं उनको भी ऐसे क्षेत्र से अपनी बसें हटानी पड़ीं। काफी मलबा उस रोड पर पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है, सभापतिजी, आधी रकम में वह सड़क पूरी हो सकती है, क्योंकि काफी मलवा सड़क का पड़ा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं एरोड्रम से गोपीनाथ का गढ़ा और गोपीनाथ का गढ़ा से परतापुर 10 किलोमीटर पर है, कई बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं इसलिये यह रोड बनाई जाय। अभी इस रास्ते में एक मटी से जाने वाली नदी में, बहकर मर गई। वहां मीलों दूर तक हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। सड़कें नहीं होने के कारण उन बच्चों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मैं निवेदन करता हूं गोपीनाथ का गढ़ा और परतापुर की 10 किलोमीटर सड़क को बनाना आवश्यक है।

वहां 10 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं और ट्राइबल सब-प्लान का पैसा दिया जाता है इसलिये मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करता हूं उस सड़क को पूरा करना चाहिये। अरथोना से चान्दनवाड़ा, शेरगढ़ इन सब इलाकों में आदिवासी रहते हैं। ट्राइबल सब-प्लान का रुपया है उससे इन सड़कों को ठीक कराना चाहिये। काफी मलवा वहां पड़ा हुआ है, प्राइवेट बसेज चलती हैं, लेकिन चान्दनवाड़ा से चलने के लिये आदिवासियों को कोई बस नहीं मिलती है। तो मैं इस लम्बी सड़क बनाने के लिये निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर ग्राया हूं परसों मैं वहां से वापस यहां ग्राया हूं। मेरे क्षेत्र की जो दुर्दशा है उसको मैं वर्णन किये बिना नहीं रहूंगा। मैं ग्रपने क्षेत्र में गया। काली सिंध की हालत ग्रत्यन्त खराब थी ग्रौर मुझे ग्रपने क्षेत्र में पहुंचने में भी काफी समय लग गया। वहां के लोग काफी पीड़ित हैं। सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि रास्ते ही बन्द रहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जहां-जहां शिक्षा के क्षेत्र हैं वहां सड़कों की हालत सुधारी जाय। सुल्तानपुरा में . . . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा क्षेत्र कोटा, बूंदी, हाड़ोती है। वहां कांग्रेस के सदस्यों ने अकाल राहत के नाम पर 12 ग्ररब रुपये गरीब जनता पर सड़कों के लिये खर्च कर दिये। हमारा झालावाड़ क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से भंयकर क्षेत्र है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि मैं स्वयं वहां से यहां सात घंटे लेट ग्राया हूं। एक बजे कोटा से चलें तो चार बजे प्रातः तक ग्रा सकते हैं। वह रास्ता चार घंटे के बजाय 18 घंटे में तय हुग्रा है। इसलिये कोटा-जयपुर मार्ग वाया भोपाल के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव के जरिये मांग की है कि यह सड़क राष्ट्रीयकृत होनी चाहिये। इस पर, सभापति महोदय, साढ़े तीन हजार ट्रक बम्बई से दिल्ली तक रोज चलते हैं। इतना महत्वपूर्ण मार्ग भी ग्राज उपेक्षित है ग्रौर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार व्यक्तिगत रूप से इसकी तरफ तवज्जह दे तो यह सारा का सारा मार्ग नेशनल हाई वे में परिणित हो जायेगा। इसके साथ ही, सभापतिजी, वह सारा क्षेत्र उपजाऊ भी बन सकता है, क्योंकि हाड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रनाज की सम्पदा सारे राजस्थान में पहुंचाता है। ग्रगर राजस्थान में गंगानगर ग्रौर कोटा जिला इतना ग्रनाज पैदा नहीं करें तो राजस्थान में भंयकर समस्या हो सकती है। इसलिय मेरी मान्यता है कोटा-जयपुर वाया भोपाल नेशनल हाई वे में जोड़कर राजस्थान की जनता को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है कि पी. डब्ल्यू. डी. में भंयकर भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमानजी, राजस्थान सरकार ने 76 के ग्रन्दर 32 रोड रोलर खरीद थे। वह कौनसी कम्पनी के खरीदे थे ? संजय की कम्पनी से। ग्रभी सुल्तानपुर में दो रोड रोलर पड़े हुये हैं उन पर मारुति नाम लिखा हुग्रा है। मारुति रोड रोलर 74 में कम्पनी से लेना तय किया था ग्रौर 44 हजार प्रति रोड रोलर का राजस्थान सरकार ने लोन दिया लेकिन दुर्भाग्य है जैसे ही उसको टैस्ट किया ग्रौर सर्टिफिकेट दिया तो यह पाया गया कि ये रोड रोलर राजस्थान में काम नहीं ग्रा सकते हैं। वे ही रोड रोलर संजय ने दिसम्बर, 75 में चार हजार रुपये कम करके खरीदे थे। इस तरह संजय को चालीस हजार का फायदा दे दिया गया। उन पर केवल बाद में हरा रंग पोत दिया गया ग्रौर मारुति की प्लेट लगाकर वही राजस्थान सरकार को 1 लाख 25 हजार में बेच दिये। ग्राखिर संजय कैसे बने ? इसी प्रकार तो मालामाल हो गये।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को केन्द्र की सरकार से 32 लाख का कर्जा दिया गया फिर भी उन रोड रोलर का पेमेन्ट करने के लिये पैसा नहीं बचा।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
राजस्थान सरकार ने कन्टिन्जेन्सी फण्ड से पैसा निकाल कर दिया। इस प्रकार राजस्थान की छाती पर बोझ रख कर 1 लाख 25 हजार रुपये संजय गान्धी को खुश करने के लिये दे दिये गये। 1 लाख 25 हजार का पेमेन्ट किया है।

श्री सभापति : इस विषय पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 32-33 रोड रोलर राजस्थान की छाती पर.......

श्री सभापति : आपका इस विषय पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है 32 रोड रोलर आज राजस्थान में पड़े हुये हैं। जिन-जिन क्षेत्रों में वे रोड रोलर गये, कहीं भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं।

श्री सभापति : मेरी प्रार्थना है माननीय सदस्य से, इस प्रकार के प्रश्न पर बहस न की जाय जो कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब मैं माननीय सभापति के क्षेत्र के विषय में निवेदन करूंगा...

(व्यवधान)

कोटा एक इण्डस्ट्रियल एरिया है। वहां सड़कों पर ओवर ब्रिज बनाना बहुत आवश्यक है, एकदम आवश्यक है......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो कटौती प्रस्ताव हैं, उसी पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपने तीन कटौती प्रस्ताव दिये हैं। एक में बोलना बाकी है ...

श्री दाऊदयाल जोशी : एक पर ही बोलूंगा। कोटा की मुख्य सड़क जो शिवपुरी को मिलती है उस पर काली सिंध और सांगोद को जाने वाले मार्ग पर काली सिंध पड़ती है इसलिये उस मार्ग पर पुल बनाकर राहत प्रदान करें। कहीं भी कोई सांगोद-दीगोद क्षेत्र में सड़क नहीं है। मण्डावा के लिये एक रोड बनाई जाने वाली है......

श्री सभापति : इस बारे में आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है.....

(व्यवधान)

इस बारे में आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है......

श्री सभापति : वह इस विषय पर नहीं है। मैं निवेदन करता हूं आप कृपापूर्वक अपना भाषण समाप्त करें.....

श्री दाऊदयाल जोशी : 64 नम्बर पर है। मैंने दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, श्रीमान्, एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोटा से शिवपुरा मिलाने वाली सड़क जो ग्वालियर को मिलाती है .....

श्री सभापति : इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य। आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें। आप बिराजिये।

Page No 130

(130)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट में, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : जोशीजी, कृपया विराजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बस एक मिनट में ।

कोटा में इन्डस्ट्रियल एरिया है और वहां भारी ट्रैफिक दौड़ता है । मैं ललित किशोरजी की तरफ से बोल रहा हूं, उनकी भी यह कहने की भावना थी लेकिन कह नहीं सकते । उनकी ही भावना को बता रहा हूं कि कोटा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास चम्बल का पुल है वह पुल टूट जाने के कारण सारा ट्रैफिक चम्बल बैराज पर होकर निकाला जाता है । इससे यह डर और हो गया है कि इतना भारी ट्रैफिक निकलने से कहीं चम्बल बैराज को खतरा पैदा नहीं हो जाय । इस पुल के लिए यह बात कही गई है कि तीन साल में यह योजना पूरी होगी । पिछले साल भी साठ लाख रुपया खर्च हुआ......

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि एक पुलिया बना कर सारे शहर के ट्रैफिक को कोटा नगर के बाहर से निकाला जाय ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामेश्वर ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर मेरे दिए गए कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । प्रथम में यह निवेदन करूंगा कि मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्य किए गए हैं, या चालू किए गए हैं, वह या तो पूर्ण नहीं हुए । अगर पूर्ण हुए हैं तो उन भवनों के पूर्ण होने तक आगामी बरसात के मौसम में वह चूते हुए नजर आयेंगे । कई सड़कें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं । चौमू से चन्दवाजी जो सड़क है वह दो नेशनल हाई वे के निकट है । उसका काम शुरू किए हुए काफी अर्सा हो चुका है । उसमें कई पुलिया वगैरह आती हैं लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा अभी तक उन सड़कों का काम पूर्ण नहीं करवाया गया है । इसी तरह से कालाडेरा से गोविन्दगढ़ काफी पुराने समय से निर्माणाधीन है । गत दस वर्ष से सड़कों का कार्य चल रहा है । हर साल हम सुनते हैं इस विभाग के द्वारा कि उन के लिये बीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार रुपयों का बजट प्रोवाइड किया गया है लेकिन अभी तक वे सड़कें पूरी नहीं हुईं । हर साल देखते हैं कि वे सड़कें ऐसी ही पड़ी हुई हैं । लास्ट में विभाग द्वारा कह दिया जाता है कि बजट पूरा हो गया । इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि ऐसी जो अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा करायें । माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के अन्दर यह घोषणा की है कि इस वर्ष नई सड़कें कोई स्वीकृत नहीं की जायेंगी और जो पुरानी सड़कें हैं, सन् 75 के पूर्व की स्वीकृत सड़कें हैं उनको पूर्ण करवाया जाएगा । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस ओर खास तौर से ध्यान देकर जो अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा करवायेंगे ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीयकृत

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

मार्गों पर जो पुलिया अधूरी हैं या जिनका निर्माण नहीं हुआ है, जो निर्माणाधीन नहीं हैं उनको प्रथम प्रायोरिटी देकर उनका निर्माण करायें। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र में ही गोविन्दगढ़ के पास पुलिया का निर्माण गत तीन वर्षों से चल रहा है लेकिन उसकी हालत भी वैसी की वैसी ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो नेशनल हाई वे के अन्तर्गत पुलियायें आती हैं उनको प्रथम प्रायोरिटी देकर अगर पूरा करवाया जाय तो मेरा खयाल है कि राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी जो आते हैं उनको सुविधा होगी। उस पुलिया के बारे में मेरा निवेदन है कि उस रोड से भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी दो चार बार गये हैं लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने पीरियड में कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मंत्री महोदय उस पर ध्यान दे कर उसको जल्दी पूरा करवायेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट है उसका दुरुपयोग कई तरह होता है। माननीय मंत्री महोदय, अगर इसको गौर से सुनेंगे और अपने जवाब में इसका उल्लेख करेंगे तो उचित होगा। मेरा अर्ज करना है जब भी कोई मंत्रीगण किसी टूर पर जाते हैं, कोई केन्द्रीय मंत्री हों या प्रान्तीय मंत्री हों, जब मंत्रीगण उधर से जाते हैं तो उन रोड्स को टिपटोप किया जाता है। उनके ऊपर लाल बजरी डलवायी जाती है और इस तरह से डलवाई जाती है जिससे मालूम हो कि देह क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी हैं उनका मेंटीनेंस बहुत अच्छा है। पी. डब्ल्यू. डी. वाले बहुत अच्छा मेंटीनेंस कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, सभापति महोदय। मैं अभी कम्पलीट कर रहा हूं।

इसके मुतल्लिक मैं एक उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से देना चाहूंगा। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री हरिदेवजी जोशी जब गोविन्दगढ़ पधारे थे तो तीन दिन तक रात दिन काम चला कर उस रोड पर बजरी डलवाई गई। एक फुट ऊंची लाल बजरी का बजट दिखाया गया जब कि तीन इंच बजरी ही बिछाई गई। इस तरह से पचास हजार का खर्च किया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री महोदय ने और वर्तमान मंत्री महोदय ने अभी तक कोई जानकारी नहीं ली और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

ठीक इसी तरह से एक और निवेदन करता हूं कि जो अकाल राहत के अन्दर सड़कें बनी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अकाल राहत कार्य समाप्त हो गया। जिलाधीश से कहते हैं तो वे कहते हैं कि अकाल का पीरियड समाप्त हो गया, हमारे पास बजट नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं कि हमारे अधीन नहीं हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो ऐसी अधूरी सड़कें हैं उनको डिपार्टमेंटल वर्क द्वारा या कैसे भी कम्पलीट करवाया जाय। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मेरे क्षेत्र जेतपुरा से अणतपुरा की सड़क है। अभी मार्च में लोक सभा के चुनाव हुए तो भूतपूर्व विधान सभा के अध्यक्ष, रामकिशोरजी व्यास ने वहां के लोक सभा के लिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको नाजायज फायदा

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
पहुंचाने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर बिना किसी टेंडर के उस रोड पर बजरी डलवा दी जो आज भी मौजूद है। टेंडर हुए भी तो दस-पांच रोज में कम्पलीट हो गए। माननीय सभापति महोदय, मैंने उसके मुत्तल्लिक वर्तमान मंत्री महोदय से निवेदन किया, मैंने चीफ इंजीनियर को टेलीफोन कर बात की, मैंने लिखित में सूचना दी लेकिन अभी तक ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बिना किसी टेंडर के ठेकेदारों को आदेश देकर जो माल डलवाया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की। मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन है मंत्री महोदय से कि उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, जिसने बिना किसी टेंडर के, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और किसी प्रकार से व्यासजी को सफल बनाने के लिए इस तरह का कार्य किया है, जांच की जाय और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ चौमू क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें अधूरी हैं उनको इसी बजट में कम्पलीट करने का मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में जो राशि होती है उसको खर्च करने में क्षेत्रीय असंतुलन बरता जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो माननीय मंत्री महोदय हैं वे बड़े निष्पक्ष, नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। चीफ इंजीनियर महोदय भी पहली दफा इस राज्य के अन्दर इस पद पर आए हैं, अभी वे भी ईमानदार हैं, उनके नीचे जो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं उनकी साख भी अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बजट के अन्दर खर्च करने के मामले के अन्दर किसी प्रकार की कोई भावना, किसी क्षेत्र विशेष के लिए मोह नहीं रखा जाय। वैसे मैं थोड़ा आगाह करना चाहूंगा :

Hunger and youth never look for the root, one for beauty and other for the food.

भूख और जवानी अपनी पूर्ति के लिए कभी भी राह नहीं देखती। तीस साल तक जिन लोगों को कुर्सी का मोह था, उन्हें अपनी मनमानी सड़कों को बनाने का मोह था, उनकी भूख थी, उसी का नतीजा यह हुआ कि वह कुर्सी की भूख से आज बहिर्गमन कर गए। अफसोस इतना ही रहा मुझे कि जिस प्रकार जयपुर नगरी को उन्होंने गुलाबी शहर के नाम से भगवे रंग से रंगा दिया उसी तरह से तीस साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद भगवे रंग के कपड़े रंगवा कर उन कपड़ों में वाक आउट करते तो मैं समझता कि कुछ कल्याण की ओर, कुछ निर्माण की ओर जा रहे हैं या आत्म चिंतन करने जा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर भी एक कमीशन की भूख है वह कमीशन की भूख ऐसी है, सभापति महोदय, यह कमीशन की भूख जिन इंजीनियरों को है, जिन्हें उससे ऐसा लगाव है, उनको ईमानदार व्यक्तियों ने, बड़े ओहदे वाले जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं रोका और उन पर नजर नहीं रखी और हमारे जो मंत्री

(श्री माधोसिंह कछवाह)

महोदय हैं वे शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कोटा के होने के कारण उन्होंने स्कूलों का कोटा ज्यादा ले लिया लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सड़कों के मामले के अन्दर कोटा का ज्यादा कोटा नहीं लेंगे और जोधपुर के मामले में किसी प्रकार भेदभाव का बर्ताव नहीं करेंगे, नहीं तो हंगर और यूथ वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह जो किताब, प्रगति रिपोर्ट दी गयी है, इसमें उद्यानों की सुरक्षा की बात कही गयी है। सभापति महोदय, यह 'सु' शब्द हटा ही दें और रक्षा ही कर लें तो बड़ी बात होगी। जोधपुर के अन्दर मन्डोर व दूसरे छोटे मोटे पार्क हैं उनमें बिजली, सड़क, रोशनी की कई कमियां हैं जिसके बारे में मैं जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि जहां पर हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, पर्यटन स्थलों में उन का बड़ा आकर्षण होता है। वहां के पार्कों की सुरक्षा की जो बात आपने कही है, आशा करता हूं कि उसको आप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे।

जहां तक रोड्स के अन्दर गड्ढे का प्रश्न है, सड़कों की मरम्मत का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी हमारे संबंधित अधिकारियों ने इस पर पूर्णत: ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया होता तो ये गड्ढे नहीं दिखाई देते। यह जो रोड्स के गड्ढे हैं उनको आप भर दें। ये इसलिए हैं कि कमीशन लिया गया है। ये गड्ढे वहां पर कमीशन की कहानी कहते हैं। इसको अब वहां के नागरिक बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अब समय आ गया है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप नई सड़क नहीं बनावें, तो जो सड़कों के अन्दर गड्ढे हैं उनको ही आप ठीक कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत ही कम पैसे का काम है। महरबानी करके आप इन गड्ढों को दूर कर दें ताकि जो टायर, ट्यूब, साइकिलें खराब हो जाती हैं, यह जो नेशनल वेस्ट होता है, उसको रोका जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा और निवेदन करना है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप दुबारा घंटी बजा देंगे तो मेरा गला खराब हो जाएगा।

जहां तक पुलियाओं का सवाल है, इस पुस्तिका में बड़ी पुलियाओं का जिक्र किया गया है लेकिन छोटी-छोटी पुलियाओं के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बालसमंद तालाब है। जब उस पर पानी ओवर फ्लो होता है, तो उस पानी के बीच में से एक सड़क निकलती है। वह सड़क माइन्स की तरफ जाती है। उस सड़क पर कई बैलगाड़ी उलट चुकी हैं। बरसात के दिनों में जब तालाब ओवर फ्लो होता है तो रास्ता रुक जाता है। यह पुलिया तीस साल से पूरी नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर माइन्स की गाड़ियां जाती हैं, उनकी सुविधा के लिए मंत्री महोदय विशेष रूप से ध्यान देंगे। नेशनल हाई वे जोधपुर के आस-पास की पुलियां हैं, उन पर कोई लम्बा चौड़ा खर्च नहीं होगा। उन

(श्री माधोसिंह कछवाह)
पर भी ध्यान देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 19 व 21 पर कुल मिला कर मैंने 9 कटौती प्रस्ताव दिए थे उनमें से दो ही प्रस्तावों को शामिल किया गया है।

सबसे पहले तो मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जिन गांवों में दूध की डेयरियां हैं, जहां पर सहकारी समितियां हैं, कम से कम उन गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम इस बजट के अन्दर बनाया है—इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह भी घोषणा की गई है कि 30-3-78 तक जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं उनको पक्का, पूरा करा दिया जाएगा। यह भी स्वागत योग्य है। इसके साथ ही परिगणित क्षेत्रों के लिए जो स्वीकृत सड़कें हैं, जो स्वीकृत सड़कें पड़ी हुई हैं, उनको भी पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

सब से पहले जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उनको मैं दो भागों में विभाजित करूंगा, एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित हैं जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त है, और दूसरा मेरे क्षेत्र की मांग से संबंधित है। इस बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। मेरे क्षेत्र की मांग को देखते हुए, सब से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र अजमेर से सीकर रूट है। उस मार्ग को तुरन्त पक्का रूट बनाया जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र के 40–50 गांव से होकर वह सड़क निकली है। उससे वे गांव शेखावाटी के इलाके से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसको शीघ्र ही पक्का करें।

इसी प्रकार किशनगढ़ से कुचोल सड़क है। उस पर बीस, तीस मील पर एक नदी है। उस पर पुल बना हुआ है। वह टूट चुका है। अब कोई आवागमन का साधन नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो पुल रामनेर ढाणी के पास टूट गया है, उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाया जाए।

इसी तरह से किशनगढ़ से हरमाड़ा रोड जाती है। उसका एक चार मील का टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है। वह रोड अधूरी है उसको पूरा किया जाए। हरमाड़ा पहले जीरे की प्रसिद्ध मंडी थी। उसकी जो उपेक्षा आज हो रही है, उसको दूर करने के लिए तुरन्त उस सड़क को, जो अधूरी है, पूरा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार सलीमाबाद रोड है। सलीमाबाद निम्बीकाचार्य का तीर्थ स्थान है। वहां पर भी एक चार मील का टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है। उसको पूरा करवाया जाए। इसी के साथ ही निम्बाड़ा से जो रोड गई है, उसके चारों तरफ पशुओं की संख्या बहुत है। पशुओं की संख्या को देखते हुए उस सड़क को भी जोड़ा जाए।

इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बघेरा से केकड़ी सड़क है, वह भी खराब है। उसको भी शीघ्र ही पूरा करवाया जाए।

अब मैं, श्रीमान्, सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। मैं यह देख रहा हूं कि जनता पक्ष और विरोधी पक्ष लगातार एक

(श्री करतारसिंह)
दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें रचनात्मक कार्य करके बताना चाहिए। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने की कोशिश करें। आज तक जो हो चुका उसको बार-बार उठाने में कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से . . .

श्री नवनीत पालीवाल : फिर भ्रष्टाचार कैसे बाहर आएगा ?

श्री करतारसिंह : ये मेरे अपने विचार हैं। आपके विचार दूसरे हो सकते हैं।

सभापति महोदय, आज काफी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। 40 पर्सेन्ट बिल का लिया जाता है। इसके बावजूद सड़कें, जो बनी हैं वे अधूरी हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार है। जो मसाला है वह कम डाला जाता है। भ्रष्टाचार इस विभाग में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है इसको मिटाने के लिए मैं सदन में दो-चार सुझाव देना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मेरा यह निवेदन है कि जिला लेवल पर आपको जिला सतर्कता कमेटी गठित करनी चाहिए। उसमें जनता का प्रतिनिधि हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग का अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता हो ताकि जनता की जो भावना है, उसका आदर करते हुए इस विभाग का काम हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इस विभाग में अलग से एक सतर्कता प्रकोष्ठ कायम हो जैसा कि रोडवेज ने दस्ते कायम किए हैं। राजस्थान लेवल पर इस प्रकार दो-चार दस्ते कायम किए जायं जो मौके पर जाकर जांच करें कि आपने जो ठेका दिया है, वहां पर ठेकेदार बराबर मसाला लगा रहा है या नहीं लगा रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन है जो सड़क बनाई है वह पूरी बनायें। जैसा कि सामान लगाना चाहिये वह लगाया है या नहीं ? इससे ठेकेदार और छोटे अधिकारियों का भ्रष्टाचार मिट सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आजकल होता यह है कि वह होटलों पर बैठे रहते हैं।

इसके अलावा जहां गांव को एक किलोमीटर सड़क से ही जोड़ने का सवाल हो तो वहां जोड़ने की कोशिश की जाये। एक हजार का खर्चा हो वह भी कर दें ताकि उससे छोटे-छोटे किसानों को फायदा हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से राज्य सरकार के सामने महंगाई का सवाल है।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर संभाग अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में आदिवासी जनता निवास करती है। आजादी के बाद सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां पर किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में काफी योजनाएं चलाई गई हैं लेकिन सड़क नहीं होने से, सड़कों के अभाव में वह सभी अधूरी हैं। उस क्षेत्र में जो अधिकारी जाते हैं वह सड़कों से नीचे उतर कर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए गांवों से उनका बराबर सम्पर्क नहीं हो पाता

(श्री नन्दलाल मीणा)
है चूंकि साधन सड़कों का अभाव है मैं हाई वे नं. 8 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। नेशनल हाई वे नं. 8 जहां गांवों के बीच से होकर निकाली गई हैं उस पर तेज ट्रेफिक चलता है। आदिवासी लोग अशिक्षित हैं इसलिए आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मार्च, 1977 से लेकर अब तक काफी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा निवेदन है कि जहां भी सड़कें निकाली जायें वह गांवों के बीच में से नहीं निकाली जायें जिससे कि यह घटनाएं नहीं हो पायें। ये आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। पारसोला सड़क निकाली जाये जो धरियावद में मिलाई जाये जिससे उदयपुर क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हो जाए। जाखम डेम बनाया गया है। वहां जो सड़क है, वह जाखम डेम से प्रतापगढ़ तक कच्ची है। इससे सरकार को भी परेशानी उठानी पड़ती है। धरियावद से प्रतापगढ़ सड़क पक्की बना दी जाये तो 12 महीने रास्ता चालू रखा जा सकता है। उदयपुर से धार सड़क बनाई जानी चाहिये। अधिकांश लोग धार से आगे महादेव जी सादेश्वरजी जाते हैं। इस क्षेत्र में घनी आदिवासी वस्ती है इसलिये आदिवासियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह सड़क बनाना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राष्ट्रीय सड़क नं. 8 पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार उसकी ओर ध्यान दे और गांवों के बीच में जहां भी सड़क गुजरी है स्पीड ब्रेकर बनवाये जावें। उस क्षेत्र की अब तक उपेक्षा की गई है। वहां पर सड़कों का निर्माण किया जाये। जो सड़कें बनी नहीं हैं, अधूरी हैं, उनको पक्का किया जावे। उदयपुर संभाग में खासकर प्रतापगढ़ को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये

श्री सभापति : श्री हनवन्तसिंह।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) : सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जिसकी हमेशा से उपेक्षा होती रही है। लेकिन प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र से वह कम महत्व का नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरे क्षेत्र के पांच गांव ऐसे हैं जो केवल 30 मील के एरिया में हैं। सड़क होने से वहां का माल मण्डी में पहुंच सकता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए सड़क बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सेवाड़ी, बीजापुर, खेड़ा, चामुण्डेरी और कना इन सभी आदिवासियों के गांवों में कहीं भी सड़क नहीं है। इस प्रकार से गांवों की उपेक्षा करके पिछली सरकार ने उन्हें कभी महत्व नहीं दिया है। मैं सरकार से आपके जरिये से अपील करूंगा कि उन गांवों को सड़क से जोड़ा जाये ताकि सभी गांव के लोगों की हालत ठीक की जाये। मेरे क्षेत्र में बहुत से गांवों में पुलिया टूट गई हैं। नान के पास जवाई नदी पर पुलिया बनाकर स्टेशन से फिर जोड़ दिया जाये। इस बार भी 15 दिन तक इधर-उधर से सम्पर्क नहीं हो सका। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहूंगा कि रणकपुर और देलवाड़ा को जोड़ने वाली तीस मील की सड़क है, वह उधर की दूरी को कम करती है। इस सड़क को बना दिया जाय तो पर्यटन की दृष्टि से वह स्थान बनाया जा सकता है। देलवाड़ा में और रणकपुर में प्रसिद्ध जैन मन्दिर

(श्री नन्दलाल मीणा)
है अगर आप ध्यान दें तो पर्यटन के हिसाब से भी उसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है।

मैं अपने क्षेत्र के लिए कई सड़कों की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बाली से पिण्डवाड़ा जाने वाली जो तीस मील की सड़क है, उसको पूरा कर आप पूरे क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने में सहयोग दें।

श्री **सभापति** : माननीय श्री जीतमलजी।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो गत तीस वर्षों के अन्दर कांग्रेस ने चाहे कोई भी विभाग हो उसमें भ्रष्टाचार को पनपाया है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में विशेष रूप से भ्रष्टाचार को पनपाया है। इस...

श्री **मूलचन्द डागा** : यह क्या शुरुआत की है आपने ?

श्री **जीतमल जैन** : इस विभाग के अन्दर हर प्रकार के घोटाले और अनियमितताएं हुई हैं। उनको मैं सदन के सामने रखूं, तो सदन सुनकर दंग रह जायगा। राजस्थान की गरीब जनता और कर दाताओं से आने वाला पैसा जिस बेरहमी के साथ इस डिपार्टमेंट में खर्च होता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं कुछ अनियमितताओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सब लोगों ने नये चीफ इन्जीनियर साहब के अपाइन्ट होने के लिये बधाई दी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीफ इन्जीनियर साहब को स्टाफ के बारे में जानकारी नहीं है। 1972 में दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी थी उसके अन्दर कुछ इन्जीनियरों को लगाया गया था, उससे काफी बदनामी हुई थी क्योंकि उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया। लेकिन दुःख की बात है कि उन्हीं इन्जीनियर्स को इस बार भी प्रदर्शनी में अपाइन्ट किया गया, उन्हीं को वहां पर डेप्यूट किया गया है। अगर चीफ इन्जीनियर साहब कहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके नाम भी बता सकता हूं।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनियमितताएं इस डिपार्टमेन्ट में चलती हैं, वास्तव में यह डिपार्टमेन्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट न होकर पेमेन्ट विदाउट डेन्जर डिपार्टमेन्ट होना चाहिए।

श्री **मूलचन्द डागा** : आप यह नाम पलट दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री **जीतमल जैन** : इसमें काफी भ्रष्टाचार होता है। जितने ठेके दिये जाते हैं और ठेकेदारों को पेमेन्ट किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का उनको कोई खतरा नहीं है, इसलिये इसका नाम पेमेन्ट विदाउट डेन्जर डिपार्टमेन्ट होना चाहिए।

इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर इन्जीनियर्स को साइट पर जाने के लिए पेट्रोल के लिए कुछ रकम अलाट की जाती है। वह रकम जितनी होती है वह तो दो-तीन महीने में ही समाप्त हो जाती है। बाकी समय के अन्दर जो पेट्रोल जलता है उसके लिये सड़कों की मेन्टीनेन्स के लिये जो रकम दी जाती है उस राशि में से खर्च करते हैं।

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : माननीय सदस्य, यह पेमेन्ट विदाउट डेन्जर इन कमिंग है या आउट गोइंग ?

श्री मूलचन्द डागा : फाइन-फाइन । उत्तर नहीं है ।

श्री जीतमल जैन : सड़कों की मेन्टीनेन्स के लिये जो पैसा दिया जाता है, उसमें से बाकी साल भर तक पैट्रोल खर्च किया जाता है । इस प्रकार से जो पैसा सड़कों की मेन्टीनेन्स के लिये खर्च किया जाना चाहिये वह पैट्रोल पर खर्च होता है । एक डिवीजन में लगभग तीस हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होता है । पी. डब्ल्यू. डी. के 40 डिवीजन हैं, अगर प्रत्येक डिवीजन से तीस हजार की रकम बचाई जाय तो इस हिसाब से 12 लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसी प्रकार से साइट पर जाने के लिये, जहाँ पर बस जाती है वहाँ पर इन्जोनियरों को, एक्स. ई. एन. को और ए. ई. एन. को बसों से जाना चाहिए, इससे टी. ए. और डी. ए. बचाया जा सकता है । ये लोग साइट पर जीपों से जाते हैं जिससे विभाग का खर्चा बढ़ता है, इस पैसे को बचाकर सड़कों पर लगाया जाय तो जो दुर्दशा आज सड़कों की हो रही है, वह कम हो जायगी । इसी प्रकार से मेन्टानेन्स ऑफ बिल्डिंग के लिये कुछ रकम अलॉट की जाती हैं मगर देखने में यह आता है कि वह रकम बड़े-बड़े अधिकारियों की कोठियों पर ही खर्च की जाती है । चाहे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का बंगला हो, चाहे एस.पी. का बंगला हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन का बंगला हो, उन्हीं पर सारा पैसा खर्च किया जाता है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अलवर में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कोठी है उसमें तीन बार मेन्टीनेन्स का खर्चा हुआ है । जो भी सज्जन आये, उनमें से एक को कोई एक कलर पसन्द था, तो दूसरे को दूसरा कलर पसन्द था.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं ।

दूसरी ओर जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, जो साधारण कर्मचारी हैं उनके क्वार्टरों की दुर्दशा देखें तो दंग रह जायेंगे । जो क्वार्टर साधारण कर्मचारियों के हैं, उनको देख कर ऐसा लगता है कि यह ह्यूमन बींग के लिये न होकर जानवरों के रहने के लिए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन क्वार्टरों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उचित खर्चा होना चाहिए । इस बारे में मैं सुझाव दूंगा कि बड़ी-बड़ी कोठियों के अन्दर रंग-सफेदी का कार्यक्रम बन्द कर दिया जाय । इससे जो बचत हो वह कर्मचारियों के लिए नये क्वार्टर बनाने पर खर्च की जा सकती है । अगर तीन साल तक भी यह व्यवस्था चालू रहे तो जो बड़े-बड़े शहरों के अन्दर कर्मचारियों के लिये मकानों की समस्या है वह काफी हद तक हल हो सकती है ।

इसी प्रकार से स्टोर से जो आर्टिकल दिये जाते हैं, पर्दे, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उन पर पांच पर्सेन्ट चार्जेज लिये जाते हैं । नये-नये पदों के लिए जो खर्चा किया जाता है मैं उसको अनुचित समझता हूं । इस रुपये को बचाकर छोटे कर्मचारियों के क्वार्टर पर खर्च किया जा सकता है ।

इसके साथ ही एक बात और है कि कोटकासिम क्षेत्र के अन्दर तीन वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है, जब कि वहां के जो अधिकारी हैं, वह 800 रु. तनख्वाह पाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, मेरा समय भी इनको दे दिया जाय।

श्री जीतमल जैन : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दोनों प्रस्तावों पर ?

श्री गंगासिंह : हां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोनों प्रस्तावों पर बोलिये अब आप। अभी सौ सदस्य बाकी हैं।

श्री जीतमल जैन : इसके अलावा पिछले दिनों में एक सर्क्यूलर निकला था कि बड़े-बड़े अधिकारियों की कोठियां पे के हिसाब से होनी चाहिए लेकिन उस सर्क्यूलर को ताक में रख कर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेंट इन्जीनियर और जिलाधीश वगैरह बड़े-बड़े अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और बड़ी-बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। अगर इन कोठियों को पे के हिसाब से अलाट कर दिया जाय तो काफी बचत हो सकती है। प्राइवेट मकानों को लेकर जिन अधिकारियों को रहना पड़ता उस पैसे की भी बचत हो सकती है। इस तरह से तीन-चार तरीकों से काफी बचत की जा सकती है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और छोटे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण कराया जा सकता है।

श्री सभापति : श्री गंगासिंह, आप नहीं बोलेंगे।

श्री गंगासिंह : नहीं।

श्री सभापति : श्री माणकलाल।

श्री माणकलाल (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे कस्बे का नैनवा का निवासी हूं

(6.30 सायं)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

तीस मील की दूरी पर बड़े-बड़े शहरों और कस्बों के बिल्कुल मध्य में नैनवा है। उदाहरणार्थ नैनवा से बूंदी 42 मील, नैनवा से इंदरगढ़ 35 मील, नैनवा से टोंक लगभग 40 मील और नैनवा से देवली लगभग 44 मील। इस प्रकार नैनवा बड़े-बड़े जो शहर और कस्बे हैं उनके बीच में है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केवल एक सड़क ही नैनवा से वाया देवली व खटकड़ बूंदी तक ऐसी सड़क है जो पक्की कहलाती है। इसके अलावा जितने भी कस्बे और शहरों के नाम मैंने लिए एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो पक्की सड़क हो। आपको आश्चर्य होगा कि नैनवा से 4 मील के फासले पर ही टोंक जिला आ जाता है लेकिन 4-4, 5-5 मील की दूरी तक जाने के लिए भी कोई सड़क नहीं है। जब वर्षा नहीं होती है, फेयर वेदर होता है, उस समय नैनवा से टोंक होते हुए जयपुर तक 100 मील का केवल सफर करना पड़ता है। 40 मील करीब टोंक नैनवा से है और 60 मील उससे आगे जयपुर आ जाता है लेकिन वर्षा काल में जब बसें बंद होती हैं तो सड़कों और पुलियाओं के अभाव मे जयपुर आने के लिए 200 मील से ऊपर जाना पड़ता है। कहां 100 मील; कहां 200 मील। सरकार ने इस बात पर तवज्जह नहीं दी। नैनवा से उनियारा सड़क के बीच में केवल एक पुलिया बनानी है और करीब 5-6 मील का टुकड़ा बनाना है। यह

(श्री माणकलाल)

सड़क बन जाती है तो नैनवा से जयपुर केवल 100 मील रह जाता है। इसी प्रकार वाया नगर वाया धार वगैरह सड़क जाती है, 10-15 मील की सारी है। चूंकि पिछले 30 वर्ष से, माफ करें, नैनवा में विरोधी पक्ष की मोनोपोली रही, नैनवा एक विरोधी क्षेत्र रहा और लगभग सभी बड़े से बड़े मंत्रियों, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, सुखाड़िया और ब्रज सुंदर शर्मा तक को काले झंडों का सामना करना पड़ता था, वह विरोधी दल का किला रहा, उसके दंड स्वरूप वहां सड़कें नहीं बनाई गईं, पुलियायें नहीं बनाई गई।

अब कम से कम जो नई सरकार आई है, वह इस बात को सोचे, जो क्षेत्रीय असंतुलन हमारे यहां पर हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास करे और मुख्य सड़कों को बनाने का किसी भी प्रकार बीड़ा उठाने का कष्ट करे।

निर्माण मंत्री इस स्थिति से परिचित हैं, उनको यह मालूम है कि नैनवा केवल उपेक्षित ही नहीं रहा है बल्कि वह एक शोषित क्षेत्र भी रहा है। मुख्य मंत्री महोदय जब चुनाव के दिनों में वहां पर दौरा करने के लिए गए तब एक अच्छी जीप से रवाना हुए। एक गांव आता है धार के पास बालूंदा वहां उनकी अच्छी जीप फंस गई और उनको मोटर साइकिल पर हम लोग नैनवा तक ले गये। यह स्थिति तो सड़कों की है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री व मुख्य मंत्री जानते हैं, नेता बनने के बाद प्रथम बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने केवल एक मांग उनके समक्ष रखी कि नैनवा क्षेत्र का जो आंतरिक क्षेत्र है वहां की सड़कों का दौरा वह कर लें, सड़कें अपने आप बन जायेंगी। इसी तरह मैं मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक भवनों का सवाल है, वहां पर भवन नहीं हैं। अगर कोई कालेज बनाने का सवाल आता है तो कहते हैं कि भवन नहीं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट का सवाल आता है तो भी यही बात सामने आती है। तो सरकार ने न सड़क बनाई, न भवन बनाया। अभी दो-तीन दिन पहले हमारे क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने आकर कहा तो मैंने उनसे कहा कि पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है तो उन्होंने कहा कि जब हाउस कमेटी आपको ही भवन नहीं दे सकी तो दूसरी जनता के लिए क्या देगी। मैं गवर्नमेंट होस्टल में 24 नं. कमरे में रहता हूं, जब मेरे लिए ही भवन उपलब्ध नहीं हो सकता तो मैं जनता को क्या भवन दिलाऊंगा।

श्री सभापति : श्री बत्तीलाल मीणा।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, यदि उद्योग धंधों के लिए यातायात के साधन जरूरी हैं तो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए सड़कों का होना जरूरी है। यदि इस राष्ट्र का विकास करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान यातायात के साधन और सड़कों पर देना होगा। राजस्थान खनिज पदार्थों का घर है। आज 53 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं क्योंकि पिछली सरकार की 30 वर्ष तक उपेक्षापूर्ण नीति रही। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां के लोग जमीन में सोना बोने वाले हैं लेकिन खेद की बात है कि पिछली सरकार ने वहां केवल राजा-महाराजाओं के समय का एक 6 मील का सड़क का टुकड़ा है उस ओर ध्यान दिया, बाकी कोई सड़क वहां पर नहीं है। बोयती से गढ़नोरा सारी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, वह पूर्ण करवाई जावें। टोडाभीम से नादौती सिर्फ एक ही सड़क है जो टोडाभीम 6 मील का टुकड़ा है। बाकी घाटी है महंदीपुर बालाजी से गढ़मोरा

(श्री बसीलाल मीणा)

से बामनवास 3 मील की दूरी पर जहां पर अनेक बार पिछली सरकार वोट मांगने गई, वायदा किया, आज तक उस घाटी पर पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन मोटर पास नहीं हुई। उसके नाम पर कई लाख रुपये खर्च हुए। वहां की जनता की ओर से मैं सरकार से मांग करूंगा कि उस 25 मील की दूरी के अंदर महंदीपुर बालाजी से गढ़मोरा सड़क नहीं है। उसका राष्ट्रीय महत्व है, वहां 14 पंचायतें हैं। 20-25 मील लंबा राजस्थान का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें कई पंचायतें आती हैं जैसे सराकर पदमपुरा, गनचन्दजी, पुदलरा, रायसना, गढ़मोरा, लालसर इत्यादि। इस प्रकार इतनी पंचायतें हैं, आबादी की दृष्टि से शायद 50 हजार की जनसंख्या होगी, ऐसी जगह एक भी सड़क नहीं है। पुरानी सड़कें जो हैं उनमें एक है जो हिंडौन और गुढ़ाचन्दजी को जोड़ती है, दूसरी है अलवर से गंगापुर रोड, तीसरी है हिंडौन से नादौली और गढ़मोरा रोड। उनको ठीक कराया जाए। इसका राजनैतिक कारण भी है। दो जागीरदार हैं, तीसरा भी एक व्यक्ति है जो हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा है। उसी कारण कई बार नकली सर्वे हुआ पेपर पर, उसका कोई रिकार्ड नहीं मिलता। वहां के लोगों का आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक विकास करना है तो इन नई सड़कों का निर्माण करना जरूरी है।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे यहां पर अगर आप तीन सड़कें नयी बना दें तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। इसमें गंगापुर से अलवर तक सड़क पूरी करवायी जानी चाहिये। वह सड़क तहसील हैडक्वार्टर तक पहुंचायी जानी चाहिये। इसके अलावा दूसरी जो सड़क है वह हिन्डौन से गंगापुर की सड़क है जिस सड़क पर ट्रक वगैरह आते हैं उसे पूरी कराये जाने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर पुलिया भी बनवाई जाय ताकि जनजीवन का आपस में सम्पर्क हो सके। सभापति महोदय, जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सभापति महोदय, एक नयी सड़क है जो महंदीपुर के बालाजी से गढ़मोरा व बामन वास तक बनायी जानी चाहिये। अगर आप वहां पर सड़क बनायें तो लोगों का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से सम्पर्क हो सकेगा। नहीं तो हमें सवाई माधोपुर जाने के लिये पूरे दो दिन बस में जाने में लगते हैं। ट्रेन की बात अलग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों के बारे में मैंने निवेदन किया है जन हित की दृष्टि से उनको अत्यन्त आवश्यक मानते हुए राज्य सरकार उन्हें पूरा कराने का प्रयास करेगी।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके अलावा जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कुछ अधिकारियों को सस्पेन्ड करके धमाका किया था, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह भी उसी प्रकार का धमाका करें। सभापति महोदय, एक ही बार में 23 अधिकारियों को सस्पेन्ड कर दिया गया जिसमें इन्जीनियर्स, डाक्टर, वगैरह कई थे, वे सब एक ही साथ धराशायी हो गये। मुख्य मंत्री ने जिन इंजीनियर्स को सस्पेन्ड

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

किया शायद अकाल राहत कार्य में हुए घोटालों के कारण किया होगा। वैसी ही तस्वीर सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के सामने मैं भी रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि वह उनके खिलाफ में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, मेरे पास में भी कई ऐसे प्रमाण हैं। इंजीनियर्स ने गबन किये हैं भ्रष्टाचार किया है। मेरे पास फोटो स्टेट कापीज हैं, और रिकार्ड मेरे पास है। अगर आप देखना चाहें तो बता सकता हूं। उसको देखने के बाद आप भी मुख्य मंत्रीजी की तरह एक धमाका ऐसे भ्रष्टाचारी इंजीनियर्स के खिलाफ में एक्शन लेकर कर सकते हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जब उन लोगों को सस्पेन्ड किया उस वक्त मैंने यहां पर कहा था कि क्या वास्तव में वह लोग दोषी हैं ? मैं कोई उनकी वकालात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई दोषी व्यक्ति हो तो आप उसके खिलाफ में जरूर कार्यवाही करिये। सभापति महोदय, जिन लोगों को सस्पेन्ड किया गया वह किन मामलों में किया गया है, यह देखने की बात है। जैसे अकाल राहत में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत कार्य में जो काम हुए उसमें सिर्फ कन्स्ट्रक्शन का काम ही इंजीनियर्स के पास होता है बाकी पेमेन्ट जो है वह इन्जीनियर्स नहीं करते हैं। उसका पेमेन्ट तहसीलदार के द्वारा कराया जाता है। जो मस्टर रोल तैयार कराया जाता है वह सरपंच द्वारा बनाया जाता है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि सरपंच कुछ लोगों को, सौ दो सौ लोगों, को मजदूरों को नियुक्त करता है। उसके बाद में ओवरसियर होता है जिसके नीचे तीन हजार, पांच हजार तक लेबर काम करते हैं। यह संख्या कभी-कभी बढ़ कर दस हजार तक हो जाती है। उनका फिर एक कन्सोलीडेटेड बिल तैयार होता है और तहसीलदार उसको चेक करता है और वेरीफाई करता है। उसके बाद में तहसीलदार की प्रजेन्स में पेमेन्ट किया जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें इंजीनियर ने कहां गबन किया ? अगर पेमेन्ट कोई दूसरा करे और मजदूर कोई दूसरा रखे फिर भी इंजीनियर गबन कर ले, यह चमत्कारिक काम कैसे हुआ ? आपने जो निलम्बन किये वह आपने सिर्फ इंजीनियर्स तक ही सीमित क्यों रखे ? आपने तहसीलदार को यों नहीं निलम्बित किया ? सरपन्च को क्यों नहीं निलम्बित किया ? यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि पैसे देने का काम तहसीलदार के नीचे होता हैं और तहसीलदार कलेक्टर के नीचे होता है। इन्जीनियर तो सिर्फ सड़क का काम कराता है कन्स्ट्रक्शन कराता है। जहां आप सड़क बनाने को कहें वहां पर वह कन्सट्रक्शन करेगा। ओवर ओल तो रेस्पोन्सिबिलिटी कलेक्टर की है और कलेक्टर की एजेन्सी के मार्फत जब पेमेन्ट होता है तो क्या जिन लोगों को सस्पेन्ड किया गया है उन्होंने गबन किया है ? अगर किया तो कैसे किया ? यह मुझे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बतायें। अभी सदन में मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि किन-किन लोगों को किस किस दोष में आपने सस्पेन्ड किया ? क्या उनके अलावा और लोग थे जो कि दोषी हैं ? अगर हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिये था। उनके खिलाफ एक्शन लेने की कृपा करें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

वह यह है कि आपने अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक चीफ इन्जीनियर, एक पी. डब्ल्यू. डी. कमिश्नर, जो कि सेक्रेटरी होता हैं, की पोस्ट रख रखी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कमिश्नर महोदय क्या काम करते हैं सिवाय इंजीनियर्स के ट्रान्सफर, प्रमोशन्स के? इसके अलावा चीफ इंजीनियर जो है वह एडीशनल सेक्रेटरी भी होता है। वह नीचे वाले सारे स्टाफ को देखता ही है। उसके साथ जितने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा वर्क्स होते हैं उनका भी सुपरवीजन करता है। तो क्या आपके पी. डब्ल्यू. डी. कमिश्नर का काम सिर्फ ट्रान्सफर प्रमोशन आफ इंजीनियर्स करना ही है? मैं तो समझता हूं कि कमिश्नर साहब का काम इन इंजीनियर्स को दबाना है बाकी कुछ नहीं। यह काम तो सेक्रेटरी के अलावा चीफ इंजीनियर है, जो एडीशनल सेक्रेटरी भी होता है, ज्यादा सुविधा से कर सकता है और उससे विभाग को ज्यादा फायदा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के कमिश्नर की जो पोस्ट है उसको समाप्त किया जाना चाहिये।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मोटे लोगों को और छोटे लोगों को भी सस्पेन्ड किया पर जो इनसे बड़े रेन्क के आफिसर थे उनके खिलाफ में चार्जेज होते हुए भी उनको सस्पेन्ड नहीं किया। मेरे पास ऐसे आफिसर के नाम हैं जिनके खिलाफ में करप्शन के भारी चार्जेज हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं मेरे पास फोटो स्टेट कापी हैं। उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर हैं, श्री के. एस. मेहता जिनके तीन मामले मेरे पास ऐसे हैं जिनमें आपको ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों में आलरेडी इन्क्वायरीज हो चुकी थीं। चार्जेज उनके खिलाफ हैं, रिपोर्ट हैं पर आज दिन तक कोई एक्शन उनके खिलाफ में नहीं लिया गया है। आखिर इसका कारण क्या है? यह मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। मैं आपके सामने यह तीनों मामले, जो श्री के. एस. मेहता के खिलाफ है, रखना चाहूंगा। पहला मामला तो है सड़क निर्माण के बारे में जो कि आगरा-गोनेर सड़क के बारे में है। इसकी जांच की गयी। तत्कालीन एडीशनल चीफ इंजीनियर, मिस्टर बी. एन. कल्ला ने श्री के. एस. मेहता के लिये अपनी रिपोर्ट दी दिनांक 21-6-72 को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जहां दस इंची रोड की थिकनेस होनी चाहिये वहां 6 इंची थिकनेस ही थी। उसमें उन्होंने लिखा कि श्री के. एस. मेहता ने मेलाफाइड इन्टेशन से और डेलीबरेटली करप्शन किया लेकिन आज तक उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उस रिपोर्ट में लिखा है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

'As accused in the complaint is said to be a person of high approaches, by himself and his relatives, I had taken strict care, not to have kept any scope of leakage of facts in the enquiry.'

उसमें आगे लिखा है।

|. Such huge excess payment is against all ethicks and certainly give rise to a suspicion about *bona fide* and motives of the officers concerned.

उसमें आगे स्पष्ट कनक्लूजन में लिखा हुआ है।

The fact reveals a serious case

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

in which deliberate and motivated excess measurements to provide *bona fide* by making over payments to contractor is established. This case is a clear case of suspension and is parallel to one in which Shri P. C. Tripathi was suspended."

लेकिन उनके खिलाफ इतनी रिपोर्ट होते हुए कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा ताज्जुब की बात तो यह है कि जयपुर के बाहर गये ही नहीं और कभी गलती से ट्रान्सफर होकर चले भी गये तो थोड़े ही समय में वापस जयपुर में ही आ गये। सभापति महोदय, पोने छः इंच थिकनेस के बजाय उन्होंने दस इंची थिकनेस के पैसे चार्ज किये डेलीबरेटली किये इसमें लाखों रुपयें का पेमेन्ट होने का मामला है। पर कोई एक्शन नहीं लेने का क्या कारण? दूसरी बात यह है कि आगरा-गोनेर रोड पर फार्म है जो कि दो मील अन्दर है वहां पर ढाई या तीन किलोमीटर की सड़क बनायी गयी। सभापति महोदय, मैं उस सड़क को अभी तीन दिन पहले देख कर आया हूं। पता नहीं वह सड़क कैसे बनी? वैसे तो दस हजार रुपये तक की सैंक्शन उस रोड के बनाने के लिये हुई है कलेक्टर से पर सभापतिजी उस सड़क के बीच में 150 फीट × 45 फीट लम्बी पुलिया भी बनी हुई है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, वह काम दस हजार का नहीं वरन कम से कम ढाई तीन लाख रुपये का काम है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने इंजीनियर्स को सस्पेन्ड किया है, उनका कसूर यह है कि उन्होंने दस हजार की सड़क बना कर तीन लाख रुपये का पेमेन्ट उठवाया पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीन लाख का काम करके वहां पर 10 हजार रुपये में ही काम कर दिया तो मेरा निवेदन है कि आपको ऐसे इंजीनियर को पदमश्री देना चाहिये। 2 लाख 90 हजार रुपये जो बचे हैं उसके लिये पूछा जाय कि यह रकम कहां से आयी। इसके साथ ही जो फार्म है वह बिन्दयां गांव में है उसकी सिर्फ 30 घरों की बस्ती है लेकिन वहां पर सड़क बनायी गई है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारे मामलों को देखें। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर महोदय को भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सारे मामले को देखें। जिनकी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? आखिर वह सड़क क्यों बनायी गयी है? मेरे पास फोटो स्टेट कापी है। उनमें से दो नमूने के लिये पेश करूंगा। खासा कोठी से गवर्नमेंट होस्टल तक की सड़क है उस पर 1,125 कट्टे सीमेन्ट के लगे हैं। श्रीमन्, आप गवर्नमेंट होस्टल में रहे होंगे। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय भी रहे होंगे। आप सोचिये, खासा कोठी से गवर्नमेन्ट होस्टल तक की सड़क पर 1,125 बोरी सीमेन्ट खर्च कहां हुई? किस काम में वह खर्च हुई? मैंने आपको ऐसी सड़क बतायी है जिस पर हर एक माननीय सदस्य आते जाते होंगे। सारे के सारे केसेज ऐसे हैं जिनमें इन्डेन्ट्स डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर के नहीं थे सेन्ट्रल स्टोर के थे। 25 बैग दिये तो 250 बना लिये, 325 बना लिये। 50 बैग दिये वहां 500 बना दिये गये। इन्डेन्ट्स का नम्बर मैं पढ़ देता हूं। एन. डब्ल्यू. 15/21, 28-3-70। 45 की जगह 450 बना दिये गये। दूसरा इन्डेन्ट है 15/26, 28-3-790, 50 बैग्स के 350 बना दिये गये। तीसरा इन्डेन्ट है 22-8-69 का, 25 की जगह 250 बना दिये गये। इस प्रकार 30 की जगह 300 बना दिये

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

गये, 25 की जगह 325 बना दिये गये, 28 की जगह 280 कर दिये गये। उन्हीं के. एस. मेहता साहब के हस्ताक्षर से इश्यू किये हैं। इन्डेन्ट्स सेन्ट्रल स्टोर से इश्यू हुए हैं। 8-8 महीने पुराने इन्डेन्ट्स हैं। बहुत से इन्डेन्ट एक्सक्लूड किये हैं। 2235 कट्टे सीमेन्ट के फुलफ्लेज्ड डिटेल्स मेरे पास हैं। अगर इस तरह से हमारा पैसा जाता रहा तो जितना भी रुपया है बोटमलेस पोट में चला जावेगा और नीचे निकलता जायेगा, इन्जीनियर्स और दूसरे अधिकारियों की पॉकेट्स भरती जावेंगी और सड़कें नहीं बन सकेंगी, न पुल बन सकेगा और बनेगा तो ऐसे बनेगा कि रोज एक्सीडेन्ट्स होंगे। मेरा यह निवेदन है कि जनता सरकार सार्वजनिक हित की सबसे पहली संरक्षक मानी जावेगी यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निश्चित रूप से राजकीय सेवा में नहीं रहने देगी। गवर्नमेंन्ट ने ओर्डर कर दिया है, साबित जहां कहीं मामले हुए हैं वहां सजा दी जाय। सर्वजनिक निर्माण मंत्री मालूम कर लें कि 1976 के एक केस में भी सजा दी गयी है जब कि गवर्नमेन्ट ने सैंस्योर कर दिया? गजेटेड ओफिसर्स जहां कहीं जाते हैं तो टी॰ ए. बिल पर साइन करते हैं। जो दिन बाहर जाने का रखा है उस दिन वाउचर्स पर साइन किये हैं और इस प्रकार का जहां एम्बेजलमेन्ट हुआ है सजा दी गयी है। लेकिन ये इमर्जेन्सी भी पार कर गये।

एक मिनट का समय और चाहता हूं। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के आयुक्त के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास फोटोज हैं। इतने बड़े सार्वजनिक निर्माण विभाग और पुनर्वास विभाग के आयुक्त हैं। कमिश्नर महोदय और सेवा करेंगे? मैंने बजट अधिवेशन के समय मामले उठाने का वायदा किया था। मैं एक मामला यह उठाऊंगा, श्रीमन्, इन्दिरा बाजार के निर्माण हो रहा था, उस समय का एक गाड़ी का फोटो है जो बजरी से भरी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति महोदय, जो भी माननीय सदस्य ने डाकूमेन्ट्स पेश किये हैं वे मंत्री महोदय ले लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो भी बात कहना चाहते हैं कह दीजिये। डाकूमेन्ट्स मंत्री महोदय को दे दीजियेगा। कट मोशन की लिमिट में ही कहें। आप अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा चार्ज लगा रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने नोटिस दिया है इसका सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को।

राजकीय कर्मचारी साथ हैं। बजरी से भरा ट्रक है। गाड़ी रवाना हुई। आगे जाकर पहुंची दुर्गा पार्क स्थित आयुक्त महोदय के मकान पर। यह मकान का फोटो है। फोटो खींच लिया जाता है, वह ठेकेदार जो काम कर रहा था........

श्री अब्दुल अजीज : कमिश्नर का नाम बताइये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : सबको मालूम है सार्वजनिक निर्माण विभाग के आयुक्त कौन हैं। इतने इम्पार्टेन्ट आयुक्त का नाम नहीं जानते हो ऐसी बात नहीं। 30 रुपये की रसीद ठेकेदार से बनवा ली। जो व्यक्ति काम कर रहा था, बजरी का ट्रक पहुंचा, रसीद बनवा ली, तब यह मालूम हुआ कि फोटो खींची गयी है।

Page No 146

(146)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

भ्रष्टाचार की हांडी का यह एक चावल है, श्रीमन्। पुनर्वास की डिमाण्ड आयेगी और दूसरी आयेगी तो अन्य मामले भी श्रीमान् के सम्मुख रखूंगा। एक टैस्ट के तौर पर मैंने यह मामला रखा है। सदा आग्रह करता रहा हूं मंत्री महोदय से कि इन आई. ए. एस. ओफिसर्स का ख्याल रखें और कार्यवाही करें। लेकिन तीन महीने के बाद भी कोई आई. ए. एस. आफिसर नहीं मिला जिनके खिलाफ दोष पाये गये हों। मैं यह फोटो सदन की मेज पर रख रहा हूं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो इसका भी जवाब दें। ये थोड़े से तथ्य आपके सामने रखे हैं। अधिक समय हो गया है, समय का ध्यान रखते हुए धन्यवाद देते हुए यह उम्मीद करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में गबन और घाटाले हो रहे हैं और सार्वजनिक पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने में निर्माण मंत्री महोदय कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हरचन्दसिंह।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं जिनको दो हिस्सों में बांटता हूं एक भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है दूसरा नयी सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : आपका एक कटौती प्रस्ताव है।

श्री हरचन्दसिंह : तीन हैं। पहले मैं न्यू-सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अकाल सहायता के रूप में गंगानगर की कुछ सड़कें बनायी गयीं। यह सड़क विरध ढोल से पल्लू है। जिस पर लाखों रुपया सरकार का अर्थ वर्क पर खर्च किया गया। उसको पक्का बनाने हेतु 10 लाख ईंटें सड़क पर डाली गयीं। लोग ईंटों को उखाड़ कर ले गये। अर्थ वर्क भी स्वाइलेन्सन से लगना रह गया और लाखों रुपया सरकार के जाया किये। उस सड़क को निर्मित किया जाय, उसको बनाया जाय। गंगानगर अनूपगढ़, करनपुर, सूरतगढ़ को जयपुर से जोड़ने में करीब 110 किलोमीटर की दूरी कम हो जायगी और बीकानेर जिले का काफी बड़ा भाग इससे लाभ उठायेगा। दूसरी गांव से गांव सड़क जोड़ने का सवाल नहीं है। गंगानगर जिले में दो महत्वपूर्ण मण्डियां हैं - एक तो सरदारपुरा बीका मण्डी और दूसरे रिड़मलसर मण्डी। सभापति महोदय, यदि स्टोन नं. 25 किलोमीटर से सरदारपुरा बीका मण्डी और वहां से घमन्डिया, निरमाणा, रामपुरा न्यौला, 68 एल. ए. पी. और रिड़मलसर मंडी को जोड़ दिया जाय तो इस सड़क का संबंध राष्ट्रीय मार्ग नं. 15, जो गंगानगर से सूरतगढ़ जाता है, से स्थापित हो जायगा। इसी तरह से नेशनल हाई वे से राजियासर से फरीदसर, ठुकराना, देईदासपुरा होकर पल्लू सड़क बना दी जाती है तो जो गंगानगर की दो मुख्य मण्डियां हैं उनका सम्पर्क गंगानगर जिले की अन्य मण्डियों से कायम हो जायगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह भ्रष्टाचार से सबन्धित है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा बताया कि सड़कों के अन्दर तीन आस्पेक्ट होते हैं—पहला अर्थ वर्क, सोलिंग और सोलिंग से ईंटें और तीसरा आस्पेक्ट कारपैटिंग। गंगानगर जिले में सूरतगढ़ बड़ोपर रोड काफी अर्से पहले बनायी

(श्री हरचन्दसिंह)

गयी और उसका जिस प्रकार अर्थ वर्क का खर्चा बताया गया, माननीय सभापति महोदय, अगर उतना अर्थ वर्क हुआ होता तो जमीन से करीब यह सड़क 33 फीट ऊंची होती। उस सड़क का पैसा चुका दिया गया क्योंकि कांग्रेसी सरकार के एक भूतपूर्व राज्य मंत्री की धर्म पत्नी उस ठेकेदार की सहभागी थीं और उनके इशारे पर यह पैसा दिल्ली में स्थित दीप सिनेमा में लगाया गया। माननीय सभापति महोदय, इस तरह के आरोप पहले भी इस सदन में लगाये जा चुके हैं लेकिन इसमें ज्यादा दोष उन कर्मचारियों का नहीं था। उन कर्मचारियों से ऐसा काम करवाया गया। आज 7 कर्मचारी 6 साल से सस्पेण्ड हैं और उनके सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। असली मुल्जिम, जिसने इस पैसे का गबन कर लिया है, आज तक शील्ड किया जाता रहा है। मैं, माननीय सभापति, आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरीके का जो बहुत तगड़ा घोटाला है उसका पर्दाफाश किया जाकर असली मुल्जिम के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो पुलिस मंत्री कर सकते हैं।

श्री हरचन्दसिंह : इसी तरह से गंगानगर जिले में जितनी सड़कें बनीं उन में जो आमा का स्पेसिफिकेशन दिया गया है उससे कम थिकनेस सड़क की की गई। कच्ची ईंटें इसमें लगाई गईं। ज्यादा ट्रैफिक होने से वह आमा, जो कच्ची ईंटों का था, टूट गया इसीलिए सड़कों में गडढ़े पड़ते गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो चन्द ठेकेदार हैं उनकी विभाग से पूरी सांठगांठ है और ठेका उन्हीं को दिया जाता है। वही ठेकेदार तो उन सड़कों का निर्माण करते हैं और उन्हीं ठेकेदारों को मरम्मत का काम दे दिया जाता है। इस तरह से सारे महकमे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैंने, माननीय सभापति महोदय, कुछ इन्सटान्सेज दिये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप निर्माण मंत्री महोदय को इस बारे में कार्यवाही करवाने के लिए आदेश दें। यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन-चार कटौती प्रस्ताव हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो पुस्तिका हमें उपलब्ध कराई गयी है उसके अनुसार 1951 में राजस्थान के अन्दर 17339 मील लम्बी सड़कें थीं। उनमें से 8025 मील लम्बी सड़कें तो केवल मौसमी सड़कें थीं। पेपर पर जो सड़कें हैं उनका मैं वर्णन कर रहा हूं, मौसमी सड़कों का तो क्या हाल होगा ? जो भीलवाड़ा की सड़कें हैं उनमें से भी जो सड़कें डामर की लिखी हुई हैं उनमें से कितनी हैं, यह कहना बड़ा कठिन है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि भीलवाड़ा से हमीरगढ़ वाया हरनाम गरोद होकर एक सड़क जाती है। यह 12-13 मील की सड़क है। पेपर्स के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के अन्दर यह सड़क डामर की सड़क दिखाई गई है किन्तु कोई भी माननीय सदस्य जाकर देख लें, यह डामर की सड़क नहीं है। केवल दो-तीन मील डामर सबो

(श्री कौशल किशोर जैन)

हुई है और बाकी भीलवाड़ा से लेकर हमीर-गढ़ तक इस सड़क को मैटल्ड सड़क अभी कहना कठिन हो जायगा, इसको ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत सड़क कहा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर राजस्थान के अन्दर सड़क की यह दुर्दशा क्यों हुई ? 1975-76 के अन्दर सड़कों पर 171 लाख रुपया खर्च किया गया जब कि 1975-76 के अन्दर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवनों पर 577.11 लाख रुपया खर्च हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हमें वरीयता तय करनी पड़ेगी, हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी किन्हीं बातों पर। चकाचौंध करने वाले बड़े-बड़े भवन बना कर हम राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। छोटी-छोटी सड़कें बना कर हम शायद ज्यादा सुविधायें जुटा सकते हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, उदाहरण देना चाहूंगा। भीलवाड़ा के पास मेजा डैम है। उसमें एक रेस्ट हाउस बनाया गया। गत सरकार के अनेक मंत्री भीलवाड़ा से संबधित रहे हैं। उस समय के सिंचाई मंत्री महोदय ने पी. डब्ल्यू. डी. से मिलकर एक रेस्ट हाउस बनवाया। उस रेस्ट हाउस के अन्दर एक बहुत बड़ा स्वीमिंग पूल भी बनाया गया। मैं समझता हूं कि उस रेस्ट हाउस के अन्दर जितना खर्चा किया गया उतना खर्चा अगर भीलवाड़ा तहसील के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने पर किया जाता और तीन-चार और पांच मील की छोटी-छोटी सड़कें बनाई जातीं तो आज शायद भीलवाड़ा तहसील का कोई भी गांव मुख्य सड़क से जुड़ने में वंचित नहीं रहता। लेकिन उतना पैसा रेस्ट हाउस पर लगाया गया, यह प्राथमिकता का सवाल है, यह वरियता का सवाल है ? हम राजस्थान के अन्दर किन बातों को वरीयता देना चाहेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के बड़े-बड़े रेस्ट हाउस बना कर और बड़ी-बड़ी इमारतें बना कर हम बजट का सारा पैसा उन पर खर्च करते हैं, उसी प्रकार जितने बड़े बड़े भवन हैं, उन भवनों के रखरखाव पर जितना पैसा खर्च किया जाता है उस अनुपात में सड़कों की मरम्मत की जाये तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में हम ज्यादा विकास कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमीरगढ़ स्टेशन से राश्मी एक सड़क जाती है, तीन-चार साल पहले काजा खेड़ी का बांध बना उस समय तीन-चार मील की सड़क डूब में आ गयी तो सिंचाई विभाग कहता है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग कहता है कि यह सिंचाई विभाग की सड़क डूब गई। चाहे कोई डिपार्टमेंट हो लेकिन उस मार्ग पर कठिनाई पैदा हो गई, 3-4 साल से वह सड़क बन्द हो गई। मेरा निवेदन है सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस पर ध्यान देंगे।

इसी प्रकार दूसरी सड़क है जो भीलवाड़ा को शाहपुरा से मिलाती है। भीलवाड़ा से तीन मील दूर सांगानेर है। सारे सांगानेर का पानी उस सड़क पर इकट्ठा हो जाता है। छोटी सी पुलिया बना कर, छोटा सा पानी का मार्ग निकाल कर उस सड़क को साल भर चलाया जा सकता है किन्तु इतना सा ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर नहीं रख सकते।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। भीलवाड़ा के अन्दर एक रेल्वे ब्रिज बन रहा है, एक दूसरा फीड ब्रिज तो बना नहीं रहे। कई वर्ष हो गये केवल शिलान्यास किया। वहां जिस रोडों के अन्दर सीमेंट और बजरी का मसाला लगना चाहिए था अगर जांच करें उस बात की तो प्रमाण भी दूंगा इस बात के, वह रेश्यो नहीं है जिससे वह पुल बनना चाहिए था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार का पुल बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन सब बातों की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री ध्यान दें।

श्रीमान् सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय और चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा के अन्दर कुछ इस प्रकार के कनिष्ठ अभियन्ता काम करते हैं जिनका 10 साल से हायर ग्रेड में फिक्सेशन नहीं हो पाया। उदयपुर से उन्होंने भी डिप्लोमा पास किया है। उसी उदयपुर से जो दूसरे निकले हैं और दूसरे विभाग में हैं उनका हायर ग्रेड में फिक्सेशन हो चुका है लेकिन सिविल इन्जीनियर्स को 10 साल से ज्यादा समय हो गया लेकिन उनके फिक्सेशन नहीं हुए। माननीय मंत्री महोदय, इस बात की ओर ध्यान दें।

जिस प्रकार से यह पुल बन रहा है, पांच साल लग गये उसके कारण कितने लोगों को कष्ट होता है। बस का मार्ग मंहगा और बड़ा हो रहा है। इसलिये भीलवाड़ा के इस पुल को, जो अजमेर और चित्तौड़ के मार्ग को जोड़ता है, शीघ्र पूरा किया जाये।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर ?

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आया हूं, जो सड़क और पुलिया की दृष्टि से राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कांग्रेस के 30 साल के प्रशासन में जितनी लम्बी सड़कें थीं उसमें 1.5 किलोमीटर सड़क कम हो गई है। आज भी वहां की प्रमुख सड़कें चलने योग्य नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के नाम पर काफी हल्ला मचाया जा रहा है लेकिन अगर पिछले 30 सालों का रिकार्ड उठाकर देखा जाये कि कोटा के नाम पर जितना बजट मिला है ट्रंक काल से सूचना देकर वह वहां खर्च न कर दूसरी जगह खर्च किया गया है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भेदभाव अभी तक हुआ है उस कमी की पूर्ति के लिये उन्होंने ध्यान अवश्य रखा होगा। इस बार बजट में कुछ प्रावधान किये गये हैं, कुछ रीति नीति भी उन्होंने तय की है उसके लिये तो वे धन्यवाद के पात्र हैं ही किन्तु मैं विशेष रूप से धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि आदमी अच्छा होना ही नहीं चाहिए, उसका अच्छा नाम भी होना चाहिये, इस दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले एक अच्छे व्यक्ति को चीफ इंजीनियर बनाकर यह दर्शाने की कोशिश की है कि हम साफ हैं और हम ईमानदारी से काम करते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. जैसे महकमे में उन्होंने ईमानदारी से काम शुरू किया है। मंत्री महोदय और मुख्य अभियन्ता दोनों मिल कर इस विभाग का कल्याण करें तो कई मीलों

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की सड़क इसी बजट में बन सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने डिपार्टमेंट की हालत देखना चाहते हैं तो यहां से भीलवाड़ा चले जाइयेगा। यहां कितना ही डामर सड़कों पर बह रहा है, कितने ही ढोल टूट गये हैं, कितनी ही मिट्टी फालतू पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स वसूल होता है उसका उपयोग विभाग के अधिकारी इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले चिन्तन इस बात का होता है कि बिल्डिंग पहले बनाई जाये, पहले कितनी जीपें चाहियें बैठने के लिये, रहने के लिये कितने मकान चाहियें। सड़क कितनी बनेगी इसकी चिन्ता नहीं है। 40 से 60 पर्सेंट तक एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च किया जाता है। सड़कों पर कम खर्चा होता है। इसलिये उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। यह जो डिवीजन के नाम से एस्टेब्लिशमेंट पर इतना खर्चा करते हैं उसको बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने में इन्जीनियर लोग तम्बुओं में रहते थे। इंजीनियर्स तम्बुओं में रहें तो कौन सी दिक्कत आ गई। चार इंजीनियर्स चार जीपों में बैठकर जायेंगे। आगे पीछे बैठने की बात छोड़कर एक जीप में क्यों नहीं जाते? इन सब बातों का मंत्री महोदय को विचार करना पड़ेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, विभाग में यह देखा जाये कि पिछले 25 वर्षों से कितने काम अधूरे पड़े हैं। छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं करते। खेतड़ी से दिल्ली की सड़क बन गई। एक किलोमीटर सड़क रह गई। एक किलोमीटर की वजह से 20 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। कौन अधिकारी इस बात के लिये जिम्मेदार है? उस बजट में सड़क पूरी क्यों नहीं होती है? मैं चाहूंगा कि जैसे चीफ इंजीनियर ईमानदार हैं तो ईमानदार इंजीनियर्स को निश्चित रूप से पुरस्कृत करना चाहिये और जितने बेईमान इंजीनियर्स हैं जो दस इंच थिकनेस की सड़क की जगह 6 इंच थिकनेस की बनाते हैं। उनके 6-8 लाख पल्ले पड़ जाता है तो दूसरे इंजीनियर्स के मुंह में पानी आयेगा। ईमानदार इंजीनियर्स को पुरस्कृत करना चाहिये, बेईमान इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। मैंने पिछली बार 91 लाख रुपये के घोटाले का मामला रखा था। दो इंजीनियर्स और 10 असिस्टेंट इंजीनियर्स थे उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई? उस समय जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने 5 साल से मामले को दबा रखा था। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की रिपोर्ट उनके पास दबी पड़ी है। तो ईमानदार लोगों पर इसका असर पड़ेगा। बेईमानी करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो बेईमानी होती रहेगी। यह बात देखी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इंजीनियर्स अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। उनसे अधिक तनख्वाह पाने वाले सेक्रेटरी, कालेज का प्रोफेसर छोटा सा मकान बनाकर रहता है। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का मकान देखा जाये उसका मकान लाखों रुपयों का होता है। कहां से आखिर आया यह पैसा? मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से चाहूंगा कि विभाग के इंजीनियर्स की प्रापर्टी का मूल्यांकन करें, कितने लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं? पैसा कहां से आया? इसकी इंक्वायरी करायें और सजा दें ताकि ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिले, ईमानदार अधिकारियों को चाहने वाले भी हों। मैंने कई लोगों से बात की, जितने असेम्बली के मेम्बर हैं, विधायक हैं उन सबके पास एक ही

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
बात रह गई है और वह यह है कि अधिकारियों की आलोचना करना। आज यहां होते तो उनको मालूम पड़ता कि ईमानदार आफिसर्स की सराहना सारे सदस्य एक मुंह से करते हैं और बेईमानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर जो अधिकारी ईमानदार हैं उनको पुरस्कृत किया जाय और जो बेईमान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, जिन लोगों की वजह से हमारे टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है ऐसे सब लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तो जो बजट में पैसा रखा है उसका सदुपयोग हो सकेगा। आज बेईमान आफिसर पैसे का दुरुपयोग करते हैं। एक हजार के लिये चाहे राज्य सरकार का 10 हजार का नुकसान हो जाय, लेकिन वह बेईमानी करेंगे। इतना ही मैं कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकृष्णदास।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरजी राम।

(अनुपस्थित)

श्री जिंगि।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, जब से राजस्थान बना है, उसके बाद में ये जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनके अनुसार 51 से आज तक करीब 20 हजार किलोमीटर कच्ची और पक्की सड़के बनी हैं। मगर इसके साथ ब्यौरा नहीं दिया गया कि कितनी राशि आज तक खर्च की गई हैं। केवल राज्य सरकार की निर्मित ही सड़कें नहीं ये जो सड़कें हैं उनमें केन्द्र सरकार की विशेष तौर से जो सुरक्षा की सड़कें हैं वे भी शामिल हैं। इस तमाम को मापदण्ड मानकर लेखा जोखा किया जाय चाहे मैंटीरियल के सम्बन्ध में हो, चाहे जमीन से सम्बन्धित हो और चाहे अकाल राहत से सम्बन्धित हो या सार्वजनिक निर्माण विभाग की मद से सम्बन्धित हो, मगर इसका लेखा जोखा किया जाय और इन सड़कों के निर्माण की जो परिधि और सीमा है उनके आंकड़ों को देखा जाय चाहे चीफ इंजीनियर साहब मौजूद हों या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री मौजूद हों, जब आंकड़ों का जायजा लेंगे तो वास्तव में जो खर्च एक किलोमीटर की सड़क बनाने में लगना चाहिये उसकी बजाय तिगुनी राशि इस मद पर खर्च हुई है। इसी तरह जो भवन निर्माण हुये हैं उस पर भी पांच अरब रुपया 1951 के बाद राजस्थान में खर्च हुआ है। जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनसे यह साफ है। आज जयपुर में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर या जो दूसरे अन्य क्षेत्र में मकान बने हैं उसके बावजूद ज्यादातर राजस्थान के विभाग जयपुर और अन्य क्षेत्रों में किराये के मकानों में हैं। ऐसे भी अधिकारी हैं जो आज भी तम्बुओं में रहते हैं। मगर इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुये देखा जाय और तमाम का विश्लेषण सही रूप से किया जाय तो ये बड़े बड़े भवन ये बड़ी बड़ी कोठियां और आलीशान मकान चाहे माननीय मन्त्रियों

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

के हों, चाहे बड़े अधिकारियों के हों, चाहे इंजीनियर्स के हों, अन्य किसी अधिकारी के हों या प्रशासनिक अधिकारियों के हों, मैं चाहूंगा, इन तमाम के लिये एक ही मापदण्ड और एक ही स्टेन्डर्ड तय हों। वास्तव में यह देखना पड़ेगा कि कितनी आवास की आवश्यकता है। आज से कुछ वर्षों पहले शान-शौकत, विलासिता और वैभव प्रधान बड़े-बड़े अधिकारियों के रहने के तौर तरीके थे लेकिन अब उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

हम राज्य की वैभवता की कितनी ही कल्पनाएं मन में संजोयें और कितने ही हालात बतायें मगर जब तक राजस्थान जैसे प्रदेश से ये सब वैभव की चीजें समाप्त नहीं हो जातीं तब तक वह कल्पना केवल मात्र एक कोरी कल्पना ही रह जायेगी। हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये ये सब प्रकार के आडम्बर और विलासिता के स्वप्न देखते रहने से हम सफल नहीं हो सकेंगे। ये जो तमाम मकानात हैं, इन सबका मूल्यांकन करना चाहिये चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी रहता हो। आज जो अनेकों भवनों का फिक्स्ड किराया तय है उन तमाम हालात को देखते हुए किसी का 112) रु. किराया है तो किसी का 110) रु. है। विलासिता की अट्टालिकाएं खड़ी हैं जिनका किराया दो हजार, तीन हजार से कम किसी भी हालत में नहीं होता है। कितना किराया बिल्डिंग का होना चाहिये और कितना नहीं होना चाहिये पी. डब्ल्यू. डी. विभाग को अपना सारा हिसाब लगाकर देखना चाहिये। इसे आपको पुनः तय करना पड़ेगा। यह भी तभी होगा जब यह विचार कर लेंगे कि किसे आवास की कितनी कितनी आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी जब यह कह सकते हैं कि नहीं हमें छोटा मकान चाहिये. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनट और लूंगा।

तो राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चकाचौंध करने वाले भवनों की अब आवश्यकता नहीं रही है। मेरी मान्यता है न तो बड़े-बड़े अधिकारी, न राजस्थान के मंत्री अभी इस ओर विचार कर रहे हैं और न ही उन्होंने ऐसा महसूस किया है। बड़े मकानों की आज आवश्यकताएं नहीं रह गई हैं। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के पास बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के मकानात हैं उन सब में इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाय तो मकानों की सारी समस्या हल हो सकती है और बहुत सारे आफिसेज की समस्या भी हल हो जायेगी। जो बड़े भवन हैं उनमें दो अधिकारी रह जायेंगे। इस तरह का मूल्यांकन कर आपको यह नीति अपनानी पड़ेगी।

इसी तरह से मैं निवेदन करता हूं, सड़कें जो बनी हुई हैं और जो कच्ची बनी हुई हैं उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराया जाय। आज सड़कों पर बहुत सारा मैटीरियल पड़ा हुआ है। अगर वह मैटीरियल पड़ा रहा और नई-नई सड़कें प्रस्तावित की गईं और प्राथमिकता को नहीं देखा गया तो उससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा और राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश के लिये उसके परिणाम और भी घातक सिद्ध होंगे।

दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं और यह सजेशन देता हूं कि ये जो सड़कें हैं, उन सड़कों के लिये हर माननीय सदस्य ने बताया हमारी

(बंशीलाल श्रीवास्तव)

इतनी पूर्ति होनी चाहिये। मेरी मान्यता है कि यह पूर्ति कतई सम्भव नहीं है। केवल ग्राफिसर्स या अधिकारी या राजनेता किसी का चयन करें तो जिलों के आधार पर हो या चाहे राज्य के आधार पर हो हम प्राथमिकता के आधार पर कितनी रकम खर्च करें और उसी आधार पर हमें खर्च करना होगा। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सूर्य नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल।

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर) : सम्मानीय सभापति जी, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे बहुत सी बातें सुनता हूं लेकिन देखी किसी ने नहीं हैं। किन्तु जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल, अजमेर में जाकर देखें तो वास्तव में आपको नरक का अनुभव होगा। वहां पर किस प्रकार की नालियां बनी हुई हैं और किस प्रकार का निर्माण उस अस्पताल का है, किस प्रकार पानी सड़ता है, किस प्रकार मच्छर वहां भिनभिनाते हैं और वहां के मरीजों को और उनके साथ रहने वालों की क्या दशा होती है, इसका जाकर अनुभव करें। मैं नहीं समझता हूं कि क्या इतना सा पैसा भी हमारे विभाग के पास नहीं है कि विभाग से पैसा निकालकर इस प्रकार की जो अस्पताल में सड़ान्ध है उसको दूर किया जा सके। क्या दुर्दशा होती है आप जाकर देखें। मैं जानता हूं कि यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है लेकिन हमारा कई प्रकार से पैसा बरबाद होता है बड़े-बड़े लोगों के पीछे और गरीब लोग सड़कों के अभाव में अस्पताल में जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। जयपुर के एक डाक्टर के लिए विदेश से डाक्टर आया, उसके लिए पच्चीस हजार रुपया क्यों खर्च किया गया ? जयपुर के अस्पताल के बड़े डाक्टर के इलाज के लिए पच्चीस हजार रुपया अपने कैसे निकाल कर दे दिया और विदेश से डॉक्टर आया ? उसके मुकाबले में एक गरीब किसान अपना इलाज तक नहीं करा सकता। इस प्रकार से दुरुपयोग होने वाले पैसे को बचाया जाय और अच्छे-अच्छे कामों में लगाया जाय। बजट में अच्छे कामों के लिए पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भी इस प्रकार से होने वाले पैसे के दुरुपयोग को देख कर दुःख होता है कि किस प्रकार से सरकार पैसे को लुटाती है। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जे. पी. सेठी के लड़के के इलाज के लिए विदेश से डॉक्टर बुलाने के लिए पी. के. सेठी ने रिकमण्ड किया और 25 हजार रुपया राज्य सरकार ने तत्काल दे दिया। यह पैसा अभी 18 जून को ही निकाला गया था। हम यह सोचते थे कि, इस प्रकार की लूट कांग्रेस शासन में होती थी। इस प्रकार की लूट और इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग आज भी जनता पार्टी के शासन के अन्दर होता है तो हमें दुःख होता है। 25 हजार रुपया एक मिनट में हाथ से चला गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पैसे की बचत करिये। जहां पर आवश्यकता है, जहां पर निर्माण कार्य होने चाहिये, सड़कें बननी चाहिए वहां पर पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, जिनके विभाग से यह पैसा गया है, जिनके कारण से गया है उन सम्बन्धित अधिकारियों

Page No 154

(154)

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए कदम उठायेंगे।

इसके साथ-साथ अब मैं अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में बात करना चाहूंगा। जो सड़क बराबर काम में आती है, जो सड़क अरड़का से किशनगढ़ तक जाती है वहां पर एक पुलिया टूटी हुई है। उस पुलिया के नीचे दो हाथी की ऊंचाई जितना खड्डा है। अचानक रात के समय जहां पर लाइट नहीं है, वहां कोई आदमी जाय और जरा सी असावधानी हो जाय तो वह दो हाथी की निचाई पर जाकर गिरेगा। आज दस साल हो गये पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, किसी ने विचार नहीं किया। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रात को गाड़ी में बैठकर जायें तो नीचे गिरें।

दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने ब्यावर भांवता सड़क का देता हूं। डुमाडा गांव जिसके बीच में आता है उसकी पुलिया टूट गई। सराधना की नदी का पानी सड़क पर भर जाता है और काश्तकार अपनी सब्जी भी शहर में लाकर नहीं बेच सकता है। आज उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। एक किसान मेहनत करता है और सब्जी उगा कर अपना पेट भरता है लेकिन इस अव्यवस्था के कारण अपनी सब्जी शहर में लाकर नहीं बेच सकता और अपना पेट नहीं भर सकता। क्या सरकार इस प्रकार के कामों को प्राथमिकता नहीं देगी? हम कब तक जनता के सामने यह कहते रहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट में पैसा नहीं है। बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है और लोग भूखों मरते रहें, इस प्रकार की दशा देखने को मिलती है।

इसी प्रकार से मैं कुछ और उदाहरण दूं। ब्यावर रोड से सुभाष नगर होकर खानपुरा दोराई, तबीजी तक कोई सड़क नहीं है। केवल कच्चा रास्ता है वहां पर दुग्ध डैयरी के डायरेक्टर मिस्टर पटेल ने इस प्रकार की मोनोपोली कर रखी है कि ग्रामवासियों को जाने नहीं देते। रेलवे फाटक को बन्द रखवाते हैं तथा कच्चे रास्ते पर नदी खुदवाकर दीवार खड़ी कर रहे हैं इस प्रकार की दुर्दशा आज भी जनता सरकार के आने के बाद भी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से पुष्कर-पीसागन सड़क पर पुलिया बननी थी लेकिन रपट बना दी। उस पर से पानी बहता है, वहां काई जमती है, मोटरें बसें खड्डे में जाकर गिर जाती हैं। हर साल इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इन कठिनाइयों की ओर मैं चाहूंगा, राज्य सरकार ध्यान दे।

इसी प्रकार से फाईसागर से करेकडी के बीच जो कच्चा रास्ता है उस पर फाईसागर का पानी भर जाता है। वह गांव की सड़क पर आ जाता है। गांव के दूसरी तरफ जाने के लिए भी बहुत दूरी से चक्कर खाकर जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी पुलियाओं को, सड़कों को प्राथमिकता देकर बनाना चाहिए। इनके बिना गरीब लोग परेशान होते हैं और अपने घरों से दूर पड़े रहते हैं, इसलिए इनको प्राथमिकता दी जाय।

मेरे पास अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं सड़कों और पुलियाओं के बारे में लेकिन

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)
समय का अभाव होने के कारण

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपके सामने उनको नहीं रख सकता हूं। मैं चाहूंगा कि जो कुछ मैंने बातें आपके सामने कही हैं, कुछ मेरे क्षेत्र की पुलियाओं की तकलीफ की, सड़कों की तकलीफ की, इन बातों को आपके सामने रखा है इनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार से जो दुर्घटनायें इन स्थानों पर होती हैं उनको रोका जाय। इसी तरह से जवाहर-लाल नेहरू चिकित्सालय की बात बताई है, उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान देश भर में पीछे रहा हर मामले को लेकर, सड़कों के मामले में भी वही दशा है। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार इस ओर ध्यान देती तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा देश का लाभ होता। आज गांवों के अन्दर उद्योग-धंधे नहीं पनपने का कारण सड़कों का अभाव है, बिजली का अभाव है। यह बात सही है कि जनता सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि तुरन्त गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जावेगा।

आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को सुझाव देते हुए अपनी बात रख रहा हूं। अकाल के तहत जो सड़कें बनी हैं उन पर मैटीरियल पड़ा हुआ है। वह मैटीरियल चोरी में जा रहा है। जो बड़ा उपयोगी मैटीरियल है उस रा-मेटीरियल को कुछ पैसे मिला कर, मजदूरी लगा कर सड़कों के काम में लिया जाय तो पूरी सड़क निर्मित हो सकती है। और जो मैटीरियल चोरी जा रहा है वह चोरी जाने से रोका जा सकता है।

इसके साथ ही जो सड़कें अकाल राहत के समय में बनी हैं उन सड़कों को मास्टर प्लान में ले लिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कम्पलीट बनी हुई हैं। वह अकाल राहत के तहत बनी हैं उन पर मामूली सा पैसा लगा दिया जाय तो मोटे तौर पर वह अप्रोच रोड हो सकती हैं। ऐसी सड़कें जो अकाल के तहत बनी उनको मास्टर प्लान में लेकर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्लान में या मास्टर प्लान में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अधूरी सड़कें जो हैं उनको पूरा किया जाय मास्टर प्लान में लेकर। अधूरी सड़कों से यहां मेरा मतलब अकाल राहत के तहत बनी हुई सड़कों से है, उन पर छोटी पुलियायें बना देने से वह सारी की सारी सड़क कम्पलीट हो सकती हैं। आज जिस सड़क को बनाने पर एक लाख रुपया खर्च होता है उसकी जगह थोड़ा-सा पैसा लगा कर छोटी-छोटी पुलियायें बना देने पर उन सड़कों का उपयोग किया जा सकता है। इस नाते से अकाल राहत के तहत बनी हुई सड़कों पर पुलियायें बना दी जायें।

इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कि कच्चे मार्गों पर सड़क के नाम पर कुछ कच्ची सड़कें हैं। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो कच्चे मार्ग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं, उन मार्गों को दुरुस्त करवा कर जहां पर रेतीलापन है, जहां पर दलदल है, उन स्थानों पर मुरर्रम डाल कर, रेती बिछा कर इनको ठीक किया जा सकता है और हर पंचायत को अप्रोच रोड बना कर जोड़ा जा सकता है, पंचायतों को जोड़ा जा सकता है।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सड़कों को विशेष महत्व दिया जाय जो लिंक रोड का काम करती हैं या दो हाईवेज को मिलाने का काम करती हैं। ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जाय जिसके कारण से बीच का एरिया जुड़ेगा और साथ ही एक लिंक रोड का काम देगी। एक छोटा सा टुकड़ा बन जाने से लोगों को जो दस-पन्द्रह मील का चक्कर लगाना पड़ता है वह चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।

इसके साथ ही अब मेरे क्षेत्र की उन मुख्य सड़कों का जिक्र करूंगा जिन पर बहुत कम लागत लगा कर उनको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मांडल क्षेत्र में एक मुख्य बस रूट है, भीलवाड़ा जिले का, और जिले में सबसे पहले किसी सड़क की मांग की गई थी तो जोरावरपुरा लेसवा, चांदरास सड़क की मांग की गई थी। यह आठ मील का टुकड़ा है। इसका एस्टीमेट बना था वह इसलिए बना था कि लेसवा-जोरावरपुरा-चांदरास मुख्य सड़क है लेकिन भीलवाड़ा जिले का दुर्भाग्य है कि 25 साल से वहां मोटरें निकलती हैं, बसें चलती हैं लेकिन उस छोटे से टुकड़े का निर्माण करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन में लम्बे समय तक इस सड़क निर्माण का एस्टीमेट पड़ा रहा, अब उस एस्टीमेट को लेकर ही वह टुकड़ा बनाया जाय।

इसके साथ ही भगवानपुरा से बेमाली जो केवल दस मील का टुकड़ा है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे सबसे ज्यादा कटौती प्रस्ताव हैं, मुझे दो तीन मिनट का समय दिया जाय।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसके साथ ही भगवानपुरा से बेमाली जो केवल दस मील का टुकड़ा है, व फैमिन के तहत बनी हुई सड़क है, उस पर बहुत ही कम पैसा लगाने से उसका काम पूरा हो सकता है। बरसात में सात बड़े-बड़े कस्बे, दो-तीन हजार की बस्तियां कट ऑफ हो जाती हैं। इस पर मामूली सा खर्चा करें तो यह पूरी तरह से तैयार हो सकती है।......

इसके अलावा बागौर के पास काज वे बनाया जाय ताकि करेड़ा से बागौर जाने वाली सड़क का उपयोग हो सके व सड़क पर लगे लाखों रुपयें का उपयोग हो सके। इस समय सड़क बनी हुई है चाहे वह विभाग ने बनाई हो चाहे अकाल राहत कार्य में बनी हो। मैं समझता हूं कि अकाल में बनाई गई है। इसको मास्टर प्लान में लिया जाए। पूरी सड़क ठीक है केवल थोड़ी मरम्मत करने पर, एक दो लाख खर्च करने पर ठीक हो जाएगी। बागौर से गंगापुर आने जाने के लिए तीन दिन खर्च होते हैं। वहां मुंसिफ कोर्ट होने के नाते सारे केसेज वहां होते हैं। इसके साथ ही लिंक रोड को प्राथमिकता दी जाए।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अजमेर से उदयपुर वाया भीम व अजमेर से चित्तौड़ हाईवे को लिंक रोड द्वारा जोड़ा जाय। इसका कारण यह है कि वहां पर लाखों रुपये का मैटीरियल पड़ा हुआ है, जो शनैः शनैः चोरी में जा रहा है। मामूली पैसे में सारी सड़क तैयार हो सकती है। भीम से करेड़ा वाली सड़क प्लान के अन्दर नहीं है न मास्टर प्लान में है। यह लिंक रोड का काम करेगी।

इसके अलावा सतकंडा से निम्बाहेड़ा सड़क सन् 1974 में इमर्जेंसी के समय बनी, उदयपुर के ठेकेदार से मिली भगत के कारण उसमें हजारों रुपये का घोटाला है। इसके साथ ही मांडल से भीलवाड़ा बहुत ही रद्दी सड़क है। उस पर गिट्टी पड़ी हुई है। उसका उपयोग न करके जो आम रास्ता है उसको तैयार नहीं किया गया, पता नहीं किन कारणों से। उस रास्ते को ठीक कराया जाए। यह जानकारी मिली है कि उक्त गिट्टी को रिजेक्ट कर दिया जाय जबकि उसी कंपनी ने अन्य स्थानों पर भी वही गिट्टी सप्लाई की व पास भी की गई। मैं मांग करता हूं कि वस्तु स्थिति की जांच करवाई जाए। जो भी काम ठेकेदारों या विभाग के द्वारा होते हैं उनकी जांच के लिए कमेटी बिठाई जाए। वह तय करे कि मसाला ठीक लगता है या नहीं। जो निर्माण कार्य विभाग द्वारा हो चुके हैं, जो सड़कों और भवनों का काम हुआ है वह ठीक नहीं हुआ। दो साल बाद ही रिपेयर का बजट देना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए जांच कमेटी बिठाई जाए।

सड़कों के लिए खराब गिट्टी काम में लेने से सड़कें खराब हो जाती हैं। इसलिये अच्छी गिट्टी काम में ली जाय। महात्मा गांधी आरोग्य सदन व जेल में श्रीराम क्रशिंग भीलवाड़ा ने काम कराया पर मामला निपटा नहीं है। ठेकेदार और विभाग की आपस में कलह होने के कारण श्रीराम क्रशिंग की गिट्टी काम में नहीं ली गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करें और जो दोषी हों उनको सजा दी जाय जिससे जनता सरकार बदनाम न हो और जनता को भी कष्ट न हो।

इसी के साथ मेरा निवेदन है कि जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस विभाग में भ्रष्टाचार संबंधी है। मैं यह नहीं कहता कि सारे अधिकारी ऐसे हैं लेकिन बहुत अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस विभाग में खूब धन का दुरुपयोग किया है। जो काम होना चाहिए, उसमें जितना पैसा लगना चाहिए, वह नहीं लग पाया। ऐसी हालत में जो पिछले समय में काम हुए हैं, उनमें जिन अधिकारियों ने काम किया उनसे संपत्ति का व्यौरा मांगना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा जिसका साबित हो जाए वह जब्त किया जाए। इस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग रोका जा सकता है।

साथ ही सड़कों के मामले में कहना चाहता हूं कि जो खराब हालत में हैं उन पर रोडवेज की गाड़ियां दौड़ती हैं जिससे लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान होता है। ऐसी सड़क हैं जैसे ब्यावर से मसूदा

(श्री भूरा)
मांदरवाडा सड़क पर कहीं सीमेंट नहीं है, उस पर खड्डे हैं, इस कारण उस पर चलने वाली गाड़ियों का भी नुकसान होता है। ऐसी ही रोड ब्यावार से बिजयनगर जाती है वह खराब हालत में है। इस कारण जहां गाड़ियां 1½ घंटे में पहुंचनी चाहिए वे 3 घंटे में पहुंचती हैं। खारी नदी पर दूसरे गांव से जोड़ने वाली जालिया से कानिया सड़क के बीच में जब नदी आती है तो पानी जमा हो जाता है। ऐसी महत्व-पूर्ण जगह जहां पर गाड़ियां रुक जायं, आना जाना बंद हो जाय और नदियों को पार कर लोग निकलें, वहां नया पुल बनाना चाहिए ताकि लोगों का समय खराब न हो और वहां पर जो नुकसान होता है, वह भी बचाया जा सके। यह महत्वपूर्ण काम है। सड़कों पर विशेष तौर से ध्यान न देने से काश्तकारों की बैलगाड़ियों का और साइकिलों पर चलने वालों का नुकसान होता है। इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए और जो बातें मैंने उदाहरण के लिए कही हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कांत।

(अनुपस्थित)।

सुश्री पुष्पा।

(अनुपस्थित)।

श्री मेघराज।

(अनुपस्थित)।

श्री ओम प्रकाश।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को बूंदी क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बूंदी जिले में चुनाव के समय मुख्य मंत्री जो पधारे, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी पधारे। चुनाव के बाद गृह मंत्रीजी भी पधारे और राज्य मंत्री शिक्षा जी पधारे। उन्होंने देखा कि वहां की सड़कें बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं। वे वहां पर घूमे और सड़कों को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़कों को बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा।

मैं वहां के स्कूलों और कॉलेजों के भवनों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कॉलेज भवन जो है वह 12 वर्ष पूर्व बना था, आज उसकी स्थिति यह है कि जहां विद्यार्थी बैठते हैं वहां पानी टपकने लगता है। पास में लाइब्रेरी का भवन है, उसके पत्थर गायब है, चूना गायब हो रहा है। विद्यार्थी लाइब्रेरी में कहा बैठें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हॉयर सैकण्डरी स्कूल की हालत यह है कि जो भवन बना हुआ है वह क्या पता कब धराशाई हो जाए। बहुत पुराना भवन है। वहां पर विद्यार्थियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पेड़ों के नीचे जाकर विद्यार्थी बैठते हैं। बरसात में छुट्टी की जाती है और विद्यार्थी घरों में आराम करते हैं। इसी प्रकार गर्ल्स हॉयर सैकण्डरी स्कूल की स्थिति है। शहर में जो स्कूल चलते हैं, जब बरसात आती है तो इनकी छतें इस प्रकार चूती हैं कि लड़कियां बैठ नहीं सकती और उनको घर जाना पड़ता है। चौगान गेट के स्कूल की स्थिति बड़ी खराब है। ईश्वर न करे आमेर की स्थिति वहां पैदा हो जावे। उस स्कूल की बिल्डिंग इस प्रकार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है कि वह कभी भी धाराशायी हो सकती है और सैकड़ों विद्यार्थी मर सकते हैं। इस प्रकार बालचन्द पाडा स्कूल, तोपखाना स्कूल की

श्री ओमप्रकाश शर्मा)
स्थिति है। उसमें फर्श नहीं है। सीलन है। विद्यार्थी कहां बैठे, कैसे पढ़े ? यह तो स्थिति है स्कूलों की ।

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान वहां की सड़कों की ओर दिलाना चाहूंगा । वहां की सड़कों की हालत यह है कि एक-एक, दो-दो फीट के गड्ढे हैं। यदि बस उस रास्ते से गुजरे तो यात्री की हालत क्या होगी, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । यह रास्ता ऐसा है जहां से साढ़े तीन हजार ट्रक रोजाना निकलते हैं । बम्बई से दिल्ली जाने वाला रास्ता है । ट्रक आते हैं । उस रास्ते पर राष्ट्रीय सम्पत्ति का जितना नुकसान होता है, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा सुना जाता है, जो भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री होता है, उसकी वहां के धन्ना सेठों से सांठ-गांठ हो जाती है और उस रोड को पूरा नहीं होने देते । अगर वह रोड पूरी हो जावे तो बाहर से आकर लोग वहां पर धंधा कर सकते हैं । पट्टी की खानें हैं उनकी पट्टियों को बाहर ले जाया जा सकता है । इसका फायदा वहां के धन्ना सेठों को होता है । उस रास्ते का किसी को पता नहीं है । पत्थर अच्छा है । वह सारे राजस्थान में सप्लाई होता है । रानीजी की बावड़ी से लेकर लंका गेट की अभी चार महीने पहिले सड़क बनी थी । उसकी स्थिति आज यह है कि उस सड़क पर दो-दो फीट के गड्ढे हैं । यह इन्जीनियर क्या करते हैं ? ये कमीशन इतना लेते हैं कि काम पूरा और अच्छा नहीं होता । जनता उस रोड पर नहीं चल सकती । 15 पर्सेन्ट इनको चाहिए, 15 पर्सेन्ट मुनाफा चाहिए 70 पर्सेन्ट में काम होता है । पैसा बाद में दिया जाता है । सड़कें साफ हो जाती हैं । 1947 में जो सड़कें बनी थीं और जो आज बनी है, इन दोनों में कितना अन्तर है और क्या अन्तर है इसकी जांच क्यों नहीं की जाती ? अंग्रेजों के शासन काल में जो सड़कें बनी थीं, वे वैसी की वैसी हैं । आज जो सड़कें बनायी जाती हैं, वे एक साल भी नहीं चलती हैं । इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार की थी....

एक माननीय सदस्य : दिमाग खराब है । .....

श्री ओमप्रकाश शर्मा : दिमाग खराब तो आपका है ।

श्री नवनीत पालीवाल : यह क्या भाषा बोलते हैं ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह हमने नहीं कहा है । यह तो आप ने खुद ने सोचा है । मैंने तो इनको शाबाशी दी है ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, बूंदी क्षेत्र के जो गांव हैं, उनकी ओर भी मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । नहरें बिछी हुई हैं । गांव से शहर की ओर आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । जब आदमी पैदल नहीं चल सकता तो वह अपना अनाज किस प्रकार लावे ? कोई व्यवस्था नहीं है । वहां की नहरों से सीपेज होता है । वहां पर पैदल आदमी नहीं चल सकता । जीप, ट्रेक्टर नहीं जा सकते हैं । दो-दो फीट के गड्ढे हैं । तो जो काश्तकार वहां पर अन्न उगाते हैं, उनकी क्या हालत है, यह आप सोच सकते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे 6 कटमोशन हैं ।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मेरे क्षेत्र में लक्ष्मीपुरा से लेकर ढाबी तक जो अकाल राहत कार्य हुआ था, उस पर 15 लाख रुपये खर्च हुए थे। उसकी अवस्था यह है कि पत्थर ही, पत्थर है। गिट्टी नहीं है। 15 लाख रुपये के अन्दर 15 मील का टुकड़ा तैयार नहीं हुआ। आस-पास 60 गांव पड़ते हैं। वहां पट्टियों की खान है। ट्रक के आने-जाने का रास्ता नहीं है तो और क्या साधन होगा? राष्ट्रीय सम्पत्ति का कितना नुकसान होता है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्रीजी को कि जहां पर राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान होता है और 15 लाख रुपया पहले खर्च हो गया है, ऐसी रोड को वे पहले ठीक करें, जिससे 60 गांवों को भी लाभ हो और ट्रकों के आने-जाने का रास्ता हो। इसी प्रकार नाणा से डाबी रोड है, उसकी भी यही हालत है। पुलियाएं टूटी हुई हैं। पुलिया पर से, हाल यह है कि बैलगाड़ी नहीं जा सकती। इसी प्रकार गरड़दा का बांध, गवार बांध जीर्ण शीर्ण अवस्था में है! उनको जल्दी ठीक नहीं कराया गया तो हालत यह होगी कि जहां पर 10 लाख रुपया खर्च हो चुका है, वहां पर दुबारा इतना ही रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो सड़क अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पहले ठीक कराया जाए और उसके बाद नए सिरे से निर्माण कार्य करवाया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपाल सिंह (खंडेला)।

श्री गोपाल सिंह (खंडेला) : माननीय सभापतिजी, सार्वजनिक निर्माण और सड़कों के सम्बन्ध में जो मांगें रखी गई हैं, उसके सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

सभापति जी, हमारे प्रान्त की हालत को देखते हुए मैं तो यह मानकर नहीं चलता कि सड़कों के निर्माण को विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान दिया जाए लेकिन इस प्रान्त के विकास के लिए या कृषि-उत्पादन को उचित मूल्य दिलाने के लिए और इस प्रान्त के इन्डस्ट्रियल काम्पलेक्स के मुख्य स्थानों को छोटी से छोटी दूरी से जोड़ा जाए, इसके लिए जो प्राथमिकता की सड़कें हैं, उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए और जो सड़कें हैं उनको सुधारा जाए।

माननीय सभापति जी, प्रान्त के सीकर जिले की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीकर जिले में खण्डेला एक 20-22 हजार की आबादी का कस्बा है। यह ऐतिहासिक कस्बा है और वह रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। आज से 30-35 वर्ष पहले से कस्बा पलसाना, जिसमें बस रूट है, में बसें चलती हैं, आज भी चलती है। इस कस्बे के महत्व को देखते हुए पुराने समय में यह रेलवे की आउट एजेन्सी भी रहा है। एक जमाना था कि रेलवे के टिकट खण्डेला के नाम से बिका करते थे। सभापति जी, इस शहर का गोटा उद्योग सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। सूरत के बाद में खण्डला का दूसरा स्थान है। बहुत स्थायी महत्व का स्थान है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है, उसे सड़क से आज तक वह नहीं जोड़ा जा सका है। पिछले सत्र में भी

(श्री गोपालसिंह)
इस बारे में निवेदन किया था। सभापति महोदय जानते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कई बार खेतड़ी गये हैं। वहां उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।

श्री सभापति: अब आप स्वयं आ गये हैं।

श्री गोपालसिंह : आपकी कृपा से।

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। एक दफा माननीय मन्त्री महोदय उधर के दौरे पर थे तो उनको खेतड़ी की ओर लिवा जाने का ध्यान था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्होंने स्कूल समझ लिया होगा।

श्री गोपालसिंह : मैं कहूंगा खण्डेला-पलसाना सड़क बन जाने से दूरी में बहुत बड़ी कमी होगी। यही नहीं इस सड़क से बीसलपुर की दूरी 20 मील कम हो जाएगी। इससे लोगों को लाभ होगा। इसलिये सभापतिजी, मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। भले ही सड़क ज्यादा महत्व की नहीं है लेकिन उसके बन जाने से जयपुर से खेतड़ी की जो लम्बाई है वह बहुत कम हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नीम का थाना-खेतड़ी—जयपुर सड़क 14 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसका बहुत महत्व है इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि श्री माधोपुर से पलसाना-रेवाड़ी मार्ग के बीच में वह अनाज की मण्डी है। पलसाना श्रीमाधोपुर को जोड़ता है। श्रीमाधोपुर की 15 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर 15 या 10 मील कम हो जाये तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति जी, दो ही मिनट लूंगा।

इससे वहां की इकानामी में बहुत बड़ा योगदान होगा।

अब मैं, माननीय सभापति जी, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीमाधोपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां की अदालत के लिए कोई भवन नहीं है। वहां एक छोटे से मकान में अदालत रखी गई है। उसको बिल्कुल चिड़ियाघर बना रखा है। इससे अदालत के प्रति जो सम्मान होता है, उसके अन्दर कमी आती है इसलिये, सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां की सुविधा के लिए, वहां की जनता की सुविधा के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट का भवन निर्माण हो। इसी प्रकार से जिस भवन में तहसील कार्यालय चल रहा है, वह भी बहुत खराब भवन है। दूर-दूर से आये हुए किसानों के लिए वहां बैठने की कोई जगह नहीं है। कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब की ओर ध्यान देकर . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कम से कम जवाब देते समय इसका जवाब दें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

एक माननीय सदस्य : वह तो बोल चुकी हैं।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : माननीय सभापति जी,.....

श्री सभापति : श्रीमती अरोड़ा ।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा यह प्रदेश एक ऐतिहासिक महत्व का प्रदेश है । यह पाकिस्तान की सीमा से मिला हुआ प्रदेश है इसलिए इसकी सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है । लेकिन जब सवाल आता है सड़क के निर्माण का तो पैसे का भी सवाल आता है । मेरा निवेदन है कि पैसा दिया जा सके तो अधिक निर्माण हो सकेगा । मेरा सुझाव है कि कृषि उपज मण्डी के पास उठाने के लिए करोड़ों रुपया है । उस पैसे का वह ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाती है । आज तक उसने कुछ इंजीनियरिंग विभाग खोले हैं । मैं समझती हूं कि वह पैसा दे दिया जाय तो सड़कों का निर्माण अच्छी तरह से हो सकेगा । इंजीनियर आज पैसे के अभाव में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं । सड़कों को गाड़ियां तोड़ती हैं । गाड़ीवालों से रोड टैक्स लिया जाता है वह लिया जाना चाहिए । मैं निवेदन करूंगी कि पैट्रोल और डीजल पर टैक्स से जो पैसा आता है, वह भी पी. डब्ल्यू. डी. को दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार से एल. आई. सी. से लोन लेकर सड़कों और पुलियाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, चाहे टैक्स लगाकर वापस एल. आई. सी. को पैसा दे दिया जाये । इस प्रकार से हम राजस्थान की पुलियाओं का निर्माण कर सकेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगी, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आई हूं, वहां सड़कें पहले ही बहुत खराब थीं । लेकिन इस बाढ़ और वर्षा से और भी खराब हो गई हैं । यद्यपि अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफी लगन से काम किया है लेकिन वह पूरा नहीं कर पाये हैं । रामगढ़ जाने वालों को जब भी बरसात आती है तो पांच पुलियाओं को पार करना पड़ता है । वे पांच पुलिया हैं, जैसिंहपुरा खोर, लाली का नाला, ढूंढ नदी, सूगली नदी और रोड़े का नाला । वहां विदेशी पर्यटक भी जाते हैं, जिनको अटकना पड़ रहा है । मुख्य मंत्रीजी भी रामगढ़ गये थे । वहां रोड़े के नाले में उनकी गाड़ी अटक गई । उसमें पानी बहुत था इसलिय पौन घंटे तक वहां अटका रहना पड़ गया । इसलिये इन पुलियाओं के निर्माण के लिये एक योजना बनायी जानी चाहिए । यही पुलिया नहीं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बल्कि राजस्थान के शहरों के बीच में पड़ने वाली जो पुलिया हैं उनका भी निर्माण कराया जाना चाहिए । क्योंकि जब पानी आ जाता है तो बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सरकारी भवनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है । चाहे चिकित्सालय का भवन हो, चाहे किसी स्कूल का भवन हो अथवा कोई सरकारी कार्यालय हो उनकी हालत काफी खराब है फिर भी तत्कालिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं होती है और पैसे के अभाव को आड़ ली जाती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार से बजट में प्रावधान करके मकानों का निर्माण कराया जाना चाहिये और पुराने मकानों में टूट-फूट है उसको तुरन्त ठीक कराया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के दुर्घटनाग्रस्त होने का ही खतरा नहीं बल्कि जहां पर चिकित्सालय है और जिन भवनों में कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है। उनको ठीक करने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश की विशेषतः अरावली की घाटी है। इनमें खानें हैं उन तक सड़कें बिछा दी जायें तो राजस्व बढ़ेगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझती हूं इनका निर्माण भी अविलम्ब कराया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे जो रास्ते हैं उनकी हालत भी ठीक होनी चाहिए। पिछले 25 वर्षों में, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जितना खर्चा हुआ है और जितना काम हुआ है, उसमें यह देखना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेन्ट पर कितना खर्चा हुआ और सड़कों के निर्माण में कितना खर्चा हुआ। इसकी जांच करायी जानी चाहिए और अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे यहां कितना खर्चा हुआ, इसका एक मापदण्ड निश्चित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हमारे मन्त्री महोदय ने अभी दौरा करना शुरू नहीं किया है। उनसे मेरा निवेदन है कि इन सड़कों को जाकर वे स्वयं देखें, जिन पर से हमारे नागरिक लोग जाते हैं उनको कितनी असुविधा होती है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको भी दौरे पड़ जायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले साल जिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। सड़कों पर बजरी, रोड़ी और एक निर्धारित मात्रा में मिट्टी डालनी चाहिए जिससे कि सड़कें जल्दी नहीं टूटें, उन पर खड्डे न पड़ें, इस बात को देखना होगा। साथ ही कई जगहों पर अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको पूरा कराया जाना चाहिए। अब तक जितना काम नहीं हुआ है उसको भी गहराई से देखना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह भी देखना चाहिए कि काम क्यों नहीं हुआ। किसी को दण्डित किया जाता है, किन्हीं को सस्पेन्ड किया जाता है लेकिन कौन दोषी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि दोषी व्यक्तियों को दण्डित कीजिये लेकिन साथ ही जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। सब लोग गन्दे हैं, सभी दूध के धुले हुए नहीं हैं; इस तरह की बात कहने से काम नहीं चलेगा। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको थपथपी देनी चाहिए और खराब लोगों को महकमे से निकाल देना चाहिए। इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।

— अनादरा से आबू रोड तक की जो सड़क है जहां से हमारे सम्माननीय संत श्री गोकुल भाई भट्ट आते हैं, उनके गांव के पास से सड़क आती है, वह भी अच्छी नहीं है। अनादरा से आबू रोड आबू रोड से सिरोही और सिरोही से दन्तीवाड़ी इन

Page No 164

(164)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सड़कों का निर्माण ठीक से कराया जाना चाहिए। जब मैं चुनाव के दौरे पर गई तब मैंने देखा कि टौंक से देवली, देवली से जहाजपुर, जहाजपुर से शाहपुरा, शाहपुरा से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर यह सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। उन पर ट्रक सामान लाते और ले जाते हैं तो कितने ही लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब भाई देवपुराजी इस विभाग के मन्त्री थे उन्होंने यह सब कार्य नहीं किया। जहां से वे चुनकर आये उस क्षेत्र की सड़कों के लिए भी उन्होंने काम नहीं किया। आमेट से गोमती का चौराया, लाम्बोड़ी से चारभुजा, केलवाड़ा से कुम्भलगढ़--इन सड़कों की हालत भी खराब है, ये सड़कें बरसात से खराब हो गई हैं। इन पर शीघ्र काम होने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि...

श्री सभापति : आपसे अनुरोध है शीघ्र समाप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : ऐसा लगता है, माननीय सदस्या खाना खाकर आ गई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अलवर से तिजारा और अजमेर रोड, जयपुर से रामगढ़, आमेर रोड, फूटा खुर्रा व हवामहल से सुभाष चौक इन सब सड़कों की हालत बरसात से बहुत खराब हो गई है। अजमेर से यहां तक आने में रोड पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, भाई ज्वालाप्रसाद जी का एक्सीडेन्ट भी इसी रोड पर हुआ था। मेरा निवेदन है कि इन सड़कों पर अविलम्ब कार्य शुरू होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इन सब सड़कों पर पुलियाओं का निर्माण होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मेरी यह अपील है कि अभी तक 55 माननीय सदस्य बोल पाये हैं। जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं वे कुल 117 हैं, इस हिसाब से हाउस चलता रहा तो 1 बजे तक भी माननीय सदस्यों के भाषण समाप्त नहीं होंगे। कम से कम एक घंटा सरकारी पक्ष को उत्तर के लिए दिया जाना होगा। इसका मतलब यह होता है कि कल सुबह दो बजे तक बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में दो-दो, तीन-तीन मिनट बोल लें और अपनी बात कह दें। माननीय मन्त्री महोदय भी संक्षेप में बोलें। इसका ज्यादा ध्यान रखें ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो और ठीक समय पर, सदन की कार्यवाही समाप्त हो सके।

मेजर श्री फतेहसिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देता, उसको शिरोधार्य करता हूं, लेकिन दो-तीन मिनट को माननीय सदस्य बोलें इससे बेहतर है कि नहीं बोलें।

एक माननीय सदस्य : मेरा विचार है कि महिला सदस्या को बोलने दिया जाय, और विचार पूरा हो जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री अजीत सिंह।

श्री मन्जूर अली : माननीय सदस्य अपना रिटिन भाषण दे दें।

श्री सभापति : यह तो सदन की मर्जी पर है।

(श्री सभापति)

श्री अजीत सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री रामरघुनाथ ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामदेव चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री माधव सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : माननीय सभापति जी, किसी देश की प्रगति, किसी प्रान्त का विकास और वहाँ की जनता की खुशहाली इस बात पर निर्भर है कि वहाँ पर आवागमन के साधनों की स्थिति क्या है। मान्यवर, गाँवों में पैदा होने वाले अनाज को मण्डी तक पहुंचाने के लिये आवागमन के साधनों का बहुत ही महत्व है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बैठने के बाद जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटमोशन दिये हैं और वह नहीं बोल सके हैं उनके कट मोशन का विस्तृत लिखित जवाब मन्त्री महोदय उन माननीय सदस्यों के पास भिजवा देंगे । मैं समझता हूं इन का भाषण समाप्त होते ही मन्त्री महोदय की तरफ से जवाब हो जाये और आज की माँगें पारित कर दी जाय ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सभी को मान्य हो सकता है पर मुझे मान्य नहीं है ।

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्यों की राय है कि माननीय सदस्य, श्री रामसिंह विश्नोई के बोलने के बाद जो सदस्य बचे हैं उनके भाषण नहीं होकर मन्त्री महोदय के कटौती प्रस्तावों का लिखित में जवाब भेज दें । अभी मन्त्री महोदय का जवाब आ जाये ओर आज की माँगें पारित कर दी जायें ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : हम तो बोलेंगे ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, ऐसा है कि विपक्ष के सदस्य बोल लें, हम जनता पार्टी के सदस्य नहीं बोलेंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपका जनता पार्टी वालों का तो कुछ नहीं वह तो मन्त्री जी से वैसे ही काम करवा लेंगे पर आज आपके मिनिस्टर साहब फिर भूमिगत हो जायेंगे ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भूमिगत होने वाले हमारे मन्त्री नहीं हैं वह तो आपकी परिपाटी ही रही है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले यह तय कर लें कि क्या अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसके बाद में सरकारी पक्ष से जवाब आ जाये ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सभापतिजी, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज गांव में सड़कें नहीं होने के कारण किसान की जो उपज है उसका उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि गांवों से मण्डियां दूर हैं। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण किसान का माल बाजार में, मण्डियों में नहीं जाने से काश्तकार को उसकी उपज का पैसा पूरा नहीं मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार के लिये, उसकी भलाई के लिये और गांवों के विकास के लिये गांवों को शहरों व मण्डियों से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, सड़कों का विकास हमारे लिये बहुत ही अनिवार्य है। जब तक सड़कों का विकास नहीं होता तब तक प्रान्त का विकास भी नहीं हो सकता है। सड़कों के विकास के लिये आपको धन की आवश्यकता भी रहती है इसलिए सभी सड़कों का एक साथ विकास नहीं किया जा सकता है। हमारा प्रान्त एक गरीब प्रान्त है। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि एक साथ सभी सड़कें बनवा सकें। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि भारत सरकार से राज्य सरकार को डेयरी विकास के माध्यम से डी. पी. ए. पी. के नाम पर नेशनल हाई वे स्वीकृत करवाकर पैसा मांगना चाहिये। सभापति महोदय, इस प्रकार से केन्द्र से पैसा ले कर के भी हम सड़कों का विकास कर सकते हैं। सभापति महोदय, जोधपुर-जयपुर सड़क है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, उसको डिफेन्स रोड घोषित किया जाना चाहिये। आज इस जोधपुर-जयपुर सड़क पर हर रोज हजारों ट्रक आते-जाते हैं। उस पर से मिलिटरी की भारी गाड़ियां-ट्रक आदि भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। हमें इसलिये रक्षा मन्त्रालय से इन रोड्स की मेन्टीनेंस के लिये धन राशि उपलब्ध करानी चाहिये। अगर पूरी धनराशि नहीं तो कुछ प्रतिशत तो हर साल रक्षा मन्त्रालय से धनराशि इन रोड्स के रख-रखाव के लिए मिलनी चाहिये। इसके अलावा हमारे यहां जोधपुर से जालौर, जोधपुर से सोजत और जोधपुर से सिवाना, बालोतरा की सड़क है वह पूरी की जानी चाहिये। सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि जिला हैडक्वार्टर्स को मिलाती हैं इसलिये इनको तुरन्त बनाया जाना चाहिये। सभापति महोदय, पिछले तीस सालों में हमारी सरकार थी तब भी इन सड़कों को नहीं बनाया गया लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को, इन सड़कों के महत्व को देखते हुए जो सड़क दो जिलों को आपस में मिलाती है वह सड़क बनाना अत्यन्त आवश्यक है व इनका विकास करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो जोधपुर-जयपुर सड़क पर बिलाड़ा के पास बाणगंगा की एक पुलिया है जो कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से टूट गयी थी, उसके टूट जाने के कारण जोधपुर से जयपुर जाने वाली बसेज जा नहीं सकती हैं। वह रास्ता बिलकुल अलग हो जाता है। पिछले वर्ष भी वह रास्ता, सभापति महोदय, दो महीने तक बन्द रहा। इसका असर सभी पर पड़ा। जो नगरपालिका को टैक्स मिलता है वह पूरा नहीं मिला, करीब दो माह तक पूरा आवागमन बन्द रहा, साथ में राज्य सरकार को आय भी नहीं हुई और जनता को परेशानी भी हुई। मेरा निवेदन है कि बाणगंगा की पुलिया

(श्री रामसिंह बिश्नोई)
है उसको बहुत ही शीघ्र पक्का बनवाया जाना चाहिये ताकि जनता को नुकसान नहीं हो और जनता को राहत मिल सके।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापतिजी, आज सदन में जिन मांगों पर बहस चल रही है उन पर मैने भी अपने तीन कटमोशन दिये हैं। जो मेरे तीनों कटौती के प्रस्ताव हैं उन्हीं के संबंध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं जिन सड़कों के नाम निवेदन करूं, उन सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाना चाहियें। जयपुर से आबू होते हुए आगे अहमदाबाद तक जो सड़क जाती है, वह गुजरात स्टेट में पहुंचती है उसको राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाय। यह सड़क ब्यावर से आगे जाकर अपना रास्ता बदल लेती है। वह, सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। उस पर हर रोज करीब चार-पांच हजार ट्रक व बसेज गुजरती हैं। उसकी हालत में सुधार कर उस सड़क को ब्यावर गुजरात की सीमा तक राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में घोषित किया जाना चाहिये। मैंने इसके लिये जब सेन्टर में राजबहादुरजी मिनिस्टर थे तब उनको पत्र लिखा था और उन्होंने मुझे पत्र का यह जवाब दिया कि आपकी सरकार की तरफ से अगर यह लिखा हुआ आयेगा तो इस पर विचार किया जायेगा। सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और दो प्रान्तों को आपस में मिलाती है। इसको राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में माना जाना चाहियें। इसके साथ ही इसके रास्ते में जो चार नदियां पड़ती हैं एक तो रायपुर के पास लूनी नदी, दूसरी पाली के पास बाडी नदी और तीसरी आबू के पास बनास नदी और चौथी आगे चन्द्रावती नदी पड़ती है, उनके कारण हर साल बरसात में अड़चनें आती हैं इसलिये उन पर पुल बनवाये जाने चाहियें। बरसात में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिससे कि यह प्रमुख रास्ता तीन-चार दिन और कभी-कभी तो छः दिन तक बन्द रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिया बनायी जायें ताकि जनता को दिक्कत न हो। और उसे राहत मिले। सभापति महोदय, यह सड़क आज दिन तक उपेक्षित रही है। अब इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहियें। यह एक प्रमुख मार्ग है इसको राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाना चाहियें। इसके अलावा जयपुर-जोधपुर-गान्धीधाम से आगे कान्डला पोर्ट तक जो सड़क है उसको भी राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में घोषित किया जाना चाहियें। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के सबसे नजदीक जो पोर्ट है वह कान्डला है और बाकी जो पोर्ट है वह हमारे से दूर हैं। हमारे यहां से जो माल बाहर जाता है पोर्ट के रास्ते से उसके लिये बम्बई तो हमसे दूर पड़ जाता है, गान्धीधाम तक सड़क अगर बना दी जाय तो काफी सहूलियत मिल सकती है। इसलिये इसको राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाय। इसके अलावा जालौर-सांचोर रोड को भी राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाय। सभापति महोदय, इसके अलावा और कई छोटे-छोटे मार्ग हैं जैसे जालौर-सिरोही, जालौर-जोधपुर रोड उनको तुरन्त बनवाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जालौर-सिरोही के बीच में एक नदी पड़ती है उस पर पुलिया बनाई जानी चाहिये। सभापति महोदय, यह जो रोड्स हैं इनको पूरा कर लिया जाय तो जिला हैडक्वार्टर्स सड़क से मिल जायेंगे। सभापति महोदय,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 168

(168)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

समापति महोदय, जालौर-जोधपुर मार्ग में आकोली नदी की अभी भी यह हालत है कि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है इसलिये इसकी ओर विशेष। ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जवाई नदी की स्थिति ठीक नहीं है, उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। उस पर जो पुलिया हैं वे ठीक कराये जायें। अभी बाढ़ में पांच पुल बह गये। जिस जमाने में सार्वजनिक निर्माण मंत्री, नवाब लोहारू थे आज भी उनका कीर्ति-स्तम्भ खड़ा है। रानीवाड़ा-जैतपुरा रोड पर पुलिया बननी थी उसका पैसा स्वीकृत हुआ वह कौन खा गया? कहाँ चला गया? वह पुलिया बनी नहीं। रानीवाड़ा-आबू रोड के बीच में पड़ा है, वहाँ उनका कीर्ति-स्तम्म लगा हुआ है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उम्मेदपुरा से लगा कर जवाल तक के रास्ते में तीन बड़े गाँव पड़ते हैं। पांच-पांच हजार की उनकी आबादी है, सन् 1971 की जनगणना के हिसाब से 4700, 4500, 4400 से ऊपर आबादी है। हरजी, मनादर आदि गाँव हैं। जालौर में सड़कें उम्मेदपुर, लास, जवास, जालौर, जोधपुर, जालौर, साँचोर, इनको मान्यता दी जाय। इनके काम को पूरा किया जाय। सड़कों के टुकड़े अधूरे पड़े हैं। उनको पूरा किया जाय तो जालौर-सिरोही, जालौर-जोधपुर साँचोर का मार्ग खुल सकता है और आवागमन के साधन हो सकते हैं। आवागमन के साधन होंगे तो चीजें आवेंगी जावेंगी। इससे उस क्षेत्र में विकास के साधन बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इस पर राज्य सरकार और मंत्री महोदय विचार करें, यह मैं आपके द्वारा, माननीय समापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं आपने दो मिनट का समय और दिया।

श्री सभापति : अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : समापति महोदय, सड़क के बारे में जनरल कटौती प्रस्ताव दिया है। और मैंने पहले भी यह कहा है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, यदि किसी देश का निर्माण करना है तो सड़कों का निर्माण अत्यावश्यक है। देश के निर्माण में सड़क का निर्माण महत्वपूर्ण है। असेन्शियल कमोडिटीज जो गाँवों में पैदा होती हैं उनको शहरों में पहुंचाने और शहरों से आवश्यक चीजें गाँवों को पहुंचाने की दृष्टि से सड़कों का बड़ा उपयोग है।

श्री सभापति : मकराना की सड़कों पर आ जायें।

श्री अब्दुल अजीज : उस पर भी आता हूं। सड़कें चाहे किन्हीं कारणों से बनी हों, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समापति महोदय, जो सड़कें सियासी तौर से बनायें, अगर वे लम्बी हैं तो हमारा पैट्रोल और डीजल बहुत खर्च होगा। किसी स्थान को अगर सड़क से अगर जोड़ना है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि एक उपयोगी स्थान से दूसरे उपयोगी स्थान तक सड़क बने तो शोर्टेस्ट रूट को अपनाया जाय। राजनैतिक पहलू से कई काम पहले हुए हैं और कई दफा होते हैं। नागौर जिला है। वहाँ हमें जाना होता है तो हमें कुचामन होकर मकराना, कुचामन होकर डीडवाना, नागौर जाना पड़ता है। यदि मकराना से सीधी सड़क बोराना होकर जाय तो 22 मील का डिफरेन्स पड़ जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि

(श्री प्रमुख प्रजोज)
हमेशा के लिये तमाम गाड़ियों पर पैट्रोल का और देश का नुकसान होता है उसको हम बचा पायेंगे ।

इसी प्रकार मकराना से रोडवेज की बस से अजमेर आते हैं तो उस सड़क पर हर समय ट्रक आते जाते रहते हैं । किशनगढ़ से मकराना तक आते हैं तो सड़क पर हैवी लोडेड ट्रक्स आते-जाते है । इसके अलावा पूरी की पूरी सड़कें मकराना तक टूटी पड़ी हैं । इसका कारण यह है कि जो पानी अजमेर के बंधों से निकलता है वह किशनगढ़ के पास होकर सदावर में जाता है । इस कारण पूरी की पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं । ट्रक्स पास होते हैं तो मार्ग का नुकसान होता है । इसलिये उसको चौड़ा करने का अनुरोध करता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप चाहे समय कम दें । एक व्यवस्था का प्रश्न अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो कुछ सदन में बात करते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव हैं या किसी मंत्री को रिप्रेजेन्ट करें वह ज्यादा इफेक्टिव है ? कल भी मैंने यह कहा था । आसन इसका जवाब दे कि जो कुछ विचार रखते हैं उनका यहाँ पर उत्तर मिले । अगर उत्तर न मिले तो उनको घर जाकर दें । जो बातें मैंने कल रखीं उनका उत्तर कल मिला नहीं । इसलिये आज कृपा कर उत्तर दे दें तो अच्छा है ।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव रखा सड़कों के बारे में । किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिये सड़का का होना सबसे जरूरी है । भीनमाल में सड़कों का पूर्णतया अभाव है । पूरे भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में 15 16 मील डामर की सड़क मिलेगी और 10 12 मील की ग्रेवल रोड मिल जावेगी । इसके अलावा सड़कें नहीं मिलेंगी । यह रही है 30 वर्ष की प्रगति सड़कों के बारे में । सड़कों के न होने से 24 मील वाली से भीनमाल गेहूं की बोरी लेकर आने वाले किसान को दस रुपया प्रति बोरी देना पड़ता है । जीरा भीनमाल से उझा ले जाते हैं जो कि 150 मील दूर है तो उसका किराया 6 रुपया प्रति बोरी देना पड़ता है । इसलिये अर्ज कर रहा था, सभापति महोदय, बिकास के लिये सड़कें होना जरूरी हैं । तरक्की के लिये सड़कें बहुत ही मायने रखती हैं । जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा तब तक कोई क्षेत्र कभी तरक्की नहीं कर सकता है । इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, हालांकि वे यहाँ बिराजमान नहीं हैं, निवेदन करना चाहता हूं की भीनमाल पर तो उनकी बड़ी कृपा है । शिक्षा के क्षेत्र में भी भीनमाल पर कृपा रखी, इस बार सड़कों के मामलों में भीनमाल के प्रति वही रवैया न अपनायें । भीनमाल से नरसाणा, क्षाब, सिलवाड़ा को जोड़ दिया जाय, जालौर से बाड़मेर साँचोर होकर जाने की बजाय सीधा सिवाड़ा रोड मिला देने से 40 किलोमीटर दुरी कम हो जावेगी । रानीवाड़ा में डेयरी है इस डेयरी को मुझानी में फार्म दिया है वह एरिया पशुपालकों का है । उनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन और डेयरी । डेयरी विकास के लिये सड़कों का निर्माण जरूरी है इसलिये जो अधूरे कार्य हैं, पहले से मंजूर हैं, उनको पूरा किया जाय । भीनमाल से जसवन्तसर, बिलाड़ा, चेनपुरा, राउता, मोहसीम, बाली ये चार-पाँच गाँव को सड़कों से जोड़ा जाये सड़कों के लिये जैसा कि जनता पार्टी ने

(श्री सूरजपाल सिंह)

कहा है ग्रामीण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देगी। जनता पार्टी इसको पूरा करने में कितनी दिलचस्पी रखती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। तीस साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आने वाला समय बतायेगा कि आप क्या करते हैं। कुछ करके बताइयेगा, खाली कांग्रेस वालों को दोष देने से फायदा नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात आप बार-बार दोहराते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जालौर जिले के अन्दर भीनमाल क्षेत्र भी काफी पोटेन्शल एरिया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोटा और गंगानगर बहुत ही पोटेन्शल एरियाज हैं मगर मैं उन माननीय सदस्य को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि जालौर जिला भी कोटा और गंगानगर से कृषि के उत्पादन में कम नहीं है। उस...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो अन्न उत्पादन के अन्दर वह जिला पिछड़ जायेगा। अगर कोटा वालों को ही कोटा दिया गया और कोटा पर ही विशेष मेहरबानी रही तो अन्य क्षेत्र जो कि विकास की तरफ बढ़ रहे हैं उस क्षेत्रों को राजनैतिक प्रभाव के कारण विकास से वंचित रखने का कोटा वालों का इरादा है। आप इस गलत तरीके पर नहीं चलें। जिस तरह से भीनमाल में कन्या पाठशाला के मामले में पक्षपात का रवैया अपनाया उसी तरह आप सड़कों के बारे में नहीं अपनायें। 4 महीने से जालौर जिला भीनमाल से कटा पड़ा है क्योंकि आकोला, मेखड़ी का पुल टूटा पड़ा है। वहां जाने का कोई साधन नहीं है। रोडवेज की बस रानीवाड़ा को जाती है और रानीवाड़ा से ही आती है। इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि सड़कों के मामले में भारत सरकार की यह रिपोर्ट भी थी कि पूरे देश में 26 जिले ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं उनमें राजस्थान के भी दो जिले हैं, वह हैं सवाई माधोपुर, और जालौर। यह दो जिले सड़कों के मामले में सबसे पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों की तरफ आप विशेष ध्यान दें और खास तौर से पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनायें। यही शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतना राम।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : माननीय सभापतिजी, मैं हमारे क्षेत्र रानीवाड़ा की सड़कों के विकास के बारे में निवेदन करूंगा। मैं सर्वप्रथम राज्य सरकार को यही निवेदन करूंगा कि जो अधूरे काम हैं उनको प्राथमिकता दी जाये और अधूरे कामों को पूरा किया जाये। जैसे रानीवाड़ा से जसनपुर है उस पर पत्थर बिछे हुए हैं। उस पर सिर्फ डामर करना है। अगर समय पर डामर नहीं किया गया तो पत्थर इधर-उधर बिखर जायेंगे। सरकार का अभी जितना पैसा पत्थर बिछाने में खर्च हुआ है उतना ही फिर सरकार को खर्च करना पड़ेगा।

दूसरी बात, सभापति महोदय, बड़गांव नदी पर पुल बनाया गया था उसका दस साल पहले निर्माण हुआ था, उस समय पुल का निर्माण गलत ढंग से किया गया। उसके आगे कच्चा पुल था वह अतिवृष्टि के कारण बह गया। उससे गाँवों को भी बहुत नुकसान हुआ क्योंकि पानी एकदम रुक गया। पानी का निकास अच्छी तरह से नहीं रखा इसके

(श्री रतनाराम)
कारण से पुलिया के आगे मिट्टी का बनाया हुआ पुल व पिचिंग टूट गयी और कई गांवों को भी नुकसान हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि रानीवाड़ा से आबू रोड के बीच यही पुल आता है और आगे जाकर जैतपुरा की नदी आती है। जब नवाब साहब मंत्री थे दस साल पहले तब उसका शिलान्यास हुआ था लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। रानीवाड़ा से गुजरात जाने के लिये सांचोर वाया थरद पालनपुर गुजरात में जाते हैं और रानीवाड़ा से हीरपुरा वाया गांग सड़क गुजरात बोर्डर तक वाण रोड बनी हुई है अगर उस रोड पर पुलिया बना दी जाये तो 160 किलोमीटर ज्यादा लम्बा नहीं जाना पड़े। उससे गुजरात में जा सकते हैं। यह सड़क फेमिन के वक्त बन गई है परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. ने अभी तक अपने चार्ज में नहीं ली है सो ली जाय और इन सड़क की मरम्मत व पुलियाओं का काम कराया जाय. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बहुत कह दिया आपने।

श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है तो गणेशजी का स्मरण किया जाता है। उसी तरह से शुभ कार्य प्रारम्भ होते ही जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस का नाम लिया जाता है। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं है। यदि आपको इससे ही सकून मिलता है और इसी से आप विकास की गति को तेज कर सकते हैं तो मुझे इसमें एतराज नहीं है। आप जरूर यह कहें और कहते जाइये।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां सब माननीय सदस्य अपने-अपने एरिया की मांगों को प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात हो जाती है कि मंत्री महोदय इन सब का क्या उत्तर दें। क्या करें। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि जैसे जन स्वास्थ्य विभाग ने अपने फण्ड्स जिला प्लानिंग कमेटी को अलोट किये हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इसी तरीके से जितने भी विकास के कार्य हैं उनके फण्ड्स जिला प्लानिंग कमेटी को अलॉट होने चाहियें। जिससे काम का भार आपके ऊपर ज्यादा न आये। सामने प्लैनिंग कमेटी में माननीय सदस्य भी होते हैं और जिले के जिम्मेदार आफिसर्स भी होते हैं. वह सब प्लान बनाकर अगर उसको एजीक्यूट करेंगे तो आपके सामने भी सब माननीय सदस्यों की समस्या नहीं आयेगी और उस जिले की समस्या वहां पर ही सोल्व हो जायेगी और ऐसा संबंधित मंत्री महोदय उचित नहीं समझें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक माननीय सदस्य, जो सिरोही से आते हैं, कहा था नेशनल हाई के बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो जयपुर, ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ अहमदाबाद तक जाने वाला नेशनल हाई वे नम्बर 8 था अब उसको दूसरी तरफ घुमा दिया गया है। उस जगह पर उसका पैसा लग गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह जो रूट है दिल्ली से जयपुर होता हुआ ब्यावर, पाली होता हुआ सिरोही तक का, जितनी भी इसमें मंडियां आती हैं पाली, सुमेरपुर, शिवगंज, आबू रोड, पालनपुर, सिद्धपुर, ऊंझा, महसाना वह इतनी इम्पार्टेन्ट मण्डियां हैं कि मेरा ख्याल है वहां हजारों

(श्री माधोसिंह)

ट्रक इधर-उधर आते जाते हैं मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से केन्द्र से इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की कोशिश की जाये और इसको नेशनल हाई वे घोषित कराया जाये। अगर यह हो जाता है तो पश्चिमी जिलों के लिये आपकी तरफ से इनाम होगा और सड़क की मेन्टीनेन्स के लिये पैसे का भार भी राजस्थान सरकार पर न होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि स्टेट हाई वे जो है उसकी भी दूसरे नम्बर की प्राथमिकता दें। सिरोही जिले में स्टेट हाई वे है जिसको, बोर्डर रोड कहा जा सकता है वह आबू रोड रेवदर, रानीवाड़ा, सांचोर और बाड़मेर जाता है। जहां आबू रोड पर मिलिटरी केन्द्र है वहां राडार लगा हुआ है वह एक इम्पोर्टेन्ट रोड है, वहां हमेशा मिलिट्री का आव ाग होता रहता है। इस बोर्डर रोड को सुधारने के लिये पूरी कोशिश करनी चाहिए। रोड के ऊपर पूरा पैसा नहीं लगा सकें तो आवागमन के साधन नहीं रुकें इसके लिए जितने पुल हैं कम से कम उन पुलों का इन्तजाम तो हो जाना चाहिए। मेरे से पहले माननीय सदस्य, जो सांचोर, रानीवाड़ा और सिरोही से आये हैं उन्होंने निवेदन किया था कि आज से दस साल पहले 1963 के अन्दर जब फेमिन था तब जो करेली और जैतपुरा की रीवर है और जहां ट्रेफिक चार महीने तक बन्द रहता है।

(8.50 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां नदियों के किनारे माननीय नवाब लोहारु के द्वारा लगाये हुए फाउन्डेशन के पत्थर लगे हुए हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां अभी तक सब तरह का पूरा सामान पत्थर, कंकर, बजरी पड़ा हुआ है सिर्फ मजदूरी का पैसा लगाना है। इस पुल के बन जाने से जालौर, बाड़मेर और सिरोही की समस्या, गुजरात से आवागमन की समस्या हल हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और।

पुराने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक तो रेवदर-भीनमाल सडक है। वह मैटल सडक है जिस पर डामर भी 8 किलोमीटर तक डाल दिया गया है। आपसे निवेदन करूं एक सड़क रेवदर-सिरोही वाया नागनी की मैटल रोड पक्की है लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. ने अभी तक अपने कब्जे में नहीं ली है। उस पर लाखों रुपया खर्च हो गया है लेकिन उसे अभी तक अपने विभाग के अन्दर में नहीं लिया गया है इसलिये उस पर रेत भी नहीं डाली जा सकती, वर्षा के बाद ठीक भी नहीं किया जा सकता। इसलिये विभाग से अनुरोध करूंगा कि इम्पार्टेंट रोड्स को अपने विभाग के अन्दर हस्तगत करिये ताकि उनकी मरम्मत हो सके। इसी तरीके से कालन्दी से सीलपुर मैटल रोड, कालन्दी से बलदरा मैटल रोड भी विभाग द्वारा हस्तगत करनी चाहिये। उनकी मरम्मत होनी चाहिये।

एक भ्रष्टाचार का मामला और है। वह भी विभाग के ध्यान में दिलाना चाहता हूं। सिरोही जिले में गत वर्ष जितने कार्य हुए सारे कार्य एक ठेकेदार को दिये गये। उस ठेकेदार ने जो कार्य होना चाहिये था वह नहीं किया। वह भूतपुर्व चीफ इन्जीनियर साहब के जाने-माने आदमी हैं। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास टेलीफोन

(श्री माधोसिंह)

जाता है कि ठेका इसको दे दो। मैं आपसे निवेदन करूं कि गत वर्ष एक किलोमीटर की सड़क सिरोही जिले में नहीं बनी। उसके पास में थोड़ी बहुत दीवार खड़ी कर उसमें चूना लगाकर, सीमेंट न लगाकर पैसा ले लिया, अपना घर बना लिया है। इसका एक उदाहरण दूंगा। सिरोही के पांच मील पर एक रपट बनाई गई जिसकी जिला परिषद् की मीटिंग में तीन-चार दफा गूंज हुई है। वह रपट ठेकेदार ने बनाई और बनाने के बाद उस पर ट्रेफिक चालू हुआ, तो दूसरे दिन ही टूट गई। फिर ट्रेफिक नीचे चलने लग गया। महीने भर बाद फिर सीमेन्ट की बनाई गई फिर ट्रेफिक जब चालू हुआ तो फिर पांच दिन के अन्दर रपट का बेड टूट कर बाहर हो गया। उसके बाद तीसरी दफा डाली गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन आज भी उस रपट के बेड की वही हालत है। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि पूरा ध्यान देकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा (अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मंजूर अली : मेरा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बताया गया है कि आप बोलना पसन्द नहीं करेंगे।

श्री मंजूर अली : मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा मांग संख्या 21 पर जिले की वृहद सड़कों की मरम्मत व पुलों के रख-रखाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये कटौती प्रस्ताव है।

सबसे जरूरी सवाल है कि सड़कें जब बनें तो वह क्यों टूटें। उनकी मरम्मत के लिये पैसा है या नहीं ? गंगानगर जिले की बात नहीं यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य बोले, ऐसा महसूस हो रहा था कि राजस्थान में अधिकतर सड़कें खराब है। मुझे बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिला। मैं तो गंगानगर की बात करता हूं। कोढ़ की बीमारी किसी को होती है तो कोई उसको हाथ नहीं लगाना चाहता उसी तरह राजस्थान की अधिकतर सड़कें हैं। कोई भी मोटर वाला, पैदल चलने वाला, गाड़ी वाला उस पर चलना पसन्द नहीं करता। तो इसका कारण क्या है ? इस समस्या के समाधान का रास्ता क्या है ? हमारे माननीय मंत्री जी भी आ गये हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि जितना भी पैसा हमारे पास सड़कों के लिये है, वह बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन जितने भी कार्य हुए हैं वह राजनैतिक दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर प्रभावित होकर हुए हैं। इस कारण पैसे का अपव्यय हो रहा है। कई जगह कमाण्ड ऐरिया डवलपमेंट स्कीम चल रही है उसका पैसा है और केन्द्र सरकार का जितना भी पैसा है उस सारे पैसे को ख करने वाली जितनी भी एजेन्सियाँ हैं उन एजेन्सियों का कोआर्डिनेशन करें। कोआर्डिनेशन करने के बाद में यह देखें कि कौन सी सड़कें सम्मिलित की जायें, कौनसी नई बनाई जायें। जितनी भी सड़कों पर पैसा लगाने वाली एजेन्सियाँ हैं उन सब को कोआर्डिनेट जब तक नहीं करेंगे

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

तब तक कार्य ठीक ढंग से नहीं चलेगा। अलग-अलग जिलावाइज कोआर्डिनेशन कमेटियाँ बनाई जायें, जनप्रतिनिधियों को उनमें सम्मिलित करें और जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनका प्लानिंग करें, अधिकारियों के साथ बैठकर योजनायें बनाई जायें। अगर कोआर्डिनेशन नहीं करेंगे तो मण्डियों के जो लोग हैं वे अपने छोटे-छोटे गाँव को जोड़ने को महत्व देंगे। उनको महत्व नहीं देंगे जो अन्तर्राज्य रोड्स होगी। वे ज्यादा महत्व की रोड्स होगी। इसलिये इन सारी बातों को जो हमारी कोआर्डिनेशन कमेटियाँ बनें जिलेवार उनके द्वारा प्लानिंग हो। सबसे पहले जो हमारी टूटी-फूटी सड़कें हैं, जो हमारी रोडवेज को ले बैठी हैं, रोडवेज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली, सबसे बड़ा घाटा और भट्टा बैठाने वाली रोड्स हैं, रोडवेज की बसों का पहले ही हैण्डलिंग ठीक नहीं होता, उनकी आधी कीमत हो जाती है, इसके साथ-साथ टायर खराब होते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, बराये मेहरबानी उन रोड्स को पहले लीजिये जिनमें खड्डे हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। खड्डों के कारण गंगानगर की रोड्स पर चल नहीं सकते। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता, इतना ही अर्ज करूंगा कि आप कोआर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट-वाइज कमेटियाँ बनायें अदरवाइज वही हालत होगी जैसे 30 साल तक सड़कों की हुई है। वैसा आप बराये मेहरबानी न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंजूर अली।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाब-ए-नायब, सदर-ए-मौहतरम, मुझे सार्वजनिक निर्माण के सिलसिले में पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर की बजट डिमान्ड की ताईद करनी है। उनकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर कौंस्टिट्एशन जो मेरा हलका-ए-इन्तेखाब है उसकी सड़कें बहुत खराब हैं। मुद्दत से उनकी मरम्मत नहीं हुई। उसकी व्यवस्था की जाये। इस इलाके में तीन सड़कें हैं जो जेरे तामीर हैं। सूखाल से भगवतगढ़, चकेरी से गोगोर कुंडेरा और किलारोड़ रामसिंहपुरा से कूंडेरा। यह तीनों सड़कें ही अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं। मिट्टी का काम होता है मिट्टी पड़ जाती है लेकिन बरसात में सब साफ हो जाती हैं। पूरा जो बजट है उसमें ही यह खर्च पूरा हो सकता है। मेरी इसमें तजवीज यह है कि इन्स्टालमेंट्स आफ टाइम के बजाए इन्स्टालमेंट आफ वर्क किया जाये यानी 10 मील का टुकड़ा है और बजट के हिसाब से अगर एक मील का टुकड़ा भी हर साल पूरा हो सके तो भले ही वह सड़क 10 साल में मुकम्मल हो मगर वह एक मील का टुकड़ा पूरा हो जाना चाहिये ताकि वह सड़क डैमेज न हो। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है। लेकिन उसको साइन्टिफिक प्रोसेस से पूरा किया जावे ग्राम मम्बोली व कुंडेरा के दरम्यान धमीर नदी पर पुलिया न होने की वजह से वहाँ का आमद-रफ्त मुश्किल है। पुलिया बन जाने पर वहाँ जरूरी चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। तीनों सड़कों के काम अगले वर्ष से पहले पूरे हो जायें।

रोडवेज के नेशनलाइजेशन के बारे में मेरा मशविरा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में मिलती हुई 50 किलोमीटर तक की सड़कों को नेशनेलाइज नहीं किया जावे। अगर इन छोटे रूट्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया

(श्री मंजूर अली)

तो हजारां ओपरेटर्स-बेरोजगार हो जावेंगे और रोडवेज नुकसान में चलेगी। इस तरह फोरी तवज्जोह दें कि सरकारी तरमीम नेशलाइजेशन ऑफ रोड्स में की जावे। वरना जो कुछ दो-चार लाख रुपया खर्च होता है वह हर साल बरबाद हो जाता है। इससे कोई परपज सर्व नहीं हो सकेगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंग सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री रावत राम।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री समरथलाल :

(अनुपस्थित)

श्री नरपतराम।

(अनुपस्थित)

श्री शीश राम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निर्माण मंत्री महोदय को झुंझुनू जिले की सड़कों की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। झुंझुनू एक ऐसी जगह स्थित है जहां राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा हरियाणा से जुड़ता है। हरियाणा की यह स्थिति है प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दिया है जब कि झुंझुनू के किसी भी गांव को उन रोड्स से नहीं जोड़ा गया है जो हरियाणा की तरफ से आती हैं वह जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उन्हें बोर्ड आदि देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्वतः टूटी-फूटी सड़क से ही समझ जाते हैं कि अब राजस्थान आ गया है। हरियाणा की सड़कें बहुत बढ़िया किस्म की बनी हुई है राजस्थान की पी० डब्ल्यू० डी० की बनाई हुई सड़कें एक तो छोटी-छोटी स्वयं टूटी-फूटी हैं और घटिया किस्म की बनाई हुई हैं।

श्री प्रेम सिंह सिघवी: शिकायत किससे कर रहे हैं। 30 साल से तो आप ही सत्ता में थे।

श्री शीश राम ओला : यह कोई बात नहीं जो शासन में होगा उसी से कहेंगे। तो, उपाध्यक्षजी, झुंझुनू में खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और पिलानी में एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है इस कारण बहुत से लोगों का आवागमन रहता है। वे सब यह स्थिति देखते हैं तो उनको यह लगता है कि कितना बड़ा अन्तर एक स्टेट और दूसरी स्टेट में है। यही नहीं, झुंझुनू के नागरिक जब यह देखते हैं कि हरियाणा का प्रत्येक गांव यातायात की दृष्टि से सड़कों से जोड़ दिया गया है तब यह महसूस करते हैं कि हरियाणा में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है और हम राजस्थान के हैं इसलिये हमारे यहां तो पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स तक नहीं जोड़ा गया है। यह बात उनके दिमाग में आती है और एक हीन भावना की स्थिति पैदा होती है। हमारी स्टेट को यह विशेष तौर से देखना है और काम करना है।

(श्री शीश राम ओला)

अगर इस हीन भावना को खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से झुंझुनू जिले की ओर विशेष तौर से ध्यान देकर सड़कों की व्यवस्था को सुधारना होगा। हरियाणा प्रान्त प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दे और राजस्थान का रहने वाला देखता रहे तो उसमें हमेशा के लिए हीन भावना पैदा होती रहेगी। यह उनके लिए ही नहीं बल्कि सरकार के देखने की बात है और सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का 2–3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। काटली नदी चिड़ावा और झुन्झुनू के बीच पड़ती है। यह काटली नदी बरसात में 4–4, 5–5 दिन तक लगातार चलती रहती है। झुन्झुनूं जिला केवल जयपुर के पास नहीं पड़ता दिल्ली से भी करीब पड़ता है। दिल्ली, सीकर, झुन्झुनू हमारे प्रान्त की यह महत्वपूर्ण सड़क है। जब नदी आती है तो करीब 200–300 गाड़ियां नदी के दोनों किनारों पर खड़ी हो जाती हैं। चार-चार दिन तक उनको रास्ता नहीं मिलता है और वहां ही जंगल में खड़ी हो जाती हैं। न वहां कोई शहर है और न कोई छोटा-मोटा कस्बा ही है। उस जंगल में पानी पीने तक की समस्या हो जाती है। सारा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। पहले इस नदी पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया गया था। अब वह कार्य किस लिये रोक दिया गया है, मुझे पता नहीं। इस पर पुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। यह सेन्ट्रल केपीटल दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है। इसलिये इतनी महत्वपूर्ण सड़क पर पुल बनाने का आपको विचार करना चाहिये ताकि आवागमन के साधन न रुकें।

इसी प्रकार एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना खेतड़ी, नीम का थाना, बवाई और पपरूना सड़क जो गेगर नाला पड़ता है वहां हुई है। इतनी बड़ी दुर्घटना जो उस नाले पर घटी है शायद राजस्थान में कहीं और नहीं हुई होगी। करीब 100 से ज्यादा आदमी एक ही दिन में बरसात के पानी में बह गये। जानवर भी नही मरते होंगे इस तरह उनकी मौत हो गई। जो भी उस बस में सवार थे, सब के सब बह गये। वह नाला कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा भी नहीं है केवल 70-80 फीट लम्बा होगा। उस पर पुलिया का शीघ्र निर्माण नहीं हो। तो राजस्थान के इतिहास में जो घटना पहली बार घटी है उसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिये उस पर पुल का निर्माण आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो–तीन मिनिट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : घटना कौनसे सन् में घटी है ?

श्री शीश राम ओला शायद आपको तो याद भी नहीं होगा। आप उस समय होंगे भी नहीं लेकिन इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। इन्कार करने से काम नहीं चलेगा।

कुछ मेरे अन्य सुझाव हैं सड़कों के निर्माण हेतु वे इस प्रकार हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : इतनी तकलीफ क्यों होती है आपको। जो भी ट्रेजरी बेन्चेज में बैठेगा उन्हीं को तो कहेंगे।

श्री शीश राम ओला : सायलस वाया कावसरा रोड चवरा होकर

(श्री शीश राम ओला)

जोड़ दी जावे सड़क से जुड़ जावेंगे। वह महत्वपूर्ण सड़क होगी। वह सीकर की ही सड़क है। उसका कार्य लम्बे समय से बन्द पड़ा है। चिड़ावा-मान्डेला सड़क का तीन जगह काम हुआ है अब उसमें एक जगह कार्य करके उस सड़क को भी जोड़ा जाय। एक मलसीसर से मण्डेला सड़क है उस सड़क से भी बहुत से गाँव जुड़ते हैं। वहाँ न अभी तक सड़क है, न रेल का साधन है और न आवागमन के ही कोई दूसरे साधन हैं। सभी आवागमनों के साधन से वे गाँव बंचित हैं। गुढ़ा-नीम का थाना की सड़क महत्वपूर्ण सड़क है उसको भी जोड़ना है। इस सड़क पर अकाल राहत में काफी काम हो गया। इस सड़क को पूरी करने से जयपुर की दूरी कम होती है। उस क्षेत्र में रेल आदि का साधन भी नहीं है। वहाँ के लोग नीम के थाने में आकर यातायात का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को सैंथल सिघाना वाया पचेरी से जोड़ा जाय। वह भी महत्वपूर्ण सड़क है। वहाँ से खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट 8 मील है। मेरे ख्याल से मौजूदा चीफ इंजीनियर साहब खेतड़ी में रहे हैं। उस सड़क पर खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट से पैसा खर्च हो रहा है पी. डब्लू. डी. से नहीं हो रहा है। वह सड़क बन जाने से दिल्ली की 15 मील की दूरी कम हो जाती है। खेतड़ी से रोजाना इतना सामान जाता है और आता है उसका भाड़ा भी अधिक लगता है। वह सड़क बनने से काफी लाभ होगा और किराये भाड़े की बहुत बचत हो जायगी। इसका पैसा भी कापर प्रोजेक्ट ने दिया है लेकिन जो निर्माण कार्य 10 वर्ष पूर्व हो जाना चाहिये था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। एक मील का टुकड़ा अब तक अधूरा पड़ा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह कार्य भी शीघ्र पूरा करवा दिया जाय। केवल सुपरवीजन की बात है, उस सड़क में पैसा नहीं लगता है राजस्थान सरकार का। इसी प्रकार सुल्ताना से नीम का थाना वाया चनाना, गली इसको भी पूरा करवा दिया जाए। एक ठिकाना से सुल्ताना सड़क को भी बनवाया जावे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री ताराचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित)

श्री शिवराज सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह नदेरा

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)
श्री मेजर फतेह सिंह ।

मेजर श्री फतेह सिंह (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह से बुद्धि जीवी शहरी लोग देहातियों का शोषण करते आये हैं। पिछले तीस वर्षों से शहरियों का शासन चल रहा है। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की है उसी तरह से सड़कों के विस्तार के मामले में भी उपेक्षा की है। मैं आशा करता हूं कि नई जनता सरकार अपना ध्यान शहरों से हटा कर देहातों की तरफ देगी जैसी कि हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की है।

मान्यवर, बरार नाम का एक गांव है जिसने सन् 1821 में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इस गांव को टाटगढ़ से जोड़ने वाली एक तीन मील की सड़क थी। मैंटल रोड थी। उस मैंटल रोड की सन् 1956 तक अजमेर जिले के शासन द्वारा देख भाल हुआ करती थी। लेकिन जब से अजमेर राजस्थान में मिला यह दुर्भाग्य की बात है कि तब से उसकी ठीक देखमाल नहीं हो रही है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं मोटर कार जाना तो दूर रहा बैलगाड़ी और पैदल यात्रियों का चलना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्रीमान्, इसी तरह से भीम-आसीन्द रोड पर समेलिया नाम का एक गांव भीम से करीब सात मील आगे है। वहां पर सात वर्ष पहले एक पुल का निर्माण हुआ था। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि उस पुल का तीन-चौथाई काम सात वर्ष पहले हो गया था लेकिन अभी तक एक-चौथाई काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसकी वजह से बरसात के दिनों में यातायात की बड़ी कठिनाई होती है। आप लोग कृपापूर्वक इस पर ध्यान दें।

अब मैं जरा कटौती प्रस्ताव से कुछ बाहर जाने की आसन से आज्ञा मांगते हुए एक और निवेदन करना चाहता हूं। नेशनल हाई वे पर बरार के पास एक ठीकरवास नाम का गांव है। उस ठीकरवास से एक मील दूर पश्चिम की तरफ मीयाला नामक गांव है जहां रामदेवजी का मेला भरता है; करीब दो लाख यात्री वहां पर आते हैं हर साल। मैं निवेदन करूंगा कि इस ठीकरवास गांव को मीयाला से कम से कम मैंटल रोड से जोड़ दीजिए ताकि यात्रियों को सुविधा हो।

अन्त में एक बात की ओर इस सदन के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका सीधा सम्बन्ध इस कटौती प्रस्ताव से नहीं है। कुछ एक माननीय सदस्य ऐसे हैं जो सन् 1957 से 62 तक इस विधान सभा के सदस्य थे। श्री बृज-मोहनलालजी शर्मा सन् 62 के बाद इस विधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे हैं। आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके कार्यकर्त्ता इंजीनियर और अधिकारी कितने जागरूक हैं, कितने कार्य कुशल हैं उसका अन्दाजा मेरे एक उदाहरण से आपको ज्ञात होगा। मैंने आपसे कहा कि सन् 62 के बाद श्री बृजमोहनलाल इस सदन के सदस्य नहीं रहे लेकिन अभी जून, 1977 में उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता से एक पत्र मिलता है कि आपने

(मेजर श्री फतेहसिंह)

फर्नीचर के किराये का 147.57 पैसे बाकी हैं। 15 वर्ष बाद फर्नीचर के किराये का उनके पास नोटिस जाता है, बिल जाता है। उनमें यह रुपया बाकी है, या नहीं, यह मैं नहीं कहता। सन् 1957 से 62 तक श्री शर्मा एक साधारण सदस्य के तौर पर थे। सदस्य को फर्नीचर मिलता है, फिर उनमें 147.57 पैसे बाकी कैसे रहे, इसके औचित्य में भी मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इससे मालूम होता है कि आपका विभाग कितना एफिशियेंट है, कितना कुशल है, मैं कहूंगा, कितना निकम्मा है, इसके लिए यह उदाहरण पर्याप्त है।

श्री शयोपत सिंह मकासर : माननीय शर्माजी जिन्दा हैं क्या ?

मेजर श्री फतेहसिंह : बृजमोहन जी जरूर जिन्दा हैं।

इसलिए आप लोग इस बात को देखें, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी कितने जागरुक हैं यह उसका नमूना है। इतने दिनों तक क्या सोते रहे ? उनका निकम्मापन इससे जाहिर होता है।

मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये आपका ध्यान आकर्षित किया है उसकी ओर ध्यान दें और श्री बृजमोहनलाल शर्मा जी को इतनी देर से क्यों नोटिस मिला उसका भी कारण ढूंढें। धन्यवाद।

श्री शयोपतसिंह मकासर : यह तो उनकी काबलियत है।

श्री ताराचन्द : माननीय शीशराम जी ओला के बाद मेरा नम्बर था....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे हाउस का सेंस मालूम हुआ था कि माननीय सदस्यों ने यह कह दिया था कि अब वे नहीं बोलेंगे।

इसकी तो कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर माननीय सदस्य चाहते हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री ताराचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम रह गया है, मैं बोलना चाहता था।

श्री नवरंगसिंह : मेरा निवेदन है कि मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं चेयर पर आया तो मुझे बताया गया था कि जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, माननीय सदस्य, उन्होंने इस तरह का एक सैन्स, जानकारी दी है, इस तरह के विचार जाहिर किये हैं कि कतिपय सदस्यों को छोड़ कर नहीं बोलेंगे। उसी आधार पर मैंने इसको रेगुलेट करना शुरू किया। काफी समय हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि अब मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री हरिश कुमार शर्मा : हम भी उन कतिपय सदस्यों में ही हैं।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : अलवर जिले में सड़कों की जो हालत है उसके बारे में अभी तक हमारे जिले के किसी भी माननीय सदस्य ने विचार प्रगट नहीं किये हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : जितने कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं उनकी लिखित में सूचना दे दी जायेगी।

श्री हरिसिंह यादव : वहां सड़कें, पुलिया या तो बनी ही नहीं, कुछ बनी भी तो पानी में बह गई हैं। उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए। इस जिले पर महरबानी करके आप मौका दीजिए। पानी का बड़ा प्रकोप हुआ है उस जिले पर।

श्री उपाध्यक्ष : जब इस प्रकार की चर्चा चल रही थी तो मुझे ऐसा बताया गया था कि आप सभी सदस्यों ने स्वीकृति दे दी थी।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह यादव : मुझे दो मिनट का समय दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय दे देता हूं। देखते हैं दो मिनट में आप कैसे अपने वायदे को निभाते हैं।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अतिवृष्टि से इस बार अलवर जिले के अन्दर सड़कों का काफी विनाश हुआ है। जो पुलियायें पिछली सरकार ने बनाई थीं वे आम तौर से थोड़ी बहुत थी लेकिन वे टूट गई हैं। हाँ, वे पुलिया, जो किसी जमाने में राजाओं के टाइम में बनी हैं, जरूर बरकरार हैं। पिछले चार महीने से हमारे जिले की बहरोड़ तहसील बिल्कुल मुख्यालय से, अलवर से कट आफ है।

तीस साल तक लगातार इस बात को इस सदन में बार-बार लोगों ने कहा है परन्तु कभी भी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। साबी नदी, जिसके लिये दिल्ली और हरियाणा यह कहते हैं कि हम तबाह हो गए, हमारे जिले के बीच में से होकर जाती है। इस नदी के पुल का प्रपोजल वहां के इन्जीनियर्स ने सरकार को भेजा है। यह मेरी जानकारी में है कि साबी नदी पर तीन जगह पुल बनाने के बारे में राज्य सरकार को सुझाव और प्रपोजल्स भेजे गए हैं। इस साबी नदी पर तीस वर्ष के जनतन्त्र में कांग्रेस हकूमत पुल नहीं बना सकी। मैं माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करूंगा कि इसके लिए आप केन्द्रीय सरकार से बात करें और धन की व्यवस्था करें। चाहे आपको कोई टैक्स लगाना पड़े, टोल टैक्स लगाना पड़े तो टोल टैक्स लगा कर आप कम से कम साबी नदी पर पुल अविलम्ब बनावें। लगातार चार महीने तक अलवर और बहरोड़ के बीच का मार्ग है, उसकी यह स्थिति रहती है कि जो सब-डिवीजन बहरोड़ है, वह दो भागों में बंट जाता है। जिनके मुकदमे सब-डिवीजन बहरोड़ अदालत में हैं, वे लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। जब फ्लड और राहत कार्य के लिए राहत भेजने का प्रश्न आये तो वह सामान भी नहीं भेजा जा सकता। एस. डी. ओ. की रिपोर्ट भी शाहपुरा होकर अलवर पहुंचानी होती है।

मेरे बानसूर निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क बनी है, नारायणपुरा से हरसाला तक। उस पर कांक्रीट डाली गयी है। रोलर घूम गया है परन्तु आज तक तारकोल नहीं डाला गया है। पुलिया नहीं बनी है। यह सड़क मौसमी सड़क बनी हुई है। इस सड़क पर गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी चलती है रेत में, जिसमें बैल गाड़ी चलती है। मैं सरकार का ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस

(श्री हरिसिंह यादव)

सड़क पर तुरन्त तारकोल डाला जावे। जो भ्रष्टाचार की बात बतायी, वह तो आपने सुन लो, मन्त्री महोदय, परन्तु आपने भी वही एक तरीका अपनाया, कहीं पर सीमेन्ट डाल दी, कहीं पर दूसरा सामान डाल दिया और निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया. तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह सामान भी वेस्ट हो जाएगा। ठेकेदार की मिलीभगत पिछले पूरे प्रशासन से थी। उसको रोका जाय अन्यथा वह नमूना हमारा भी हो सकता है, जो पिछली सरकार का था। इसलिए मेरा यह सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपना वायदा निभावें।

श्री हरिसिंह यादव : वायदा निभा रहा हूं।

मैं मंत्री महोदय को और सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन ठेकेदारों से पीछा छुड़ाया जाए। इस निर्माण कार्य में मजदूर हमारे लगते है, सीमेन्ट हमारी लगती है, तारकोल हम लगाते हैं तो आप स्वयं अपने पास एक लेबर कार्प्स की स्थापना करें जिसके अन्दर नियमित रूप से हमारे हैं राजस्थान के शिक्षित अशिक्षत बेरोजगारों श्रमिकों को लिया जाए। इस निर्माण कार्य को सीधा सरकार के जरिए हाथ में लिया जाए ताकि यह जो धांधली है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा, 60 प्रतिशत ही खर्च होता है और 40 प्रतिशत का बंटवारा हो जाता है यह धांधली रुक सकती है और 40 प्रतिशत भी बच सकता है। इससे राजस्थान के बेरोजगार लोग जो गांवों में रहते हैं. जो लेबर उसको नियमित रूप से काम मिल सकता है। मेरा यह सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर लेबर कार्प्स बनाई जानी चाहिए और पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर नियमित रूप से सरकारी तंत्र के द्वारा सड़क और भवन निर्माण का कार्य होना चाहिए। इससे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिटेगा।

मंत्री महोदय का ध्यान मैं विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा समय ले रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह यादव : हमारे जिले में यातायात ठप्प हो रहा है। आपके मंत्री बनने से इतना फर्क अवश्य हुआ है, अति-वृष्टि के समय जहां पर हमारे जिले की सड़कें टूटी हुई थीं, वहां तेजी से काम करके जैसे तैसे पांच-सात रोज में निकलने का कच्चा रास्ता मिलिटरी और पी. डब्ल्यू. डी. ने मिल कर बना दिया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मन्त्री महोदय आप जिले की सड़कों के काम को तेज गति से करिए जिसे हमारे जिले में यातायात संभव हो सके और जितना विनाश सड़कों का हुआ है, उसको ठीक किया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वे डिबेट का उत्तर दें।

कई माननीय सदस्य : हम रह गए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपका नाम पुकारा गया था। 46 नम्बर पर आपका

Page No 182

(182)

(श्री उपाध्यक्ष)
नाम पुकारा गया था । यह क्रम किया हुआ है ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली): दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं अनुभव कर चुके हैं कि दो मिनट का पालन नहीं होता है ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी ।

कई माननीय सदस्य : क्रम में हमारा नाम भी था ।

श्री उपाध्यक्ष : आइन्दा के लिए ध्यान रखूंगा । शिकायत का मौका नहीं दूंगा । माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो इस क्रम के अनुसार चलना है । सब को अवसर दूंगा । निश्चिन्त रहिए ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । मंत्री महोदय को हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उनकी एक प्रति देना चाहता हूं और उन से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो सूची मैं दे रहा हूं मेहरबानी कर के उन सड़कों को दुरुस्त करावेंगे । कलेक्टर को पत्र दिया है, उनका उत्तर आया है, उसमें उन्होंने जिन सड़कों का अभाव बताया है, जो उन्होंने मुझे लिखा है वह सूची मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं ताकि उस सूची के अनुसार वहां पर काम हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : क्रम संख्या 70 के बाद सभी माननीय सदस्यों के नाम बोलूंगा । गलती करूं तो आप कृपया दुरुस्त कर दें ।

श्री भंवर लाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो यह सुझाव देना है कि राजस्थान में जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है, वह असन्तुलित हुआ है, इसलिए विभाग को, सार्वजनिक मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि भविष्य में जब कभी भी सड़क निर्माण का कार्यक्रम हो, उसको सन्तुलित बनावें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके नवलगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा । नवलगढ़, शेखावाटी के 12 शहरों में सबसे महत्वपूर्ण नगर था लेकिन इस नगर की इतनी उपेक्षा की गई है सड़क के मामले में कि दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक तहसील हैड क्वार्टर उदयपुर शेखावाटी से नहीं जोड़ा गया । 5-7 मील की ऐसी सड़क है जो पूरी नहीं हो रही है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही सड़क को ठीक करावें ।

दूसरे पवाना शेखावाटी की सब से बड़ी मंडी मानी जाती है, लेकिन अभी तक जो देहाती इलाका है, उसको सड़कों द्वारा नहीं जोड़ा गया है । यह देहातियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, पिछली बार माननीय भूतपूर्व मंत्री की मेहरबानी से यह नगरपालिका में मिला दी गई जो इस मण्डी के साथ अन्याय है । सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गुढ़ा से नवलगढ़ व नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ सड़क बनाई जाये । पिछली सरकार ने उदयपुरवाटी में तहसील हैडक्वार्टर बनाने का वायदा

(श्री नवरंगसिंह)
किया था । लेकिन राजनैतिक दवाव के कारण उसकी मंजूरी वापस ले ली गई । इसके बाद झुंझुनू है । खेतड़ी हिन्दुस्तान की एक नामी जगह है । उसको नवलगढ़ गुढ़ा सड़क से जोड़ा जाये । अप्रोच रोड द्वारा गांवों को नवलगढ़ से जोड़ा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता ।

श्री शिव नारायण ।

(अनुपस्थित)

श्री रावत राम ।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री समरथ लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री नरपत राम ।

(अनुपस्थित)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्यावर-नसीराबाद, ब्यावर-मसूदा, ब्यावर-विजयनगर, ब्यावर-टाडगढ़, इन सड़कों की आप हालत देखिए । यह सड़कें ऐसी हो रही हैं कि अगर कोई गर्भवती स्त्री गाड़ी पर बैठकर जाये तो उसका गर्भपात हो जाये और गाड़ी दो-तीन जगह उलट जाये । 30 साल से भूतपूर्व सरकार ने विकास के नाम से एक पैसा नहीं खर्चा किया है । उस क्षेत्र में जितनी सड़कें और पुलिया हैं, उनकी लिस्ट भेज दी गई है । भीम और टाडगढ़ सड़क जो कि 10 या 12 मील का टुकड़ा है वह और कोटड़ा-टाटगढ़ सड़क को शीघ्र बनाई जावे । मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । वहां पुलिया के अभाव में असुविधा होती है । इसी प्रकार से इटावा-पीपलदा, इन्दरगढ़-पाली, इटावा-खतोली, पीपलदा-सनावदा सड़क का निर्माण करें । इटावा-पीपलदा, इन्दरगढ़-पाली के रास्ते में बहुत गड्ढे हैं उनको ठीक कराया जाय । इसी प्रकार से इटावा-खतोली, इटावा-मांगरोल और खतोली-गुढला ये अधूरी सड़कें हैं, इनको शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए । बरसात में बड़ी नाजुक स्थिति हो जाती है । क्षेत्र के लोग जिला हैडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इतना ही निवेदन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निर्मल कुमार ।

(अनुपस्थित)

श्री ताराचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सहाय ।

एक माननीय सदस्य : ताराचन्दजी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य नहीं बोलें तो मैं धन्यवाद दे दूंगा ।

श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री शिव राज सिंह ।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : विजय सिंह जी है ।

श्री विजयसिंह (नांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । अभी तक मेरे क्षेत्र में केवल 20 मील की सड़क बनी है । अभी तक इतना असन्तुलन रहा है । लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इसकी तरफ ध्यान मंत्री महोदय देंगे ।

दूसरी बात आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें अधूरी हैं, अधूरी पड़ी हैं, जिन के बारे में विवाद चल रहा है उस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाकर जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, उनको पूरा किया जाये । इनको अधूरी पड़े 12-12 वर्ष हो रहे हैं । इसके अलावा जिन सड़कों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया है. ऐसी सड़कों को हाथ में लिया जाना चाहिए । ऐसा मेरा सुझाव है ।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह ।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही सुझाव है आपके माध्यम से, जो सड़कें बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत हो जाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाई है । हुआ यह है कि नयी नयी सड़कें बनाते जा रहे हैं । सरकारी पैसा खर्च होता है लेकिन सड़कें ठीक प्रकार से नहीं बनती हैं । मेरे क्षेत्र में सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैं कहूंगा । जहां पुलिया बननी चाहिए वहां पुलियाएं बना दीजिए । एक सड़क साण्डेराव से गोकलसर जाती है । उस सड़क की मरम्मत की व्यवस्था कीजिए । एक सड़क चांदराई से सुमेरपुर जाती है । सुमेरपुर मण्डी है उसकी भी मरम्मत कराइये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की निम्न सड़कों को मरम्मत के लिए लेने की कृपा करें:—

(1) जोधपुर–रोहट – आहोर–जालोर रोड, (2) सांडेराव–संखवाली–भवरानी-रायथल, यह सड़क टार की बनाई जावे चाहे टुकड़ों में ही लिया जावे, (3) किशनगढ़ से आहोर, (4) चांदराई–थूंबा–पादरली–तखतगढ़, (5) भाद्राजून से रामा–भारेड़ा–खण्डप (मैटल), (6) चरली–भादड़ी–दयालपुरा–गुड़ा–रसीयावास, (7) आहोर–बेड़िया–बाला–दूढांड़ा, (8) उम्मेदपुर–हरजी–मणदर–सिरोही, (9) हरजी कानीवाड़ा–जालोर । इनकी व्यवस्था ठीक कराई जाये ।

श्री लाल शंकर ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीना ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिश कुमार शर्मा ।

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांव

(श्री हरिश कुमार शर्मा)
शहर से सड़कों के न होने की वजह से कटे हुये पड़े है। सड़कों के कारण गांवों में पिछड़ापन है और जीवन जीने का तरीका नहीं है। यही कारण है कि मेरे क्षेत्र में ज्ञान के द्वार और प्रकाश की किरणें नहीं फैल पायी हैं। मंडावर क्षेत्र जो है वहां की भूमि पथरीली है। वहां पर पक्की सड़कों का अभाव है। मैं यह निवेदन करूंगा कि गांवों तक सड़कों को जोड़ा जाय। रावतभाटा रोड पर जो चेचट की पुलिया है उसने बरसात के बाद डायन का काम किया। बरसात हो जाने से उसमें कटाव पैदा हो गया और आस पास के गांवों में पानी भर गया। गांव वालों ने कहा था कि इसको ऊंचा बनवाया जाय लेकिन नहीं माने और उसका बनाना नहीं बनाना एक जैसा हो गया। तथा सुकेत-जुल्मी पीपल्या, मंडाला माडल्या—बौरावास, जगपुरा रानपुर—रणकांकरा, रामगंज मण्डी से झालावाड़, रामगंज मण्डी से पीपल्या, खैराबाद से गोयन्दा, चेचट से रावतभाटा और पीपल्या की पुलिया यह सब रोड्स अधूरी पड़ी हुई हैं। इन सबका निर्माण होना अत्यावश्यक है। इन अधूरी सड़कों की वजह से जो गांवों में माल तैयार होता है वह मण्डी तक नहीं पहुंच सकता है, इससे किसानों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही सरकार को भी नुकसान होता है। अतः मैं मन्त्री महोदय को अपील करूंगा कि इन सड़कों का निर्माण कराया जाय और पुल है उनको ठीक कराया जाय जिससे आवागमन आसानी से हो सके।

इसके साथ ही जो कोटा से झालावाड़ रोड है उसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाय। उस पर 24 घंटे भारी आवागमन होता है। बरसात में यह हालत हो जाती है कि सात-सात और आठ-आठ घंटे तक ट्रकों को खड़ा होना पड़ता है। एक-दूसरे को रास्ता नहीं देते है। इसलिये इस सड़क को दोनों तरफ से मजबूत करना चाहिए।

मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशलाल।

श्री गणेशलाल (हिन्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले की हिन्डोली तहसील और बून्दी तहसील की पांच पंचायतों को मिलाकर हिन्डोली का एक विधान सभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पिछले तीस वर्षों में एक मील भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जो दूसरी पांच पंचायतें है खड़ा, गुढा, रामनगर, मंगाल, सीलोर उन को मिलकर बून्दी से जोड़ने के लिए 20 मील की सड़क बनी है। जो बूंदी से बिजोलियां को मिलाया है उस सड़क पर सैकड़ों ट्रक पटि्टयां लेकर आते हैं। उनका उपयोग भवन निर्माण और कई निर्माण कार्यों में होता है। इसके अलावा निर्माण कार्यों की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नैनवा एक एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर है जो इस क्षेत्र के अन्तिम छोर पर है, नेगढ़न खोण्डया वहां से 80 मील दूर पड़ता है और खेती का अनाज बेचने के लिए बून्दी जाना पड़ता है जो पचास मील है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सड़क को बून्दी से मिलाने के लिए कम से कम डामर रोड नहीं तो कच्ची सड़क तो अवश्य होनी चाहिए।

सथूर से बसोली की सड़क और बसोली से खेरखटा सड़क को डामर रोड किया

(श्री गणेशलाल)

जा सकता है। उसके अलावा जहाजपुर से हिन्डोली, मेयारावत की झोंपड़ियों से जलीन्धरी, गणेश घाटी से डबलाना, नैनवा पेच की बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव इन सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे 25-30 मील का चक्कर नहीं पड़े। यह मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

दूसरी बात पुलियाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना है। नीम का खेड़ा की पुलिया ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बस पानी में डूब गई थी और 19 आदमी मारे गये थे। डबलाना की पुलिया को ठीक कराया जाये। नीमका खेड़ा व मोहन पुरा के बीच नदी पर पुलिया बनायी जानी चाहिए।

साथ ही अभी मेरे एक पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि तीस वर्षों में हमारे यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मैं यह आरोप तो नहीं लगाता, बून्दी जिले का नेतृत्व कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं ने किया है, उन्होंने सार्वजनिक निर्माण कार्य तो नहीं किया किन्तु उनके द्वारा निजी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निर्माण कार्य गुलाबी नगरी जयपुर में हुए है। लाखों के उन्होंने बंगले बनाये हैं।

सड़कों के निर्माण की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार ने गलतियां की हैं, उनको दोहराना नहीं चाहिए। मेरे क्षेत्र में छोटे-छोटे निर्माण कार्य भी नहीं हुए हैं, वैसे अभी माननीय मेजर साहब ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोटा बून्दी को नहीं खा जाय, कृपा करके इसका ध्यान रखें।

श्री सुरेशकुमार : मेरा भाषण लिखित में है, वह रिकार्ड में आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : और भी देना चाहें तो मन्त्री महोदय को दे सकते हैं।

श्री सुरेशकुमार : रिकार्ड में आता नहीं है, तब तो क्या फायदा। बोलना ही ठीक रहेगा।

श्री सभापति : श्री गम्भीरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री लालचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री भूरालाल।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री कुंजीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरप्रसाद ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जमवा रामगढ़) : मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमवा रामगढ़ सड़क के अभाव में इतनी रुकावटें रही हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता । इस सड़क का बहुत महत्व है । यह 11 मील के क्षेत्र में है, इसके अभाव में पूरा क्षेत्र अभाव में पड़ा है । गांव वालों को पता नहीं है कि सड़क कैसी होती है । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर में जो चीज एक रुपये की मिलती है वह गांव में डेढ़ रुपये की मिलती है और गांव की चीजें सड़कों के अभाव में व्यापारी लोग सस्ती खरीदकर शहरों में लाकर मंहगी बेचते हैं । इसका मूल कारण सड़कों का अभाव है । तीन सड़कें महत्वपूर्ण हैं । मनोहरपुर सड़क छ: पंचायत समितियों को मिलाती है, बंदा रामगढ़ से रायसर सड़क तीन पंचायतों को मिलाती है । और नायला से नकटी घाटी की सड़क 8 पंचायतों को मिलाती है । इसलिए यह तीनों सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं इनका शीघ्र निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले और उस क्षेत्र का विकास हो । आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और अधूरी सड़कों का पूरा निर्माण करायेंगे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

(अनुपस्थित).

श्री सुखलाल ।

(अनुपस्थित)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगी देवी ।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशकुमार ।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़ी शिकायतें की गई हैं कि सड़कें अच्छी नहीं हैं, उनका रख-रखाव ठीक नहीं है, लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें यह देखना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अन्दर प्रति किलोमीटर क्या खर्च कर रहे हैं, और जिन प्रान्तों का उदाहरण दिया गया, हरियाणा और गुजरात का, उनमें क्या स्थिति है, तभी हमको यह अन्तर मालूम हो सकेगा । राजस्थान में प्रति किलोमीटर रख-रखाव पर ढाई हजार रुपया खर्च किया जाता है जब कि गुजरात और हरियाणा में प्रति किलोमीटर पांच हजार रुपया खर्च किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सड़कों के रख-रखाव के लिए राजस्थान में 16।। करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया जब कि इस वर्ष केवल 11 करोड़ का बजट रख-रखाव के लिए रखा गया है । मैं चाहूंगा कि यदि आपको सड़कें ठीक रखनी हैं तो बजट के अंदर और अधिक प्रावधान सड़कों के लिए रखना होगा ।

तीसरी और चौथी योजना के अंदर हमने ओरिजिनल वर्क्स के लिए दो-ढाई करोड़ रखे थे फिर इस साल हमने ओरिजिनल वर्क्स के लिए केवल 1।। करोड़ क्यों

(श्री सुरेशकुमार)

रखें, यह मेरी समझ में नहीं आता। हमारे निर्माण मंत्री यदि बजट में बढ़ोतरी कर सकें तो अच्छा होगा। मेरे इलाके में सारे राजस्थान के अन्दर जो लोग दिल्ली व हरियाणा से आते हैं, सारे भरतपुर से होकर जाते हैं लेकिन बीच में उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है, जिससे राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स को अधिक टैक्स देना पड़ता है। उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए जो जयपुर-बयाना सड़क मिलती है, बारेठा होकर जो धौलपुर जाती है उसका शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि ट्रान्सपोर्टर्स को सहूलियत हो और राज्य को फायदा हो।

खानुवा पुल का भी निर्माण शीघ्र होना चाहिए। यह 1969 से टूटा हुआ है।

अंत में यही कहूंगा कि जहां हम शिकायत करते हैं अधिकारियों की वहां उनकी कठिनाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे सहायक अभियंता, जो 12 साल पूर्व पी.एस.सी. से एप्रूव हो चुके हैं, को आज तक तरक्की नहीं मिली जब कि अवसर प्रथा है कि 5 साल के अन्दर सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता के पद पर तरक्की दी जाती है। इससे उस वर्ग में काफी असंतोष है। उसके लिए आप विचार करें ताकि वे अपना काम ईमानदारी से करें।

जो सड़कें भरतपुर इलाके में अधूरी पड़ी हैं उनका निर्माण कार्य पूरा कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्षजी, मुझे भय है कि जिस तरह से हम घास काट रहे हैं निर्माण मंत्री जिसके पास इतने कटौती प्रस्ताव हैं, वह भी इसी तरह से घास न काट दें। नसीराबाद एक ऐसा स्थान है जो एक मात्र मंडी है, एकमात्र शहर है जहां मुंसिफ-मजिस्ट्रेट का न्यायालय है किन्तु खेद है कि वहां पहुंचने के लिए 110 गांवों को जोड़ने के लिए एक भी पर्याप्त सड़क नहीं है और न ही पुलिया है। रामसर एक बहुत बड़ा गांव है लेकिन नसीराबाद आने के लिए सड़क की दुर्दशा है। इसी तरह से रामसर से श्रीनगर, श्रीनगर से नसीराबाद और नसीराबाद से बान्सुरी, बिडिक्वावास, लीडी और लामान को जोड़ने वाली सड़कों की हालत दयनीय है। कितने ही गांव ऐसे हैं जैसे मावरया, सूरजपुर, सांगोदा, माराझडी, चांदमन, देवलिया इत्यादि, ये ऐसे गांव हैं जो बरसात के 4 महीने में केवल टापू बनकर रह जाते हैं, आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। 4-4 फर्लांग तक 10-10, 20-20 फीट गहरे ऐसे खड्डे हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में शीघ्रातिशीघ्र इन सड़कों की मरम्मत करवायें ताकि नसीराबाद आने वाले लोगों को कठिनाई न हो।

नसीराबाद नगर में एक ही ओवरसियर रहता है जो 10 साल से वहां जमा हुआ है। सुबह से शाम तक शराब पीता है, रात्रि को उसकी स्थिति देखी जाए तो देख नहीं सकते, मगर उसके घर में ऐसे सुख-सुविधा के सामान मौजूद हैं जो 5,000) प्रति माह पाने वाला भी नहीं रख सकता। उसका 10 बार ट्रांसफर हो गया लेकिन हर बार वह ट्रांसफर के 5 दिन बाद अपना ट्रान्सफर कैंसिल करवा लेता है। उसका नाम है प्रकाशचन्द्र गधिया। जिस प्रकार की अनियमितताएँ वह करता है, उनका विवरण करना कठिन होगा। ऐसी हालत में जितना जल्दी

(श्री भंवरलाल ऐरन)
उस आदमी को वहां से हटाया जाएगा हमारे क्षेत्र का उतना ही भला होगा ।

हमारे यहां माखूपुरा से खाजपुरा के बीच दो रपट हैं वहां पुलिया बनाने की आवश्यकता है । बरसात में नदियों में पानी भर जाता है, आने जाने में अवरोध हो जाता है । खाजपुरा के लिए रेल मार्ग नहीं हैं ऐसी हालत में कम से कम इन दो रपटों को पुलियाओं में परिवर्तित करने की कृपा करें ।

श्री सभापति : श्री नवलराय ।

श्री नवलराय बच्चागी (अजमेर, पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर परिषद् में चारों ओर से जो गांव जोड़े गए है मैं चाहूंगा कि उनकी सड़कें पक्की बनाई जावें ताकि नगर से जुड़ जावें और यातायात में सुगमता हो सके । इसके अलावा दरगाह शरीफ के पीछे ऊपर घनी बस्ती तारागढ़ काफी अच्छी बस्ती रहती है । वहां से रेल्वे में नौकरी करने वाले आते जाते रहते हैं, मेले के दिनों में भीड़ रहती है । तारागढ़ देखने वाले यात्रियों को भी कठिनाई होती है, उन को चलने में भी पत्थर लगते हैं । इसलिये तारागढ़ तक जाने की सड़क पक्की बनाई जावे ।

इसके अलावा रामगंज में नई बस्ती काफी घनी बस्ती हो गई है । वहां पर आधी सड़क बनाकर काम को रोक दिया गया है । उसको पूरा किया जाए ।

गौतम नगर से रामगंज तक रेल्वे के कारखाने में काम करने वालों की बस्ती काफी घनी बस्ती बन गई है । कई वर्षों से वहां सड़क नहीं बनी है । वहां शीघ्र ही नाला पक्का किया जाय और पुल बनाया जाय । वहां काफी गरीब लोग रहते हैं । उस क्षेत्र को बहुत दिनों से छोड़ दिया गया है । उधर सड़क बनाकर लोगों के लिए पुलिया बनाई जाए वरना बरसात के समय बच्चे भी बह जाते हैं ।

इसके अलावा डिग्गी तालाब के पीछे एक सड़क जा रही है, उस रास्ते को दरगाह शरीफ के बाजार के साथ जोड़ा जाए । नला बाजार और डिग्गी बाजार की घनी बस्ती के कारण वन वे ट्रैफिक किया जा सकता है । इसलिए डिग्गी तालाब के पीछे दरगाह शरीफ के पीछे रास्ता जोड़कर यातायात में जो दिक्कत हो रही है उसको सुधारा जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत पालीवाल ।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में 120 सैकिंड में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

मैं उस जगह से आया हूं जो वल्लभ सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है । वहां 9 मील दूर हल्दीघाटी महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है । वहां सड़क की हालत यह है कि नाथद्वारा से गोगुंदा 11 मील है । बस से यात्रा में 1।। घंटा लगता है । नाथद्वारा से हल्दीघाटी बस जाती है । उसकी दूरी 36 मील है । यात्रा में 3।। घंटे लगते हैं । अगर कोई बस एक घंटे में 1। मील चले तो मंत्री महोदय अंदाज लगा सकते हैं कि उस सड़क की क्या स्थिति होगी । इसलिये आवश्यक है कि हमारे यहां से कोई अच्छी सड़क निकले । नेशनल हाई वे नं. 8 है उसके नाथद्वारा के गोसाईजी मालिक हैं । हम लोग 1। मील की दूरी एक घंटे में तय करते हैं तो उससे स्पष्ट है कि विभाग ने वहां क्या किया होगा ? आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री नवनीत पालीवाल)

समझ गए होंगे यह सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि एक घंटे में 11 मील की दूरी तय होती है। इसी से आप अन्दाज लगा लें, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां की सड़कों की हालत क्या होगी। वहां पर एक बालिस्त के गड्डे पड़े हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नाथद्वारा एक धार्मिक स्थान है। वहां पर हालांकि एक सड़क की चार मील क्षेत्र के लिये स्वीकृति भी मिल गयी पर अभी तक पता नहीं वहां सड़कों की रिपेअर का काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? मन्त्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां स्थिति ऐसी है कि पानी भरा हुआ है घुटने घुटने तक, आप अगर पैदल जाओ तो कीचड़ में धंस जाओगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सुबह से अभी तक, दिन भर, भ्रष्टाचार के बारे में गुणगान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आज पिछले तीस साल से जो भ्रष्टाचार चला आ रहा था उसे अब तुरन्त बन्द करने की स्थिति पैदा करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 120 सैकिन्ड तक बोलने के लिये कहा था और 120 सैकिन्ड होने को हैं इसलिये मैं मेरा भाषण यही कहते हुए और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए समाप्त करता हूं कि नाथद्वारा के बारे में मैंने जो निवेदन किया है उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

इसके अलावा एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सुबह पहले आप बोलने वालों को जो 15-15 मिनट दे देते हैं इस कारण सुबह बोलने वाले सदन का काफी समय ले लेते हैं और हमें बाद में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिये सिर्फ दो मिनट का ही समय मिलता है। इसका आप जरा ध्यान रखें ताकि हमें भी भविष्य में पूरा समय मिल जाये। सभी को बराबर समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मणिराम।

श्री मणिराम (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान चूरू जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूरू जिले के तारानगर चुनाव क्षेत्र से आया हूं जहां से पहले राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री चन्दनमल जी वैद आया करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तारानगर क्षेत्र है उस क्षेत्र से रेल संचार का संबंध नहीं है। महज सड़कों का ही साधन है लेकिन सड़कों की हालत खराब है। जो सड़के हैं वह टूटी फूटी होने के कारण उनकी हालत इतनी खराब है कि जिससे जनता बहुत ही परेशान है। एक सड़क है जो कि देहली से बीकानेर होती हुई पाकिस्तान की सीमा को मिलाती है, उसको डिफेन्स रोड कहते हैं। आवागमन का यह ही रास्ता है। इस तरह हमारे यहां पर आवागमन का जो मार्ग है सड़कों के रूट का उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसमें तुरन्त सुधार होना चाहिये। वहां अकाल के समय पहले कभी कोई मिट्टी डाल दी और दो चार जगह डाल दिये पत्थर पांच-दस जगह पत्थर

(श्री मणिराम)
डालकर कुटाई करादी और सड़क का नाम दे दिया । इसी प्रकार तारानगर साहबा तक चल कर आगे जो सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। वहां से आगे भादरा तक जाने वाली रोड है । वहां बसेज नहीं आ पाती हैं क्योंकि सड़क बिलकुल खराब है । इसी तरह से तारानगर से चगोई पन्डरेऊ वाया जीगासूरी, रामसरा डूंगराने जाकर रोड से मिलती है । कुम्भारामजी के जमाने में उस सड़क का कार्य चालू किया पर बाद में पता नहीं क्यों वह बन्द हो गया। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उनको पूरा कराया जाय । इसके साथ ही तारानगर से सत्यू राजपुरा दूदवा खारा दून्दीया से चूरू को मिलाती है उपरोक्त सड़क का कार्य कुम्भारामजी के शासन काल में हुआ जो गये है । इसके आगे चलकोंदू भरूसर इत्यादि होती हुई चूरू को मिलाती है इन सड़कों की कुटाई कहीं मामूली सी कर दी है वरना वह जगह-जगह टूटी हुई है उसको तुरन्त ठीक कराया जाय ।

(10.05 रात्रि)

(मेजर श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

यहां पर, सभापति महोदय, विधायक लोग बार बार भ्रष्टाचार की बातें करते हैं । मेरा निवेदन है कि आज हमारे समाज में पैसे को ही विशेष मान्यता तथा महत्व दिया जाता है । यहां पर जिसने ईमानदारी से काम किया उसको कभी प्रमोशन नहीं दिया गया या उसे कोई महत्व नहीं दिया गया तो स्वतः लोग ईमानदारी की तरफ कैसे बढ़ेंगे । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आप ईमानदार लोगों को उनकी सच्चाई के लिये पदोन्नति या इनाम देते या उन्हें महत्व देते तो मैं समझता हूं हर आदमी सम्मान चाहता है । मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि आप ईमानदार व्यक्ति को तो महत्व दीजिये और बेईमान और जो भ्रष्ट अधिकारी हों उन्हें आप सख्त सजा दीजिये । ऐसा करने पर भ्रष्टाचार का अन्त हो जायेगा । बस मुझे इतना ही निवेदन करना था ।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिसका हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में नाम है । उसकी वजह से हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था में भी काफी फर्क पड़ता है । सभापति महोदय, मैं छबड़ा से आता हूं जो कोटा जिले में है । मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि छबड़ा सब डिवीजन हैड क्वार्टर होते हुए भी आज दिन तक अपने जिला हैड क्वार्टर कोटा से सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि अत्यन्त आवश्यक है । सभापति महोदय, हमारे यहां पर छबड़ा और छीपा बड़ौद दो तहसीलों में नगरपालिकायें हैं, जहां पर जो टूटी फूटी सड़कें हैं वे ए क्लास सड़कें घोषित की हुई हैं पर वास्तव में उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है । मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह तो कोटा के हैं उनकी तो वह सड़कें देखी हुई हैं फिर भी उन्होंने वहां की सड़कों के लिये थोड़ा बजट रखा है । वह पैसा इतना ही दिया गया है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा । मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस ओर थोड़ा विशेष ध्यान देते तो उचित रहता । वहां पर मन्डियों को सड़कों से जोड़ा जाय । अकाल तो वहां पर आज दिन तक नहीं पड़ा । हमारे राजस्थान में

Page No 192

(192)

(श्री प्रेम सिंह सिंघवी)

अकाल के नाम पर सड़कें बनी थीं, भगवान करे वहां अकाल पड़े नहीं। पर इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। यह इलाका अफीम बहुतायत में पैदा करता है जिससे कि हमारे प्रान्त की अर्थ व्यवस्था में सुधार आता है। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वहां पर एक भंवरलालजी रहते हैं। उनके वहां पर पांच-सात मकान हैं और वह पुराने जनसंघी हैं। इसलिये पुरानी कांग्रेस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके मकान टूट में आ जायें। वहां पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। सड़क पर अगर वह ओवर ब्रिज आप उनके मकान के 50 फीट दूरी से बनावें तो उचित रहेगा। इससे भवंरलाल जी का मकान भी नहीं टूटेगा और ओवर ब्रिज भी बन जायेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा कि जो ओवर ब्रिज बनाने की बात है वह राजनैतिक कारणों से है। उनके मकान के ऊपर से ओवर ब्रिज निकालने की योजना बनायी ताकि उनका मकान टूट जाये। अतः एक बार पुनः मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैनें अपने क्षेत्र की बात कही है उस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रणजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाला।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापतिजी, बूंदी जिले में कई स्थान हैं लेकिन सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं और हैं तो सड़कें खराब हैं। केशोराय पाटन की घोर उपेक्षा रही है। केशोराय पाटन लाखेरी मिला कर चुनाव क्षेत्र बनता है। लोगों को पेशियों पर बूंदी जिला हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है। 25 मील के एरिया में सड़कों की दुर्दशा है इस कारण बरसात में लोग पेशियों पर पहुंच नहीं पाते हैं। सड़कों की दुर्दशा के कारण बसें नहीं पहुंच पाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी करायें।

बूंदी से लेकर केशोराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, बीच में सड़क अधूरी पड़ी हुई है। इसलिये दस मील के एरिया को सड़क से जोड़ा जाय।

केशोराय पाटन चम्बल में कार्तिक पूर्णिमा को एक बड़ा भारी मेला लगता है। चम्बल पर पुल नहीं होने से यात्रियों को बड़ी भारी कठिनाई होती है। कोटा और पाटन के बीच में चम्बल नदी है। नाव से पहुंचना पड़ता है। इसलिये बीच में पुल होना जरूरी है। केशोराय पाटन चम्बल नदी पर पुल बनाया जाय। क्योंकि केशवराय पाटन का सारा व्यापार कोटा से चलता है।

केशोराय पाटन में शुगर मिल है। हाड़ौती एरिया से उसको गन्ना मिलता है। हाड़ौती क्षेत्र का गन्ना कोटा से मनेडा होते हुए पाटन पहुंचता है। इसलिये माखीदा व गेता के बीच चम्बल पर पुल बनाया जाय तो गन्ना पहुंच सकता है। उससे लाभ मिल सकेगा।

Page No 193

(193)

श्री सभापति : श्री सूर्य प्रकाश ।

श्री सूर्य प्रकाश (खैरवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र खैरवाड़ा आज तक उपेक्षित रहा है। गांवों से खाने के लिये अन्न मिलता है, पीने के लिये दूध मिलता है, पहिनने के लिये कपास पैदा होता है उससे कपड़ा मिलता है, इस क्षेत्र को आज तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाना हमारे लिये उचित नहीं है ।

इसी प्रकार जनता सरकार से निवेदन है कि हमारी खैरवाड़ा तहसील में 30 साल में नेशनल हाई वे के अलावा कोई भी सड़क नहीं बनी है । जहां शहरों में गलियों में डामर रोड है वहां गांवों के क्षेत्र की उपेक्षा रही है, सौतेला व्यवहार गांवों के साथ किया जाता है ।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एरिया ट्राइबल डवलपमेन्ट एरिया के अन्तर्गत लिया गया है । 19-7-74 को एक्स. ई. एन. बी. एड आर. डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के आधार पर कोटड़ा से कल्याणपुरा सामली रोड का उद्घाटन किया गया था । लेकिन कुछ भी काम आरम्भ नहीं हुआ है । मैं श्रीमान् से निवेदन करता हूं कि वह जो योजना है उसको शीघ्र चालू किया जाय । 30 साल में नेशनल हाई वे नम्बर 8 से पहले चला था वह आज तक उसी स्थिति में है । जो खैरवाड़ा से रानीवाड़ा है उसको पक्का बनाया जाय जिससे केशरिया जी वाया जवाज केशरियाजी से सागवाड़ा लोग जा सकें । इससे हमारे क्षेत्र को काफी लाभ मिले ।

श्री सभापति : श्री आलम अली खां ।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री महोदय ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : माननीय सभापति जी,

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : मैं बोला नहीं । मैंने सूची दी है ।

श्री सभापति : अब मैं चाहूंगा आप बिराजें । मावली से आने वाले माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री मोहन लाल : मेरा पहला ही मौका है ।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मैं बोला नहीं था । केवल सूची दी है ।

श्री सभापति : आप बोले नहीं तो क्या किया ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : सूची दी है ।

श्री सभापति : मैं सोचता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं होगी । आप लिस्ट दे चुके हैं । मैं क्षमा चाहूंगा, अब आप नहीं बोलें ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : सूची दी है ।

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री राम नारायण चौधरी : जनता सरकार....

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं, माननीय मोहन लाल जी ? आपने कोई कटौती प्रस्ताव दिया है ?

श्री मोहन लाल : मैंने कोई नहीं दिया। पहला ही मौका है विधान सभा में बोलने का।

मैं प्रार्थना करता हूं कि केकड़ी से बगेरा 12 मील का टुकड़ा है, जैन समाज का वहां बड़ा भारी मन्दिर है। वहां वर्षा ऋतु में जनता को बड़ी परेशानी होती है। यह जनता जनार्दन का कार्य है। अतः यह कार्य होना अति आवश्यक है। बड़ा अच्छा मन्दिर है। बहुत अर्से से काम शुरू करा हुआ है इसलिये सदन से मैं प्रार्थना करता हूं कि..

श्री सभापति : प्रार्थना नहीं, आपका राइट है, आपका अधिकार है। प्रार्थना का क्या सवाल है ?

श्री मोहन लाल : यही कहना चाहता हूं कि 12 मील का टुकड़ा है उसको पूरा करें। यहां के आदेश हैं उस पर कंकर पत्थर लाखों रुपयों का सामान पड़ा हुआ है, चोरी हो रहा है। उसका कार्यक्रम जल्दी जल्दी से क्रियान्वित होना चाहिये। यही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी) : माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : आपने कट मोशन दिया था ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कटौती प्रस्ताव दिया था। लेट पहुंचा। सूची में नाम नहीं आया।

श्री सभापति : वाद विवाद इस पर, माननीय सदस्य, अब बन्द होना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : केवल एक मिनट

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक मिनट केवल।

सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बड़ी सादड़ी तहसील है और एक कानोड़ तहसील है। बड़ी सादड़ी से काकुन्दा, कानोड़ से डूंगला और चिकारड़ा 30 वर्षों से यह काम पैन्डिग है। यदि यह काम नहीं हुआ तो यह इलाका बिलकुल अछूता रहेगा और किसी प्रकार उपयोग नहीं हो पायेगा। जल्दी से जल्दी इन दोनों तहसील केन्द्रों की सड़कों पर कार्य कराया जाय।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बन्धुओं ने जो कटौती प्रस्ताव और विभिन्न सुझाव रखे वह मेरे लिए मार्गदर्शन करने वाले होंगे। राजस्थान की सारी स्थिति में जो थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा सा अतिरिक्त धन जिसका प्रावधान, किया गया है उसके आधार पर मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप उनके कटौती प्रस्तावों के सहारे और उनके सुझावों के आधार पर सम्पूर्ण शक्ति लगाकर जितना सम्भव होगा काम करने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की स्थिति सारे देश में सड़कों के मामले में बहुत निम्न स्थान पर है। किशनपोल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 100 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में 14 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं। किन्तु 14 किलोमीटर लम्बी सड़कें भी राजस्थान में नहीं हैं। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में केवल 7.4 किलोमीटर प्रत्येक 100 वर्ग किलो मीटर पर हैं। वहां दूसरी ओर यदि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भारतवर्ष के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दें, काश्मीर और आसाम को छोड़ दें तो सड़कों की दृष्टि से हमारी स्थिति सबसे निचली पंक्ति में आकर खड़ी हो जाती है।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था हरियाणा प्रदेश का। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा में 34.5 किलोमीटर प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कें हैं, पंजाब में 30 किलोमीटर हैं, गुजरात में 19 किलोमीटर हैं, मध्यप्रदेश में 9.1 किलोमीटर हैं और उत्तर प्रदेश में 10.8 किलोमीटर हैं। देश भर का एवरेज यदि लिया जाये तो 100 वर्ग किलोमीटर पर 15 किलोमीटर सड़क आकर ठहरती है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हम केवल 7.4 किलोमीटर पर अटके हैं। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं कि राजस्थान की ऐसी स्थिति क्यों रही? राजस्थान को इस स्थिति में क्यों रखा गया? राजस्थान का उस समय जिन्होंने कार्यभार संभाला था उन्होंने क्यों नहीं प्रयत्न किया कि प्रदेश को और प्रदेशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया जाये? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों में सड़क निर्माण के कार्य पर 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ फिर भी गत वर्ष के अंत तक राजस्थान में 27732 किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकी हैं जिनमें से 5000 किलोमीटर सड़क मेटल रोड हैं जिनके ऊपर डामर नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा, जैसा छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, बड़ी सादड़ी से आने वालों ने जिक्र किया कि 9000 से ऊपर की आबादी के तहसील केन्द्र स्थान हैं छबड़ा, बड़ी सादड़ी और उधर पटौदी जिला बाड़मेर में और गंगानगर में 9 पी. बी. सी. एम. यह चार ऐसे स्थान हैं जिनकी आबादी 9000 के ऊपर है किन्तु वह स्थान आज तक किसी भी मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले तीस वर्षों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी क्या दृष्टिकोण रखा गया था कि 9000 की आबादी के छबड़ा और बड़ी सादड़ी के क्षेत्र, जो कि पंचायत समिति केन्द्र हैं तहसील केन्द्र हैं, में ट्रेन के सिवाय किसी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसी स्थिति है वहां कि 5000 से अधिक जनसंख्या के 40 गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति है। दुर्भिक्ष में 90 करोड़ रुपया व्यय किया गया किन्तु उन सड़कों का हाल देख लीजिए। कौन सी प्लानिंग था? कैसी योजनायें थीं? कौन सा तरीका था? मुझे बड़ा दुःख होता है, सभापति महोदय, मैं स्वयं राजस्थान में तीन चार क्षेत्रों में इमर्जेंसी पीरियड में मोटर साइकिल पर घूमा हूं। ऐसा नहीं है कि सड़कों से मेरा परिचय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सड़कों की दुर्दशा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सड़कों के किनारे रोड़ियां पड़ी हैं, सड़कों के किनारे पत्थर और गिट्टियां पड़ी हैं। अर्थ वर्क कभी हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। प्रश्न आकर खड़ा होता है कि इतना बड़ा काम दुर्भिक्ष के नाम से अनियोजित ढंग से फैलाया गया।

माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि दुर्भिक्ष की सड़कों को पूरा किया जाये। शायद अगले 5 सालों का सारा बजट भी उस पर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लगा दिया जाये तो इतना अनियोजित कार्य था कि उसको पूरा करना सम्भव नहीं है। यहां तक कि रोड़ियों को उठाकर लाना भी सम्भव नहीं है। चोरियों की चर्चा की गयी लेकिन व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए वह कैसे सम्भव होगा इसकी जानकारी देने का प्रयास नहीं किया गया।

(10.50 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 40 गांव जो 5000 से अधिक जनसंख्या के हैं राज्य सरकार ने तय किया है कि पहले पहले इन 5000 की आबादी वाले गांवों को बड़ी सड़कों से निश्चित रूप से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया जाये। प्रश्न यह खड़ा होता है जैसी कि जैसलमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने चर्चा की थी कि आबादी के हिसाब से योजना नहीं बननी चाहिए। सचमुच रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं उनके लिए इस बात का निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए किन्तु 5000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने का मतलब यह है कि उनके बीच में भी बहुत सारे गांव आते हैं। एक सुनियोजित कार्यक्रम बना सकते हैं जिसके आधार पर इनको जोड़ा जा सकता है इसलिए तय किया है कि 4.8 करोड़ रुपये के प्रावधान की आवश्यकता होगी। 7 वर्ष के पेटे में 5000 से ऊपर की आबादी के 40 गांवों को मिलाने का प्रयास किया जाये, इसलिये 1.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष तक निश्चित रूप से 40 गांव और वह 4 गांव जो कि 9000 से ज्यादा की आबादी के हैं मुख्य सड़कों से जोड़ दिये जायें, यह मैं निश्चित घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर और कोटा जिलों में वर्ल्ड बैंक की सहायता से कार्य चल रहे हैं। यही व्यवस्था है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछली पंचवर्षीय योजना में 17.59 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था। कैसी योजना बनाई गई 5 साल में? क्या प्रयत्न किये गये? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केवल 5.17 करोड़ रुपये ही खर्च किया गया। आने वाले वर्ष में यह पंचवर्षीय योजना पूरी हो जायेगी। विश्व बैंक सहायता दे रहा है केन्द्रीय सरकार सहयोग कर रही है फिर भी राजस्थान सरकार पिछले पांच सालों में सो सी रही। प्रावधान 17.5 करोड़ रुपये का और 5.17 करोड़ रुपये व्यय किया गया। कैसी योजना थी? हमने तय किया है इस बार कि 3.23 करोड़ रुपयों का प्रावधान करके उसके सहारे गंगानगर के क्षेत्र में और कोटा के क्षेत्र में सड़कों के जाल को बिछाने का छोटे से समय में प्रयत्न करेंगे। यह बात सच है कि वर्ल्ड बैंक हमको पांच वर्ष के आगे और दो वर्ष के लिए पैसा देगा। जो प्रावधान वर्ल्ड बैंक ने किया है वह सारा रुपया व्यय होगा और और व्यय होने के कारण इन दोनों सिंचित क्षेत्रों में जो पूरी योजना वर्ल्ड बैंक के सहारे बनायी गयी हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ऐसी घोषणा मैं आपके सामने करना चाहता हूं।

इसी सन्दर्भ में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के विभिन्न जिलों में जो ग्रोथ सेन्टर हैं उनको भी प्राथमिकता से सड़कों से जोड़ा जायेगा। अभी अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बहुत चर्चा की है कि सड़कों को बनाने की जो रीति-नीति रही वह गलत है। सचमुच मैंने जब जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे मालुम हुआ कि पिछले वर्षों में इतना पैसा हर जिले में बांट दिया इतना-इतना कौन सी सड़कें बनेंगी, कितने मील बनेंगी, कब तक बन जायेंगी, पिछली सड़क खराब तो नहीं हो जायेगी, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। कई वर्षों से एक सड़क को लिया गया फिर भी सड़क पूरी नहीं हुई है। राजनैतिक दबाव आये तो सड़क दूसरी जगह चालू हो गई। अगले वर्ष कोई और सोर्सफुल हुआ तो वहां शुरू हो गई। राजस्थान की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई 200 करोड़ रुपया किस बेरहमी से खर्च किया गया वह प्रारम्भ में निवेदन कर दिया है। अटरू, कोटपूतली और पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की। जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जिन कार्यों को अपने हाथ में लिया जाये उनको पूरा किया जाये ताकि जितने काम पूरे हो जाते हैं उनकी सुविधा सब को उपलब्ध कराई जाये। 1974-75 तक किये हुए सभी स्वीकृत अधूरे कार्यों के लिये 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान करके उनको पूरा करने की योजना बनाई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा करते हुए पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी चर्चा की कि जिस दिन से सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने उसी दिन से हमारी सड़कें बन्द कर दी। पहला श्री गणेश किया। पता नहीं कैसे चर्चा की। पिछली सरकार ने जो बजट रखा था झुंझनू के लिये 3.24 लाख रुपये का प्रावधान था। कोटा जिला शायद बड़ा है मुझे कहा गया उसके लिये 2.8 लाख का प्रावधान था। उन सड़कों पर काम चला था। जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी 3.24 लाख रुपया खर्च किया जा चुका था। वह खर्च करने के बाद भी वह काम चलता रहे? पिछली सरकार ने बजट बनाया था हमने नहीं बनाया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ऐसी बात नहीं है। धन समाप्त हुआ और जो प्रावधान था वह समाप्त हुआ परन्तु हम पूरा रख रहे हैं और उनको निवेदन करना चाहता हूं कि उनके काम रुकेंगे नहीं। 17 लाख रुपये का प्रावधान और किया है मेरे जिले के लिये नहीं किया है। उससे जो पुराने काम हैं वे पूरे होंगे। पांच हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिये मैंने कहा और यह कहा कि सड़के 9000 की आबादी वाले इलाको की चार सड़के नई शुरू होंगी इसमें कोई भेद भाव नहीं है। इसी प्रकार राजाखेड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था, चर्चा की थी कि सारे का सारा जो कुछ होगा दूसरों के इलाकों में होगा। हमारे यहां की सड़कों पर कहां से होगा। मैं कहना चाहता हूं कि धौलपुर के पास जो पुलिया है वह मार्च, 1979 तक कम्प्लीट की जायेगी। जो योजना प्रारम्भ हुई है उसके अनुसार काम होना चाहिये। अभी वे नहीं हैं उस दिन भी नहीं थे। चार्ज लगाना आसान है किन्तु बात कहने के बाद सुनने की दृष्टि से उपस्थित रहना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंच जाये। यह भी हमने विचार किया है कि सड़कों को बनाते समय ब्लेक काटन से काम नहीं चलता। मैं जानता हूं कि ब्लेक काटन किस प्रकार की मिलती है। कहीं रेतीला क्षेत्र है कही रेतीला क्षेत्र नहीं है। दोनों स्थानों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके अन्दर एक ही प्रकार की चीजें काम में लें तो उससे नुकसान होता है। एक जगह

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जरूर काम में आता है दूसरी जगह बाहर हो जाता है। स्थानीय जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सड़कों के बनाने का कार्य प्रारम्भ हो और जो सड़कें बनाई जायें वे दीर्घकालीन बने ताकि उनका उपयोग हो सके। प्राथमिकता भी सड़कों की हमने तय की है। जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था माननीय सदस्य ने अपनी-अपनी सूची प्रस्तुत की है मैं उनका आदर करता हूं। सचमुच किसी प्रदेश की प्रगति व उसके विकास का इससे संबंध है कि अधिक से अधिक सड़कों का जाल बिछाया जाये। किन्तु जनता पार्टी की सरकार अभी आई है। अभी हमें बहुत कम समय मिला है। एक छोटे से समय में बजट रखा है किन्तु प्राथमिकता हमने पूरी रखी है। एक जिले को दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सड़कों को हम प्राथमिकता देंगे। सब डिवीजन को तहसील हैड क्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क को मैं मानता हूं प्राथमिकता दी जानी चाहिये। गत वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी हुई जो सड़कें पांच हजार आबादी वाले गांवों को जोड़ती हैं उनको पूरा किया जायेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना 1-4-78 से प्रारम्भ होगी। हम यह चाहेंगे उसके लिये सारी योजनायें निश्चित रूप से बन जायें। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि जिला कमेटियों का निर्माण किया जाये। यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिले में कमेटियां बनें, कमेटी में जिलाधीश हो, कमेटी में वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स हों, वहां का विधायक हो। कमेटी जो तय करे, उसकी रिकमण्डेशन को आगे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाय, इस प्रकार योजना की मन्शा है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलियाओं के निर्माण के बारे में बड़ी जोर की चर्चा की गई। सचमुच पुलियाओं का निर्माण आवागमन की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। साबी नदी की चर्चा की गई। काली सिंध नदी की चर्चा की गई। मैं समझता हूं 2-2 महीने तक लगातार तहसील केन्द्र सारे कोटा से अलग हो जाते हैं। छबड़ा, छीपाबड़ोद, बारां, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, मांगरोल व अन्ता यह केन्द्र तहसीलों के हैं। जिला केन्द्र से लगातार दो महीने तक अलग हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में हम कुछ करें, इसके लिये हमारे पास पैसा नहीं है, प्रावधान नहीं है। जालौर से भीनमाल सड़क की चर्चा करते हुए भी बताया गया है कि जिला केन्द्र से कटता है। इस कार्य को प्राथमिकता दी जाय। लेकिन अभी प्राथमिकता देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री सूरज पाल सिंह : कोटा जिले को ले लें पहले उसके बाद आप दूसरे जिले लें। दूसरे कामों में चाहे कोटा को पीछे रख लें, स्कूल के मामलों में और अन्य मामलों में लेकिन सड़कों को प्राथमिकता अवश्य दें।

श्री नवनीत पालीवाल : लोगों को जैसे पीलिया हो जाता है उसी प्रकार कोटा-कोटा हो गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के साथ बनास पर बनने वाले पुल, गंभीरी पर बनने वाले पुल, चम्बल पर बनने वाले पुल, लूणी पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
बनने वाले पुल और माही की योजनायें बनाई गई है। योजनाओं पर काम करने का प्रयत्न है। जिन तीन स्थानों की मैंने चर्चा की है उनके लिये प्रावधान नहीं है यह बड़े दुःख के साथ में कह रहा हूं। आगे निश्चित रूप से विचार किया जायगा, यह मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। सड़कें और पुलियायें राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत आवश्यक हैं।

डाकू क्षेत्र के लिये करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की हैं। जो योजनायें तय की गई हैं डाकू क्षेत्र के लिये, मैंने प्रश्न के समय भी चर्चा की थी उसको पूरा करने की दृष्टि से हम प्रयत्नशील हैं। पांच सड़कें चालू हैं उस क्षेत्र में, उस डाकू क्षेत्र में। उसी प्रकार अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने किशनगढ़, शाहबाद के सहरियों के क्षेत्र, जन-जाति के क्षेत्र, डाकू से ग्रस्त क्षेत्र के बारे में कहा। बारां सड़क योजना, जिसकी लागत 50 लाख है, चल रही है। उस सड़क पर पिछले मास से तेजी से कार्य चलाया जा रहा है। सड़कों और पुलियाओं के लिये 77-78 में 47 लाख का नया प्रावधान किया है ताकि उस डाकू क्षेत्र और जन-जाति के इलाको को सड़क और पुलियाओं का काम पूरा करने का प्रयत्न किया जाये।

रेल्वे क्रासिंग के कारण आवागमन में, बड़ा अवरोध उपस्थित होता है। भीलवाड़ा में भीलवाड़ा स्टेशन के पास पैदल चलने वालों के लिये ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया जा चुका है। बीकानेर शहर बहुत बार मुझे आने का मौका मिला है। वहां की स्थिति यह है कि शहर के बीच से रेल्वे लाइन गुजरती वहां बड़ी आवश्यकता है ओवर ब्रिज की। इस बार केन्द्र सरकार से जो बातचीत हुई, वह पूरी नहीं हो पाई और कुछ प्रावधान हम भी नहीं कर सके लेकिन उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है और आने वाले वर्षों में उसके लिये भी अवश्य विचार किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण 74-75 से चालू है। 77-78 में 105.52 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये सड़के वे ही हैं जिनकी चर्चा मैंने की है – पांच हजार से अधिक की आबादी वालों को जोड़ने के लिये 51 सड़कों के निर्माण होने का प्रावधान रखा गया है। उनसे यातायात के साधन उपलब्ध होंगे उसके कारण गांवों के विकास को तेजी मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की चर्चा की। मैं स्वीकार करता हूं इस बार राजस्थान में ऐसी भीषण बाढ़ आई है जिसकी चर्चा बार-बार सदन में की गई है। अकाल सहायता विभाग से 2.96 करोड़ रुपयों के प्रावधान की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव बना कर भेजे जा चुके है और आग्रह किया गया है कि जल्दी से जल्दी टीम आये और सारी स्थिति को देखे। क्षति ग्रस्त इलाके जो हैं चाहे वह भरतपुर का इलाका हो, चाहे अलवर जिले का इलाका हो, चाहे जालौर का इलाका हो वहां जो भी सड़कों के मामले हों उनको ठीक करने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं छुटपुट जो और मरम्मत करने वाली बात है वह चल रही है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा किया जायगा।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भवनों की मरम्मत की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है। वर्ष 1977-78 में रिहायशी भवनों के लिये 55.83 लाख का प्रावधान किया गया है तो दूसरी ओर प्रशासनिक एवं अन्य भवनों के लिये 200.08 लाख का का प्रावधान उन के रख-रखाव के काम के लिये जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आता है, रखा गया है। इसकी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं एस. डी. ओ. क्षेत्र के अन्तर्गत जो भवन आते हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आते हैं उससे नीचे वाले भवनों का काम अपने-अपने क्षेत्र का है इसलिये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस बार इस पर विचार किया गया है और जहां 1976-77 में चिकित्सा विभाग के भवनों की मरम्मत हेतु 29.08 लाख का प्रावधान किया गया था, वहां इस वर्ष 40 लाख रुपया चिकित्सा भवनों के रख-रखाव के लिये निश्चित किया गया है।

कई जगह चिकित्सा मंत्री होने के नाते कई अस्पतालों को देखने का मुझे मौका मिला। उनको देखने पर ऐसा लगा कि उनके रख रखाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिये बजट बनाकर 40 लाख रुपया इस काम के लिये निश्चित किया गया है।

आमेर क्षेत्र की घटना सचमुच अपने प्रान्त में शोचनीय रही है। उसके कारण सारे प्रदेश में इस बात को देखना होगा। मुझे इस बात को मानने में संकोच नहीं है कि राजस्थान में जो विभिन्न विद्यालय है, जिनमें शिक्षा दी जाती है वे इतने पुराने हैं और इतने जर्जर अवस्था में हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिये विभाग को निर्देश दिया गया है कि वर्षा समाप्त होने के बाद, अभी तो वर्षा चल ही रही है वर्षा के बाद तीन महीनों में सारे प्रदेश में घूम कर इस प्रकार के सारे भवनों की मरम्मत कराने के कार्य को युद्ध स्तर पर लिया जायेगा ताकि आमेर जैसी दुर्घटना फिर न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आवश्यक है। जनता पार्टी की सरकार बनते ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जिहाद छेड़ा है इस सारे भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कभी पीछे नहीं रहेगा। कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के केसेज दिये हैं और इस प्रकार की चर्चाएं की हैं तो मेरा निवेदन है एक-एक केस पर ध्यान दिया जायगा मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई भी केस आयेगा तो उसकी पूरी जांच की जायगी और जो भी इस प्रकार का व्यक्ति पाया गया जिसका भ्रष्टाचार में हाथ है, उसको किसी प्रकार छोड़ा नहीं जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नाते विजिलेन्स सैल का निर्माण करने का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है, राज्य सरकार सोच रही है। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विजिलेन्स सैल बनाना चाहिये। विजिलेन्स सैल बने, इस बात की चर्चा मंत्रि मण्डल स्तर पर चल रही है, राज्य स्तर पर चल रही है और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
राज्य सरकार के विचाराधीन है कि एक विजिलेन्स सैल हो, वह भ्रष्टाचार होने वाले स्थानों पर तुरन्त पहुंच जाय । उसी प्रकार जो काम अकार्डिग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होते हैं जो कि स्पेसिफिकेशन के नीचे रहते हैं उनकी छानबीन के लिए विजिलेन्स सैल तत्पर रहे और अपनी पूरी कोशिश करे । सारे केसेज की छानबीन की जाय और राज्य सरकार को उस छानबीन से अवगत कराया जाय ताकि ठीक रूप से उनके बारे में विचार करके दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके ।

मनोहर थाना से आने वाले माननीय विधायक, बनी पार्क से आए हुए विधायक, दीगोद से आए हुए माननीय विधायक ने रोड रोलर की खरीद में किसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के भ्रष्टाचार की चर्चा की । मैंने पूर्व में ही कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जायगा, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा पूरी जांच कराई जायगी । ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना हिसाब इस नाते से देना होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है इनको मिलाने वाली सड़क पर 3500 ट्रक प्रतिदिन निकलते हैं । इतना अधिक दबाव है । केन्द्र सरकार से हमने निवेदन किया है । मंत्री के नाते मैंने भी निवेदन किया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी वहां पर जाकर निवेदन किया है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सको नेशनल हाई वे बनाया जाय । अगर यह नेशनल हाई वे बन गया तो हमारा रुपया बचेगा, जो राजस्थान की सड़कों के विकास पर काम आएगा । छोटे-छोटे स्थानों के लिए, गांवों के लिए उसका उपयोग किया जाएगा ।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा प्रयत्न शायद पहले भी हुआ था । थोड़ा प्रयत्न हुआ था किन्तु वह कागजों पर ही रह गया । उस समय यह होना आसान था । कई नेशनल हाई वे बने थे और उस समय यह भी बन सकता था लेकिन पता नहीं कौन से कारण थे जिनके कारण पिछली सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया । हम प्रयत्नशील हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह तो जयपुर से भोपाल की बात हुई । जयपुर से अहमदाबाद क्यों नहीं नेशनल हाई वे हो ? वह भी तो आवश्यक है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह अलग से प्रश्न है ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : वह जयपुर उदयपुर की तरफ से है । पाली होकर नहीं है जहां पर बड़े-बड़े शहर आते हैं । गुजरात के भी कई बड़े-बड़े शहर आते हैं जिनकी एक-एक लाख की आबादी है । आबू रोड, सुमेरपुर, शिवगंज पाली मण्डी है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह स्थिति हो सकती है ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जो पहले राजपथ था आठ नम्बर का....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि राजस्थान क्षेत्र के सारे क्षेत्रों में बहुत दूर-दूर तक मोटर साइकिल से घूमने का मौका मिला है और मैंने देखा है, सुना है। एक और निवेदन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं कि शिक्षा मंत्री के नाते, चिकित्सा मंत्री के नाते और सार्वजनिक निर्माण मंत्री के नाते मैं प्रतिदिन घूमता हूं। अन्य माननीय सदस्यों से क्षमा मांगता हुआ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार की आबादी से ऊपर के गांवों का जो आपने जिक्र किया है कि इस वर्ष उनको हाथ में लिया जाएगा, मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं.....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष।

श्री रामनारायण चौधरी : वह कौन से गांव हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चालीस गांव हैं।

श्री राम नारायण चौधरी : जगह कौन कौन सी हैं ? कौन-कौन से गांव हैं ? उनके नाम बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको सैंसर रिकार्ड से मालूम पड़ जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यहां बता दें, आपको भी लाभ होगा इसमें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी है नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : जिलेवाइज बताइये, हमको भी उत्साह होगा और आपको पब्लिसिटी मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : आपको बड़ी चिंता है हमारी पब्लिसिटी की।

श्री उपाध्यक्ष : अब मांगों के सम्बन्ध में मतदान करना शेष रहता है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,10,77,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)।

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21, सड़कें और पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,94,26,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार के प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : कल तो बृहस्पतिवार है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : सोरी साहब, बृहस्पतिवार को।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि-10.55 बजे, बृहस्पतिवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 311 को प्राज्ञा)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

जयपुर, अगस्त 26, 1977

संख्या प. 5 (5) राजस्व/ग्रुप–4/77

समस्त जिलाधीशगण ।

विषय:—राजस्व अभियान का आयोजन करने हेतु ।

महोदय,

प्राय: काश्तकारों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील एवं जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं तथापि उनका समाधान नहीं होता है और वे वर्षों तक परेशान होते रहते हैं तथा विभिन्न स्तर पर उनका शोषण होता रहता है । अत: राज्य सरकार ने काश्तकारों की समस्याओं का समाधान एक निर्धारित अवधि में ग्राम स्तर पर ही करने के लिये दिनांक 15-9-77 से 15-10-77 तक एक विशेष अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया है. । इस अभियान की अवधि में राजस्व अधिकारीगण निम्न प्रकार के मामलों को ग्राम स्तर पर ठहराकर अवश्य ही निपटायें एवं जिलाधीश भी इस अभियान की अवधि में एक बार प्रत्येक तहसील क्षेत्र में जाकर काश्तकारों की समस्याओं के निराकरण की ओर स्वयं भी ध्यान देवें तथा जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा इस अभियान काल में किये गये कार्यों की जांच करें ।

(1) खातेदारी अधिकार देना:— राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 के अनुसार जिन व्यक्तियों को दिसम्बर, 1974 तक कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका था तथा जो ऐसे आवंटन की 10 वर्ष की अवधि में से शेष रहने वाली अवधि के लगान की 2½ गुणा राशि जमा कराने को तैयार हों तथा जिन्होंने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है उन्हें तत्काल खातेदारी अधिकार दिये जायें ।

(2) नामान्तरकरण खोलने एवं स्वीकृत करने :—जिन-जिन व्यक्तियों के उत्तराधिकार, भूमि हस्तान्तरण, आवंटन नियमन आदि संबंधी नामान्तरकरण खोलना शेष हों उन्हें तत्काल खोलकर इस अभियान की अवधि में निर्णित किये जावें । सीलिंग कानून के अधीन जिस भूमि का कब्जा लिया जा चुका है उसके नामान्तरकरण पहले सरकार के हक में खोले जावें तथा उक्त भूमि का काश्तकारों को आवंटन किये जाने पर उसके नामान्तरकरण काश्तकारों के हक में खोले जावें ।

(3) भूमि आवंटन (1):—जिले में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवं सीलिंग

कानून के अधीन कब्जे में ली गई भूमि को इस अभियान काल में नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित किया जाकर तत्काल आवंटित भूमि का कब्जा देकर पट्टे वितरण किये जावें। जिन व्यक्तियों को अब तक आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है उन्हें भी इस अभियानकाल में कब्जा दिया जावे। पूर्व में जिन जिलों में आवंटन के लिए चारागाह की भूमि का परिवर्तन कराया गया था किन्तु राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के आवंटन पर रोक लगादी गई थी उसका आवंटन नहीं किया जावे।

(2) अनियमित भूमि आवंटन को निरस्त करना:—अनियमित भूमि आवंटन के मामलों की जांच की जावे तथा उन्हें जिलाधीश नियमानुसार निरस्त करें।

(3) राजस्व अभिलेख में यदि कोई भूमि योग्य लिखी हो तथा मौके पर वह कृषि अयोग्य हो तो उसकी नियमानुसार किस्म परिवर्तित की जावे और इसी प्रकार जो भूमि राजस्व अभिलेख में कृषि अयोग्य लिखी हो तथा मौके पर वह कृषि योग्य हो तो उसकी भी किस्म परिवर्तन की जाकर उसका आवंटन कर दिया जावे। चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जावे इसके लिए जिलाधीश भी सक्षम नहीं हैं।

(4) नियमन:—(1) इस विभाग के परिपत्र संख्या पं. 6 (10) रा/ग्रुप–4/77, दिनांक 23-4-77 (परिशिष्ट 1) के अनुसार दिनांक 1-7-75 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक, चारागाह, वन भूमि, गैर मुमकिन भूमि तथा आबादी भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर किये गये अतिक्रमण के नियमन योग्य मामलों में नियमन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जावे।

(2) इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र सं. प. 6 (11) राज/ग्रुप–4/77, दिनांक 23-4-77 (परिशिष्ट 2) के अनुसार दिनांक 8-4-77 तक सिवाय चक, गैर मुमकिन पड़त अगोर आदि या वन भूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों या ढाणियों का नियमितिकरण भी इस अभियानकाल में किया जावे।

(3) साथ ही इस विभाग के पत्र सं प. 6 (7) राज/ग्रुप-4/77, दिनांक 14-4-77 (परिशिष्ट 3) के अनुसार सिवाय चक कृषि भूमि पर दिनांक 1-7-75 तक किये गये अतिक्रमण के नियमन योग्य मसलों का भी इस अभियानकाल में नियमन किया जावे।

(5) अतिक्रमण के मामलों का निपटारा:—अतिक्रमण के समस्त मामलों को जो नियमन योग्य नहीं हैं उन्हें इस अभियानकाल में निपटाकर आवंटन योग्य भूमि को नियमानुसार आवंटित कर दिया जावे।

(6) रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा संबंधित काश्तकार को दिलाने की व्यवस्था करना:—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 43 की उप-धारा (4ए) के अनुसार जिस रहन बिल कब्ज के मामले में 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो और जिसका कब्जा राहिन को मिल गया है उससे संबंधित नामान्तरकरण भी खोले

जावें। यदि कोई मुर्तहिन उपरोक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार रहन की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी राहिन की भूमि का कब्जा नहीं लौटाए तो उनके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (4-ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र सं. पं. 5(13) राज/ग्रुप—4/56, दिनांक 4-11-75 (परिशिष्ट 4) को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही की जावे।

(7) काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान में कमी करना:—

जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है उनसे अवाप्त की गई भूमि का लगान वसूल नहीं किया जाये और यदि लगान पूर्व में कायम किया जा चुका है तो उसे नियमानुसार खारिज कराया जावे।

(8) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों को निपटाना:—

ग्रामों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में रहवास अथवा वाणिज्य प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का रूपान्तरण) नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार निपटाये जावें।

(9) ग्रामों की आबादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना:—

जिन ग्रामों की आबादी के लिये भूमि की आवश्यकता हो और सिवाय चक भूमि उपलब्ध हो तो उसे इस अभियान की अवधि में संबंधित पंचायतों के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अधीन सेट अपार्ट किया जावे और इस विभाग की आज्ञा सं. 6 (42) राजस्व/बी/58/ग्रुप–1, दिनांक 20-4-61 के (परिशिष्ट 5) के अनुसार पंचायतों को देदी जावें।

(10) बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिये राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना:—

अभियान की अवधि में काश्तकारों को बैंकिंग संस्थानों से ऋण दिलाने के लिये उनके प्रार्थना-पत्र तैयार करवाये जावें और उनके प्रार्थना-पत्रों के लिये आवश्यक राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि के प्रमाण-पत्र भी तत्काल उपलब्ध कराये जावें।

(11) कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमान्त कृषकों के ऋण भार समाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही करना:—

राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) अधिनियम, 1976 के अनुसार 2400 रुपये तक की वार्षिक आय वाले कृषि श्रमिक एवं शिल्पकार और सीमान्त कृषकों के कर्ज भार दिनांक 13-4-76 से समाप्त हो चुके हैं तथा ऐसे व्यक्ति की कोई सम्पत्ति ऋणदाता को बन्धक रखी हो तो वह भी समस्त बन्धक भार से मुक्त हो गई है तथा ऋण दाता उसे ऐसे व्यक्तियों को लौटाने के लिये कानून के अनुसार बाध्य है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में कर्ज वसूली संबंधी विचाराधीन

दावे भी खारिज किये जाने योग्य हैं । उपरोक्त प्रकार के कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों एवं सीमान्त कृषकों के न्यायालय में विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में उनके कृषि श्रमिक, शिल्पकार अथवा सीमान्त कृषक होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसके लिये तहसीलदार, नायब-तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक सक्षम है। इस अभियान की अवधि में ऐसे व्यक्ति जिनका कर्ज भार उपरोक्त कानून द्वारा समाप्त किया जाना है तथा जिन्होंने उपरोक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र पूर्व में दे रखे हैं या अब देवें उन मामलों में जांच करके निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र दिये जावें ।

(12) वृद्धावस्था पेंशन दिलाना:--

वृद्धावस्था वाले व्यक्ति जिनकी आय के साधन नहीं हों तथा जो नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिये सक्षम हों उनके प्रार्थनापत्रों की आवश्यक तस्दीक व स्वीकृति संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जाय ।

(13) प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर 5 परिवारों का चयन करके उनके आर्थिक विकास का कार्य प्रारम्भ करना :--

प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर 5 परिवारों का चयन किया जावे तथा ऐसे परिवार के व्यक्तियों के पास कृषि भूमि नहीं हो तो उन्हें कृषि भूमि का आवंटन किया जावे। इन व्यक्तियों की कृषि भूमि के विकास के लिये अथवा पशुपालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, सूअर पालन आदि फार्म के लिये बैंकिंग संस्थान से ऋण दिलाने हेतु उनके प्रार्थना-पत्र तैयार कराकर ऋण दिलाने की व्यवस्था की जावे ।

(14) पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करना :--

जिन-जिन ग्रामों में पीने के पानी की समस्या है तथा उसके लिए क्या-क्या प्रावधान हो सकता है इन दोनों पहलुओं की जांच करके प्रस्ताव भेजे जावें ।

(15) जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निस्तारण करना:--

जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निस्तारण किया जावे। अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के अभाव अभियोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जावे ।

उपरोक्त अभियान की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि संबंधित उप-जिलाधीश गण इस माह में तहसील मुख्यालय पर पटवारियों, ग्राम सेवकों एवं सरपंचों की संयुक्त बैठक का आयोजन करके उपरोक्त कार्य बिन्दुओं संबंधी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करें तथा तदनुसार प्रोग्रामों में उपरोक्त कार्यों को इस अभियान की अवधि में निपटाने का कार्यक्रम बनाये । राजस्व अधिकारीगण ग्रामों में जाने के अपने भ्रमण कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी ग्रामवासियों को, संबंधित पटवारी, ग्राम सेवक एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से देवें तथा वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्रामों में ठहरकर उपरोक्त कार्यों को निपटायें।

जिलाधीश भी इस प्रकार अपने तहसील के भ्रमण कार्यक्रम जानकारी संबंधित क्षेत्र

के लोगों को देकर इस अभियानकाल में अधिक से अधिक ग्रामों में जाकर लोगों के अभाव अभियोगों का प्रभावपूर्ण तरीके से निराकरण करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त अभियान की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जिलाधीश अभियान में किये गये कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ-साथ निम्नांकित कार्यों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यह प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें कि उपरोक्त अभियानकाल में दिनांक 15-10-77 तक की अवधि से संबंधित ये कार्य निपटा दिये गये हैं एवं उपरोक्त मामलों से संबंधी कोई भी कार्य बकाया नहीं रहा है।

(1) नामान्तरकरण स्वीकृत करना।

(2) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण।

(3) खातेदारी अधिकार देने।

(4) ग्रामों के आबादी विकास हेतु भूमि उपलब्ध कराने।

(5) वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की तस्दीक व स्वीकृति।

यह भी ध्यान रखा जावे कि इस अभियानकाल में जिस कार्य के लिये जो अधिकारी नियमानुसार अधिकृत हैं वह भी अपने स्तर पर उपरोक्त कार्य करें जिससे कोई अनियमित कार्य न हों।

आपसे अनुरोध है कि आप यथा शीघ्र राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाकर उपरोक्त प्रकार अपने जिले में राजस्व अभियान के आयोजन करने सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था करें।

भवदीय,
(एस.एल. जोशी),
विशिष्ठ शासन सचिव राजस्व।

परिशिष्ट 1

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

जयपुर, अप्रेल 23, 1977

परिपत्र

समस्त जिलाधीश,

संख्या एफ. 6 (10) राज/ग्रुप-4/77:—राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक, चरागाह, वन भूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर 1-7-75 तक आवास गृह या बेहे बनाकर किये गए सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्हीं निर्बन्धनों, शर्तों और निर्बन्धनों पर किया जाय जो 18-2-55 से 31-12-70 तक किए गए अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते हैं और जो इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(17) राज/स./71, दिनांक 3-7-71, में उल्लेखित हैं।

एस. एल. जोशी,
विशिष्ठ शासन सचिव।

परिशिष्ट 2

प्रतिलिपि राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 6(11) राज./ग्रुप-4/77 दिनांक 23-4-1977 द्वारा

विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग, निमित्त समस्त जिलाधीश, राजस्थान ।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की तारीख अर्थात् 15 अक्टूबर, 1955 से पूर्व सिवाय चक, गैर मुमकिन पहत, अगौर आदि या वन भूमि पर स्थापित किए ग्रामों या ढाणियों का नियमितीकरण स्वयं ही उप-खण्ड अधिकारी द्वारा कोई फीस, प्रीमियम या शास्ति वसूल किए बिना किया जा सकेगा । उक्त प्रयोजन के लिए उक्त ग्राम या ढाणी की आबादी के निवासियों की ओर से कोई आवेदन-पत्र का दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा । ऐसी आबादी या ढाणी का, जो 15-10-55 के पश्चात् दिनांक 8-4-77 तक स्थापित की गई थी उस आबादी का ढाणी के निवासियों से उन पर लागू लगान दर के 20 गुना के हिसाब से भूमि का पंजीकृत मूल्य वसूल कर नियमित किया जा सकेगा और उस भूमि को जिस पर ऐसी आबादी संख्या ढाणियां अवस्थित हैं, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अधीन आबादी के लिए पृथक रखा जायेगा । किसी खातेदार काश्तकार द्वारा धारित भूमि पर स्थापित किसी ग्राम या ढाणी की आबादी का नियमितीकरण तभी किया जाय जबकि खातेदार काश्तकार ऐसी भूमि अभ्यर्पित करने के लिए सहमत हो, उस दशा में कोई भी फीस, या प्रीमियम या शास्ति वसूल नहीं की जाएगी व ऐसी भूमि को भी पूर्वांकित धारा के अधीन आबादी के लिये पृथक रखा जायेगा ।

अतः सभी राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशों की पालना करें ।

ANNEXURE 3

Copy of letter No. F. 6(7) Rev./Gr. IV/77, dated 14th April, 1977 from the Deputy Secretary to the Govt. Revenue Deptt. to All Collectors.

Rule 20 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 provides for allotment of land to trespassers. This rule provides that notwithstanding anything contained in these rules, but subject to the specific or General directions of the State Government, the Sub-Divisional Officer may, on the advice of the advisory committee, instead of ejecting the trespasser from any land occupied by him without any lawful authority, allow him to retain such land, if he is landless person and the total area of land held by such person including the land so allotted does not exceed the limits specified in that rule. Under the General directions issued by the State Government vide No. F. 6(20) Rev./B/71 dated the 13th April, 1971 on encroachment made on Swai Chak land up to 1-1-1971 by landless persons on Government agricultural land except lands in colony areas should be regularised without payment of any penalty or premiun. subject to certain terms and conditions laid down in the rules and the said circular. The State Government has now decided that this date (i.e. 1-1-1971) may be extended up to 1-7-1975 so that all encroachments made on Sawai Chak land

upto 1-7-1975 for agricultural purposes may be regularised subject to the terms, conditions and restrictions laid down in the rules and the existing circular. The State Government hereby directs that all encroachments made upto 1-7-75 on Sawai-Chak land for agricultural purposes regularised subject to the aforesaid terms and conditions. This will also apply to 'Ghair-mumkin' 'Magra' or 'Panat'. The said class in this case so changed by the Sub-Divisional Officer, exercising the powers of the District Land Records Officer already delegated to him and thereafter encroachment on such land be regularised subject to terms, conditions and restrictions referred to above.

ANNEXURE-41

Copy of letter No. F. 5 (136) Rev./Gr. IV/dated 4-11-75. From Special Secretary to the Government/addressed to All Collectors.

CIRCULAR

To

All Collectors.

It has been brought to the notice of the State Government that the exact import of the recent amendments made to section 43 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) has not been properly understood by the field officers and the amended provisions are being applied to usufructuary mortgages effected prior to the date of the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

The position is, therefore, clarified as under:—

Sub-section (2)—Before the amendment of section 43 by the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1975, sub-section (2) thereof provided that a khatedar tenant may transfer his interest in the whole or part of his holding in the form of a usufructuary mortgage to any person, but such mortgage must provide that the mortgage amount shall be deemed to be paid off by the usufruct of the property within a specified time *not exceeding ten years* and in the absence of such a period being specified, such mortgage shall be *deemed to be for ten years.* This sub-section does not apply to pre-Tenancy Act usufructuary mortgages. In this sub-section for the words 'Ten years' wherever occurring, the words 'five years' were substituted. This amendment was first made by the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1975 (Rajasthan Ordinance No. 20 of 1975) with effect from 6th September, 1975. The Ordinance was replaced by Act 12 of 1976 with effect from 13-2-1976. The amendment is with prospective effect. The result is that usufructuary mortgages after the date of the Ordinance (20 of 1975) i.e. 6th September, 1975 can be effected only for a period of five years.

The amendment of this *sub-section* did not effect the usufructuary mortgages made after the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, and subsisting on the date of the commencement of the amending Ordinance (20 of 1975); in other words it did not affect the mortgages made after 15-10-1955 and subsisting on 6th September, 1975,

Sub-section (4-A).—Since the usufructuary mortgages made after the commencement of the Rajasthan Tenancy Act and subsisting on the date of the Ordinance (No. 20 of 1975) were not affected by the amendment of sub-section (2) of section 43, it was considered necessary to make a separate provision in respect of such subsisting mortgages. This was done by inserting a new sub-section (4-A) in section 43 *ibid.* This sub-section (4-A) applies to mortgages made after 15-10-1955 and subsisting on 6th September, 1975. This new sub-section curtailed the period of such usufructuary mortgages from 10 years to 5 years in cases where the period of ten years under unamended sub-section (2) had not expired. Sub-section (4-A) uses the expression *usufructuary mortgages made after the commencement of this Act* and subsisting on the date of the commencment of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1975. The expression '*this Act*' in sub-section (4-A) refers to the principal Act i.e. the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and '*this Act*' commenced on 15th October, 1955. Thus usufructuary mortgages effected after 15-10-1955 and subsisting on 6th September, 1975 alone are covered by sub-section (4-A). *This sub-section does not cover usufructuary* mortgages effected prior to 15-10-1955.

Sub-section (4-C),—Since the provisions of sub-section (4-A) had retrospective effect in respect of limited class of subsisting mortgages, it was further felt necessary to make express provision to avoid penal consequences resulting from such retrospective amendment. This has been done by insertion of new sub-section (4-C). To illustrate, if a mortgage was effected on 1-4-1970, in the absence of any contract to the contrary for a shortern term, its term would have expired on 31-3-1980, but in view of the provisions of sub- section (4-A), it was deemed to have expired on the 31st March, 1975.

Proviso to sub-section (4-D).—In the absence of new sub-section (4-C), it would have rendered the mortgages a trespasser during the period from 1-4-1975 to 6th September, 1975 and liable to pay mesne profits and also penalty. This rigour has been avoided by insertion of new sub-section (4-C). Besides in such cases a mortgagee could not have delivered possession of the mortgaged property within three months from the date of deemed redemption of the mortgage (In the illustration quoted it would be 31-3-1975 which expired long before the date of commencement of the Ordinance) it was expressly provided that the possession shall be delivered within three months from the date of the commencement of the Ordinance.

None of these amendments apply to mortgages effected prior to the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. The relevant sub-section regarding such usufructuary mortgages is sub-section (4) of section 43 *ibid*. This sub-section provides that a usufructuary mortgage of any land made before the commencement of this Act (i.e. 15-10-1955) shall, upon the expiry of the period mentioned in the mortgage deed or 20 years from the date of execution thereof, whichever period is less, be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgagor. This sub-section has not been touched in the amending Ordinance (20 of 1975) or the governed by the said sub-section.

In the result, it is made clear that usufructuary mortgages which were made before the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (whether subsisting or not on the date of such commencement) are not affected by the amending Ordinance or the amending Act referred to above.

Sd/-

(S. L. JOSHI)
Special Secretary to Government.

ANNEXURE-5

In exercise of the powers conferred by section 92 read with section 102-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956), the State Government is hereby pleased to order that wherever conversion of agricultural land into Abadi is an imperative necessity, in view of the expansion of population and the need for more housing accommodation for the people, and the occupied Government-owned agricultural land (in some areas commonly called 'Sawai Chak' land) is available for such conversion, the Collector may, in exercise of the powers given to him by section 92 of the said Act, set apart any such land for the development of Abadi. On receipt of a request from an Improvement Trust, a Municipal Board or a Village Panchayat for the conversion of any particular plot of unoccupied, Government owned agricultural land, the Collector shall consider the request, carefully examine the need for expansion of Abadi and see whether the conversion of that particular land is an imperative necessity. If the Collector is satisfied of the imperative need for the conversion, and the Improvement Trust, Municipal Board or Village Panchayat, as the case may be, is prepared to pay the capitalised value of the land, the Collector may after charging the capitalised value as shown on the margin accord sanction for the conversion of the unoccupied Government-owned agricultural land into Abadi and place it at the disposal of the Improvement Trust, Municipal Board or Village Panchayat, as the case may be, for the development of Abadi. The Improvement Trust Municipal Board or Village Panchayat, as the case may be, shall use

Towns and cities with 50,000 population and above according to latest available census. — forty time the sanctioned rent rates,

Other towns/villages — and twenty times the sanctioned rent rates:

Provided that where the land applied for is unassessed, the capitalised value shall be calculated at the sanctioned rent rates applicable to the lowest clase of Barani land in the neighbourhood of the land applied for.

land for the development of Abadi and for no other purpose; and the provisions of the Local Self-Government's Notification No. F. 7(187) LSG/58-II dated the 8th October, 1959 (as published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-C, dated the 12th idem), relating to Government-owned Nazul lands placed at the disposal of the municipal authorities, shall be applicable.

2. In respect of the lands other than these belonging to the State Government, the sanction of the State Government will be necessary for the conversion of agricultural land for non-agricultural purposes, as laid down in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, as the power to convert private lands into Abadi is to be exercised sparingly in cases of imperative necessity only. The necessary rules to give effect to the provisions of section 90A have been issued vide Notification No. F 6 (42) Rev. B/58, dated 19-4-1961.

[No. F. 6(42) Rev. B/58 Gr. I, dated April 20, 1961.]

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 313 की आज्ञा)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

(*Department of Personnel A Group-II*)

No. F. 3(3)DOP/(A-II)/77. *Jaipur Dated the 28th July, 1977*

ORDER

Sub: Release of Annual Grade Increment to Stenographers.

The question of granting regular Annual Grade Increments to Stenographers Grade-II who were appointed on *ad hoc* basis pending passing the Stenographer's test required to be held by the Rajasthan Public Service Commission under the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, 1957, has been under consideration of the Government and the Governor has, notwithstanding the condition stipulated in the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969, been pleased to order that Annual Grade Increments in the Scale of Pay applicable, from time to time, to Stenographers Grade-II working on 31-7-1977 and who:—

(1) have passed a Degree Examination from a University established by law in India or qualifications declared equivalent with Stenography as one of the papers;

or

(2) have passed Higher Secondary Examination from a recognised Board of Secondary Education with Stenography as one of the papers or passed the Diploma Examination held by the Industrial Training Institute or Bhasha Vibhag in Stenography and completed at least two years' service as Stenographer Grade-II. Those who passes the above mentioned academic qualifications but have not completed two years' service on 31-7-1977, shall be allowed increments after completing two years' service as Stenographer, Grade-II;

or

(3) who have put in more than five years' service as Stenographer Grade-II on 1-9-1976 and passed or may pass the Stenographers' Grade-II test held by the Rajasthan Public Service Commission even in any one language;

or

(4) who have put in less than five years' service as Stenographer Grade-II on 1-9-1976 and have passed or may pass the Stenographers' Grade-II test held by the Rajasthan Public Service Commission in any one language provided they pass the test in the other language to be held by the Head of the Department concerned according to the speed prescribed in the Service Rules. Such examination shall be held within two months of the declara-

(214)

tion of result of the examination to be held by the Rajasthan Public Service Commission;

or

(5) who have put in at least two years' service as Stenographer Grade-II on 1-9-1976 but do not posses the qualifications mentioned at items (1) and (2) above if they pass the examination in Stenography held by the Board of Secondary Education;

2. In all the above cases increments as mentioned above will be allowed subject to their passing the prescribed examination in the first attempt, retrospectively with effect from the date of their appointment as Stenographer Grade-II on an *ad hoc* basis and their pay on 1-8-1977 or on such date when they acquire full qualifications required above, whichever is later, shall be fixed notionally but no arrears of pay will be given to them.

3. The grant of above increments shall not, however, entitle them for regular appointment for which they shall have to compete in the examination of Stenographer Grade-II to be held by the Rajasthan Public Service Commission according to the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, 1957.

4. This Order shall also apply *mutatis mutandis* to Stenographers of the Rajasthan Secretariat, Governor's Secretariat, Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan Legislative Assembly and Lokayukta Sachivalaya who are holding *ad hoc* appointments on the post of Stenographers.

5. This issues with the concurrence of the Finance (Gr. II) Deptt. vide I.D. No. 1570/FD/Gr. II/77, dated the 28th July, 1977.

By Order,
(Kusum Prasad)
Special Secretary to Government.

Copy forwarded to:—

1. The Secretary to the Governor/Chief Minister.
2. All Secretaries to the Government.
3. All Private Secretaries to Ministers/State Ministers.
4. All Sections/Groups of the Secretariat.
5. All Heads of the Departments.
6. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

(Om Dutt Sharma)
Assistant Secretary to Government.

Copy also forwardeed to:—

1. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
2. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. The Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur.
4. The Registrar, Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal), Jaipur.
5. The Authorised Government Representative, Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal), Jaipur.
6. The Secretary, Lok Ayukat Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

(Om Dutt Sharma)
Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सहकारी ट्रब्यूनल में नगरपालिकाध्यक्षों के विरुद्ध जांच के मामले

318. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ नगरपालिकाध्यक्षों के उनके कार्यकाल के मामलों की जांच सहकारी ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है ? यदि हां, तो जिन भूतपूर्व अध्यक्षों की जांच विचाराधीन है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब तक उक्त ट्रिब्यूनल ने कितने मामलों की जांच कर राज्य सरकार को दी है उनमें से किस किस को क्या क्या दण्ड दिया ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रिब्यूनल ने आज तक कोई भी मामले में जांच पूरी नहीं की है ?

(4) क्या यह सही है कि ट्रिब्यूनल में कई मामले दो साल से भी लम्बी अवधि से विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो इस लम्बे काल तक मामले न निपटने के कारण राज्य सरकार ने शीघ्रगामी कोई कदम उठाने की क्या व्यवस्था की है ?

(5) स्थानीय निकाय विभाग में उप-निदेशक व सहायक निदेशक के कितने पद हैं उन पर दस वर्ष से अधिक समय से क्या कोई आसीन है ? उसके विरुद्ध विभाग में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं ? श्री बी. डी. अग्रवाल ने किन किन पालिका अध्यक्षों की जांच की ? उस जांच में दोषी व्यक्तियों को अब तक क्या दण्ड दिया गया ? झुन्झुनूं नगरपालिका की जांच करने कितनी बार श्री अग्रवाल ने दौरे किये, राज्य सरकार का क्या व्यय हुआ, उस जांच का परिणाम क्या है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि श्री वी.डी. अग्रवाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्थानीय विधायिका का नाम नहीं जोड़ा उनके द्वारा हड़पी गई भूमि उनके भाई श्री गिरवारसिंह और उनके रिश्तेदार श्री जगमाल सिंह, फूलसिंह के कब्जे में है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ?

(7) क्या यह सही है कि चिड़ावा की प्रधान श्रीमती सुधादेवी उसके पति श्री बीरवलसिह उप-शिक्षा निरीक्षक, झुन्झुनूं द्वारा हड़पी गई भूमि को भी जांच से मुक्त रखा गया, ?

(8) झुन्झुनूं नगरपालिका की भूमि किन किन जन प्रतिनिधियों ने कितनी कितनी हड़पी ? इनमें नगरपालिका सदस्य, प्रधान, विधायक, प्रमुख, संसद सदस्य व उनके रिश्तेदारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) उस भूमि काण्ड के सम्बन्ध में कौन कौन से नेताओं पर न्यायालय में धारा 420 व 120 के मुकदमें चले हैं और उसका

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

निर्णय क्या हुआ ? क्या श्री वी. डी. अग्रवाल ने अपनी जांच में इस घटना का वर्णन किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) ट्रिब्यूनल ने अब तक 19 मामलों में अपनी जांच रिपोर्ट दी है, जिसमें से आठ अध्यक्षों से सम्बन्धित हैं । ट्रिब्यूनल के निर्णयानुसार धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को मामले भिजवाये जाते थे, वहां कार्यभार अधिक होने के कारण ही ट्रिब्यूनल को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-12-75 द्वारा न्यायिक जांच का कार्य सौंपा गया है ।

कुल मिलाकर 17 मामले दो वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं ।

(5) कुल 7 पद हैं एवं दस वर्ष से अधिक लगातार इन पदों पर कोई आसीन नहीं है । प्रश्न नहीं उठता फिर भी श्री वी. डी. अग्रवाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जांच करने पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण समाप्त करदी गई हैं ।

श्री वी. डी. अग्रवाल ने निम्नांकित नगरपालिका अध्यक्षों की जांच की, जिनके जांच परिणाम, उनके नाम के सम्मुख अंकित है :—

अध्यक्ष का नाम 1	जांच परिणाम 2
1. श्री पुष्करनारायण शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका, पुष्कर ।	राज्य सरकार ने धारा 63 के अन्तर्गत जांच कर मामले को दिनांक 19-4-77 को समाप्त कर दिया ।
2. श्री राधा मोहन लाल, अध्यक्ष, नगरपरिषद, जयपुर ।	एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु दिनांक 4-3-74 को लिखा गया ।
3. श्री बन्शीलाल, अध्यक्ष, नगरपालिका, कानौड ।	धारा 63 के नोटिस दिये जाने पर अब सुनवाई हेतु राज्य मन्त्री महोदय को मामला प्रस्तुत किया गया ।
4. श्री चन्द्र विहारी अध्यक्ष, नगरपालिका, मालपुरा ।	धारा 63 के नोटिस के बाद सुनवाई हेतु मामला प्रस्तुत किया गया ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

5. श्री प्रेम चन्द जैन, अध्यक्ष, नगरपालिका, मालपुरा।

श्री गिरधर गोपाल सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, राजसमन्द।

श्री ईश्वर लाल सैनी, अध्यक्ष, नगर परिषद, अलवर।

धारा 63 के अन्तर्गत सुनवाई के पश्चात दिनांक 23-7-77 को जांच समाप्त कर बहाल किया गया।

श्री गिरधर गोपाल सिंह को आदेश दिनांक 30-8-77 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

धारा 63 की सुनवाई होकर ट्रिब्यूनल में वास्ते न्यायिक जांच भिजवाया गया। आरोप प्रमाणित नहीं होने पर मामला समाप्त कर दिया गया।

श्री वी. डी. अग्रवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका की जांच हेतु पांच बार गये तथा राज्य सरकार का उनकी यात्रा पर व्यय रु. 422.09 पैसे हुआ। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

(6) यह सही नहीं है क्योंकि स्थानीय विधायक का नाम शिकायत में भी नहीं था। श्री जगमालसिंह को आवंटित प्लोट दिनांक 21-1-76 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है।

(7) श्री बीरबलसिंह पुत्र देवाराम को भूमि आवंटन की जांच की रिपोर्ट में उल्लेख है एवं आदेश दिनांक 21-1-76 को इस आवंटन को भी निरस्त कर दिया गया है। तहसील कुचामन की रिपोर्ट के अनुसार यह बीरबलसिंह शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं है।

(8) इस नगरपालिका की भूमि को जिन-जिन प्रतिनिधियों एवं उसके रिश्तेदारों को आवंटित की गई थी, जानकारी के आधार पर उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।

(9) नगरपालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार न्यायालय में धारा 120 व 120 के तहत श्रीमती सुमित्रा सिंह व श्री बनवारी के विरुद्ध श्री फूलसिंह ने दावा किया था। बाद में श्री फूलसिंह ने दिनांक 9-4-75 को राजीनामा कर लिया। आरोपों में इसका उल्लेख नहीं है अतः

(स्वायत्त शासन मंत्री)
जांच रिपोर्ट में भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पम्पिंग सैट की खरीद

320. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, जयपुर ने 60 हार्स पावर के तीन पम्पिंग सैट मय मोटरें खरीदने हेतु एन. आइ. टीन. 226। एस.इ.एम. 70 हार्स पावर के तीन पम्पिंग सैट के लिये एन. आइ. टीन. 234। एस. इ. एम. तथा 40 हार्स पावर के दो पम्पिंग सैट खरीदने के लिये एन. आइ. टीन. 18। एस. इ. एम. के टेण्डर आमंत्रित किये थे ? यदि हां, तो ये टेण्डर किस किस फर्म के नाम से स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि एन. आइ. टी. 226। एस इ एम में सबसे नीचे की रेट का टेन्डर मैं. एटलान्टिक एजेन्सीज, जयपुर व एन आइ टीन 234। एस.इ.एम.का मैं. इन्डस्ट्रियल सेल्स एन्ड मेन्यूफेक्चरिंग कारपोरेशन, जयपुर की होने पर एवं अधीक्षण अभियन्ता का प्रस्ताव भी इन्हीं के पक्ष में होने के बावजूद मैं. ग्रीव्ज काटन कम्पनी ने ऊंची रेट के टेन्डर उसी प्रकार के पम्पिंग सैट के लिये मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किये जाने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि मैं. ग्रीव्ज काटन के ब्रान्च मैनेजर मुख्य अभियन्ता के सम्बन्धी हैं जिसके कारण ऐसा किया गया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। एस. आई. टी. सं. 18 एस. ई. एम. की स्पेसिफाइड योजना अनुसार न होने के कारण अस्वीकृत की गई। शेष 2 एस. आई. टी. में मैसर्स ग्रीव्ज काटन एण्ड कं. को क्रय आदेश दिया गया।

(2) उक्त दोनों ही एस. आई. टी. में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मैसर्स एटलान्टिक ऐजेन्सी के आम निविदाएं स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव किया गया था। उक्त फर्म द्वारा डी. जी. एस. एण्ड डी. का इन्स्पेक्शन स्वीकार न करने के कारण उसके बाद के उपयुक्त टेण्डर मैसर्स ग्रीव्ज काटन कं. के बाद अनुमोदित किये गये।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

नोटः–1. एस. आई. टी. नोटिस इन्वाइटिंग टेन्डर्स
2. एस.ई.एम. सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, मेकेनिकल
3. डी.जी.एस. डाइरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल

राज्य में बिक्री कर की उत्पादन शुल्क के साथ वसूली

321. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार बिक्री कर समाप्त करने के बारे में कब निर्णय लेने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान बिक्री कर वसूली की व्यवस्था से भ्रष्टाचार पनपता है ? यदि हां, तो बिक्री कर को उत्पादन शुल्क के साथ ही प्रथम स्थान पर

(श्री उगमराज मेहता)

ही वसूल किय जाने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) यह एक महत्वपूर्ण विषय है और राज्य सरकार निर्णय लेने के पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा गठित इनडाइरेक्ट टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

(2) इस बारे में भी विचार उक्त इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

सरकारी मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के छात्रों से अधिक फीस की वसूली

322. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकारी मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में छात्रों से फीस बहुत अधिक ली जाती है जब कि उन्हें 70% से 90% तक सहायता मिलती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायता दान अथवा विकास के नाम पर भी छात्रों के अभिभावकों से फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या इसकी राज्य सरकार ने कोई जांच कराई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन विद्यालयों में नौकरी करने वाले अध्यापकों को वास्तविक वेतन कम मिलता है तथा उनके हस्ताक्षर पूरे वेतन पर लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों में अपेक्षा फीस अधिक है।

(2) विकास शुल्क सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार की संस्थाओं में लिया जाता है जो अनियमित नहीं है। दान अथवा सहायता के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है।

(3) यद्यपि ऐसी शिकायतें प्राप्त अवश्य होती हैं, किन्तु जांच करने पर यह सिद्ध नहीं हो पाता।

तहसील मालपुरा में पीने योग्य पानी की व्यवस्था

323. श्री नारायणसिंह (मालपुरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील मालपुरा के कितने ग्रामों में पीने योग्य पानी नहीं है, उन ग्रामों के क्या-क्या नाम हैं ?

(2) जिन ग्रामों में पीने योग्य पानी नहीं है, वहां राज्य सरकार ने ग्रामवासियों के लिए पेय जल की क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(3) ग्राम टोरडी में राज्य सरकार जो वाटर वर्क्स (पेय जल टंकी) बना रही है, उसको ग्राम टोरडी तक ही सीमित रखा जावेगा या आस-पास के गांवों, जैसे तिलाजू आदि में भी पहुंचाया जावेगा और पानी की सप्लाई दी जावेगी या नहीं ?

(4) ग्राम श्योपुर, तहसील मालपुरा में पीने योग्य पानी है या नहीं ? यदि नहीं, तो वहां के ग्रामवासी पानी कहां से कितनी दूरसे लाते हैं और राज्य सरकार ने भी

(श्री नारायणसिंह)

कोई व्यवस्था कर रखी है या नहीं (2) क्या राज्य सरकार के पास ग्राम श्योपुर में मीठा पेय योग्य जल पहुंचाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार की ओर से इन ग्रामों में फिलहाल कोई पेय जल व्यवस्था नहीं है।

(3) टोरडी में टंकी बनाई जा रही है इससे आस-पास के 8 ग्रामों में जल वितरण किया जावेगा। इनसे ग्राम तिलाज सम्मिलित नहीं है।

(4) ग्राम श्योपुर में पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है तथा राज्य सरकार की ओर से वहां कोई व्यवस्था नहीं है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ग्राम श्योपुर में जल प्रदाय योजना स्वीकृत की जा सकेगी।

प्रश्न की सूची

तहसील मालपुरा के ग्रामों की सूची जिनका पानी पीने योग्य नहीं है मास्टर प्लान के अनुसार

क्र.सं.	रेकार्ड नं.	ग्राम का नाम
1	[illegible]	आरली
2	[illegible]	बिनेठिया
3	9	आंजीरी
4	10	कुम्हेरिया
5	14	आंटोली
6	17	कुरेद
7	20	मदनीनगर
8	21	मिलकपुर
9	23	रथीला
10	26	चावंडिया
11	45	मोरला
12	47	कुहारा
13	48	आडोस्या
14	49	आमली
15	50	आसतु जोगेयत
16	52	आलेरा
17	53	लम्वा हरिसिंह
18	55	गणेशपुरा
19	56	शंकरपुरा
20	58	रामपुरा वास नगरी
21	61	राजपुरा
22	62	रामपुरा वास [illegible]
23	63	श्योपुर
24	64	देशमी
25	69	चांसला
26	71	सीतारामपुरा
27	72	बाम्बोरी
28	76	लांबा
29	78	भीपुर
30	81	भगवानपुरा
31	85	जथला
32	87	टोटारिया
33	91	मखदेवपुरा
34	93	फतमालिया
35	96	झारली
36	98	[illegible]
37	99	हिंडली
38	100	इन्डोली
39	102	साली लखेपुरा

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

1	2	
40	103	रेडल्या बलर्या
41	104	भातीता
42	105	गोलीपुरा
43	106	कल्याणपुरा पीगुन
44	[illegible]	फतालपुरा
45	114	देवल्या राती गुजरात
46	[illegible]	तिलजा
47	[illegible]	कारवालियां
48	119	गुरुदजालपुरा
49	120	करेला
50	122	कुटकी
51	125	कलमण्डी
52	126	महाराजपुरा

सलूम्बर एंव गिर्वा तहसील में अधिग्रहीत भूमि का आवंटन

324. श्री भीमजी (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर जिले की सलूम्बर एवं गिर्वा तहसीलों में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई ?

(2) अधिग्रहीत की गई भूमि में से कितनी भूमि कितने काश्तकारों को आवंटित की गई है ?

(3) जिन भूमि धारियों से भूमि अधिग्रहीत की गई उन्हें क्या मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजा किस दर से दिया जायेगा ?

(4) जिन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई उनसे क्या भूमि की कीमत ली जायेगी ? यदि हां, तो कीमत किस दर से ली जायेगी ?

(5) क्या भूमि की कीमत बिना तय किये ही भूमि आवंटित कर दी गई ? क्या अब उन लोगों से भूमि की कीमत वसूल करने से कृषकों में भारी असंतोष नहीं होगा ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की तहसील सलूम्बर में 3719 एकड़ व तहसील गिर्वा में 3380 एकड़ कुल 7099 एकड़ भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई है।

(2) अधिग्रहीत की गई भूमि में से सलूम्बर में 1280 व्यक्तियों को 2945 एकड़ भूमि व तहसील गिर्वा में 101 व्यक्तियों को 191 एकड़ भूमि अर्थात् कुल 1381 व्यक्तियों को 3136 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। बाकी 3963 एकड़ भूमि काबिल काश्त नहीं है।

(3) जी नहीं, अभी तक भूमि धारियों ने क्लेम पेश नहीं किये हैं अतः मुआवजे की राशि के बारे में निर्णय नहीं हो पाया है। मुआवजा प्रत्येक आराजी की फेयर रेट निर्धारित हो जाने के बाद कानून के मुताबिक फेयर रेट का 12 गुना, 9 गुना व 6 गुना तक दिया जावेगा।

(4) जी हां, नियमों के अन्तर्गत हर खसरा नम्बर की रेट अलग-अलग होगी जो इस समय बतलाई नहीं जा सकती। क्लेम पेश होने पर ही बाद जांच रेट निश्चित होगी।

(राजस्व मंत्री)

(5) जी नहीं, असंतोष होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जिन लोगों को यह अधिग्रहीत भूमि आवंटित की गई है उनको यह आवंटन से पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें नियमों के अनुसार तय किये गये मुआवजा की रकम देनी पड़ेगी।

उप नगर नियोजन की वरिष्ठता सूची

325. श्री **हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री आर. आर. कुमावत, उप नगर नियोजक का नाम वरिष्ठता सूची में श्री आर. के. शर्मा (वर्तमान वरिष्ठ नगर नियोजक) से ऊपर है ?

(2) क्या यह सही है कि उप नगर नियोजक की वरिष्ठता सूची को तोड़कर श्री आर. के. शर्मा को ऊपर कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उप नगर नियोजक की वरिष्ठता सूची को तोड़कर अन्य से भी ऊपर लाया गया है ? यदि हां; तो किन-किन से व किस आधार पर ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त वरिष्ठता सूची को तोड़ने के विरोध में राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा व उस पर क्या निर्णय हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने ऐसे प्रतिवेदनों को नामंजूर कर दिया है क्योंकि वरिष्ठता सूची नियमानुसार सही है।

बासनी–खेड़ी सालवा जलप्रदाय

326. श्री **राम नारायण डूंडी** (बिलाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बिलाड़ा क्षेत्र में बासनी से खेड़ी सालवा जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत कितने गांव हैं ? क्या इस योजना से खेड़ी सालवा तक पर्याप्त पानी दिया जाता है ?

उत्तर

योजना के अन्तर्गत कुल 13 ग्राम एवं 6 ढाणियां हैं। ग्राम खेड़ी सालवा में फिलहाल जल वितरण नहीं किया जा रहा है।

पीलिया खाल पर पुलिया का निर्माण कार्य

327. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीलिया खाल, तहसील पिड़ावा पर पुलिया बनने में क्या बाधा उपस्थित हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछली राज्य सरकार ने इस पुलिया को बनाने के आदेश जारी कर दिये थे ?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उक्त पीलिया खाल की पुलिया का निर्माण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण पुलिया का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

राज्य में पेड़ लगाने पर व्यय की गई राशि

328. श्री **गोविन्द सहाय** (गंगापुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गत वर्ष संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पेड़ लगाये गये तथा इस कार्य में कितना रुपया व्यय हुआ ?

(2) राज्य में कितनी पौधशाला कहां-कहां पर है तथा प्रति वर्ष एक पौधशाला कितने पेड़ कहां-कहां सप्लाई करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य में इस वर्ष कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है और अब तक कितने पेड़ लगाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में गत वर्ष 82-70 लाख पेड़ लगाये गये जिस पर कुल 1 करोड़ 61 लाख 25 हजार रुपये व्यय हुये ।

(2) राज्य में कुल 154 पौधशालाएं हैं जिसकी सूची सलंग्न है ।

(3) इस वर्ष एक करोड़ दस लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है जिसमें वन विभाग द्वारा एक करोड़ पेड़ लगाये जा रहे हैं । विभाग में अब तक लगभग 75% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रॉक फास्फेट खानों का आधुनिकीकरण

329. श्री **गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रॉक फास्फेट की खानों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) रॉक फास्फेट से राज्य सरकार को वर्ष 1976-77 के दौरान कितना मुनाफा हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि भारत के प्रदेशों के व्यापारियों द्वारा रॉक फास्फेट की जितनी मांग हो रही है आज की परिस्थिति में झामर कोटड़ा से उतना रॉक फास्फेट नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) झामर कोटड़ा स्थित रॉक फास्फेट के माइन्स पर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा आधुनिकीकरण की दिशा में कई कार्य किये गये हैं । आधुनिकीकरण के अन्तर्गत वर्ष 75-76 में बड़ी क्षमता वाली अर्थ मूविंग मशीनरी और ड्रिल मशीनों के आदेश दिये गये थे जो वर्ष 76-77 में प्राप्त हुई तथा तब से ही झामर कोटड़ा माइन्स पर कार्यरत हैं ।

(खनिज मंत्री)

इसके अलावा 4.6 क्यू. मी. क्षमता वाला इलेक्ट्रीकल शावेल, 250 मी. मी. इलेक्ट्रीकल ड्रिल और 35 टन के डम्पर खरीदे गये हैं, जो भी माइन्स पर कार्यरत है। माइन्स के विकास के लिये भी एक 5 साला योजना बनाई जा रही है जो सन् 1976 तक पूरी हो जावेगी।

(2) संकाफास्फेट से राज्य सरकार को वर्ष 1976-77 में कुल रु. 11,58,34,813/- का मुनाफा हुआ।

(3) जी हां।

चारभुजा-दीपपुरा घाटा रोड का कार्य

331. **श्री हरि नारायण शर्मा (बेगूं):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि बेंगू तहसील पंचायत समिति में भैंसरोडगढ़ के अन्तर्गत चारभुजा (झीवरबावड़ी) दीपपुरा घाटा रोड पर सन् 1961-62 व 1962-63 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था;

(2) क्या यह सही है कि 14 साल पूर्व तीन-चार किलोमीटर डामर रोड बना देने के पश्चात् सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है जब कि उक्त रोड पर अन्य को बड़े गांव दीपपुरा, भैरमती, बड़ोदिया, लाडपुरा, जालिखेड़ा, धांवद, खेड़ारुध इत्यादि बड़े गांव पड़ते हैं? यदि हां, तो सड़क का कार्य कब तक राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ कर उसे पूरा करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इसमें केवल 1.86 किलोमीटर लम्बाई में डामर करवाया गया। धनाभाव के कारण इस कार्य को पूरा कराया जाना सम्भव नहीं है।

भीलवाड़ा नगर में पानी की टंकी बनाने का कार्य

332. **श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल):** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) भीलवाड़ा नगर में जिलाधीश कार्यालय के पास पानी की टंकी बनवाने का कार्य कब प्रारम्भ किया गया, और उस पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है और उसकी अनुमानित लागत कितनी आंकी गई थी;

(2) क्या यह सही है कि इस टंकी का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने घोर अनियमिततायें की हैं? जिनकी शिकायत अधिशासी अभियन्ता भीलवाड़ा द्वारा भी राज्य सरकार को की गई है?

(3) क्या राज्य सरकार इस टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न करवा कर नगर की जल समस्या को हल करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) टैंक बनाने का कार्य दिनांक 6-4-73 को प्रारम्भ किया गया। टैंक पर कुल 3,39,231.00 रु. व्यय किया गया। निविदाएं आमन्त्रित करते समय टैंक की अनुमानित लागत 3.50 लाख रु. आंकी गई थी।

(श्रम स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(2) जी नहीं ।

(3) टंकी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स को मान्यता

333. श्री हरिश कुमार शर्मा (राम गंज मण्डी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स राजस्थान सरकार ने विभाग की सिफारिश पर 1976 से प्रारंभ किया है ? यदि हां, तो उसको राजस्थान विश्वविद्यालय मान्यता क्यों नहीं दे रहा है जब कि विज्ञापन में लिखा गया था कि राज. विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि फार्मेसी एक्ट, (संशोधन) 1976, जो केन्द्र सरकार ने वनाया है, को लागू करने में राज. विश्वविद्यालय बाधक वन रहा है ? क्या सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से इसके कारण ज्ञात किए हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार एसे छात्रों की परीक्षा लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या उनके जीवन के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1976-77 के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा मान्यता दे दी गई है ।

(2) फार्मेसी एक्ट (संशोधन), 1976 को लागू करना राजस्थान विश्व विद्यालय के क्षेत्र में नहीं है ।

(3) जी हां ।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

भीलवाड़ा जिले में उद्योगों को राज्य सरकार की जमानत पर दी गई राशि

334. श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में बैंक से राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान सरकार की जमानत पर 1962 से 1977 तक किन किन उद्योगों के लिये एक लाख से अधिक रुपया दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

वर्ष 1962 से 1977 तक राज्य सरकार की प्रतिभूति पर भीलवाड़ा जिले के निम्न उद्योगों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया है :—

	नाम उद्योग	प्रतिभूति की तिथि	राशि	बैंक का नाम
1	2	3	4	5
1	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, लि0 भीलवाड़ा	11-4-66	7-50 लाख	बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर लि0

1	2	3	4	5
2.	राज. स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि., भीलवाड़ा	6-9-67	7,67,495	बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर लि.
3.	"	7-10-67	4,07,485	बैंक आफ राज. लि.
4.	राज0 कोआपरेटिव, स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	10-4-71	10.00 लाख	राज. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि.
5.	"	7-7-71	25.00 लाख	बैंक एण्ड राज. लि.
6.	"	8-7-71	10.00 लाख	राज. स्टेट कोआपरेटिव बैंक
7	"	16-3-77	20.00 लाख	"

जिला भीलवाड़ा में बैंकों से उद्योगों को ऋण दिलाने हेतु राजस्थान वित्त निगम ने कोई प्रतिभूति नहीं दी है।

राज्य में शराब से आय

335. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1972 के अप्रेल से पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की थी ?

(2) उस घोषणा के बाद शराब की आय में कितनी कमी हुई है ?

(3) जब सब रियासतों का विलीनीकरण हुआ तब पूरे राजस्थान की शराब की आय कितनी थी और 8 जिलों में शराब बन्द होने के पश्चात 31 मार्च, सन् 77 तक शराब की आय कितनी हुई ?

(4) क्या यह सही है कि शराबबन्दी के लिये ही सेल्स टैक्स कायम किया गया था ? ऐसी स्थिति में क्या शराब से आय कमाना न्यायसंगत है ?

(5) क्या यह सही है कि जितने भी एक्सीडेन्ट और जुर्म होते हैं तथा कुकर्म होते हैं उन सबकी जननी शराब ही है ? यदि हां, तो राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी कब तक होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आय में कमी नहीं हुई है।

(3) रियासतों के विलीनीकरण के समय के शराब से प्राप्त आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1967-68 से 1976

(आबकारी मन्त्री)

77 तक प्रदेश में आबकारी से हुई आय के वार्षिक आंकड़ों की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) मद्यपान की बुराइयां सर्व विदित हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुसार अधिक से अधिक अगले चार वर्षों में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने का विचार है। परन्तु राजस्थान सरकार उपरोक्त अवधि से पूर्व ही पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का निश्चय कर चुकी है।

वर्ष 1967-68 से 1976-77 तक की आबकारी आय

वर्ष	आय (रुपयों में)
1967-68	7,21,73,236
1968-69	8,78,57,457
1969-70	7,65,15,063
1970-71	8,31,93,000
1971-72	8,92,42,305
1972-73	11,47,62,202
1973-74	12,42,68,994
1974-75	16,55,25,262
1975-76	18,94,37,561
1976-77	21,87,05,098

रतनगढ़ में गन्दे पानी को निकालने की योजना

336. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में सारे शहर की नालियों का गंदा पानी गरीब बस्तियों के बीच में एकत्रित होता है ? उसको वहां से हटाने के लिए क्या राज्य सरकार की पृथक से कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

(2) आबादी के मध्य इस गंदे पानी की नगर से बाहर निकासी के लिए क्या कोई बाधा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस अति महत्वपूर्ण जनहित के कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां, अभी तक रतनगढ़ शहर के गन्दे जल को निकालने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(2) यह जानकारी योजना के सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त हो सकेगी, सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

जालोर एवं सिरोही जिलों में खालसा घोषित की गई जमीन

337. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 16 जून, 1975 के बाद धारा 175 के तहत अनुसूचित जाति व जन जाति की खातेदारी की जमीन को खालसा घोषित किया गया है ? यदि हां, तो जालोर और सिरोही जिलों में कुल कितने ऐसे मामले बने और कितनी जमीन खालसा घोषित की ?

(2) क्या यह सही है कि इसी आधार पर रेवदर तहसील मुख्यावास पर श्री राजा पुत्र श्री नगा घांची का अरट खालसा घोषित किया गया ?

(श्री रघुनन्दन व्यास)

(3) क्या यह सही है कि पहले यह एक बारानी खेत था और जब अपना खेत पंचायत समिति रेवदर के लिए श्री राजा ने दिया था तब उसे बदले में यह जमीन तहसील द्वारा दी गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि श्री राजा ने उसमें कुआ खोदा और उसको सरसब्ज बनाया ? उसे आज पन्द्रह वर्ष हो गए और अब वह खालसा घोषित हुई ? यदि हां, तो श्री राजा को भूमिहीन करने का मुआवजा कितना हुआ और वह उसे कब दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42(बी) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कृषकों के द्वारा अपने वर्ग से निम्न वर्ग के व्यक्ति को भूमि का बेचान करने तथा अन्य रूप में हस्तान्तरित करने पर प्रतिबन्ध है। इस प्रावधान के विपरित जो अवैध हस्तान्तरण किये जावें उनके मामले में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। 19 जून, 1975 के बाद धारा 175 के तहत इस प्रकार के मामलों में कार्यवाही हुई है। उनकी संख्या जालोर एवं सिरोही जिलों में निम्न प्रकार है :—

मामलों की संख्या		रकबा जो खालसा घोषित किया गया
जालोर	220	1573
सिरोही	36	191.89

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति के लिए श्री राजा घांची ने जो खेत दिया था उसके बदले उन्हें तहसील द्वारा कोई जमीन नहीं दी गई वरन पंचायत समिति ने उक्त खेत के बदले में श्री राजा को दिनांक 1-4-61 को 5,000 रुपये चुकाये थे।

(4) जो भूमि श्री राजा घांची से उन्हें बेदखल करके ली गई है वह भूमि उन्होंने दिनांक 4-4-61 को 1,000 रुपये में श्री सूआ पुत्र ऊका सरगड़ा (अनुसूचित जाति) से खरीदी थी। इस भूमि में कुआ है परन्तु यह कुआ किस ने खोदा इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। श्री राजा ने इस खरीद में धारा 42(बी) का उल्लंघन किया है। खरीद अवैधानिक होने से उन्हें भूमि से बेदखल किया गया। अतः इसके लिए मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जयपुर जिले की पंचायतों में सचिवों की नियुक्ति

338. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जयपुर में ऐसी कौन कौन सी पंचायत हैं जहां सचिवों की नियुक्ति नहीं है और सचिव की नियुक्ति भी नहीं की जा रही हैं ?

(2) ऐसी कौनसी पंचायतें हैं जहां सरपंचों के कई बार शिकायत करने पर भी सचिव नहीं दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऐसी कौन सी पंचायत समिति है जहां विकास अधिकारी (प्रशासक) पंचायतों का रिकार्ड, चार्ज व सचिव उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं ?

(श्री रामकरणसिंह)

(4) इस तरह के प्रशासकों व विकास अधिकारियों को क्या राज्य सरकार कार्य के योग्य समझती है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(4) विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	पंचायतों के नाम जहां ग्रुप सचिव नहीं है	पंचायतों का नाम जहां सरपंचों द्वारा शिकायत करने पर भी सचिव नहीं दिये गये ।	पंचायत समिति का नाम जहां विकास अधिकारी पंचायतों का रिकार्ड, चार्ज व सचिव उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं ।
1	2	3	4	5
1.	सागानेर	—	—	—
2.	दूदू	—	—	—
3.	बस्सी	—	—	—
4.	फागी	—	—	—
5.	चाकसू	—	—	—
6.	सांभर	—	—	—
7.	लालसोट	—	—	—
8.	झोटवाडा	—	—	—
9.	जमवारामगढ़	—	—	—
10.	गोविन्दगढ़	—	—	9 पंचायतों का चार्ज दिलाया जाना शेष है।
11.	दौसा	सचिव उपलब्ध नहीं होने से ग्राम पंचायत ढिगरिया सिंगवाडा, जिरोता खुर्द एवं ढिगोटिया में सचिव नहीं हैं।	—	—
12.	बांदीकुई	एक सचिव के छोड़े जाने से ग्राम पंचायत प्रताप-पुरा, बडियाल खुर्द, पण्डितपुरा में पद रिक्त हैं।	—	—

1	2	3	4	5
13.	कोटपूतली	पंचायत समिति में ग्रुप सचिवों के 3 पद रिक्त हैं जिससे नागलवाला, राजनोता, पाथरेडी, चतुर्भुज, सुन्दरपुर, कल्याणपुरा खुर्द गोपालपुरा, रामसिंहपुरा, सांगटेडा, ग्राम-पंचायतों में ग्राम सेवक व सरपंचों के पास-चार्ज है।	श्री मुंशी सिंह, ग्रुप सचिव के लगातार काफी समय से गैर हाजिर रहने के कारण वहां का ग्राम पंचायत गोपालपुरा, रामसिंहपुरा, सांगटेडा का चार्ज सरपंचों को दिलाया हुआ है। श्री मुन्शीसिंह ग्रुप सचिव को लम्बे अर्से तक अनुपस्थित रहने से सेवा से पृथक करने का निर्णय प्रशासन स्थाई समिति द्वारा लिया जाकर डी. ई. सी. के अनुमोदनार्थ भेजा हुआ है। इन्ही सरपंचों के रिकार्ड का चार्ज दिलाने के लिये पंचायत समिति में पत्र प्राप्त हुए हैं जिससे इन्हीं सरपंचों को चार्ज दिलाया जा चुका है।	—
14.	सिकराय	6 ग्रुप सचिवों के पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत पाचोरी, भानपुर, छोकरवाडा, डोलिका, आभा बैराण्डा, अचलपुरा, कालोखो बैराण्डा, राणोली, मोचिगपुरा, गुमानपुरा, दुब्बी, फर्राशपुरा, टोरडा, कैलाई, हींगवा में सचिवों की व्यवस्था नहीं है। शीघ्र ही चयनित ग्रुप सचिव लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।	—	—
15.	विराटनगर	—	—	—
16.	आमेर	—	—	—
17.	शाहपुरा	—		